एकादश माला, खंड 6, अंक 8

सोमवार, 2 दिसम्बर, 1996
11 अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

सोमवार, 2 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

का शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
9	20	पौधों	पौधों
13	नीचे से 14	राजक्षमा	राजक्षमा
71	3	श्री सुल्तान सलाउद्दीन आवेसी	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
85	नीचे से 7	सड़कोन	सड़कों
181	7	बाढ़-रोधी कार्यक्रम	बाढ़-रोधी कार्यक्रम
224	नीचे से 8	गोखा	गोरखा
227	नीचे से 14	(क) से (घ)	(क) से (च)
282	नीचे से 10	प्रश्न संख्या 1526 के उत्तर में भाग(ख) के पश्चात जोड़े :	
		"(ग) इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नही लिया गया ।"	

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपरसचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 8, सोमवार, 2 दिसम्बर, 1996/11 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1—3
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या :	141 से 160	3—59
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1298 से 1528	59—284

लोक सभा

सोमवार, 2 दिसम्बर, 1996/11, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सदन को अत्यन्त दुख के साथ हमारे पूर्व सहयोगी डा. एम. चेन्ना रेड्डी के निधन के बारे में सूचित करना है। 1950-52 के दौरान डा. रेड्डी अंतरिम संसद के सदस्य थे। वह राज्य सभा के भी सदस्य रहे। वह 1967-68 के दौरान इस्पात और खान मंत्री भी रहे।

मूल रूप से कृषक डा. रेड्डी ने 1930 और 1940 के दशकों के दौरान कुछ युवा संगठनों की स्थापना की। डा. रेड्डी ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत 1950 में की थी। वह 1951 से 1956 तक हैदराबाद विधान सभा तथा 1956 से 1962 तक तथा 1962 से 1967 तक आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

डा. रेड्डी ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। डा. रेड्डी ने कई देशों की यात्रा की और वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1953 में खाद्य और कृषि संगठन के तत्वावधान में आयोजित विश्व कृषक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। डा. रेड्डी का आज प्रातः निधन हो गया।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु के राज्यपाल डा. एम. चेन्ना रेड्डी के निधन पर हम सभी को हुई क्षति पर दुख प्रकट करता हूं और अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। डा. रेड्डी ने अपने लम्बे राजनैतिक जीवन की शुरूआत हैदराबाद राज्य में राजनैतिक आन्दोलन से की। वह 1950 से हैदराबाद राज्य की राजनीति में सक्रिय थे और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे जैसे कृषि और खाद्य मंत्री, योजना और पुनर्वास मंत्री। तत्पश्चात आन्ध्र प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री, शिक्षा और वाणिज्यिक कर मंत्री भी रहे। डा. रेड्डी 1967 में राज्य सभा के सदस्य बने और 1967-68 के दौरान केन्द्र में इस्पात और खान मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर थे। वह 1974-77 तक उत्तर प्रदेश के राज्य पाल थे तथा 1977-80 तक तथा उसके बाद 1989-90 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। डा. चेन्ना रेड्डी ने पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में राष्ट्र की सेवा की। डा. एम. चेन्ना रेड्डी के निधन से राष्ट्र ने अपना एक योग्य प्रशासक और एक अनुभवी सांसद खो दिया है। निःसंदेह इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ दिवंगत डा. चेन्ना रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके संबंधियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष जी, श्री चेन्ना रेड्डी के निधन से इस देश के राजनैतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। एक ऐसी पीढ़ी हमारे बीच से चली गई है जिसने इस देश की विभिन्न रूपों में सेवा की। श्री रेड्डी मेरे संबंध में उस समय आए जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मैं अध्यापक संघ का महामंत्री था और उस रूप में श्री रेड्डी से मिलने का मुझे बहुत अवसर मिला। श्री रेड्डी ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में काम करते हुए जो अपने व्यवहार की और मृदुता की छाप छोड़ी, उससे वे बहुत दिनों तक वहां याद रखे जाएंगे। उन्होंने विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के रूप में काम किया और विभिन्न संस्थाओं को जन्म दिया।

मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्री रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. विजय भास्कर रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैं कुछ दिन पूर्व डा. चेन्ना रेड्डी से एक विवाह समारोह में मिला था। वह स्वस्थ दिख रहे थे और ऐसा नहीं लगता था कि यह सब इतना अचानक हो जाएगा। हम सभी को यह जानकर अत्यधिक दुख हुआ कि डा. चेन्ना रेड्डी की मृत्यु हृदय गति रूक जाने के कारण हुई। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वह हैदराबाद के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़े थे। वह कई बार जेल गए। वह काफी कम उम्र में मंत्री बन गए थे। उनका जीवन काल लम्बा और उल्लेखनीय रहा।

वह दो बार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और केन्द्र मे भी मंत्री रहे। वह उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के राज्यपाल रहे और अब तमिलनाडु के राज्यपाल थे तथा पांडिचेरी और गोवा के भी प्रभारी राज्यपाल थे।

उनकी विचारधारा प्रबल थी। उनकी इच्छाएं तथा अनिच्छाएं दोनों ही दृढ़ थीं। एक बार दोस्त बनने पर हमेशा दोस्ती निभाते थे। वह दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने राज्य में मंत्री रहते हुए किसानों के लिए कई कार्य किए थे। वह किसानोन्मुखी मंत्री थे। जहां कहीं भी उन्होंने कार्य किया चाहे केन्द्र में हो अथवा राज्य में अथवा राज्यपाल के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वह दीर्घकाल तक एक योग्य प्रशासक के रूप में याद किये जाते रहेंगे। वह एक बहुत अच्छे मित्र थे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में वह 50 वर्ष तक केन्द्र तथा राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने कई लड़ाइयां सफलतापूर्वक लड़ी। वह प्रतिष्ठापूर्वक लड़ते थे और कोई अनुचित कार्य नहीं करते थे। ऐसा व्यक्ति पुनः पाना मुश्किल है। वह आजादी के लिए लड़े थे। वह स्वतंत्रता सेनानी थे। वह कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रत्येक पद पर उल्लेखनीय कार्य किया। हमने एक बहुत अच्छा और महान मित्र खो दिया है। यह एक ऐसी क्षति है जिसकी आसानी से और

विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में पूर्ति नहीं की जा सकती है। डा. चेन्ना रेड्डी को काफी समय तक याद किया जाता रहेगा और उनके द्वारा रिक्त कियग गए स्थान को भर पाना कठिन होगा। मैं उनके निधन पर दुख व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, डा. रेड्डी जैसे नेता के निधन पर जोकि इस सदन के सदस्य थे और हमारे साथी थे, सदैव ही दुख होता है। उन्होंने जीवन में कई उच्च पदों को सुशोभित किया तथा एक योग्य प्रशासक और राजनीतिज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की।

महोदय, जो कुछ भी उनके बारे में सभा में कहा गया है मैं उससे स्वयं को जोड़ता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, डा. चेन्ना रेड्डी के निधन से गहरा धक्का पहुंचा है। एक सांसदविद् प्रशासक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। हाल ही में, आंध्र प्रदेश में आए तूफान में काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज डा. चेन्ना रेड्डी के निधन का दुखद समाचार गहरा धक्का पहुंचाने वाला है। मैं अपने दल की ओर से डा. रेड्डी को श्रंद्धाजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

अध्यक्ष महोदय : हम डा. चेन्ना रेड्डी के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हैं और शोकसंतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 3 दिसम्बर, 1996 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

थलसेमिया

*141 **श्री बल्लभ भाई कठीरिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में थलसेमिया के कुल कितने रोगी हैं;

(ख) क्या सरकार थलसेमिया रोगियों के उपचार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण इन्जेक्शन डेसफोरल के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि से अवगत है;

(ग) इस औषध को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमों में थलसेमिया को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) थैलासेमिया के रोगियों की कोई केन्द्रीय रजिस्ट्री नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने 1986-1989 के बीच दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के चुनिंदा बच्चों के एक समूह पर एक सीमित अध्ययन किया। अध्ययन की गई आबादी में औसतन लगभग 6 प्रतिशत थैलासेमिया विशेषक की व्याप्तता का पता चला। इसका सांख्यिकी दृष्टि से अनुमान लगता था कि भारत में हर वर्ष लगभग 6000 से 8000 बच्चे थैलासेमिया मेजर से ग्रस्त पैदा होते हैं जो कुल जन्मों को 0.02 प्रतिशत बैठता है।

(ख) 1994-95 के दौरान डेस्फेरल को सी.आई.एफ. कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अब कीमत कम हो गई है तथा 1994 की कीमतों से भी कम है।

(ग) डेस्फेरल की आसानी से उपलब्धता के उद्देश्य से आयात नीति के अंतर्गत ओ.जी.एल. के अधीन एक मद के रूप में बिना किसी प्रतिबंध के डेस्फेरल आयात करने की अनुमति दी गई है, इसके थोक औषध तथा योगों, दोनों के आयात के मामले में भी शुल्क की रियायत शून्य प्रतिशत है। योगों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान भी नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त कड़ी चिकित्सीय निगरानी के अधीन ओरल आयरन चेलेटर भी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। यह औषध देश में ही बनाई जाती है तथा कम खर्चीली है और रोगियों में इसकी स्वीकार्यता बेहतर है।

(घ) और (ङ). सरकार राज्य रोग सहायता नीतियां स्थापित करने के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांग रही है जिन्हें आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार की निधियां यदि स्थापित हो जाती हैं, तो इनका उपयोग थैलासेमिया जैसे खर्चीले उपचार के लिए गरीब रोगियों की सहायता करने में किया जा सकता है।

इस समस्या का वास्तविक समाधान इस रोग से ग्रस्त जन्मों को रोकना है जिसके लिए देश के कुछ केन्द्रों में परामर्श तथा प्रसव-पूर्व निदान की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रसव-पूर्व निदान प्रारंभ करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन शुरू किया है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान में उच्चायोग के अधिकारी पर हमला

***142. श्री रमेश चन्द तोमर :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा अक्तूबर, 1996 में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी का अपहरण किया गया तथा बाद में उसे छोड़ दिया गया था और उसकी पत्नी को निर्दयतापूर्वक पीटा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की है और उसे इसके कारण बताने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान ने इसका क्या उत्तर दिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशनों के अधिकारियों पर हुए हमले की ऐसी कितनी घटनाएं सामने आई हैं; और

(ज) भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने और पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशन के अधिकारियों और उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ज). 26 अक्तूबर, 1996 की सुबह पाकिस्तान के लगभग 10 खुफिया कर्मचारी, इस्लामाबाद में हमारे मिशन के एक कर्मचारी श्री ए.के. वाही के घर में जबरदस्ती घुस गए। उन्होंने बलपूर्वक उन्हें घसीट कर घर के बाहर खड़ी कार में धकेल दिया और अपहरण करके उन्हें उठा ले गए। ऐसा करते समय उन्होंने श्रीमती वाही को गंभीरता से जख्मी कर दिया, जिन्हें इस घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।

राजनयिक सूत्रों के माध्यम से पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों के पास तत्काल इसका विरोध प्रकट किया गया और श्री वाही की सुरक्षित वापसी की मांग की गई। पांच घण्टे तक गैर-कानूनी तथा अवांछनीय हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। "पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने उन्हें इस आरोप पर इस्लामाबाद से वापस बुलाने की हमसे मांग की कि वे ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो उनके सरकारी ओहदे के प्रतिकूल है"। यह आरोप पूर्णतः झूठा तथा बेबुनियाद था। फिर भी सामान्य राजनयिक परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, श्री वाही तथा उनका परिवार 31 अक्तूबर, 1996 को भारत लौट आया।

श्री वाही पर यह हमला, 25 अक्तूबर, 1996 को दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को किसी भारतीय संपर्क सूत्र से रक्षा संबंधी दस्तावेजों को लेते हुए पकड़े जाने के लिए, स्पष्टतया बदले की भावना से किया गया था। पाकिस्तानी कर्मचारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया था।

इस आपराधिक घटना पर, भारत सरकार ने पाकिस्तानी उच्चाधिकारियों को अपनी गंभीर चिंता से अवगत करा दिया था। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में दो बार बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि यह घिनौनी कार्रवाई, स्वीकार्य राजनयिक परम्परा के सभी मानदण्डों तथा राजनयिक/कौंसली कार्मिकों से किए जाने वाले व्यवहार के लिए भारत-पाकिस्तान की आचार-संहिता के गंभीर उल्लंघन में की गई है। यह मांग की गई कि पाकिस्तान को इस्लामाबाद में हमारे कार्मिकों को हिफाजत तथा सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसी बात से इस्लामाबाद में हमारे उच्चायोग द्वारा पाकिस्तान विदेश कार्यालय को अवगत कराया गया।

राजनयिक/कौंसली कार्मिकों के प्रति व्यवहार के लिए भारत-पाकिस्तान आचार-संहिता में इन चिंताजनक शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था की गई और हम इन अनुबन्धों में की गई व्यवस्था का निष्ठापूर्वक अनुपालन कर रहे हैं।

विगत तीन वर्षों में, इस्लामाबाद में हमारे मिशन के कर्मचारियों पर हमला करने की ऐसी 6 घटनाएं घट चुकी हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तानी प्राधिकारी इस्लामाबाद में हमारे कार्मिकों के विरुद्ध उनके खुफिया एजेंसियों द्वारा डराने-धमकाने तथा हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठा रहे हैं। यह खेद की बात है। हमने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में सुधार होने के बजाए उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता हेतु चुनाव

***143. श्री मनोरंजन भक्त :**

डा. सत्य नारायण जटिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता हेतु चुनाव में भारत जापान द्वारा पराजित कर दिया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इन कारणों का विशेषकर गुटनिरपेक्ष तथा तीसरे विश्व के देशों द्वारा कम समर्थन मिलने के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) चुनाव जीतने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ङ) भारत तथा जापान को किन-किन देशों द्वारा वोट दिया गया और मतदान से अलग रहने वाले देशों की संख्या कितनी है;

(च) क्या यह सच है कि कई सदस्य देश भारत की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे थे लेकिन सी.टी.बी.टी. के बारे में भारत के दृष्टिकोण के कारण उन्होंने अपना विचार बदल दिया;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) इस पराजय का भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता की संभावना पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(झ) अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (झ). भारत को 1997-98 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी सदस्यता के निर्वाचन में 40 मत प्राप्त हुए। जापान को 142 मत प्राप्त हुए और उसे चुन लिया गया। कोई भी देश मतदान में अनुपस्थित नहीं रहा।

इस नतीजे के सभी संगत कारणों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया है। 1997-98 की अवधि के लिए सुरक्षा-परिषद में गैर-स्थायी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय 1994 में लिया गया था। भारत के पक्ष को दृढ़ता से रखने के प्रयास किए गए थे। सरकार ने हमारी उम्मीदवारी के सुदृढ़ गुण-दोषों के बारे में अन्य सरकारों को अवगत कराने के लिए कई कदम उठाए। इन उपायों में, विभिन्न देशों की राजधानियों में तथा नई दिल्ली में राजनयिक मिशनों से सम्पर्क कायम करना, क्षेत्रीय शिखर बैठकों में उपस्थिति रहना, विशेष दूतों के माध्यम से विदेशी राजधानियों तथा नई दिल्ली में आए आगन्तुकों के साथ विचार-विनिमय करना तथा उच्च स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी मिशन भी इस प्रयास में सतत रूप से लगा रहा। भारत की उम्मीदवारी के लिए चुनाव-प्रचार, व्यापक, बहु आयामी था तथा मतदान के समय तक इसे ज्वलन्त रखा गया था।

गुप्त मत-पत्र द्वारा इस प्रकार के मतदान में देशों का मन्तव्य पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो पाता और समर्थन की कमी के लिए ठीक-ठीक कारण प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। फिर भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर भारत की दृढ़ तथा सिद्धान्तगत स्थिति ने इस परिणाम को प्रभावित किया है। आर्थिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर अपना वोट देना एक निर्णायक कारण रहा होगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता का विषय एक भिन्न तथा अलग मसला है। सुरक्षा परिषद की पुनर्संरचना पर चर्चा, संयुक्त राष्ट्र के "ओपन इण्डेड वर्किंग ग्रुप" में चल रही है, जिसकी सिफारिशें सर्वसम्मति आधार पर की जाएंगी। समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद, इस ग्रुप द्वारा सितम्बर, 1997 तक अपना कार्य समाप्त किए जाने की संभावना है। कार्यकारी दल के भीतर स्थायी सदस्यता की श्रेणी में वृद्धि करने के प्रश्न पर अथवा वह रणनीति जो नए स्थायी सदस्यों में विस्तार तथा उन्हें शामिल करने का निर्णय लेगी, अभी तक कोई ज्ञेय मतैक्य नहीं हुआ है। भारत स्थायी तथा गैर-स्थायी सदस्यता, दोनों श्रेणियों में विस्तार किए जाने का समर्थक है। हमने वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के निरूपण की आवश्यकता पर जोर दिया है जिससे नए स्थायी सदस्यों के रूप में देशों का चयन तय किया जा सकेगा।

सरकार सु-स्थापित सिद्धान्तों पर आधारित अपनी परम्परागत सक्रिय विदेश नीति को जारी रखने में पूर्ण रूप से कृत संकल्प है। अन्तर्राष्ट्रीय रंगभूमि में भारत के राष्ट्रीय हित की सुरक्षा तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

जी-15 देशों का शिखर सम्मेलन

***144. प्रो. पी.जे. कुरियन :**
श्री के.डी. सुल्तानपुरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और भारत द्वारा कौन-कौन से मुद्दे उठाए गये;

(ग) इस सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले और इन निष्कर्षों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और भारत की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस सम्मेलन में भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) क्या सम्मेलन के दौरान अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण और विश्व व्यापार संगठन द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी संयुक्त नीति के सम्बन्ध में कोई चर्चा हुई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत ने इस सम्मेलन में क्या भूमिका निभाई है; और

(छ) भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इस शिष्टमंडल के दौरे पर कितना खर्चा हुआ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (छ). प्रधानमंत्री ने जी-15 के छठे शिखर सम्मेलन-दक्षिण-दक्षिण परामर्श एवं सहयोग शिखर-स्तरीय दल में भाग लेने वाले भारतीय

शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया जो 3-5, नवम्बर, 1996 तक हरारे, जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ था। सभी जी-15 देशों ने इस शिखर सम्मेलन में, इनमें से सात ने राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष स्तर के, दो ने उप-राष्ट्रपति स्तर के तथा शेष ने मंत्री/विशेष दूत स्तर के प्रतिनिधि भेजे थे।

जी-15 शिखर सम्मेलन ने उभरते हुए सार्वभौम मसलों के संबंध में विकासशील देशों के बीच अपने-अपने महत्वपूर्ण हितों की बेहतर समझबूझ उत्पन्न करने के लिए इस दल की एक मंच के रूप में व्यवहार्यता की पुष्टि की। भारत ने विश्व व्यापार संगठन मसलों के विशेष संदर्भ में विकासशील देशों की चिन्ताओं और संभावनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें कुछ अहम क्षेत्रों के संबंध में विचारों की स्पष्ट समानता थी।

छठे जी-15 शिखर सम्मेलन में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संबंध में प्रगति दर्ज की गई। भारत द्वारा समन्वित पांच परियोजनाओं सहित सुविचारित तकनीकी-आर्थिक परियोजनाएं तकनीकी सहयोग प्रदान करने में पथ प्रदर्शन करेंगी और निजी क्षेत्र संयुक्त उद्यमों को प्रेरित करेंगी। भारतीय परियोजनाएं, जो क्रियान्वयन के अन्तिम चरण में हैं उनमें सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों में सहयोग, औषधीय और सुगंधित पौद्यों का जीन बैंक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघु उद्योग सहयोग और उद्यम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तकनीकी विकास केन्द्र शामिल हैं। छठा शिखर सम्मेलन इन परियोजनओं को परिणामोन्मुख तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सहमत है और सदस्य देशों द्वारा प्रभावी सहभागिता का प्रण किया।

इस शिखर सम्मेलन में अल्प विकसित देशों सहित विकासशील देशों में देनदारी के अपूर्णनीय स्तरों की समस्या पर चर्चा की गई। इस शिखर सम्मेलन में आतंक के सभी कृत्यों की निन्दा की और इस समस्या का मुकाबला करने के लिए अंत: जी-15 सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

जी-15 शिखर सम्मेलन ने भारत के लिए अफ्रीका के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने का अवसर प्रदान किया। अफ्रीका के लिए 100 करोड़ रुपए की एक परिक्रामी निधि को विशेष पहल की घोषणा की थी। इसमें तकनीकी सहयोग तथा व्यापार और निवेश का वित्त घटक शामिल होगा। इस निधि से अफ्रीका के विकास में भारत की सहभागिता अधिक सरल होगी और अफ्रीका में भारतीय व्यापार और उद्योग को महत्वपूर्ण मौजूदगी स्थापित हो सकेगी। अफ्रीका से संबद्ध एक अन्य महाद्वीपी पहल जिसमें जिम्बाब्वे में अफ्रीका के लिए एक सूचना प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का भारत का प्रस्ताव है। जिम्बाब्वे और सेनेगल के साथ लघु उद्योगों में सहयोगं के लिए समझौता ज्ञापन संपन्न हुए हैं, जो अन्य अफ्रीकी देशों के लिए प्रमाणन के मानकों का भी काम करेंगे।

जी-15 विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधित करने के हमारे बृहत्तर प्रयासों और क्षेत्रीयता द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों पर काबू पाकर दक्षिणी बाजारों के अधिकतम उपयोग का केन्द्र बन जाता है। जी-15 की निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी (सीआईटीटी) तथा व्यवसाय एवं निवेश फोरम (बी आई एफ) से संबद्ध समिति सूचना नेटवर्किंग व्यापार सरलीकरण और संवर्धन उपाय, गुणवत्ता और मानक प्रमाणीकरण में सहयोग तथा व्यापार मेला सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जी-15 देशों के बीच संवर्धित मण्डी पहुंच के लिए अनुरोध सूचियां तैयार करने के संबंध में और इस उद्देश्य के लिए जी एस टी पी का बेहतर उपयोग करने के लिए कार्य किया जाना है। सी आई टी टी इस समय विश्व व्यापार संगठन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं और ट्रिप्स जैसी सभी मदों और क्षेत्रों में विकासशील देशों के लिए अधिमानी दर्जा देने के लिए विकसित देशों से संबद्ध एक प्रस्ताव तैयार करने के बारे में भी कार्य करेगा।

जी-15 की जी-7 के साथ वार्ता सहित जी-15, जी-77 और नाम का एक सूक्ष्म रूप है यह इनका पूरक है जिसे हरारे शिखर सम्मेलन के बाद अधिक ठोस बनाए जाने की मांग की थी। यह बात इसकी क्रियाविधियों को अधिक कार्यकुशल, सहभागी और व्यवसायोन्मुख बनाने के लिए अन्य उपायों के साथ जी-15 के भावी दिशा-निर्देशों से संबद्ध परामर्शों में परिलक्षित हुई थी।

यह तय किया था कि आगामी शिखर सम्मेलन जो 1997 में कुआलालम्पुर में आयोजित किया जाना है उसमें कीनिया को सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाना है। आठवें शिखर सम्मेलन की मेजबानी 1998 में जमैका करेगा।

एक प्रतिनिधि भारतीय व्यवसाय शिष्ट मण्डल ने छठे शिखर सम्मेलन की व्यवसाय बैठकों में भाग लिया। हरारे में जी-15 व्यवसाय प्रदर्शनी में भारतीय पैविलियन में परिष्कृत भारतीय प्रौद्योगिकी और उत्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित किया जिससे जी-15 देशों के बीच भारत के बारे में सकारात्मक मार्का छवि परिवर्तन को प्रभावित करने में मदद मिली।

छठे जी-15 शिखर सम्मेलन में भारत की सहभागिता ने जी-15 के पुनर्वैधीकरण और समेकन में प्रभावी दक्षिण-दक्षिण सहयोग के साधन तथा सार्वभौम आर्थिक प्रबंधन और विकास सहयोग के सामयिक मसलों से संबद्ध उत्तर के साथ विश्वस्त और संकेन्द्रित संवाद दोनों रूप में योगदान दिया। जी-15 अन्तर्राष्ट्रीय मंचों और नियम बनाने में भारत के अधिकारों और रूचियों का समर्थन करने में सहयता करेगा। यह एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका में-दक्षिण के उदित देशों के साथ भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को गति भी देगा।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टीओ) के संबंध में जी-15 ने इस बात को स्वीकार किया कि सभी राष्ट्रों के आर्थिक हित के विकास और सुधार कार्य में विश्व व्यापार संगठन के सभी कार्यकलापों का आधार बनाया जाए। शिखर सम्मेलन इस बात से सहमत हुआ कि सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन के आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में

"मौजूदा उरुग्वे दौर के करारों की कार्य प्रणाली और कार्यान्वयन की समीक्षा पर ध्यान" केन्द्रित किया जाना चाहिए। इन करारों के क्रियान्वयन में ठोस और सार्थक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन इस बात के लिए सहमत हुआ कि व्यापार और निवेश सम्बन्ध तथा बहु-पक्षीय प्रतियोगिता नीति के विकास के जैसे "नये मसलों" का गैर सांविदिक रूपरेखा के रूप में विश्व व्यापार संगठन के बाहर पहले अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ विकसित देशों के साथ तुलनात्मक लाभ और उनकी फर्मों के प्रतियोगी लाभ पर उनका प्रभाव निर्धारित किया जा सके। व्यापार और आन्तरिक श्रम मानदण्डों पर, यह शिखर सम्मेलन "विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत श्रम और सामाजिक मसलों को लाने के किसी भी प्रयास का विरोध करने के लिए" सहमत हुआ। विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर सम्मेलन से पूर्व जी-15 देशों के बीच मंत्रीस्तरीय परामर्श करने का फैसला किया था और भावी अध्यक्ष मलेशिया इस प्रकार की एक बैठक आयोजित कर रहा है।

इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्ष और निर्णय, जिन्हें जी-7 के अध्यक्ष को भेजा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन की नियम बनाने की प्रक्रिया विकासशील देशों के स्वरूप को उजागर करेगी और स्पष्ट परस्पर लाभ, प्रचुर लाभ तथा बृहत्तर सार्वभौमिक समृद्धि और कल्याण के तर्क के आधार पर विकसित देश के साझीदारों को राजी करने में मदद देंगे।

अधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल संगठन निम्नानुसार था :-

1. प्रधान मंत्री
2. श्री इन्द्र कुमार गुजराल, विदेश मंत्री
3. श्री टी.आर सतीश चन्द्रन, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव
4. श्री एच.के. दुआ, प्रधानमंत्री सूचना सलाहकार
5. श्री वी.के. ग्रोवर, सचिव, विदेश मंत्रालय
6. श्री ए.एम. राम, सचिव, विदेश मंत्रालय
7. श्री पी.के. राव, सचिव, (सुरक्षा)
8. श्री श्यामल दत्ता निदेशक, एस पी जी
9. श्री एस. किपगन, जाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त
10. श्री पी.पी. शुक्ला, संयुक्त सचिव, पी एम ओ
11. श्रीमती लक्ष्मी पुरी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
12. श्री फ्रांसिस वाज, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
13. कुमारी सुजाता मेहता, निदेशक, पीएमओ
14. डा. वी.जी.आर. शास्त्री, प्रधानमंत्री के निजी फिजीसियन
15. श्री महेन्द्र जैन, प्रधानमंत्री के निजी सचिव
16. डा. श्री राजीव अग्रवाल प्रधानमंत्री के वैकल्पिक फिजीसियन
17. डा. एन.के. गुप्ता, फिजीसियन

जहां तक इस प्रतिनिधिमंडल की यात्रा पर हुए खर्च का प्रश्न है बहुत सी एजेंसियों से व्यय के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं। सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय मजदूरों की वापसी

***145. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमीरात ने अपने देश से गैर-कानूनी भारतीय मजदूरों की वापसी के लिए 30 सितम्बर, 1996 की अंतिम समय सीमा निर्धारित की थी;

(ख) उक्त गैर-कानूनी मजदूर किन परिस्थितियों में वहां पहुंचे और वहां जाने का इनका क्या उद्देश्य था;

(ग) इन भारतीयों को वापस भेजे जाने के क्या कारण हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने 60,000 मजदूरों को संयुक्त अरब अमीरात से विमानों द्वारा वापस लाने पर सहमति व्यक्त की थी और क्या सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात से अंतिम समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था;

(ङ) कितने भारतीय वापस आ गए हैं और अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कितने भारतीय वहां फंसे हुए हैं;

(च) वहां फंसे भारतीयों की शीघ्र वापसी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(छ) सरकार द्वारा उनकी वापसी पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ज) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों को किस तरह की सहायता दी गई है; और

(झ) खाड़ी के देशों मे भारतीय मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (झ). संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, उनके देश में गैर-कानूनी तौर पर रह रहे भारतीय मजदूरों सहित, सभी गैर-कानूनी प्रवासियों को निकालने के लिए घोषित तीन महीने की राजक्षमा की अवधि 30 सितम्बर, 1996 को समाप्त होनी थी, जिसे 31 अक्तूबर, 1996 तक एक महीने के लिए और बढ़ाया गया था।

उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि कुछ गैर-कानूनी मजूदर यात्री विजा अथवा पारगमन विजा पर संयुक्त अरब अमीरात चले गए थे लेकिन वे अपनी विजा की अवधि समाप्त होने पर वहां रहते रहे, जबकि कुछ अन्य लोगों को उन्हीं के रिश्तेदारों तथा दोस्तों ने बहकाया

जिनसे वे मिलने गए थे और उन्होंने गैर-कानूनी रूप से काम करना जारी रखा, और कुछ अन्य लोगों ने बिना कोई समुचित दस्तावेजों के, लांचरों से उनके देश में प्रवेश कर लिया। इन सभी गैर-कानूनी अप्रवासियों का उद्देश्य रोजगार की तलाश करना था।

संयुक्त अरब अमीरात के कानून के अनुसार सभी गैर-कानूनी अप्रवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उनका निर्वासन किया जा सकता है। इन गैर-कानूनी अप्रवासियों ने राजक्षमा का लाभ उठाया जिसके अधीन मुकदमा चलाने की बात को संयुक्त अरब अमीरात ने माफ कर दिया था। भारत-सरकार ने, यात्रा-संबंधी दस्तावेजों की व्यवस्था करके, जहां अपेक्षित हों, तथा यातायात की सुविधाओं की व्यवस्था करके इन गैर-कानूनी मजदूरों की स्वदेश-वापसी में मदद देना शुरू कर दिया है।

सरकार के पास 60,000 भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात से विमान द्वारा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं था लेकिन उसने सुव्यवस्थित तथा मानवोचित तरीके से गैर-कानूनी भारतीय मजदूरों की भारत-वापसी को सुसाध्य बनाया है। इसी दिशा में, सरकार ने इस निश्चित तारीख की समय-सीमा बढ़ाने का संयुक्त अरब अमीरात ने अनुरोध किया है।

राजक्षमा की अवधि के दौरान अनुमानित 60,000 गैर-कानूनी अप्रवासी भारत लौटे। राजक्षमा की सीमा में आने वाले कुछ भारतीय नागरिक असहाय हो गए क्योंकि वे राजक्षमा की विस्तारित अवधि समाप्त होने के भीतर देश छोड़ने में असफल रहे। संयुक्त अरब अमीरात में हमारे मिशन ने संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से विशेष रिहाई आदेश प्राप्त करके तथा उन्हें हवाई टिकट उपलब्ध कराने में सहायता देकर उन सभी असहाय व्यक्तियों को भेजने में मदद पहुंचाई जिनके बारे में मिशन को पता चला।

भारत-सरकार ने इनकी वापसी के लिए सीधे किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं किया है। फिर भी एअर इण्डिया तथा इण्डियन एअर लाइन्स ने संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गन्तव्य स्थानों के बीच चलने वाली विमान सेवाओं में राजक्षभा के इच्छुक व्यक्तियों को हवाई टिकट में पर्याप्त कमी की है। इसके अलावा एअर इण्डिया 186 असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क भारत लाया है।

आबूधाबी तथा दुबई में हमारा मिशन तथा प्रधान कोंसलावास संयुक्त अरब अमीरात में निर्वासित भारतीयों की वापसी को वैधानिक तरीके से सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से, संयुक्त अरब अमीरात में जुटा जा सकने वाले रोजगार के अवसरों पर कड़ी नजर रखे हुए है। संयुक्त अरब अमीरात से इन निर्वासित भारतीयों के पुनर्वास के लिए, संबंधित राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है अथवा दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1983 के उत्प्रवासन अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों में, विदेशों में भारतीयों की सुव्यवस्थित भर्ती तथा रोजगार सुनिश्चित करने के उपबन्ध निहित हैं और साथ ही इनमें अवांछित भर्ती एजेंटों को दण्डित करने की भी व्यवस्था है। अर्द्धकुशल श्रेणी के मजदूरों को उपयुक्त रक्षोपाय के साथ, रोजगार इकरारनामा, मांग-पत्र तथा रोजगार देने वाले देश में संबंधित भारतीय मिशन द्वारा विधिवत सत्यापित अधिकार पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उत्प्रवास संबंधी मंजूरी-पत्र जारी किया जाता है। उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अधीन ऐसे अपराधों को दण्डनीय माना गया है जिसमें कारावास तथा जुर्माने का दण्ड निर्धारित किया गया है।

खाड़ी देशों में हमारे मिशनों तथा केन्द्रों को जब भी भारतीय मजदूरों के सम्मुख उनके नियोक्ताओं के साथ आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है। वे मध्यस्थता करते हैं। खासतौर पर हमारे मिशन नियोक्ता से उनको देय धनराशि की वसूली करने, रहन-सहन तथा काम करने की युक्ति-युक्त अच्छी परिस्थिति को सुनिश्चित करने तथा मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, यह सुनिश्चित करने में भारतीय मजदूरों की सहायता करते हैं। जब भी भारतीय मजदूरों से शिकायतें प्राप्त होती हैं एक सोहार्दपूर्ण समझौते के लिए मामले को पहले नियोक्ता के साथ सीधे उठाया जाता है। नियोक्ता का व्यवहार अनुचित पाए जाने की दशा में श्रम मंत्रालय सहित स्थानीय प्राधिकारियों से हस्ताक्षेप करने की गुजारिश की जाती है। इसका सहारा लेने पर भी यदि इच्छित परिणाम न निकले तब इस मामले को श्रम न्यायालय में ले जाया जाता है। मामले में न्याय मिल सके यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन संबंधित प्राधिकारियों तथा मजदूरों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखते हैं। भारतीय मजदूरों के कल्याण का पता लगाने तथा भारतीय समुदाय के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए भी मिशन श्रम शिविरों का भी दौरा करते रहते हैं।

[हिन्दी]

राजनयिकों का निष्कासन

***146. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**

श्री सन्तोष मोहन देव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और देशवार विदेशी मिशनों के कितने राजनयिकों और कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया और इसके मुख्य कारण क्या थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष और देशवार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के कितने भारतीय राजनयिकों/कर्मचारियों को देश छोड़नें के लिए कहा गया और इसके मुख्य कारण क्या थे;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जांच की थी कि इन देशों द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय पूर्वाग्रहों से ग्रस्त तो नहीं थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित देशों को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करा दिया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर इन देशों की देशवार प्रतिक्रिया क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया है/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत स्थित निम्नलिखित छह पाकिस्तानी राजनयिकों/कर्मचारियों को राजनयिक/सरकारी कार्य से भिन्न गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए अवांछित व्यक्ति घोषित करने के लिए हम मजबूर हुए हैं :—

1. नासिरउद्दीन अहमद प्रथम सचिव, पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली (12.7.1994)
2. मो. अफजल बाजवा, कर्मचारी, पाकिस्तानी उच्चायोग, नई दिल्ली (12.7.1994)
3. जावेद अहमद, प्रथम सचिव, पाकिस्तानी उच्चायोग, नई दिल्ली (30.8.1994)
4. शाहपाल खान, कर्मचारी, पाकिस्तानी उच्चायोग, नई दिल्ली (25.12.1994)
5. नूर मोहम्मद मट्टो, कर्मचारी, पाकिस्तानी उच्चायोग, नई दिल्ली (30.9.1996)
6. हाफिज मुश्ताक अहमद खोसो, कर्मचारी, पाकिस्तानी, उच्चायोग, नई दिल्ली (26.10.1996)

नवम्बर, 1994 में श्री मोहम्मद असबुद्दीन अकोन्द, चालक को सीमा-शुल्क नियमों का उल्लघंन करने के कारण बांग्लादेश उच्चायोग से वापस भेजने को कहा गया था।

(ख) से (घ). इसी अवधि के दौरान पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान स्थित निम्नलिखित छह भारतीय राजनयिकों/कर्मचारियों को यह झूठे आरोप लगाकर कि वे राजनयिक/सरकारी कार्य से भिन्न गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया :—

1. वी.एस.चौहान, अताशे, भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद (12.7.1994)
2. ई.ए. एडम्स, कर्मचारी, भारत का प्रधान कौंसलावास, कराची (13.7.1994)
3. जे.जे. सिंह, कौंसल, भारत का प्रधान कौंसलावास, कराची (30.8.94)
4. दीपक ठाकुर, कर्मचारी, भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद (26.12.1994)
5. ए.सी. सिन्हा, कर्मचारी, भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद (1.10.1996)
6. *ए.के. वाही, कर्मचारी, भारतीय उच्चायोय, इस्लामाबाद (26.10.1996)*

(ङ) और (च). सरकार ने पाकिस्तान से हमारे कार्मिकों के निष्कासन के सभी मामलों में, पाकिस्तानी आरोपों का साफ तौर पर खंडन किया है। सरकार ने पाकिस्तान को इस बात की सूचना दे दी है कि इस संबंध में उसकी कार्रवाई पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है, और पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशन कार्मिकों के खिलाफ पाक खुफिया कार्यवाहियों द्वारा हिंसा का उपयोग अत्यधिक खेद और गम्भीर चिंता का विषय है।

सरकार ने इस बात की मांग की है कि पाकिस्तान आस्थनिक हमारे कार्मिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सभी आवश्यक उपाय करे। इस बात का खेद है कि पाकिस्तानी प्राधिकारी हमारे कार्मिकों के खिलाफ अपनी खुफिया एजेंसियों द्वारा डराने-धमकाने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं।

(छ) और (ज). जी नहीं। भारत-पाकिस्तान राजनयिक/कौंसली कार्मिक व्यवहार आचरण संहिता, 1992 में इन मसलों को सुलझाने की एक लिखित व्यवस्था है और हम इसके प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया है कि इस प्रकार की वारदातों की पुनरावृत्ति से भारत पाकिस्तान संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों का प्रदर्शन

***147. श्री बी.एल. शंकर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरूष और महिला खिलाड़ियों द्वारा अन्य देशों के खिलाड़ियों की तुलना में अपेक्षित स्तर प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार खिलाड़ियों द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय अर्हता स्तर प्राप्त कर लेने तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्माई) : (क) अन्य देशों की तुलना में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अपेक्षित स्तर प्राप्त न किए जाने के प्रमुख कारणों को संक्षेप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है:-

(1) खेलों के लिए दीर्घकालीन वचनबद्धता का अभाव।

(2) खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं तथा खेल संवर्धन गतिविधियों में अपर्याप्त निवेश।

खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में शैक्षिक संस्थाओं तथा साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों पर जोर देना, खेल विधाओं को प्राथमिकता देना, जूनियरों तथा सब-जूनियरों के विकास पर बल देना, राष्ट्रीय परिसंघों के परामर्श से दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार करना, कंपनी क्षेत्र की सम्बद्धता, खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक समर्थन देना आदि शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

माध्यमिक शिक्षा में एकरूपता

***148. श्री विजय अन्नाजी मुंडे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा में एकरूपता लाने तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में जिस रूप में उसे संसद द्वारा अपनाया गया है, एक समान शैक्षिक ढांचा की परिकल्पना है जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में 10+2+3 ढांचा को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की संकल्पना है जिसमें कामन कोर के साथ-साथ अन्य घटक भी हैं जो लचीले हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा पर आधारित तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्य विवरणों और पाठ्यपुस्तकों के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भी स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या संशोधन और नई पाठ्यपुस्तकें विकसित करने के लिए कदम उठाये हैं ताकि उन्हें चरणबद्ध ढंग से स्कूल प्रणाली में लाया जाए।

देश के सभी स्कूलों में मोटे तौर पर एक समान मानकों के अनुपालन का प्रयास निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:-

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा के आधार पर तैयार मोटे तौर पर एक समान पैटर्न वाले पाठ्यविवरण/पाठ्यपुस्तकें सभी स्कूलों को उपलब्ध कराना।

(2) बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपने छात्रों को भेजने वाले सभी स्कूलों के लिए यह आवश्यक होना कि वे संबंधित राज्य बोर्ड, केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड अथवा भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद, जैसा मामला हो, से सम्बद्ध कराएं और तदनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा के आधार पर तैयार संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्य-पुस्तकों का अनुसरण करें।

(3) अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों की भौतिक सुविधाओं तथा अन्य शैक्षिक निदेशों में सुधार लाना।

स्कूल शिक्षकों का वेतन प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग निर्धारित किया जाता है तथा इसका निर्णय शैक्षिक अर्हताओं, प्रशिक्षण और अनुभव तथा राज्य वेतन आयोग द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन नियुक्त स्कूल शिक्षकों के वेतनमान निर्धारित करती है किन्तु अन्य राज्यों के शिक्षकों के संबंध में, राज्यों के अपने-अपने वेतन आयोगों द्वारा समय-समय पर वेतनमानों में संशोधन किया जाता है।

[अनुवाद]

'यूनिसेफ' की रिपोर्ट

***149. श्री विजय हाण्डिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि 'यूनिसेफ' ने 'प्रोग्रेस ऑफ द नेशन्स' संबंधी अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में 39 प्रतिशत लड़कियां एवं 25 प्रतिशत लड़के विद्यालय नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट में लड़कों एवं लड़कियों के विद्यालय जाने संबंधी इस अंतर के लिए दिये गये कारणों से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) सरकार "राष्ट्रों की प्रगति, 1996" नामक शीर्षक से प्रकाशित यूनिसेफ की रिपोर्ट से वाकिफ है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में प्राथमिक स्कूली आयु वाली 39 प्रतिशत लड़कियां तथा 25 प्रतिशत लड़के प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं।

(ख) इस संबंध में भारत सरकार का मूल्यांकन उक्त रिपोर्ट में प्रकाशित इस बालिका-बालक शिक्षा के अन्तर के कारणों के अनुरूप है। तथापि, अभी भी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित बालिकाओं के लिए जो कारण विद्यमान है, उनमें क्षेत्रीय विषमताओं का भी हाथ है।

(ग) रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप से यह उल्लेख किया गया है कि कुछ विकासशील देशों में स्कूलों के अन्तर्गत बालिकाओं के नामांकन में सुधार तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी आधार पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ानें तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के लिए कुछ ठोस उपाय शुरू किए हैं। इनमें बालिकाओं के लिए अलग स्कूलों का खोला जाना; उपस्थिति छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना; निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा यूनिफार्म प्रदान करना; शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करना; और अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना; तथा बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था करना शामिल हैं। अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, बालिका केन्द्रों के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। आठवीं योजना में बालिका केन्द्रों का अनुपात 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना लागू किए जाने से भी यह आशा की गई है कि प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्य बन्दरगाहों/राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेश

***150. श्री नारायण अठावले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य बन्दरगाहों और राष्ट्रीय/एक्सप्रेस/राज्य राजमार्गों के विकास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि के निवेश की तुरन्त आवश्यकता है तथा चालू वर्ष में कितना निवेश निर्धारित किया गया है; और

(ख) जल-भूतल विकास में प्रमुख बाधाएं क्या हैं तथा इन समस्याओं जिनमें भूमि अधिग्रहण भी सम्मिलित है, को न्यायालय के बाहर हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) महापत्तनों के विकास और राष्ट्रीय राजमार्गों की कमियों को दूर करने के लिए क्रमशः अनुमानतः 8553 करोड़ रु. और 75000 करोड़ रु. की आवश्यकता है। चालू वर्ष 1996-97 के लिए वार्षिक योजना में पत्तनों के लिए 576.6 करोड़ रु. और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 959.6 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

(ख) जल-भूतल परिवहन के विकास में अपर्याप्त संसाधान और भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरणीय स्वीकृति में विलम्ब होना मुख्य कठिनाईयां हैं। सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

***151. श्री के.पी. सिंह देव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एक दशाब्दी पूर्व शुरू की गई बहुत-सी सिंचाई परियोजनाएं धनाभाव के कारण अभी तक पूरी नहीं हो सकी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनको इस समय परियोजना-वार स्थिति क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं पर और अधिक समय तथा धन खर्च न हो इसके लिए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधान मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के लिए उत्तरदायी मुख्य बाधाओं में से एक बाधा निधियों की कमी होना है।

(ख) उड़ीसा के चालू सिंचाई परियोजनाओं के तथ्य और स्थितियां इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में/हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू हुई	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च,96 के अंत तक व्यय	चरम क्षमता	मार्च, 1996 के अंत तक सृजित संभावित क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
	वृहद					
1.	रेंगाली	II				-
	(क) बांध (सिंचाई हिस्सा)	IV	40.77	41.48	-	-
	(ख) सिंचाई***	V	2199.52	216.73	423.60	0.00
2.	अपर कोलाब**					
	(क) बांध	V	48.81	51.21	-	-
	(ख) सिंचाई	V	237.00	162.26	88.70	68.08

1	2	3	4	5	6	7
3.	अपर इंद्रावती**					
	(क) बांध (सिंचाई हिस्सा)	वा.यो. 78-80	176.16	135.34	-	-
	(ख) सिंचाई	वा.यो. 78-80	539.51	154.50	218.60	35.59
4.	सुवर्णरेखा	VII	1154.45	259.39	176.50	0.00
5.	महानदी छितरोतपाला सिंचाई	VIII	135.79	44.95	35.95	0.00
6.	पोट्टेरू*	IV	148.07	108.64	109.88	25.00
7.	डब्ल्यू.आर.सी.पी.	VIII	1409.90	53.44	329.48	उपलब्ध नहीं
8.	कानपुर	VIII	319.91	12.87	41.40	-
	कुल		6409.98	1240.81	1424.71	128.47
	मध्यम					
1.	हरीहरजार***	वा.यो. 78-80	58.59	46.54	13.70	6.00
2.	हरभांगी***	वा.यो. 78-80	93.82	69.22	15.97	2.00
3.	अपर जोंक***	वा.यो. 78-80	83.13	63.78	16.40	11.00
4.	भगुआ चरण-II***	वा.यो. 78-80	40.81	23.14	3.39	-
5.	बदानल्ला	VI	91.75	73.93	13.74	6.50
6.	देव	VI	52.23	9.80	15.65	-
7.	भगलाथी	VI	45.44	7.66	3.68	-
8.	सपूआ बदाजोरी	VI	33.21	13.80	3.75	-
9.	बीरूपा घानगूटी ड्रीप सिंचाई	VII	11.46	10.81	8.09	5.09
10.	सतीगूदा*	VIII	5.61	3.81	13.59	10.07
11.	तीतीलागढ़	VIII	21.13	1.58	3.03	-
	कुल		537.18	324.51	110.97	40.86
1.	हीराकुंड बांध को पक्का करना	VI	25.39	4.17	स्थिरीकरण	-
2.	आधुनिकीकरण:* हीराकुंड वितरण	VIII	81.82	4.85		-
3.	रूसीकूल्या फेज-I (आधुनिकीकरण)	VIII	55.00	0.52		-
4.	आधुनिकीकरण: धानिल*	VIII	4.40	0.40		-
5.	आधुनिकीकरण जयामंगल*	VIII	0.64	0.10		-
6.	आधुनिकीकरण सलिया*	VIII	2.82	0.43		-
7.	आधुनिकीकरण बुद्धाबुद्धीयानी	VIII	4.53	0.52		-
8.	आधुनिकीकरण उत्तई*	VIII	6.44	0.30		-

1	2	3	4	5	6	7
9.	आधुनिकीकरण सैंपाल	VIII	0.75	0.41		-
10.	आधुनिकीकरण हीरादरबाती*	VIII	1.35	0.05		-
11.	आधुनिकीकरण खदाखाई	VIII	0.26	0.18		-
12.	आधुनिकीकरण नेता	VIII	0.40	0.18		-
13.	आधुनिकीकरण ओकाला वितरणी	VII	0.21	0.19		-
14.	आधुनिकीकरण छोकीनाला	VIII	0.35	0.18		-
15.	आधुनिकीकरण सलांदी (दासमोसा)	VIII	1.87	1.75		
			186.20	14.23		

टिप्पण : डब्ल्यु आर सी वी - जल संसाधन समेकन परियोजना

* गृह मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय वित्त पोषण परियोजना

** आंशिक रूप से बाह्य सहायता

*** परियोजना का भाग विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत शामिल - संसाधन समेकम परियोजना

(ग) चल रही वृहद, मध्यम और बहुपयोजनी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान 900 करोड़ रुपए के जट आबंटन के साथ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके तहत राज्य सरकारों को बराबर-बराबर (बैचिंग) आधार पर केंद्रीय ऋण सहाबता प्रदान की जाती है। इसमें से 92.10 करोड़ रुपए की राशि, रेंगाली बांध परियोजना (15 करोड़ रु.), अपर इंद्रावती परियोजना (दायां तट नहर) (38.00 करोड़ रु.), सुवर्णरिखा बहुप्रयोजनी परियोजना (36.00 करोड़ रुपए) और आनन्दपुर बराज परियाजना (3.10 करोड़ रुपए) के लिए अनुमोदित की गई है। इसमें से 46.05 करोड़ रुपए के लिए निर्मुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। परियोजनाओं के समय पर पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले अन्य कदम इस प्रकार हैं, उन परियोजनाओं जिनमें पर्याप्त प्रगत्ति हुई है; को प्राथमिकता देना, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित करना तथा राज्यों में लागत नियंत्रण कक्षों की स्थापना आदि।

नदी जल के बंटवारे पर विवाद

***152. श्री राजीव प्रताप रूडी :**

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में लंबित पड़े अंतर्राज्यीय विवादों की संख्या कितनी है;

(ख) ये विवाद कब से लंबित पड़े हैं और प्रत्येक मामले के लंबित पड़े रहने का मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई प्रणाली विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय दो अन्तर्राज्यीय जल विवाद हैं, नामशः

(1) कावेरी जल विवाद और

(2) रावी-व्यास जल विवाद

(ख) कावेरी के मामले में बहुत समय से जल के बंटवारे के सम्बन्ध में बेसिन राज्यों के बीच मतभेद रहे हैं। तथापि, तमिलनाडु राज्य सरकार से जुलाई, 1986 में अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत अधिकरण की स्थापना करने के लिए एक औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था। बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण हल न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के बाद कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना जून, 1990 में की गई।

रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण की स्थापना अप्रैल, 1986 में की गई। अधिकरण के सदस्यों में से एक सदस्य के त्यागपत्र दे देने के कारण अधिकरण की बैठकें आयोजित करना संभव नहीं हुआ है। हाल में एक और न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में अधिनिर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ). जी हां। केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है कि :

(1) केन्द्रीय सरकार के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि विवादी राज्य के आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के भीतर अधिकरण का गठन करे;

(2) केन्द्रीय सरकार को स्वतः अधिकरण नियुक्त करने की शक्तियां दी जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो और जब यह संतुष्ट हो कि ऐसा विवाद वास्तव में है।

(3) अधिकरण का पंचाट अधिकरण के गठन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर प्रभावी होना चाहिए। तथापि, यदि कुछ कारणों से अधिकरण यह महसूस करता है कि पांच वर्ष की अवधि बढ़ाई जानी है, केन्द्रीय सरकार अधिकरण द्वारा किए गए संदर्भ पर इसकी अवधि बढ़ा सकती है।

तथापि, उपर्युक्त को शामिल करते हुए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी अंतर्राज्यीय परिषद सिफारिशें स्वीकार करती है।

अफगानिस्तान के संबंध में तेहरान बैठक

***153. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अफगानिस्तान में हिंसा और सशस्त्र संघर्ष की समाप्ति के लिए अक्तूबर, 1996 के अन्त में हुई तेहरान बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में भारत ने क्या भूमिका निभाई; और

(ग) इस शान्ति बैठक की उपलब्धियां क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). जी, हां। बैठक तेहरान में 29-30 अक्तूबर, 1996 को हुई थी। सम्मेलन में भारत, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्बिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, तुर्की और मेजबान देश ईरान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के प्रतिनिधियों और ओ आई सी के महासचिव ने भाग लिया। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन और यूरोपीय संघ इस सम्मेलन के प्रेक्षक थे।

सम्मेलन घोषणा में अफगानिस्तान की एकता, स्वतंत्रता, प्रादेशिक अंखडता और संप्रभुता बनाये रखने तथा अफगान मामलों में विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करने की प्रबल आवश्यकता पर बल दिया गया। सम्मेलन में शांतिपूर्ण समाधान और व्यापक समर्थन वाली सरकार बनाने के लिए अफगानिस्तान की सभी पार्टियों का आह्वान किया गया। सम्मेलन में हुई सर्वसम्मति पर भारत ने सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अफगान की स्थिति का समाधान निकालने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता

***154. श्री के.एच. मुनियप्पा :**

श्री कचरु भाऊ राउत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य बनने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या पोलैंड ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के अपने प्रयासों में भरपूर समर्थन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत छः महीने के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में और क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). सुरक्षा परिषद् के पुनर्गठन के संबंध में संयुक्त महासभा के अन्तर्गत 1993 में गठित खुले कार्यदल में विचार-विमर्श किया जा रहा है। कार्यदल का प्रादेश सितम्बर, 1997 तक बढ़ा दिया गया है। प्रत्याशियों तथा स्थायी सदस्यों की श्रेणी के विस्तार के लिए मापदंडों पर कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई है। इस जटिल विचार-विमर्श के परिणाम के बारे में वर्तमान स्थिति में मूल्यांकन करना या पहले से कुछ कहना कठिन है।

पोलैण्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन नहीं किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के खुला कार्यदल में बहस के दौरान सरकार ने भारत के दृष्टिकोण को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया। भारत ने स्थाशी सदस्यों की श्रेणी में विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की श्रेणी में विस्तार का समर्थन करते समय, हमने यह विचार भी रखा है कि यह विस्तार स्थायी सदस्यता के विस्तार के लिए सहमत मापदंड के आधार पर किया जाए। हमने इस बात पर बल दिया है कि सुधार के पहलू और विस्तार के मुद्दे साझा पैकेज के अभिन्न अंग होने चाहिए।

'प्लेटफार्म फार ऐक्शन' का क्रियान्वयन

***155. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व महिला सम्मेलन के एक वर्ष के पश्चात् 'प्लेटफार्म फार ऐक्शन' की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सार्क प्रतिनिधियों की 9 सितम्बर, 1996 को बैठक हुई थी ताकि 'प्लेटफार्म फार ऐक्शन' के क्रियान्वयन में तीव्रता लाई जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुख्य बातों पर चर्चा की गयी;

(ग) क्या इससे पहले हुए सम्मेलन में किये गये सभी निर्णय आंशिक रूप से ही क्रियान्वित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सभी निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा अगली बैठक में उपलब्ध कराया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास निधि द्वारा अन्य बातों के अलावा कार्रवाई मंच के कार्यान्वयन में अब तक हुयी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 9 सितम्बर, 1996 को नई दिल्ली में "बीजिंग स्मरणोत्सव" नामक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय बैठक बुलाई गयी।

(ख) बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों/सिफारिशों पर चर्चा की गयी, वे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ). चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन (बीजिंग, 1995) में लिये गए निर्णयों का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) कार्रवाई मंच के कार्यान्वयन के संबंध में देश में हुई प्रगति का ब्यौरा विभिन्न राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में दिया जाता है।

विवरण

प्रमुख मुद्दे :

(1) महिलाओं के सम्पत्ति/भूमि के अधिकारों पर कानून बनाना।

(2) अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान का वैज्ञानिक मूल्यांकन, जिसके फलस्वरूप महिलाओं के संबंध में अलग आंकड़ों का हिसाब रखा जायेगा।

(3) ढांचागत समन्वय नीति सुरक्षा तंत्र अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोष के संबंध में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अध्ययन।

(4) लड़कियों और महिलाओं का विपणन – निकट परामर्श और नेटवर्किंग।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन संचार नीतियों, प्रचार और अनुभव आदान-प्रदान के अनुरूप गृह-आधारित कर्मियों का समर्थन।

(6) गृहकार्य का बटवारा-प्रायोगिक कार्य।

(7) कार्य-तंत्रों का कार्यान्वयन - महिला क्षमता निर्माण, संसाधन स्व-सहयता दल।

(8) महिलाओं का शोषण।

(9) बीजिंग सम्मलेन के उपरान्त गतिविधियों पर नियमित चर्चा।

जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण

***156. श्री चित्त बसु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपनाए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किसी जनसंख्या नीति का कोई उल्लेख है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). विशेषज्ञों के एक दल ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्राथमिक प्रारूप तैयार किया। अन्य मंत्रालयों/राज्यों से प्राप्त प्राथमिक प्रारूप पर की गई टिप्पणियों के आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संबंधी एक विवरण की रूप-रेखा तैयार की गई है तथा संलग्न है। मंत्रिमंडल नोट सहित प्रारूप के इस/विवरण को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों में उनकी अंतिम टिप्पणी हासिल करने के लिए परिचालित कर दिया गया है।

विवरण

प्रारूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय/पैरा शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1.	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की ओर	1
2.	भारत की योजना प्रक्रिया में जनसंख्या	1
3.	राज्यों के बीच भिन्नता	2
4.	जनसंख्या और निर्धनता	2
5.	जनसंख्या और पर्यावरण	3
6.	लैंगिक समानता और लैंगिक संतुलन	4
7.	जनसंख्या स्थिरता के लिए समर्थता और शक्ति	5
8.	तंत्र शक्ति और नीति संबंधी उपाय	6
	परिवार	6
	पंचायती राज और नगरपालिका संस्थाएं	6
	जिला	7
	राज्य	7
	राष्ट्रीय स्तर	8

1	2	3
9.	संसद और राज्य विधान मंडलों में सीटों पर रोक	8
10.	अन्तर्राष्ट्रीय और आंतरिक प्रबंधन	8
11.	लक्ष्य	9
12.	कार्यान्वयन नीति	10
12.1	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या	11
12.2	प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या	11
12.3	स्टाफ का प्रशिक्षण	12
12.4	गर्भ निरोधक तरीके	13
12.5	प्रोत्साहन	15
12.6	संगठित क्षेत्र	15
12.7	स्वास्थ्य बीमा	16
12.8	लैंगिक संहिता	16
12.9	जन कार्यक्रम के रूप में जनसंख्या कार्यक्रम	16
12.10	सूचना, शिक्षा और संचार	17
12.11	जनसंख्या कार्यक्रम के लिए राजनैतिक सहयोग	20
12.12	पंचायतें, नगरपालिकाएं और सामुदायिक भागीदारी	21
12.13	महिलाएं और शिशु	21
12.14	युवा	22
12.15	गैर-सरकारी संगठन	23
12.16	अनुवीक्षण और मूल्यांकन	23
12.17	आधारिक सामग्री का सुदृढ़ीकरण	24
12.18	सामाजिक एवं जैव-चिकित्सीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी	25
12.19	विशिष्ट कार्यनीतियां	26
12.20	पोषण	26
12.21	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का वित्तपोषण	27
12.22	उपयोगकर्ता प्रभाग लागू करना	27
13.	निष्कर्ष	28

प्रारूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संबंधी विवरण

1. एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की ओर

1.1. सन् 1951 में भारत ने विश्व में पहला सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य "जनसंख्या को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जन्मदर में यथावश्यक सीमा तक कमी करना" था। 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक विवरण तैयार किया गया और 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर एक नीति संबंधी विवरण तैयार किया गया। 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में "स्वैच्छिक प्रयासों के जरिए छोटे परिवार के मानदण्ड को प्राप्त करने और जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने" की आवश्यकता पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में एक अलग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1991 में जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट, जिसका 1993 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा समर्थन किया गया में यह सिफारिश की गई कि सरकार द्वारा एक जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए और उसे संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए। जनसंख्या नीति का एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया गया। इस समूह ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संबंधी यह विवरण जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति के साथ शुरू किए गए प्रयोग का एक चरम बिन्दु है।

2. भारत की परियोजना प्रक्रिया में जनसंख्या

2.1. आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने के सिद्धान्तों पर आधारित मानव जीवन की गुणवत्ता पर सुधार लाना 1950-51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभिक समय से ही भारत की विकास नीतियों और कार्यनीतियों का आधार रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या समस्या पर सबसे पहले गंभीरता से ध्यान देने वालों में भारत भी एक था। इससे काफी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। तथापि, जनसंख्या वृद्धि दर लगातार उच्च बनी हुई है।

3. राज्यों के बीच विभिन्नताएं

3.1. जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में राज्यों में हुई प्रगति उच्च राष्ट्रीय वृद्धि दर के लिए उत्तरदायी कारणों में से है। जहां 1993 में समग्र देश के रूप में कुल प्रजनन दर 305 थी, वहीं यह उत्तर प्रदेश में 5.2, मध्य प्रदेश में 4.2, राजस्थान में 4.5 तथा बिहार में 4.2 थी। दूसरी ओर केरल में कुल प्रजनन दर 1.7 और तमिलनाडु में 2.1 थी। ये ऐसे दो प्रमुख राज्य हैं जो प्रजननता के प्रतिस्थापन दर के करीब या उससे नीचे पहुंच चुके हैं। 1981-91 के दौरान भारत की जनसंख्या में 42 प्रतिशत वृद्धि चार बड़े राज्यों से हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कुल प्रजनन दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में राज्यों में मौजूद विधाओं की व्यापकता को देखते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यनीतियों को अपनाना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों के अनुरूप नीतियां और कार्यक्रम बनाने होंगे। हाल ही के विकास राष्ट्रीय जनसंख्या लक्ष्यों में एकजुटता परन्तु कार्यान्वयन कार्यनीतियों में विविधता की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। भारत के संविधान में 73वां संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप सभी राज्यों

और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम के लागू होने से निचले स्तर पर नियोजन के लिए वास्तविक अवसर मिला है। इसलिए जनसंख्या नीति की संरचना सोचने, योजना बनाने और स्थानीय आधार पर कार्य करने तथा राष्ट्रीय आधार पर समर्थन दिए जाने के मौलिक आधार पर तैयार की गई हैं। लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए नीति में इस प्रकार का परिवर्तन मौलिक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के ढांचे के आधार पर प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर समन्वित बल देने के लिए कार्य आधारित ब्लू प्रिंट तैयार कर सकती है जो लिंग और गरीबी विषयों पर सुग्राही हो।

4. जनसंख्या और निर्धनता

4.1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है न कि केवल रोग अथवा दुर्बलता से छुटकारा पाने की स्थिति के रूप में। इसके लिए स्वास्थ्य के प्रति न केवल समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है बल्कि गरीबी उन्मूलन, पर्यावरणिक सुरक्षा और लिंग समानता लाने के लिए तैयार की गई हमारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने की जरूरत को भी समझना है। वर्तमान विश्वव्यापी विकासात्मक कार्यों से भूमि, जल, वनस्पति, जीवजन्तु और वातावरण के मौलिक समर्थन पद्धतियों को हो रही हानि के अलावा गरीबों और अमीरों के बीच आय के अंतर में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसा विकास जो उचित नहीं है लम्बे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। ऐसा माहौल तैयार करने के लिए, जिसमें सभी लोग स्वस्थ, सृजनात्मक जीवन व्यतीत कर सकें, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम्म के द्रुत और प्रभावी कार्यक्रम की आवश्यकता है और विशेषरूप से (क) स्वच्छ पेय जल और अच्छी सफाई व्यवस्था (ख) परिवारों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने (ग) परिवार के आकार को नियोजित करने के अवसर प्रदान करने (घ) बच्चों की शिक्षा जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए (ङ) नौकरी करने वाली महिलाओं की सहायता के लिए शिशु-पालन और बाल परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था तथा पुरूष और महिला दोनों के लिए आय अर्जन क्षमता बढ़ाने के काम को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जानी होगी।

5. जनसंख्या और पर्यावरण

5.1. गांधी जी ने कहा था "हमारे पास सबकी जरूरत के लिए काफी है लेकिन सबकी धनलिप्सा के लिए नहीं" प्रकृति के अनुरूप सामंजस्य लाने में जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार लाने के लिए हमारी असफलता के परिणाम भयंकर हैं। मुख्य रूप से कृषि योग्य भूमि का तेजी से गैर कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति भूमि और जल की उपलब्धता का स्तर इतना कम हो गया है कि राष्ट्रीय खाद्य और पेय जल सुरक्षा गंभीर खतरे में है। लगभग 50 प्रतिशत सिंचाई का जल जमीन के अंदर से प्राप्त होता है और भूमिगत जल (जिसकी पूर्ति वर्ष भर में होने वाली वर्षा से नहीं हो पा रही है) की एकत्रित मात्रा का उपयोग किया जा रहा है। आनुवंशिक विविधता में सम्पन्न तटीय, पहाड़ी और वनवासियों के विनाश के कारण समृद्ध जैविक विविधता समाप्त हो रही है। गैर जैव अवक्रमणीय और विषाक्त अपशिष्टों से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। धनी राष्ट्रों और धनी लोगों की सर्वत्र असंयमित जीवन शैलियां जलवायु के लिए, विशेषकर समुद्री स्तरों और अल्ट्रावायलेट बी-रेडियेशन में प्रबल वृद्धि के लिए खतरा पैदा कर रही है। इन परिस्थितियों में प्रत्येक जीन अथवा प्रजातियों की क्षति हमें नई स्थितियों के अनुकूल बनने की क्षमता को सीमित कर देती है। यह सही समय है जब पारिस्थिक-प्रणालियों को समर्थन देने की मानव क्षमता की सीमाओं को समझा जाए।

6. लैंगिक समता और लैंगिक संतुलन

6.1. निचले स्तर पर जनतांत्रिक ढांचे के बन जाने से गर्भ निरोधकों की स्वीकार्यता में मौजूद लिंग असमानता में सुधार लाने के असाधारण अवसर मिलते हैं। लड़की की उपेक्षा, लड़कों की तुलना में लड़कियों की मृत्यु होने की अधिक घटनाएं, बालिकाओं से श्रमिक के रूप में कार्य लेना, महिलाओं में कम साक्षरता, लड़कियों को छोड़ देने की अधिक घटनाएं, किशोरावस्था वाली उच्च जोखिम वाली माताओं का अधिक अनुपात और कम वजन के बच्चों का जन्म, उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा ऐसे क्षेत्र हैं जहां तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। लिंग अनुपात में कमी का होना खतरे का संकेत है। देश में 1991 की जनगणना में प्रति 1000 पुरूषों पर 927 महिलाओं का लिंग अनुपात महिलाओं के प्रति व्यापक भेदभाव सूचक है। केवल केरल में लिंग अनुपात बराबर से अधिक है। पंचायतों जैसे औपचारिक गुणों में अथवा महिला मंडलों, महिला स्वास्थ्य संघों और स्वैच्छिक संगठनों जैसे अनौपचारिक गुणों में महिलाओं की सहभागिता लिंग असंतुलनों को दूर करने और महिलाओं के हितों के लिए सर्वाधिक प्रभावी और सुग्राह्य साधन हैं। सारे देश में पंचायतों में महिलाओं के लिए लगभग एक मिलियन आरक्षित सीटें उपलब्ध होंगी। ऐसी राजनैतिक और सामाजिक शक्तियों को यदि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किए गए कदमों से समर्थन दिया जाता है तो उनसे हमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं में लिंग समानता के एकीकरण में नई शुरूआत होगी और कम हो रहे लिंग अनुपात को रोकने और विपरीत दिशा में ले जाने में भी सहायता मिलेगी।

6.2. पुरूषों ने हमेशा और अधिक पाने के लोभ की संतुष्टि के लिए अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया है और समाज के कम शक्तिशाली वर्गों जिनकी प्राथमिक जरूरतों को उच्च और शक्तिशाली लोगों के लोभ के कारण पूरा नहीं किया जा सकता, को नुकसान पहुंचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का असह्य और अनिवर्त्य दोहन किया है। लिंग संबंधों के पंचशील का अनुपालन करने से पुरूष अपने

लोभ की मानसिकता से मुक्त होगा, महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक उठने में प्रोत्साहन मिलेगा, वे लैंगिक क्षमता प्राप्त करेंगी और लैंगिक विवादों का उन्मूलन होगा।

लैंगिक संबंधों के लिए पंचशील

(1) स्टेट्स की समानता

(2) अन्तःनिर्भरता की स्थितियों में भी दूसरों के विचारों और स्वतंत्रता का आदर करना।

(3) वैयक्तिक और सामाजिक संबंधों में सौम्यता।

(4) दूसरे को पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सहायता देना।

(5) अधिकारों का त्याग।

7. जनसंख्या स्थिरता के लिए समर्थता और शक्ति

7.1. विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में भारत की जनसंख्या में हर वर्ष अधिक वृद्धि होती है। अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ में भारत की कुल जनसंख्या अर्थात लगभग 360 मिलियन से अधिक है। जनसंख्या, गरीबी और पर्यावरणिक विकृति का भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य से गहरा संबंध है और तब तक ये चीजें भ्रामक होंगी जब तक जनसंख्या की वृद्धि को सीमित करने में सफलता नहीं मिल जाती। इस बात को माना जाना चाहिए कि भारत के लोगों की आयु संरचना और प्रजननता और मृत्यु दर के वर्तमान स्तर को देखते हुए जनसंख्या की सतत वृद्धि के लिए स्वनिर्मित गति है। इसका निहितार्थ यह है कि जन्म में निरंतर कमी को बावजूद अगले कुछ दशकों में जनसंख्या बढ़ती रहेगी। वर्ष 2000 तक जनसंख्या का 1000 मिलियन से अधिक हो जाना निश्चित है। रोजगार के लिए इसका मतलब होगा कि इस सदी के अंत तक लगभग 100 मिलियन रोजगार पैदा करने होंगे। सन् 2010 तक 2.1 की कुल प्रजनन दर को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की गति में तेजी लाने के लिए अच्छा माहौल और सशक्त तंत्र दोनों की आवश्यकता है।

8. तंत्र शक्ति और नीति संबंधी उपाय

8.1. एक समर्थ वातावरण को बढ़ावा देने के उपायों तथा उन कदमों जो परिवार कल्याण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारों, समुदायों तथा परिवारों को शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार किए गए हैं के बीच एक उपयुक्त समानता प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित शक्ति संपन्न तंत्र नीचे दिए गए हैं :-

8.1.1. **परिवार :** महिलाओं पर परिवार के परिसीमन की संपूर्ण जिम्मेदारी देने के मौजूदा रूझान की जांच की जाएगी और परिवार से संबंधित सभी मामलों में दंपत्ति की संयुक्त जिम्मेदारी की प्रथा को विभिन्न उपायों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें पाठ्यपुस्तकों, संचार माध्यमों तथा जन सेवाओं में लिंग प्रवृत्ति को समाप्त करना शामिल है। परिवार को प्रदान की गई गर्भ निरोधक सेवाएं सूचित चयन पर आधारित होंगी और इसका निर्णय उपयोगकर्ताओं पर निर्भर होगा।

8.1.2. **पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाएं :** प्रत्येक पंचायत व नगर पालिका को संबंधित ग्राम, नगर अथवा शहर के लिए एक सामाजिक जन सांख्यिकीय चार्टर तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों के साथ विचार-विमर्श करके ग्राम/नगर के स्तर के चार्टर में विकसित जनसंख्या स्थरीकरण के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे। यह चार्टर मानव जनसंख्या तथा समुदाय के लिए उपलब्ध संसाधनों के मध्य संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान देगा। इसके अतिरिक्त यह चार्टर उन उपायों को इंगित करेगा जिसे स्थानीय जनता दहेज, बाल विवाह, महिला भ्रूण हत्या और शिशु हत्या और महिला एवं पुरूष निरक्षरता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए शुरू करने की योजना बनाती है। यह चार्टर जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिशा निर्देशों को भी विकसित करेगा। ऐसे चार्टर में कार्रवाई के लिए ब्लू प्रिंट शामिल होगा जो आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता की व्याख्या करेगा।

8.1.3. **जिला :** जिला स्तर पर मौजूदा विभागीय और निर्वाचित निकायों का गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के साथ नेटवर्क स्थापित करके एक विस्तृत प्रशासकीय तंत्र तैयार किया जाएगा। यह तंत्र गांव और कस्बे के सामाजिक सांख्यिकीय चार्टरों को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति का अनुवीक्षण करेगा और उनकी सफलता सुनिश्चित करेगा। इस व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी यह होगी कि यह जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में चल रहे सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों के बीच अभिमुखीकरण और सहयोग प्राप्त करना होगा। इस जिला स्तरीय तंत्र की संरचना एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच भिन्न भिन्न हो सकती है और मौजूदा निकायों को यह कार्य सौंपा जा सकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम और विभिन्न अन्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के अधीन केन्द्रीय निधियां जिला स्तर को सीधे दी जा सकती है।

8.1.4. **राज्य :** राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका, जीवन सुधार उपायों को एकीकृत गुणवत्ता का विकास होगा जिसमें शिक्षा तथा जनसंख्या परिसीमन के तरीकों पर प्रकाश डाला जाएगा। स्वास्थ्य एवं गर्भ निरोधक प्रदाय प्रणालियों की गुणवत्ता तथा उपयुक्तता के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्रभावकारी और सुरक्षित गर्भनिरोधक तरीके जो सूचित चयन के आधार पर चुने हुए होंगे। सभी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होने चाहिए।

8.1.5. **राष्ट्रीय स्तर :** जनसंख्या तथा विकास संबंधी एक मंत्रिमंडलीय समिति राजनैतिक तथा नीतिगत मार्ग-निर्देश देने के अतिरिक्त राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करेगी। इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाएगी तथा इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त, मानव संसाधन विकास, कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री द्वारा यथानिर्णीत अन्य सदस्य होंगे।

9. संसद तथा राज्य विधानमंडलों में सीटों पर रोक

9.1. सशक्त राजनैतिक वचनबद्धता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य प्रभावी विधान लाया जाएगा। जिसमें छोटे परिवार के मानदंड अपनाने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन पदों से विवर्जित किया जाएगा। सभी स्तरों के राजनैतिक नेताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे किसी भी प्रकार के मंच पर अपने सभी जन संबोधनों में परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण का हवाला दें।

9.2. वर्तमान में संसद तथा राज्य विधानमंडलों में वर्ष 2001 तक सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। इसी नीति के लक्ष्यों के अनुरूप सीटों को सुरक्षित रखने की अवधि को वर्ष 2011 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

10. अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक प्रव्रजन

10.1. शहरी गंदी बस्तियों को वृद्धि सहित प्रव्रजन की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

10.2. अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को राष्ट्रीय कानून के अनुसार अधिकार तथा जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

10.3. संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को देश में प्रवेश करने, ठहरने तथा रोजगार की शर्तों से अवगत कराया जाएगा ताकि अनधिकृत प्रवासियों पर रोक लगाई जा सके। उन लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो अनधिकृत प्रव्रजन की व्यवस्था करते हैं तथा प्रवासियों का शोषण करते हैं। अनधिकृत प्रवासियों को उनके लौटने को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।

10.4. तीव्रता से हो रहे शहरीकरण तथा फलस्वरूप नागरिक सुविधाओं पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए जनसंख्या के संतुलित स्थानिक वितरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें आर्थिक तथा पर्यावरणिक नीतियों, विभागीय प्राथमिकताओं, आधारभूत निवेश को भूमिका तथा केन्द्र, राज्यों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा।

11. लक्ष्य

11.1. निम्नलिखित लक्ष्य, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास योजना (आई.सी.पी.डी.) 1994 के लक्ष्य भी जोड़े गए हैं, इस प्रकार हैं :-

(1) सन्............ईसवी तक व्यापक प्राथमिक शिक्षा। तथा सन्×.................ईसवीं तक व्यापक महिला साक्षरता।

(2) वर्ष 2015 तक शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 35 से नीचे लाना।

(3) वर्ष 2015 तक पांच वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार 45 से नीचे लाना।

(4) वर्ष 2015 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 75 से नीचे लाना।

(5) वर्ष 2015 तक पुरूष तथा महिला, दोनों को जीवन प्रत्याश 70 वर्ष से अधिक लाना; पुरूषों तथा महिलाओं, तथा भौगोलिक भागों, सामाजिक वर्गों और जातीय समूहों में अन्तरीय रूग्णता तथा मृत्यु दर में कमी लाना।

(6) वर्ष 2015 तक सेवाओं तथा सूचना सहित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, पद्धति के माध्यम से व्यापक बेहतर प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करना।

(7) वर्ष 2000 तक विवाह की वैद्य आयु से कम आयु की लड़कियों का विवाह होने की घटनाओं को कम करके शून्य तक लाना।

(8) वर्ष..........तक शत-प्रतिशत प्रसव, प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा कराए जाना।

(9) एच.आई.वी./एड्स तथा यौन संचरित रोगों के फैलाव पर नियंत्रण।

(10) वर्ष 2000 तक जन्मों तथा मौतों का पक्का वैधानिक पंजीकरण करना; विवाह का पंजीकरण वैधानिक रूप से अनिवार्य करना।

(11) वर्ष 2010 तक कुल प्रजननता दर 2.1 लाना।

11.2. जिन राज्यों ने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं अथवा निर्धारित अवधि से पहले पूरे कर लिए जाने हैं उन्हें चाहिए कि वे बेहतर सामाजिक जनांकिकीय तथा प्रजनक स्वास्थ्य सूचकों की ओर बढ़े।

11.3. धर्म, जाति अथवा राजनैतिक संबद्धता का भेदभाव किए बिना यदि लोगों तथा सरकारों द्वारा इस जनसंख्या नीति को कार्यान्वित किया जाता है तो इससे सभी लोगों को एक अच्छा वर्तमान तथा एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह नीति राजनैतिक दस्तावेजों को तैयार करने के ऐतिहासिक परिवर्तन काल में प्रारंभ की जा रही है जिससे गांव तथा शहरों में रह रहे लोगों को अपने भाग्य निर्माण में मार्ग-दर्शन मिलेगा। यदि हमारी जनसंख्या नीति सही नहीं होगी तो कुछ भी सही नहीं हो सकता।

12. कार्यान्वयन कार्यनीति

12.1. प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या

12.1.1. प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के माध्यम से प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या का एक पैकेज उपलब्ध किया जाएगा तथा जच्चा-बच्चा, प्रजनक तथा लैंगिक स्वास्थ्य जैसे विभिन्न घटकों तथा मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग, दृष्टिहीनता एड्स आदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का समाकलन किया जाएगा।

1.2.1.2. स्वास्थ्य के संबंध में एक समग्रतावादी तथा व्यापक दृष्टिकोण का पता लगाया जाएगा तथा उसका कार्यान्वयन किया

जाएगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि यह कार्यक्रम जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या तथा परिवार नियोजन सेवाओं से निकलकर भौगोलिक तथा यौन समस्याओं, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तथा प्रजनक स्वास्थ्य शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा। स्वास्थ्य पैकेज में एड्स तथा प्रजनक क्षेत्र संक्रमण के प्रति सावधानी बरतना शामिल होगा। रोग से बचने तथा उपचार के लिए बेहतर सेवाओं पर बल दिया जाएगा।

12.1.3. रूग्णता तथा मृत्यु की घटनाओं में कमी लाने के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की आसानी से उपलब्धता, स्वीकार्यता और सूचना पर मुख्य बल दिया जाएगा। महिलाओं तथा जिन लोगों को सेवाएं नहीं मिल रही हैं उन्हें सेवाएं तथा सूचना उपलब्ध करने की प्राथमिकता दी जाएगी।

12.2 प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या

12.2.1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध करने संबंधी तंत्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के माध्यम से पहले ही संघटित किया जा चुका है। परिवार नियोजन तथा जच्चा-बच्चा संबंधी मौजूदा सेवाओं को अधिक व्यापक बनाया जाएगा ताकि प्रत्येक राज्य की क्षमता के अनुरूप प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या के दूसरे पहलू भी शामिल किए जा सकें तथा बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध की जाएगी ताकि बेहतर परिचर्या सुनिश्चित हो सके।

12.2.2. गर्भ निरोध के तरीके-वार लक्ष्य निर्धारित करने की पद्धति को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विकेन्द्रीकृत भागीदारी नियोजन द्वारा पहले ही प्रति-स्थापित कर दिया गया है।

12.2.3. मातृ मृत्युदर में कमी लाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के माध्यम से मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। इन सेवाओं में सुरक्षित मातृत्व संबंधी शिक्षा, सुरक्षित तथा प्रभावी प्रसवपूर्व परिचर्या, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव की सेवाएं, आपाती प्रासविक परिचर्या रेफरल सेवाएं तथा प्रसवोत्तर परिचर्या शामिल है। विशेषकर किशोरावस्था तथा अधिक आयु की महिलाओं में अत्यधिक खतरे वाले गर्भाधानों तथा जन्मों को रोकने, उनका पता लगाने तथा उनका उपचार करने के उपाए किए जाएंगे।

12.2.4. गैर अर्हता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में असुरक्षित गर्भपात कराए जाना एक ऐसा संवदेनशील पहलू है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिसके कारण महिलाओं में अधिक रूग्णता तथा मौतें होती हैं। इस प्रकार के असुरक्षित गर्भपातों में कमी लाने के हर प्रयास किए जाएंगे। कानूनी तौर पर सुरक्षित गर्भपात कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक तथा केन्द्रों को उपयुक्त रूप से सुसज्जित किया जाएगा तथा इन सेवाओं को लोगों को यथा निकट उपलब्ध किया जाएगा।

12.3 स्टाफ का प्रशिक्षण

12.3.1. चिकित्सीय तथा परा-चिकित्सीय कार्मिकों का सेवा स्टाफ राज्य सरकारों के अधीन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना जारी रखेंगे। तथापि, सभी स्तरों पर भर्ती, पदोन्नति, अविच्छिन्न शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अतिविन्यास के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम होगा। कार्यों के पुनराबंटन तथा इसके अलावा पूरे कार्यक्रम के प्रति रवैये में एक परिवर्तन की भी आवश्यकता होगी। प्रत्येक जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसके पास जन-स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं विषय परिचयक ज्ञान होना चाहिए। एक जिला रूग्णता, मृत्यु एवं प्रजननता की रूपरेखा तैयार करेगा। इससे विभिन्न जारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने में सहायता मिलेगी। इस संदर्भ में स्वास्थ्य प्रबंध तथा कौशल प्रशिक्षण मुख्य घटक होंगे। उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाओं तथा विशेषतः सभी गर्भ निरोधकों को अपनाने वालों के लिए जांच तथा पश्चातवर्ती परिचर्या उपरांत सेवाओं का प्रबंध करना उच्च अधिमानता वाले मुद्दे हैं। इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता में केवल निम्न स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाकर, सक्षम संभारतंत्रीय सहायता तथा बेहतर प्रबंध के जरिए सुधार लाया जा सकता है। प्रशिक्षण जिला स्तर पर नियोजित किया जाएगा। नियमित आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए कार्मिकों को छोड़ने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण रिजर्व तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण इनपुट की विषय वस्तु व्यवहारोन्मुख होगी।

12.3.2. आयुर्विज्ञान पाठ्यचर्या में प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य पर बल दिया जाएगा।

12.4. गर्भ निरोधक तरीके

12.4.1. भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम अपने शुरू के वर्षों में महिलाओं के लिए मुख्य रूप से अवरोध तरीके प्रस्तुत कर सका था जब तक कि कुछ अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञ एवं प्रशासकों ने स्थाई तरीके के रूप में पुरूष नसबंदी आपरेशन का संवर्धन नहीं किया था। महिला नसबंदी भी शीघ्र सुविदित हो गई तथा जैसे ही यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया, बन्ध्यीकरण प्रचलित हो गया क्योंकि यह एक सुरक्षित, एक बारगी प्रक्रिया वाला था, इससे स्वीकारकर्ता आगामी कार्यवाही से मुक्त हुए एवं उनके परिवार का आकार सीमित हो गया।

12.4.2. पुरूष नसबंदियों तथा महिला नसबंदियों की संख्या के बीच संतुलन में पिछले कुछेक वर्षों में काफी परिवर्तन हो गया है तथा आज बन्ध्यीकरण आपरेशनों के स्वीकारकर्ताओं में महिलाएं बहुत अधिक हैं। इसमें सुधार करना आवश्यक है। जहां परिवार को सीमित करना वांछनीय हैं वहां पुरूषों को फिर से नसबंदी के लिए तथा कंडोम तरीके को अपनाने में भी आगे आना चाहिए। इस प्रकार परिवार नियोजन की जिम्मेदारी निभाने में उनका भी योगदान होगा।

12.4.3. एक अन्य अधिक महत्वपूर्ण विचारणीय बात इस तथ्य में निहित है कि यथासंभव अनेक प्रकार के तरीके चुने जाने हेतु उपलब्ध होने चाहिए। बन्ध्यीकरण भी अग्रणी तरीका है परन्तु जनांकिकीय दृष्टि से इसमें ह्रासमान परिणामों का पता चला है क्योंकि इसका इस्तेमाल अधिक आयु वाले दम्पत्ती करते हैं जिसके पहले ही दो अथवा तीन बच्चे होते हैं तो इसका वांछित सांख्यिकीय प्रभाव नहीं

होगा। कम आयु के विवाह की प्रथा की दृष्टि से उन तरीकों जिनसे जन्म अंतराल रखने में सहायता मिलती है को उन युवा दम्पतियों, जो अपने परिवार को पूरा करने के उपरांत बन्ध्यीकरण अपना सकते हैं, के लिए कोटि की सेवाओं के साथ आसानी से सुलभ बनाने की आवश्यकता है। निस्संदेह, जन्म में अंतराल रखने का महिला के स्वास्थ्य पर पाजिटिव प्रभाव पड़ता है और तदनुसार इसे बढ़ावा मिलेगा।

12.4.4. अवरोधक तरीकों के अलावा, अब नए अंतःस्रावी तरीके हैं जिन्हें महिलाएं अंतराल के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। यह संभव है कि जैव चिकित्सीय अनुसंधान से पुरूषों के लिए भी गर्भ निरोधक के नॉन टर्मिनल और परिवर्तनकारी तरीके निकलेंगे। यह मानना होगा कि गर्भ निरोधन के लिए की जाने वाली चिकित्सा सहित कोई भी चिकित्सा गौण प्रभावों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। परन्तु भारत में गर्भ निरोधक तरीकों को परिवार कल्याण कार्यक्रम में शुरू करने के पूर्व उनकी निरापदता, प्रभावकारिता, विश्वसनीयता तथा स्वीकार्यता के लिए एक सक्षम वैज्ञानिक ढांचा है। यद्यपि विभिन्न तरीकों के बारे में समय-समय पर विवाद पैदा किए जाते रहे हैं तथा इसका कोई कारण नहीं है क्योंकि विविध प्रकार के तरीके, बशर्ते कि वे वैज्ञानिक रूप से जांचे गए, एवं स्वीकृत हों, नैतिक मानकों को पूरा करते हों और इनके लिए समुपयुक्त सेवाएं उपलब्ध हों, पुरूषों और महिलाओं को उपलब्ध न कराएं जाएं। सेवा प्रदान करने में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संभाव्य प्रयोगकर्ता एक स्वतंत्र विकल्प का इस्तेमाल कर सकें और उन्हें प्रत्येक तरीके को पूरी सूचना मिले तथा उसकी निरापदता, प्रभावकारिता तथा संभावित गौण प्रभावों तथा इसके इस्तेमाल के बारे में परामर्श दिया जाए। जब वांछित हो, परिवर्तनीय तरीके भी सूचित एवं स्वतंत्र विकल्प का भाग होता है।

12.4.5 गर्भ निरोध को बढ़ावा देने के लिए निरापद एवं प्रभावशाली तरीके, परामर्श देना, सूचित विकल्प, गुणवत्ता सेवाएं तथा सतर्क अनुवर्तन अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

12.5 प्रोत्साहन

12.5.1. गर्भ निरोधकों के स्वीकारकर्ताओं तथा प्रेरकों और सेवा प्रदायकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही नकद अथवा वस्तुगत प्रोत्साहनों को एक समयबद्ध ढंग से बंद किया जाएगा। सामुदायिक प्रोत्साहनों जिनका उद्देश्य समुदाय को ऐसे कार्यकलापों को चलाने में प्रोत्साहित करना है जिनसे जन्मदर, नवजात और मातृ मृत्यु दरों में कमी, महिला साक्षरता में वृद्धि, लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि होती है, को शुरू किया गया है। उच्च कर छूट सीमा के रूप में अथवा दूसरे रूपों में आयकर छूटें शुरू करने की संभावना की जांच की जाएगी। विशेष रूप से बालिकाओं के स्टेटस को सुधारने और प्रतिकूल लिंग अनुपात को समाप्त करने के लिए निदेशित अभिनव स्कीमें तैयार की जाएंगी। उच्च कुल प्रजननता दर और नवजात शिशु मृत्यु दर वाले क्षेत्रों और राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

12.6 संगठित क्षेत्र

12.6.1. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं के कर्मचारियों तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को छोटे परिवार का आदर्श अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके उपक्रमों के सेवा नियमों में समुचित संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कर्मचारियों द्वारा छोटे परिवार के आदर्श को अपनाया जा रहा है। इसी प्रकार सरकारी सेवा में आने वाले नए व्यक्तियों को जिनका विवाह को वैद्य आयु से पूर्व हुआ है, भर्ती से रोका जा सकता है। प्रोन्नति की नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए कि छोटे परिवार का आदर्श अपनाने को बढ़ावा मिल सके। पूरे संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक व निजी) द्वारा भी इसी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो सके जिसमें समाज के इन अपेक्षाकृत बेहतर वर्गों द्वारा छोटे परिवार का आदर्श अपनाया जा सके।

12.7 स्वास्थ्य बीमा

12.7.1. जीवन बीमा निगम और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से कहा जाएगा कि वे गैर-संगठित क्षेत्र के कामगारों तथा उनके परिवारों के लिए उपयुक्त सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीमें तैयार करें। संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ऐसे सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करें।

12.8 लैंगिक संहिता

12.8.1. इस शताब्दी के समाप्त होने से पहले महिलाओं के खिलाफ सभी भेद समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। इस संदर्भ में जन संपर्क माध्यमों तथा विज्ञापन अभिकरणों को लिंग कोड का विकास करना चाहिए जो हिंसा तथा अभद्रता को प्रतिष्ठ देना समाप्त करता है। स्कूल में प्रवेश, कौशल निर्माण तथा आय उत्पादकता क्षमता के उच्च स्तरों के माध्यम से बालिका तथा किशोर बालिकाओं के लिए विशेष परिचर्या प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह सूचित चयन के आधार पर विवाह की आयु बढ़ाने तथा गर्भ निरोधक उपायों को स्वीकार करने में भी सहायक होगा।

12.9 जन कार्यक्रम के रूप में जनसंख्या कार्यक्रम

12.9.1. सरकार नीतियों, नियोजन तथा जनसंख्या तथा सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को देश व्यापी बढ़ावा देने का प्राथमिक उत्तरदायित्व वहन करती है। इसी प्रकार न केवल इसके कार्यों को आसान बनाया गया बल्कि सांझी जानकारियों तथा लक्ष्यों के आधार पर जनसंख्या स्थिरीकरण के उपायों में लोगों की पूरे दिल से भागीदारी उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। लिंग संबंधी मुद्दों दहेज जैसी बुरे रिवाजों से लड़ने और संचार प्रबंधन तथा विपणन कौशल के माध्यम से लोगों की भागीदारी बढ़ाने में रूझानों तथा व्यवहार में सामाजिक परिवर्तन लाकर स्वयंसेवी तथा गैर सरकारी संगठन लोगों को गतिशील बनाने में विशेष रूप से प्रभावकारी हो सकते हैं। किसी दम्पत्ती के पास अपना बच्चा होने के बाद वे अनाथ बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देने में

भी मदद कर सकते हैं, ताकि पहले जन्म लेने वाले बच्चों को सुख जीवन का अवसर मिल सके। इस प्रकार स्वयंसेवी संगठनों को जनसंख्या स्थिरीकरण तथा सामाजिक विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों की नीति, नियोजन तथा कार्यान्वयन में पूर्ण रूप से शामिल किया जाएगा। वित्तीय जवाबदेही तथा नैतिक आदर्शों के अधीन सामाजिक रूप से उपर्युक्त विचारों में नवीनता लाने के लिए उन्हें आवश्यक प्राधिकार तथा स्वायत्ता दी जाएगी।

12.9.2. यह विदित है कि अधिकतर स्वास्थ्य संबंधी कार्य समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के कार्मिकों के प्रभावकारी सहयोग से निपटाए जा सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से समुदाय में ज्ञान और कौशलों का हस्तांतरण करना शामिल होगा। बच्चों की जीवन रक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिएं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और समुदाय को सरल और सस्ते उपचारों की ओर अभिमुख करना होगा। जहां बचपन के सामान्य रोगों के निवारण और उपचार पर जोर दिया जाएगा वहां खतरे के सूचकों, जब बच्चे का उपचार एक स्वास्थ्य केन्द्र में कराने की जरूरत होती है, के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और माताओं को जानकारी दी जाएगी। प्रभावकारी सहयोग प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल यूनिटों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

12.10 सूचना, शिक्षा तथा संचार

12.10.1. सूचना, शिक्षा तथा संचार प्रयास जनसंख्या नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तथापि, सूचना, शिक्षा तथा संचार उपायों का आधारभूत ढांचा केन्द्र तथा राज्य दोनों में अपर्याप्त है। सूचना, शिक्षा तथा संचार नीति के केन्द्रीयकृत है और प्रबंध कुल मिलाकर सरकारी स्रोतों तक सीमित हैं।

12.10.2. राज्य सरकारें सूचना, शिक्षा व संचार के विषय में राज्य की विशेष कार्यनीतियां तैयार करेंगी। कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पंचायतों, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं और गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। सूचना, शिक्षा व संचार इन सभी स्तरों पर जनसंख्या नियोजन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होगा।

12.10.3. अभी सूचना, शिक्षा एवं संचार उपाय इस प्रकार के होंगे कि सभी मुद्दों पर मांगी गई सूचना प्रदान की जाए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षागत उपाय जनसंख्या संबंधी मुद्दों से जुड़े हों तथा संचार प्रक्रिया देश की विभिन्नताओं और विषमताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण और केन्द्रित हो। अतः वैयक्तिक संप्रेषण महत्वपूर्ण है अतः स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

12.10.4. संचार माध्यम और संस्थाओं व संबंधित व्यक्तियों को, चाहे वे सरकारी हो या गैर सरकारी, इस बात के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि वे स्वैच्छिक आधार पर जनसंख्या और परिवार कल्याण से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें।

12.10.5. सूचना, शिक्षा और संचार में पुरूषों और महिलाओं पर एक समान ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार का ध्यान विभिन्न चरणों के माध्यम से बनाए रखा जाएगा जिसमें पाठ्य पुस्तकों और मुद्रित सामग्री व इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों से लड़के और लड़की के भेदभाव को दूर करना शामिल है।

12.10.6. सूचना, शिक्षा, संचार संबंधी प्रयास इस क्षेत्र की वास्तविक सेवा अथवा कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता संबंधी पहलुओं के एवजी नहीं हैं। सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप कार्यक्रम के सहायक हैं इसलिए सेवा उपलब्ध करने संबंधी पहलुओं तथा मूल वास्तविकताओं के बीच संयोजन सुदृढ़ किया जाएगा।

12.10.7. मूलभूत प्रतिमान बदलाव तथा प्रदर्शन में परिवर्तन के लिए लोगों में ज्ञात तरीकों की जानकारी होना एक पूर्ण अपेक्षा हैं। लोगों को ज्ञात तरीकों के बारे में पूरी जानकारी तथा सहायक परामर्श देना ही सतत प्रेरणा का एक रास्ता है और यह सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम का मुख्य कार्य होगा।

12.10.8. जन प्रचार माध्यम को चाहिए कि वे जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए सामाजिक वातावरण विकसित करें तथा पंचायत और नगर पालिका स्तरों पर सूत्रपातों तथा कार्यक्रमों को दुहराएं जैसा कि साक्षरता अभियान में किया गया है। स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय प्रणालियों में जिम्मेदार मातृत्व तथा सुरक्षित यौन की धारणा को पारदर्शक बनाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम के भाग के रूप में जनसंख्या, परिवार, स्वास्थ्य और प्रजनक स्वास्थ्य शिक्षा के अधिक प्रभावशाली माड्यूल होने चाहिए।

12.10.9. एक विस्तृत जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों, कार्पोरेट क्षेत्र एलोपैथिक तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्राइवेट चिकित्सकों, भारतीय चिकित्सा संघ, चिकित्सा, दन्त, फार्मेसी तथा उपचर्या परिषदों, युवकों तथा महिलाओं संघों तथा अन्य प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों की सेवाएं लेने के सतत प्रयास किए जाएंगे। सांस्कृतिक संदर्भ में परिवार नियोजन संदेश पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

12.10.10. इस समय संचार माध्यमों के और विकेन्द्रीकरण और इसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है ताकि निचले स्तर तक संदेशों को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।

12.10.11. सामाजिक क्षेत्र के विभागों में क्षेत्रीय काडरों को प्रेरित करने तथा जनसंख्या स्थिरीकरण प्रयासों में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

12.10.12. औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या में जनसंख्या तथा पारिवारिक जीवन संबंधी पहलुओं को जोड़ा जाना चाहिए।

12.11 जनसंख्या कार्यक्रम को राजनैतिक समर्थन

12.11.1. देश में सभी स्तरों पर जनसंख्या समस्या में निहित सकारात्मक उद्देश्य के लिए समग्र तथा सतत राजनैतिक समर्थन से कार्यक्रम के लक्ष्य तथा अपेक्षित परिणम प्राप्त करने की दिशा में काफी मदद मिलेगी। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए इस समय सबसे गंभीर समस्या है तथा राजनेता इस पहलू से अलग नहीं रह सकते। बढ़ती हुई जनसंख्या देश में केवल कल्याण तथा विकास को ही नहीं बल्कि सामाजिक शान्ति तथा मित्रभाव को भी प्रभावित करती है। इसलिए जनसंख्या संबंधी पहलुओं का दल तथा राजनैतिक संबद्धता का भेदभाव किए बिना राजनेताओं द्वारा समाधान करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तथा जनसंख्या कार्यक्रम के लिए समर्थन जुटाने के लिए सभी स्तरों पर उपयुक्त तंत्र विकसित करना होगा। इसी प्रकार, देश में जनसंख्या कार्यक्रम को अपना समर्थन देने के लिए सामाजिक तथा सांस्कृति नेताओं, कर्मचारी संघों, छात्र संगठनों, स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने संबंधी व्यावसायिक संघों जैसे समूहों तथा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सुग्राही बनाया जाएगा।

12.11.2. गर्भनिरोधन/नसबंदी द्वारा परिवार कल्याण की पहचान ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के सापेक्ष महत्त्व को सीमित कर दिया है तथा लोगों के मन में इसके प्रति नकारात्मक नजरिया पैदा किया है। इससे अनेक राजनीतिज्ञों के विचार तथा समर्थन जुटाने में सहायता नहीं मिली है। यदि परिवार नियोजन/परिवार कल्याण कार्यक्रम को व्यापक राजनैतिक तथा जन समर्थन जुटाने में सफलता पानी है तो इसकी वर्तमान नकरात्मक छवि को मिटाने की आवश्यकता है तथा इसके बदले कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक छवि बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रम में अधिक आयु में विवाह करना, साक्षरता, शिक्षा, शिशु मृत्यु दर में कमी, जन्म में अंतर, स्तनपान को बढ़ावा, जनन अक्षमता का उपचार, अनाथ बच्चों को अपनाना, तथा एक नियोजित परिवार की चाहत जैसे उपायों पर बल दिया जाएगा।

12.12 पंचायत नगरपालिकाएं और सामुदायिक भागीदारी

12.12.1. नये स्थानीय निकाय विधान के अंतर्गत पंचायत के एक तिहाई सदस्य महिलाएं और दूसरे एक तिहाई सदस्य समुदाय के कमजोर वर्गों से होंगे। इसके विकेन्द्रीकरण के लिए और लोकतांत्रितक योजना को प्रभावशाली बनाने के लिए पंचायतों, जिला परिषदों और नगपालिकाओं के सभी सदस्यों को चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित आवश्यक सूचना प्रदान करने और अनवरत विषय परिचायक कार्यक्रमों के द्वारा संबंधित विषयों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे।

12.12.2. लोगों द्वारा सामुदायिक सहयोग और स्वैच्छिक प्रयासों द्वारा पहल करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए जिससे वे सरकार पर अधिक निर्भर न रहें। साक्षरता, शिक्षा, स्वच्छता, सफाई, जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पर्यावरणिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समुदाय का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व औषधालयों तथा अस्पतालों की व्यवस्था का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाएगा।

12.13 महिलाएं और बच्चे

12.13.1. पिछले दो दशकों के दौरान अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाये गए हैं जिनका लक्ष्य बालिकाओं, किशोर बालिकाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देना था। ऐसे सभी कार्यक्रमों की पुनरीक्षा की जाएगी व उन्हें आसान व सुदृढ़ बनाया जाएगा। महिला साक्षरता को व्यापक बनाने और माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक बालिकाओं के दाखिले की उच्च दर को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उन परिस्थितियों को दूर किया जाएगा जिनके कारण बाल मजदूरी आवश्यक बन जाती है तथा बाल-मजदूरी के उन्मूलन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। अनाथ बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा दिया जाएगा।

12.13.2. स्वास्थ्य जिसमें जनन-स्वास्थ्य शामिल हैं, प्राथमिकता उन्मूलन क्षेत्र में एमिनोसिंटेसिस और कोरियोनिक वाइलस बायोप्सी तथा बालिका शिशु से बचने के लिए जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण की अन्य तकनीकी को गैर-कानूनी घोषित किया जाएगा। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि बहकावे से इस प्रकार की तकनीक के प्रयोग के विरूद्ध सामाजिक मान्यता और सार्वजनिक मत तैयार किया जाए। पारिवारिक जीवन शिक्षा और विवाह-पूर्व तथा विवाह के पश्चात् परामर्शी सेवा प्रारंभ की जाएगी ताकि जिम्मेदारी पूर्ण मातृत्व पितृत्व को बढ़ावा मिल सके।

12.13.2. एक पहलू, जो दम्पतियों द्वारा गर्भनिरोधन के इस्तेमाल को प्रभावित करता है, उनकी संतान की जीवन रक्षा की प्रत्याशा का स्तर है। जन्म दर नवजात और शिशु मृत्यु दरों में कमी के साथ घटती है। बचपन की रूग्णता दर और मृत्यु दर के आम कारणों को दूर करके नवजात और शिशु मृत्यु दरों में कमी को बढ़ाया जाएगा।

12.13.4. नवजन्म की अवधि में मृत्यु दर नवजात मृत्यु दर का 60 प्रतिशत से अधिक है। नवजात मृत्यु दर में कमी करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। परंपरागत बर्थ अटेंडेंटों, परा-चिकित्सीय कार्यकर्ताओं और समुदाय को नवजन्मे बच्चों के घरेलू उपचार की ओर अभिमुख किया जाएगा जिसमें नवजात मृत्यु दर के आम कारणों की रोकथाम पर बल दिया जाएगा।

12.13.5. सभी नवजात बच्चों का डिफ्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, खसरे, क्षयरोग और पोलियों से समग्र रूप से प्रतिरक्षित करने और अन्य रोगों, जिनके लिए टीके को बाद में इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, से प्रतिरक्षित करने के अलावा अतिसारीय रोगों और गंभीर श्वसनी रोगों के कारण होने वाली शिशु मौतों के निवारण कार्यक्रम को लागू किया जाएगा।

12.14. युवक

12.14.1. भारत एक युवा संपन्न देश रहा है और आने वाले अनेक दशकों में भी युवकों का अनुपात अधिक बना रहेगा अतः युवाओं में जनसंख्या वृद्धि और उन्हें जिम्मेदार माता-पिता बनने की संकल्पता का बोध कराने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। जनसंख्या और सामाजिक विकास से संबंधित कार्यकलापों में एन सी सी, एन एस एस, स्काउट्स, गाइड्स और नेहरू युवक केन्द्रों की सहायता ली जाएगी। मेडिकल कालेजों के छात्रों को जिला स्वास्थ्य और जनसंख्या की रूपरेखा तैयार करने में सहभागी बनाया जाएगा।

12.15 गैर-सरकारी संगठन

12.15.1. सरकारी और स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी, का एक नया वातावरण तैयार किया जाएगा ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण और सामाजिक विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सभी चरणों और सभी स्तरों पर इन संगठनों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। आपसी विचार-विमर्श के पश्चात् ऐसे संगठनों का पता लगाने के लिए मानदंड तैयार किए जाएंगे जो वित्तीय और तकनीकी सहायता के पात्र होंगे। उत्तरदायित्व, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के संकेतक भी तैयार किए जाएंगे।

12.16 अनुवीक्षण और मूल्यांकन

12.16.1. इस समय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मूल्यांकन परिवार कल्याण विभाग के मूल्यांकन और आसूचना प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। उपभोक्ता आधारिक आंकड़े सूचित करने की एक नई पद्धति जिसमें गुणवत्ता पहलुओं को समाविष्ट किया गया है पहले ही लागू कर दी गई है। इस समय उप केन्द्रों के महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित नेमी आंकड़ों के रख-रखाव और सूचना प्रदान करने के लिए अनेक रजिस्टरों का बोझिल कार्य किया जाता है। पात्र दंपति रजिस्टरों का रख-रखाव अक्सर ठीक से नहीं हो पाता। हाल ही में प्रारंभ की गई प्रबंध सूचना और मूल्यांकन प्रणाली का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। रोजाना एकत्र किए गए आंकड़ों की अनुपूर्ति के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना भी आवश्यक होगा। जिला और ब्लाक स्तरों पर जन्म मृत्यु, मातृ और शिशु मृत्यु दर तथा विवाह के समय आयु से संबंधित आंकड़ों की सूचना तैयार करना भी आवश्यक होगा। इस समय महापंजीयक के कार्यालय का जन्म मृत्यु सांख्यिकी प्रभाग जन्म, मृत्यु दर आदि के आंकड़े तैयार करने के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत नियमित नमूना सर्वेक्षण करता है परन्तु नमूनों के आकार और इनके प्रकीर्ण होने के कारण इस प्रकार के आंकड़े जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं होते, जो कि एक प्रमुख आवश्यकता है। जिला और ब्लाक स्तरों पर तैयार किया गया डेटा इन स्तरों पर प्राधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि योजना तैयार करने में मदद मिल सके।

12.16.2. इस प्रकार के एकत्रित आंकड़ों और अनुमानों को केन्द्रीकृत करना आवश्यक नहीं है। सारे कार्य को राज्य स्तर और जिला स्तर तक विकेन्द्रित किया जा सकता है बशर्ते कि इस प्रकार के आंकड़े तैयार करने के लिए एक समरूप रखा जाए और अन्वेषकों द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के पक्षपात को दूर करने के लिए एक समुचित नियम पुस्तिका तैयार की जाए। छोटे क्षेत्रों के आंकड़े तैयार करने के लिए नमूने की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। विशेष रूप से विवाह के समय आयु और विवाह की दर के आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए ताकि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, जिसमें एक विशिष्ट आयु सीमा के नीचे की आयु में विवाह का निषेध है, लागू हो सके। केन्द्रीय सरकार एक व्यापक विवाह पंजीयन अधिनियम बनायेगी जिसके अंतर्गत देश भर में होने वाले विवाहों का पंजीयन करना अनिवार्य होगा। जन्म व मृत्यु अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम जो भारत के अधिकतर राज्यों में जन्म व मृत्यु संबंधी विश्वसनीय आंकड़े तैयार करने में अभी तक नाकाम रहा है के अनुभव को देखते हुए केवल कानून पर भरोसा करने से गलत-फहमी हो सकती है। अतएव यह विकेन्द्रकृत दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र है और तदनुसार जन्म, मृत्यु एवं विवाह संबंधी आंकड़े एकत्र किये जाएंगे तथा ग्रामों, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के जरिए पूर्ण कवरेज सुनिश्चित की जाएगी।

12.16.3. सम्पूर्ण जनसंख्या में अन्तर्राष्ट्रीय प्रव्रजन का अनुपात अल्प है। फिर भी स्थानीय तथा उप क्षेत्रीय स्तर पर पीड़ित प्रव्रजन एवं अवैध प्रव्रजन दूरगामी प्रभाव की उलझनों के साथ गंभीर समस्याएं पैदा कर देते हैं। जनगणना से अवैध प्रवास का कोई प्राक्कलन प्राप्त नहीं होता है अतः वार्षिक आधार पर अवैध प्रवास के गोपनीय मूल्यांकन के कार्य के लिए एक उपयुक्त मानीटरिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा। ताकि ऐसे प्रवास से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा सकें।

12.17 डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण

12.17.1. इस नीति में सामाजिक विकास को सौंपी गई मुख्य भूमिका का दृष्टिगत रखते हुए सांख्यिकीय आधार पर योजनाकारों व नीति निर्माताओं द्वारा (भविष्य में) ज्यादातर मांगें की जाएंगी। दस वर्ष के अंतराल पर होने वाली जनगणना जनसांख्यिकीय आंकड़ों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत है। महापंजीयक के कार्यालय को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि एक अरब से ऊपर के लोगों को कवर करते हुए 2001 ए-डी होने में वाली जनगणना निर्विघ्न संचालन में इसे सक्षम बनाया जा सके।

12.18 सामाजिक और जैवचिकित्सीय अनसुंधान और प्रौद्योगिकी

12.18.1. जनसंख्या गतिकी, स्वास्थ्य और संबंधित विषयों में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में संलग्न मौजूदा संस्थाओं के बीच तंत्र का संवर्धन किया जाएगा तथा जनसंख्या कार्यक्रमों एवं नीतियों की महत्वपूर्ण अनुसंधान संबंधी निर्णायक प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान नए क्षेत्रों में किया जाएगा। इनके साथ ही दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में मौलिक और सैद्धांतिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी

संबंधित संस्थाओं तथा खासकर अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थानों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों को स्वायत्तता तथा अधिकतम शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी ताकि रचनात्मक माहौल, मौलिक सोच एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता प्रकट हो सके। परंपरागत और फ्रंटियर टेक्नोलाजी सहित जैवचिकित्सीय अनुसंधान को उपयुक्त संस्थाओं में बढ़ावा देकर वित्तपोषित किया जाएगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा अन्य एजेंसियों के साथ कारगर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यावसायिक संघों तथा चयनित गैर-सरकारी संगठनों का अधिकतम सहयोग लिया जाएगा। देशी ज्ञान पद्धतियों एवं प्रणालियों का डेटाबेस गर्भनिरोधन के संदर्भ में बढ़ाया जाएगा।

12.18.2. जनसंख्या स्थिरीकरण से संबद्ध जैवचिकित्सीय और सामाजिक विज्ञानों पर अनुसंधान सुदृढ़ किया जाएगा। नूतन गर्भनिरोधक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय परीक्षण के नीतिपरख पहलुओं की पूरी-पूरी जांच की जाएगी। जनसंख्या विषयों खासकर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबद्ध देशी पद्धतियों एवं परंपराओं के सुदृढ़ काम करने हेतु युवा विद्वानों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

12.18.3. गर्भनिरोधकों, वैक्सीनों एवं उपस्करों के उत्पादन, प्रौद्योगिक की समीक्षा करके उसे उन्नत बनाया जाएगा तथा आत्मनिर्भरता के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

12.19 विशिष्ट कार्यनीतियां

12.19.1. ज्ञात क्षेत्रों, खासकर बुनियादी सुविधाओं एवं प्रशिक्षण में बढ़ोत्तरी करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की प्रदानगी हेतु मौजूदा नीति परिवार कल्याण विभाग के पास है।

12.19.2. जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक चयन किए जाने वाले क्षेत्रों का पता निम्नलिखित के आधार पर लगाया जाएगा :—

(1) कुल प्रजनन दर के उल्लिखित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अवधि को कम करने हेतु अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत।

(2) जनसंख्या के प्रजनक स्वास्थ्य स्तर के प्रतिकूल संकेतक।

12.20 पोषण

12.20.1. रक्ताल्पता जैसी पोषणिक कमियों से उत्पन्न मातृ मृत्युदर में कमी लाने, भ्रूण का उचित विकास सुनिश्चित करने तथा शिशुओं का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, एवं स्कूल जाने से पूर्व अवस्था वाले बच्चों को पर्याप्त एवं संतुलित पोषक आहार देना महत्वपूर्ण होता है।

12.20.2. गर्भावस्था में महिलाओं के लिए पौषिणिक जरूरतों की मांग बढ़ जाती है। उसकी कैलोरी की जरूरतें लोहे, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा विटामिनों की बढ़ी हुई जरूरतों के अलावा प्रतिदिन लगभग 600 कैलोरी तक बढ़ जाती है। उपयुक्त परिचर्या के अभाव में तीसरा बच्चा 2.5 किलो ग्राम से कम वजन का अस्वस्थ रूप में पैदा होता है तथा कमियों के साथ जीवन शुरू होता है। पांच मातृ मृत्युओं में से एक गंभीर रक्ताल्पता से उत्पन्न हृदय की नाकामी के कारण होता है।

12.20.3. शिशु जीवन रक्षा के निर्धारण में शैशव और बचपन के दौरान पौषणिक स्तर की निर्णायक भूमिका होती है। शैशव के शुरू में एकमात्र स्तनपान कराने को प्रोत्साहित करने एवं समुचित रूप से स्तनपान छुड़ाने की परंपराओं को अपनाया जाएगा।

12.20.4. संतुलित आहार स्वस्थ रूप में विकास के लिए अनिवार्य होता है। कुपोषण से बच्चों में संक्रमणों तथा मौतों का खतरा बढ़ जाता है और बेहतर जीवन नहीं हो पाता है। संक्रमण पोषणिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। शैशव तथा बचपन के आरंभ में डायरिया, खसरा तथा अन्य संक्रमणों का निवारण एवं समुचित उपचार कुपोषण दर को कम करने के लिए अनिवार्य है। कुपोषण की मात्रा तथा स्वास्थ्य पर इसका हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था की अंतिम तिमाही एवं जन्म के प्रथम 12 महीनों में अधिकतम होता है। यदि शैशव में कुपोषण और संक्रमणों के दुश्चक्र का निवारण हो जाए तथा नवजात शिशु स्वस्थतर हों तथा उन्हें बेहतर पोषक आहार मिले तो सकारात्मक प्रभाव वृद्धावस्था के आयु समूहों में भी द्रष्टव्य होगा। सामुदायिक जागृति और भोजन एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से मातृ एवं नवजात शिशु पोषण में सुधार होगा।

12.20.5. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे सामाजिक आर्थिक संकेतकों या स्वास्थ्य स्तर के आधार पर ज्ञात गर्भिणी एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था वाले बच्चों या उनके समूहों को अतिरिक्त पोषक आहार प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाएं।

12.21 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को वित्त पोषण

12.21.1. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को लगातार कम धन मिलता रहा है जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को देय बड़े परिमाण में बकाया राशि संचयित हो गई है। चूंकि जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी लाना प्राथमिक कार्यक्षेत्र में आता है अतः वित्त प्रदान करने की जरूरत बढ़ जाती है।

12.22 उपयोगकर्ता प्रभार लागू करना

12.22.1. सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं के लिए जहां ऐसी सप्लाई/सेवाएं मौजूद हों, उपभोक्ता से शुल्क लिया करें। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि शुल्क लेने के कारण लोगों का आना रूक न जाए।

12.22.2. कार्यक्रम के वित्तपोषण के न केवल तरीके के रूप में वरन् सेवा प्रदायकों को अपने उपभोक्ताओं के प्रति अधिकतर

जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपभोक्ताओं से ऐसे शुल्क लेने का इरादा है।

12.22.3. परिस्थिति के अनुरूप दर से उपभोक्ता से शुल्क लिया जाए तथा उपभोक्ता जो आर्थिक स्थिति सहित विभिनन मानदंडों के अनुसार उसका श्रेणीकरण किया जाए।

12.22.4. संस्था को सुविधा उपयोग शुल्कों की राशियों को अपने पास रखने तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीतियों/दिशानिर्देशों के अनुसार उनका उपयोग करने की अनुमति होगी। आधुनिकीकरण और आपूर्तियों की जरूरतों को परा न करने में ऐसी सुविधाओं/संस्थाओं के लिए आवर्ती अनुदान के नाकाफी होने के कारण उपभोक्ता शुल्क में परिवर्तन करना अतिरिक्त आय के रूप में उपयोगी हो सकता है।

12.22.5. गैर-सरकारी संगठनों को वित्तपोषण में मदद इस तरह दी जाएगी ताकि स्थानीय निकायों के सहयोग समेत उपभोक्ता शुल्कों या सामुदायिक सहयोग के जरिए गैर सरकारी संगठनों को परस्पर स्वीकृत समय-सीमा के अंदर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

13. निष्कर्ष

13.1. यह नीति इस कल्पना पर आधारित है कि विनिर्दिष्ट समय सीमा के इस लक्ष्य की प्राप्ति के सकारात्मक दूरदर्शी तथा सक्रिय प्रयत्न न केवल आवश्यक हैं वरन् इनका निष्पादन राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों तथा जनता के सामर्थ्य के भीतर हितकर है।

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

***157. श्री ए.सी. जोस :**

श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम धनराशि और औषधियों की कमी के कारण प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए आबंटित की गई धनराशि और वास्तविक रूप से खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खर्च में कोई कमी आई है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्षय रोग पर काबू पाने और राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए धनराशि और औषधियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ). केन्द्रीय सरकार राज्यों को कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित अनुमानित नए रोगियों के लिए 50 प्रतिशत औषधें तथा एक्स-रे रोल उपलब्ध करती है।

उक्त कार्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई राशि तथा वास्तव में किया गया व्यय इस प्रकार है :-

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय सहायता में से किया गया वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)
1993-94	37.42	17.19
1994-95	46.00	32.16
1995-96	46.00	41.18

राज्य सरकारें कार्यक्रम की संचालन लागत तथा औषधों की 50 प्रतिशत लागत का व्यय वहन करती हैं। सप्लाई आदेशों का पालन न करने तथा सप्लायरों द्वारा सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपुओं को औषधों की देर से सप्लाई करने के कारण व्यय कम हुआ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम की कमजोरियों को दूर करने के लिए क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की एक संशोधित नीति अपनाई गई है। कार्यनीति में रोगियों का प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार, थूक की उन्नत सूक्ष्मदर्शिकों तथा रोगियों का गहन पर्यवेक्षण तथा निगरानी शामिल है। इस कार्यनीति को विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ में देश के 102 जिलों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

खेल तथा युवा कल्याण नीति

***158. श्री वी.एम. सुधीरन :**

श्री संदीपान थोरात :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेल तथा युवा कल्याण नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). अलग-अलग राष्ट्रीय खेल तथा युवा नीतियां पहले से ही विद्यमान हैं। इनकी एक-एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। इन नीतियों को पुनः तैयार करने का एक प्रस्ताव है ताकि इन्हें और अधिक आवश्यकता-आधारित बनाया जा सके।

विवरण

राष्ट्रीय युवा नीति

सभी युगों में युवा प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी रहा है। आजादी के लिए लालायित, तीव्रता से प्रगति के लिए उत्सुक और नवीकरण के लिए उमंग तथा युवा आदर्शवाद और सृजनात्मक जोश में हमारी मातृभूमि की आजादी के संग्राम में आगे था। यदि इस शताब्दी के पूर्वावधि में हजारों युवा राष्ट्रपिता के आवाहन से प्रेरित था तो आज का युवा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सहित प्रौद्योगिकीय प्रगति की चुनौती का सामना कर रहा है।

भारत का युवा जो हमारी जनसंख्या का एक तिहाई है, एक विशाल और महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। उनका, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्र के भाग्य को बदलने में, जो वास्तव में उनका अपना भाग्य है, सक्रिय रूप से भाग लेने में अधिकार और दायित्व है। ऐसे देश में उनकी समस्या कई हैं, विभिन्न प्रकार की है। और उनकी आकांक्षाएं ऊंची हैं जिसका भूतकाल महान था और भविष्य के लिए वचनबद्धता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उनके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करने और उनकी कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाएं ताकि उन्हें आर्थिक तौर पर उत्पादी तथा सामाजिक तौर पर लाभप्रद बनाया जा सके।

ऐसे सुअवसर बड़े स्तर पर पैदा करने पड़ेंगे ताकि मानव प्रयत्न के बड़े क्षेत्र को शामिल किया जा सके और समाज के सभी युवाओं को और विशेषकर लाभ वंचित युवाओं को उपलब्ध कराने पड़ेंगे। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए, ताकि युवा उत्पादक, आत्मविश्वासी और राष्ट्रीय विकास के लिए वचनबद्ध शक्ति बन सकें। इन कार्यक्रमों के युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उत्पन्न करनी चाहिए और सभी क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्टता के लिए उनके प्रयासों में सहायता मिलनी चाहिए।

इसमें एकीकरण और अंतर अनुशासन की आवश्यकता है और इस कार्य में दोनों सरकारी विभागों और संगठनों और सरकार से बाहर के क्षेत्रों जैसे परिवार, शिक्षक, नेता, स्वैच्छिक एजेंसियों और युवा संगठनों को शामिल करना है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सहायक मैकेनिज्म प्रदान करना है।

अतः युवाओं को पर्याप्त रूप से अपना दायित्व निभाने के लिए उन्हें सुसज्जित करते हुए राष्ट्रक के लिए यह आवश्यक है कि देश के जीवन और प्रगति में से युवाओं को अपना हिस्सा मिलने में सहायता की जाए। यह आसान कार्य नहीं है, परन्तु यह आवश्यक कार्य है, जिसमें न केवल सरकार बल्कि व्यक्तियों और संगठनों सहित सम्पूर्ण राष्ट्र को सृजनात्मक उद्यम की भावना में एक साथ लाना है, जैसा कि राष्ट्रीय युवा नीति में परिकल्पित है।

लक्ष्य

नीति निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होगी :—

युवाओं में हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों के लिए आवश्यकता और सम्मान पैदा करना है तथा उनमें राष्ट्रीय एकीकरण, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति वचनबद्धता से विधि नियमों के प्रति अधिक इच्छा पैदा करनी है।

युवाओं में हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता पैदा करनी है और उनमें पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान की समृद्धि सहित उनके संरक्षण के लिए वचनबद्धता के साथ स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा करनी है।

युवाओं में अनुशासन, आत्म-सम्मान, न्याय और ईमानदारी, सार्वजनिक हित के लिए चिन्ता, खेल भावना और उसके अलावा उनमें विचारधारा और कार्य में वैधानिक प्रवृत्ति विकसित करने में सहायता की जाए ताकि वे अन्य बातों के साथ-साथ रूढ़िवाद, अन्धविश्वास तथा अनेक सामाजिक कुरीतियां जिन्होंने राष्ट्र को घेर रखा है, को मिटा सके।

युवाओं को ऐसी अधिक से अधिक शिक्षा सुलभ करानी चाहिए जिससे वे अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित कर सकें, उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकें और बेकारी हटाओ के लक्ष्य की ओर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर ले सकें।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति युवाओं को जागरूक करने तथा उन्हें विश्व शान्ति, सूझबूझ बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में शामिल करना।

कार्य योजना

राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य योजना होगी :

राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, सांस्कृतिक एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास के साथ भारतीय संविधान के प्रति ज्ञान और आदर बढ़ाने पर लक्षित कार्यक्रम सभी युवा कार्यकलापों का मुख्य भाग बनेंगे।

हमारे इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय विकास, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर नियंत्रण करने और शीघ्र प्रगति के बारे में पूरी जानकारी उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम, हमारी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक शक्ति के महत्व को कम किए बिना कार्यान्वित किए जाएंगे।

अंतर भारती कार्यक्रम में भाग लेने के जरिए क्षेत्रीयवाद, साम्प्रदायिकता, भाषायी अन्ध-विश्वास और अन्य विभाजक तथा विखंडनीय मान्यताओं को समाप्त करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु देश के विभिन्न भागों के युवाओं के बीच संबंधों को बढ़ाने, गतिशीलता देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

बड़े पैमाने पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के सार्थक कार्यक्रम शुरू किए जायें ताकि हमारे समाज के लाभवंचित वर्गों पर विशेष बल देते हुए शिक्षा के साथ सभी युवा पुरूषों और महिलाओं और गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं तक पहुंच सकें।

स्व-रोजगार के लिए युवाओं को अपेक्षित हूनर देने, उनके व्यावसायिक सुधार और उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें श्रम की गरिमा से अवगत कराने पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के जरिए नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करने तथा स्वैच्छिक, सामाजिक और सामुदायिक सेवा के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

योग, देशी खेल और आधुनिक खेलों में बड़े पैमाने पर भाग लेने के जरिए शारीरिक उपयुक्तता को बढ़ोने के साथ-साथ खतरा लेने की भावना, मिलजुल कर कार्य करना तथा सहनशीलता की भावना को बढ़ाने के साहसिक कार्यकलापों को सभी युवा कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा।

युवा माता-पिता, विशेषकर विभिन्न सामाजिक बुराइयों, हानिप्रद आदतों तथा अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन में सम्मिलित होकर और लघु परिवार तथा उपयुक्त परिवार कल्याण उपायों को अपनाकर सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका अदा करके अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ बढ़ाने और विश्वशान्ति को सुदृढ़ करने के लिए विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की हमारी महान परम्परा के प्रति ईमानदार होना, भारतीय युवा और विश्व भर के उनके साथियों के साथ निकट संपर्क बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

युवा व्यक्तियों और स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य को पुरस्कार, छात्रवृत्ति तथा उसी प्रकार की पद्धति के जरिए पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें मान्यता दी जाएगी।

कार्यान्वयन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार में एक मुख्य एजेंसी होगी और उसके जरिए अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।

विभिन्न स्तरों पर युवाओं की आकांक्षाओं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उल्लिखित लक्ष्यों के संबंध में खर्चों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नीति के कार्यान्वयन का सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तौर पर देखरेख और मूल्यांकन किया जाएगा। चल रही पद्धति के आधार पर और बीच-बीच में अपेक्षित सुधार को ध्यान में रखकर, देखरेख और मूल्यांकन किया जाएगा।

गैर सरकारी, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा अधिक से अधिक भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और वस्तुतः राष्ट्रीय विकास के विशेष क्षेत्रों में युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। वित्तीय तथा संगठनात्मक सहायता के जरिए युवा संगठनों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

समन्वय

युवा कार्यक्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग यह है कि ग्रामीण और शहरी, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। यह केन्द्रीय और राज्य के सभी सरकारी विभाग तथा गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा युवाओं के लिए किए गए सभी कार्यक्रमों को दर्शाएगा। यह परस्पर परामर्श और समन्वय तथा मित्रता से कार्य कर रही सभी इन एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग प्रत्येक एजेंसी की स्वतंत्र संचालन पहलुओं को व्यवस्थित रखते हुए समन्वय की प्रक्रिया के लिए आंकड़े, सूचना और विचारों के आदान-प्रदान के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए सभी प्रयास करेगा।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्वैच्छिक एजेंसियां, राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यान्वयन में निकट समन्वय के रूप में कार्य करेगी। राज्य और केन्द्रीय सुविधाओं के अधिकतम प्रयोग के लिए और नीति में परिकल्पित कार्यकलापों के सभी पहलुओं में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर विस्तृत अभियान शुरू करेंगे और इन उद्देश्यों के लिए प्रभावी, अनुकूल और उत्तरदायी मशीनरी तैयार करेंगे।

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को राष्ट्रीय युवा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में अपने कर्तव्य निभाने में सलाह देने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय युवा संगठनां के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति (सी.ओ.एन.वाई.पी.) स्थापित की जायेगी।

निष्कर्ष

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय युवा नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शती के वर्ष में शुरू की जा रही है। नीति के कार्यान्वयन में राष्ट्र और सरकार, पंडित नेहरू, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं को इकट्ठा किया था, अपितु आप ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत में युवाओं के उत्थान के प्रतीक बने थे, के दर्शन और विचारों द्वारा प्रेरित और मार्गदर्शित होंगे। उनकी विश्व इतिहास और उनकी आधुनिक, इस महान देश की परम्पराओं और पैतृक सम्पत्ति की परिस्थिति में कार्य कर रहे वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए पंडित नेहरू बड़े मानववादी थे, जिन्होंने समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र की विचारधाराओं के लिए प्रयास किया। भारत के संविधान में निहित ये मूलभूत सिद्धान्त और आदर्श इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही के सभी कार्यक्रमों को अवगत करेंगे ताकि भारत के युवा नए और गतिशील भारत के निर्माण में अपने

कौशल, ज्ञान, शक्ति, उपयुक्त तकनीकी और विज्ञान के परिणामों को काम में लाने के लिए आदर्शवाद, हमारी प्राचीन परम्पराओं पर दृढ़ विश्वास के आधार पर अपने विश्वास और भविष्य में विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

राष्ट्रीय खेल नीति

खेलों तथा शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों को अच्छे स्वास्थ्य के शारीरिक उपयुक्तता की उच्च श्रेणी व्यक्तिगत उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए तथा लाभप्रद मनोरंजन, सामाजिक मेल-मिलाप बढ़ाने तथा अनुशासन द्वारा उसके मूल्यों को भी अच्छी तरह माना गया है। अतः आयु और लिंग भेद न करते हुए, खेल-कूद और मनोरंजन कार्यकलापों में प्रत्येक नागरिक द्वारा भाग लिए जाने की आवश्यकता को समान रूप में माना गया है। खेल-कूद में राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता को भी माना गया है, ताकि हमारे खिलाड़ी (स्त्री-पुरूष) अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपना प्रशंसनीय कर्तव्य निभा सके। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे खेलों और शारीरिक शिक्षा के चहुंमुखी विकास की प्रक्रिया के लिए उसे बहुत उच्च प्राथमिकता प्रदान करें। उन्हें आवश्यक सुविधाएं और अवस्थापना और जनता में खेल जागरूकता पैदा करके परम्परागत और आधुनिक खेलों और योगा का भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा और विकास करना चाहिए ताकि उनके नियमित तौर पर खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों में भाग लेने से एक अच्छे उपयुक्त और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सके।

भारत सरकार को इस बात से प्रसन्नता है कि उपरोक्त सिद्धांतों और अनुवर्ती नीति विवरणों को राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त है। तदनुसार भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि देश में निम्न प्रकार से खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया जाए :—

गांवों और नगरों में अवस्थापना : व्यापक स्तर पर खेलों और शारीरिक शिक्षा के विकास का कोई भी कार्यक्रम तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक कि गांवों और नगरों में आम जनता प्रौद्योगिक मजदूरों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए समान रूप से खेलों की न्यूनतम सुविधाएं, जैसे कि खेल के मैदान, इंडोर हाल, तरणताल इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती। अतः इस प्रकार की सुविधाएं चरणों में उपलब्ध कराई जाएं। ताकि यथा समय ये सारे देश में उपलब्ध हो जाएं। केवल तभी अधिक जनता द्वारा खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों में भाग लेने के मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त कर लेना संभव हो सकेगा। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

खेल मैदानों और खुले स्थानों को सुरक्षित रखना : केन्द्र और राज्य सरकारों को यदि आवश्यकता पड़े तो उपयुक्त कानून द्वारा गांवों और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा खेल मैदानों और स्टेडियमों को खेल प्रयोजनार्थ सुरक्षित रखने तथा खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों के लिए उत्तरोतर अधिक मौजूदा खुले स्थान उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए।

पोषण : बड़े पैमाने पर जनसंख्या के पोषण के स्तर को सुधारने की आवश्यकता को पहले से ही माना गया है। इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि खिलाड़ियों (स्त्री-पुरूष) को दी जाने वाली खुराक में, विभिन्न खेलों, जिनमें वे भाग ले रहे हैं, की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पौष्टिक मात्रा हो।

प्रतिभाशालियों का पता लगाना : जो खेलों के विकास से संबंधित है, उन्हें कम उम्र के खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाकर उन्हें प्रशिक्षित करने के सभी प्रयास करने चाहिए ताकि उनकी पूरी क्षमता साकार हो सके।

शैक्षणिक संस्थाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा : स्कूलों और अन्य ऐसी ही शैक्षणिक संस्थाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को नियमित विषय के रूप में पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विश्वविद्यालयों, कालेजों और डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं में भी खेल कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अधिक बल देना चाहिए।

खेल संस्थाएं : खेल विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल और छात्रवास जैसी संस्थाएं, जो अपनी पूरी क्षमता से खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाने, प्रशिक्षण और विकास पर विशेष बल देती है, को स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इन संस्थाओं के अपने खेल तथा शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल के अलावा सामान्य शिक्षा उनके पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

प्रोत्साहन : ऐसे खिलाड़ी जो खेलों में श्रेष्ठ हैं, उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए।

रोजगार के लिए विशेष ध्यान : ऐसे खिलाड़ी जो खेलों में श्रेष्ठ हैं उन्हें स्वयं रोजगार सहित रोजगार देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

स्वैच्छिक प्रयास : दोनों खेल प्रतियोगिताओं तथा खेल कार्यकलापों में बड़ी मात्रा में भाग लेने के लिए खेलों को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक प्रयास को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, राष्ट्रीय खेल संघ, खेल क्लब तथा अन्य ऐसे स्वैच्छिक निकायों के सहयोग को इस प्रयास में सम्मिलित किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं : भारतीय ओलम्पिक ऐसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल संघों की प्रतियोगी खेलों के संबंध में विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें राष्ट्र के गौरव को ध्यान में रखकर एकीकृत और संशक्तिशील छवि प्रदर्शित करनी चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमें भाग लेती हैं तो उनका उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। अतः ऐसे संघों को नियमित रूप से राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने हेतु प्रभावी योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा इस प्रयोजनार्थ खिलाड़ियों के उचित चयन, शारीरिक

उपयुक्तता और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के नियम में कोई ऐसा परिवर्तन करने पर विरोध भी करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप खेल के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन होने से किसी देश विशेष अथवा देशों के समूह की खेल क्षमता अथवा उसके तरीके को कोई क्षति पहुंचती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन : राष्ट्रीय टीमों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तभी विदेशों में भेजना चाहिए जबकि उन्होंने शारीरिक अनुकूलन प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लिए हो। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने अथवा देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने के समय देश की राजनयिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

प्रतियोगी खेलों में प्राथमिकता : प्रतियोगी खेलों में प्रोत्साहन देते समय निम्नलिखित को प्राथमिकता देनी चाहिए :-

(क) ओलम्पिक्स, एशियाई खेल तथा राष्ट्रमण्डलीय खेलों के लिए मान्यता प्राप्त खेल विषय; और

(ख) ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल जिनके लिए विश्व संघ विद्यमान हो और जिन्हें शतरंज की तरह भारत में बड़े पैमाने पर खेला जाता हो।

उपयुक्त उपस्कर : देश में खेल सामग्री के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वह खेलों में प्रयोग के लिए उचित मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्तर के उपस्करों का निर्माण और उपलब्ध करा सकें। जब तक देशीय खेल सामग्री उद्योग ऐसे उपस्कर निर्मित करने में समर्थ हैं, तब तक, खेल प्रतियोगिताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपेक्षित उपस्करों को निःशुल्क सीमा शुल्क से आयात करके उपलब्ध कराने चाहिए।

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा खेल तथा शारीरिक शिक्षा का विकास : केवल सरकार ही अपेक्षित बड़े पैमान पर खेल तथा शारीरिक शिक्षा को विकसित तथा बढ़ावा नहीं दे सकती। वित्त, अवस्थापन तथा आयोजन के मामले में गैर-सरकारी संस्था चाहे वे सरकारी अथवा निजी हो, द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने और समर्थन देने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

अनुसंधान और विकास : खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में दोनों निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विशेष तौर पर देश में खेल विज्ञान के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जन संचार का प्रयोग : देश में खेल जागरूकता का प्रचार करने तथा उसे बनाये रखने में जन संचार का प्रभावी तौर पर प्रयोग करना चाहिए।

इस खेल नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बड़ी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता पड़ेगी। खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के विकास में लगाई गई पूंजी मानों स्वास्थ्य, उपयुक्तता उत्पादकता और लोगों के सामाजिक कल्याण में लगाई गई पूंजी है जो वस्तुतः हमारे विकास के लिए हमारी जन शक्ति को बढ़ाने के लिए है। अतः खेलों और शारीरिक शिक्षा में ऐसे निवेश को पर्याप्त रूप में बढ़ाना चाहिए।

भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ प्रत्येक पांच वर्षों में इस राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा करेगी और ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप अपेक्षित आगे की कार्यवाही हेतु सुझाव देगी।

रेड क्रास सोसायटी द्वारा ब्लड प्लेटलेट्स की आपूर्ति

***159. श्री जय प्रकाश** (हरदोई) : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेड क्रास सोसायटी अपेक्षित "ब्लड प्लेटलेट्स" की आपूर्ति करने में विफल रही है और इससे रक्त की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सोसायटी द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1996 के दौरान भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के रक्त बैंक बढ़ाए गए चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कार्य दल सहित सप्ताह के सभी दिनों में चौबीस घंटे कार्य कर रहे हैं और दिल्ली और इसके आस पास के विभिन्न अस्पतालों और उपचर्या गृहों से आने वाले रोगियों की मांग के अनुसार प्लेटलेट कन्सेन्ट्रेट की आपूर्ति की गई। किसी रोगी को इंकार नहीं किया गया।

पीत ज्वर संबंधी चेतावनी

***160. श्री बसुदेव आचार्य :**

प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में पीत ज्वर फैलने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देश में पीत ज्वर फैलने की संभावना किस आधार पर व्यक्त की जा रही है;

(ग) क्या इस रोग के फैलने में कुछ विदेशी ताकतों का हाथ होने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा देश में संभवतः कुछ जीवाणु परीक्षण किया गया हो; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या निषेधात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी क्षेत्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 1996 में कहा है कि पीत ज्वर सहित कुछ विषाणुज संक्रमण हैं जो पूर्वी अफ्रीका के तटीय भाग तथा कीनिया में हाल ही में पीत ज्वर महामारी के कारण वहां से दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में महामारी फैलने की क्षमता रखते हैं।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) समुद्रपारीय क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की सुविधा तथा एक ही स्थान पर सारे कार्य निपटाने के लिए, जिससे कि उनके प्रतीक्षा समय में कमी हो सके, हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य जांच का कार्य 1986 से प्रवर्जन अधिकारियों को सौंपा गया है। ऐसे मामलों की, जो कि प्रवर्जन अधिकारियों द्वारा विशिष्ट रूप से भेजे जाते हैं, विस्तृत जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो यात्रियों को भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम, 1955 और वायुयान (जन-स्वास्थ्य), नियम, 1956 उपबंधों के अंतर्गत संगरोधन में रखा जाता है। निगरानी कार्य में भी तेजी लाई गई है।

विभिन्न भूखंडों को पट्टे पर देने के अधिकार

1298. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

श्री प्रमथेस मुखर्जी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सम्पदा निदेशालय, मध्य कमान द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक निजी संस्थानों और मजदूर संगठनों को मंजूर किए गए विभिन्न भूखंडों को पट्टे पर देने के अधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पट्टे पर देते समय अधिकार के बारे में सरकार ने पर्यावरणीय पहलू का ध्यान नहीं रखा है और न ही संबंधित प्राधिकरण से कोई स्वीकृति मिली है;

(ग) क्या न्यायालयों ने भारत सरकार और अन्यों के विरूद्ध विभिन्न अनियमितताओं के लिए इस प्रकार के मामलों में कोई स्थगन आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) रक्षा संपदा महानिदेशालय, मध्य कमान ने पिछले तीन वर्षों में रक्षा भूमि का पट्टा नहीं दिया है। तथापि, रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन मामलों में मध्य कमान में रक्षा भूमि पट्टे पर दी है :—

(1) कानपुर छावनी में 10450 वर्ग फुट भूमि भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कामगार संघ को; (2) 9548 वर्ग फुट भूमि मनकामेश्वर महादेव मंदिर, यमुना बैंक रोड, इलाहाबाद को (3) 25252.406 वर्ग मीटर भूमि एन वी गाडगिल नेशनल सोसाइटी मेरठ छावनी को।

(ख) इन मामलों में पट्टा प्रदान करते समय पर्यावरणीय पहलू से संबंधित कोई अनियमिता नहीं बरती गई है।

(ग) और (घ). भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कामगार संघ को भूमि पट्टे पर दिए जाने के मामले में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए न्यायालय के आदेश हैं।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

1299. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मलेरिया उन्मूलन हेतु नई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में मलेरिया उन्मूलन हेतु नई नीति लागू किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बिना विधान सभा वाले उत्तर पूर्वी तथा संघ राज्य क्षेत्रों जिन्हें शत्-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त है, को छोड़कर सम्पूर्ण देश में 50:50 लागत अंशदान के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सहायता आवश्यक रूप से सामग्रीगत है। राष्ट्रीय मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में शामिल है :-

- मलेरिया रोगियों का शीघ्र पता लगाना और तत्काल उपचार,
- संचरण को रोकने के लिए कीटनाशियों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से वैक्टर नियंत्रण,
- मच्छर पैदा होने के स्रोतों को समाप्त करने के लिए लार्वारोधी उपाय,
- जन जागरूकता पैदा करने तथा मलेरियारोधी कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तीव्र करना,
- मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी।

इसके अतिरिक्त, अधिक मलेरिया की महामारिकता वाले कुछ आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को तेज करने के उद्देश्य से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना इस समय तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या II की क्षति

1300. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरसात के मौसम के दौरान आगरा-फतेहपुर सीकरी के बीच आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. II को बाढ़ द्वारा क्षति पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई थी और उस पर कितनी धनराशि व्यय करने की संभावना है;

(ग) क्या बाढ़ के पानी की निकासी करने के लिए महुआ गांव के नजदीक उक्त सड़क को काटा गया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बाढ़ आने से पूर्व भी उस स्थल पर जहां सड़क पुलिया को काटा गया, का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव था;

(च) यदि हां, तो निर्माण संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना संबंधी प्रस्ताव अनुमति के लिए भेजा गया था;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है;

(झ) क्या आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच सड़क की मरम्मत करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ञ). आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच रा.रा.-II बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था तथा बाढ़ के पानी को निकालने के लिए महुआ गांव के निकट सड़क काटी गई थी। इस सड़क को यातायात चलने योग्य बना दिया गया है। इस स्थल पर एक उच्च स्तर का पुल बनाने का प्रस्ताव है तथा इस बारे में जांच की जा रही है। मरम्मत संबंधी विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु

1301. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण तथा अस्वच्छ पेयजल के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसी मौतों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण सुविधायें

1302. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ की नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दी जा रही आरक्षण सुविधाओं संबंधी ब्यौरा दीजिये और यह सुविधा कब से दी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों को परामर्श दिया गया है कि वह सिविल पदों तथा सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी भारत सरकार के आदेशों को लागू करें तथा 200-सूत्री रोस्टर को प्रारंभ करें। यद्यपि शिक्षण पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का प्रश्न अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन है।

(ख) और (ग). जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि वह सरकार में ग्रुप ग तथा घ के बराबर पदों पर दिनांक 8.9.1993 से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को लागू कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने अपनी पिछली बैठक में सरकार में ग्रुप क और ख के समकक्ष पदों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। परिषद ने कुलपति को प्राधिकृत भी किया है कि वह निणयों के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति स्थापित करें। दिल्ली विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

बराक बांध का निर्माण

1303. **श्री द्वारका नाथ दास :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणी असम में "बराक बांध" का निर्माण दीर्घकाल से लंबित है;

(ख) इस बांध के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस असाधारण विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां

(ख) और (ग). अगस्त, 1995 के दौरान तिपाईमुख बांध परियोजना (बराक बांध) को कतिपय शर्तों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। असम, मिजोरम तथा मणिपुर राज्यों के बीच अनुबंध के अभाव में परियोजना रूकी हुई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आबंटित धनराशि

1304. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत धन उत्खनन कार्य पर व्यय किया;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इस विभाग द्वारा देश के दक्षिण क्षेत्र में किए गए उत्खन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क)

वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रुपये)
1991-92	32.03
1992-93	38.80
1993-94	44.29
1994-95	46.00
1995-96	51.35

(ख)

वर्ष	प्रतिशतता
1991-92	6.59 प्रतिशत
1992-93	6.76 प्रतिशत
1993-94	5.51 प्रतिशत
1994-95	6.39 प्रतिशत
1995-96	5.26 प्रतिशत

(ग) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). 1996 में, कर्नाटक के धारवाड़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक नया मण्डल कार्यालय खोला गया है। तिरूवनन्तपुरम में एक मण्डल कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

देश के दक्षिण क्षेत्र में 1991-92 से 1995-96 तक गत पांच वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया उत्खनन कार्य।

क्र.सं.	स्थल का नाम	जिला	परिणाम
1	2	3	4
1.	**आन्ध्र प्रदेश**		
	जुज्जुरू	कृष्णा	काली और लाल, पंकलिपित तथा बिन्दुवर्तल भूषित मिट्टी के बर्तन पक्की मिट्टी की मूर्तियां व मनके, उपरत्न मनके तथा सीसा और तांबे के सिक्के, शायद सदा और सतवाहन शासकों के हों, के अतिरिक्त चूना-पत्थर स्तूप की वेदिका तथा नक्काशीदार पत्थरों, ईंटों से निर्मित ढांचे सहित मनौती स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए।
2.	**गोआ**		
	सेंट अगस्टाइन चर्च	उत्तरी गोआ	उत्खननों से सेंट अगस्टाइन के 16वीं शताब्दी के चर्च और उससे जुड़े भवनों का पता चला।
3.	**कर्नाटक**		
	(1) बनवासी	उत्तर कन्नड	तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी (ए.डी.) तक की अवधि क चतुस, सतवाहन और कदम्ब काल के संरचनात्मक अवशेष, मृत्तिकाशिल्प, तांबे और जस्ते के सिक्के तथा अनेक पत्थर व धातु की चीजें मिलीं।

1	2	3	4
	(II) गुदनापुर	उत्तर कन्नड	5वीं से लेकर 13वीं ई. तक की बहुत सी पुरावस्तओं सहित लैटराईट पत्थरों और ईटों से बने बहुत से संरचनात्मक कम्पलैक्स प्राप्त हुए। संरचनात्मक कम्पलैक्स का पाया जाना एक शानदार अहाते का पाया जाना था जिसमें मंमथा मंदिर, महल, अन्तःपुर, लम्बे-चौड़े नृत्य हाल और सहायक इकाईयां। दिलचस्प बात यह है कि खाका तथा स्थान आदि वैसे ही मिले हैं जैसा कि पुरालेखीय दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है।
	(III) हम्पी	बेल्लरी	हम्पी (प्राचीन विजयनगर) में उत्खनन से महल-अहाते, खम्भे वाले हालो के खंडहर, चबूतरे, मंदिर, तालाब, खाई जैसे जलीय ढांचे और **शिलामंदिर** तथा एक महल-बगीचों का पता चला। अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं में शिलालेख, मूर्तियां सोने और तांबे के सिक्के तथा अन्य वस्तुएं शामिल हैं।
	(IV) सन्नाती	गुलबर्गा	परीक्षण उत्खनन में सन्नाती के आस--पास निम्नलिखित बातों का पता चला :- (क) रनमंडल में गैर-महापाषाण लोह युग, मौर्यकाल तथा सतवाहन-चतुस युगों के अज्यामितिक और ज्यामितिक लघुपाषाणीय धरोहरों के अवशेष प्राप्त हुए। (ख) कनगंनहाली में वेदिका से घिरे घुमावदार रास्ते से सज्जित चूना-पत्थर से बने एक बहुत बड़े स्तूप के एक भाग का पता चला। इसके अतिरिक्त उत्खनन के समय ब्राह्मी लिपि में 30 शिलालेख/पुरालेख, सतवाहन काल के सीसे/जस्ते के सिक्के, दूसरी-तीसरी ई. से संबंधित बुद्ध और अन्य की टूटी हुई मूर्तियां पायी गयीं। (ग) हसरगुड़ी में स्तूप टीला चूने के पलस्तर, ईटों का बनाया गया स्तूप जो आयका मंचों सहित तैयार किया गया है, परिक्रमावर्ती मार्ग सहित रेलिंग और पूर्ववर्ती ईसा काल के प्रचलित सिक्कों सहित मिले हैं।
	(V) कंगनहाली	गुलबर्गा	पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं।
	(VI) बेंतवाल	दक्षिण कनारा	नवपाषाण युग के कुठार और महापाषाण युग शवगृह मिले हैं।
4.	**केरल**		
	(I) बेकल किला	कसरगोड	पुरावशेषों के संग्रह के रूप में चार भागों में परम्परागत योजना के अनुसार दिखाते हुए एक महल के अवशेष प्रकाश में लाये गए हैं।
	(II) मामलपुधा	पालघाट	मिट्टी की अनेक छोटी मूर्तियों सहित एक महापाषाण कालीन शवगृह स्थल प्रकाश में लाया गया है।
5.	**महाराष्ट्र**		
	(I) अदम	नागपुर	मध्य पाषाणिक काल से शुरू होते हुए ताम्रपाषाण, लोह युग मौर्या से होते हुए सतवाहन काल तक पांच गुना सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए हैं। यहां मौर्या और सतवाहन काल से संबंधित अवासीय क्षेत्रों सहित स्तूप और किलेबन्दी उपलब्ध हुए हैं। ये पूर्व ऐतिहासिक युगों के दौरान रोम व्यापार के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं।
	(II) भावड	भण्डारा	उत्खनन में ताम्रपाषाण युग, लोह, मौर्य और सतवाहन कालों के आवासीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक अनुक्रम उपलब्ध हुए हैं।
	(III) वाचेगांव	सतारा	द्वितीय-प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हिनमाना गुफाएं उपलब्ध हुई हैं।
	(IV) मनसर	नागपुर	उत्खन्न में वकाटक काल के विभिन्न चरणों के निर्माण को प्रदर्शित करते हुए धार्मिक प्रकृति की एक व्यापक ईटों की संरचना उपलब्ध हुई है।
	(V) पंछखेड़ी	नागपुर	महापाषाण दीर्घाश्मस्तम्भ और प्रस्तर-संग्रह परिमंडल मिले हैं, इसके अतिरिक्त, आवासीय क्षेत्र के उत्खनन में लोह युग/महापाषाण युग से सतवाहन और मध्ययुगीन काल तक, सांस्कृतिक अनुक्रम मिले हैं।

1	2	3	4
	(VI) पैठान	औरंगाबाद	भारत-ब्रिटेन सहयोग परियोजना के अन्तर्गत उत्खनन किया गया है और पांच वर्षों की अवधि तक उत्खनन किए जाने का प्रस्ताव है। इस स्थल से सतवाहन काल से मध्ययुगीन काल तक, एक शहर से संबंधित सूचनाऐं प्राप्त होने की प्रबल सम्भावनाएं हैं। यह रोमन व्यापार से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक स्थान है।
	(VII) पौनी	भण्डारा	आवासीय तथा परकोटे क्षेत्रों में उत्खनन के दौरान पूर्व-मौर्या, सुंगा, सतवाहन और वकाटका कालों से पूर्व ऐतिहासिक काल के पांच उत्तरवर्ती सांस्कृतिक आयाम उपलब्ध हुए हैं।
6.	तमिलनाडु		
	(I) मामल्लापुरम	चेंगलपट्टु-एम.जी.आर.	समुद्र तट और अण्डाकार जल संरचना, एक-शेलोत्कीर्ण भू-वराहा और एक लघु देवमंदिर सहित ये सभी एक अद्भुत योजना के अन्तर्गत एक मेहराबदार दीवार के साथ उपलब्ध हुए हैं।
	(II) जिंजी	विल्लुपुरम् आर. पाडयाचियार	नायक, विजापुर तथा मराठा सल्तनत के अन्तर्गत एक मध्य युगीन शहर, महल-संकुल और प्रेक्षागृह तथा सी का परिषद-कक्ष 16वीं-18वीं शताब्दी ए.डी. के मिले हैं।

असम में नवोदय विद्यालय

1305. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के सोनितपुर और लखीमपुर जिलों के लिए स्वीकृत किए गए नवोदय विद्यालयों की संख्या क्या है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित है;

(ख) संबंधित स्कूलों ने किस तारीख से कार्य करना आरंभ किया है;

(ग) क्या स्कूल भवनों, आदि के निर्माण के लिए ठेके दे दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है तथा स्कूलों के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). नवोदय विद्यालयों की योजना में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की व्यवस्था है। एक नवोदय विद्यालय मार्च, 1993 में गॉव कादमोनी, विश्वनाथ चारली, जिला सोनितपुर के लिए पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इस विद्यालय ने शैक्षिक वर्ष 1994-95 से कार्य करना शुरू कर दिया है। जनपद लखीमपुर के लिए अभी तक कोई विद्यालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). जी, हां। जिला सोनितपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन के निर्माण का कार्य दिसम्बर, 1995 में स्वीकृत किया गया था। इसके स्थल सर्वेक्षण और नक्शे को अंतिम रूप दिया जा चुका है। निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

कुष्ठ रोग का उपचार

1306. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु औषधि चिकित्सा कुष्ठ रोग के प्रभावी एवं कम समय में उपचार के लिए शुरू की गई थी;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में कुष्ठ रोग का उपचार कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन स्वैच्छिक संगठनों को दी जा रही केन्द्रीय अनुदान का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न राज्यों में कुष्ठ रोग का उपचार प्रदान कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान के लिए वर्ष 1996-97 के लिए बजट अनुमानों में 120 लाख रुपये का धनराशि प्रदान की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार संख्या

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	42
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	5
4.	बिहार	18
5.	गोवा	–
6.	गुजरात	17
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू व कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	22
11.	केरल	11
12.	मध्य प्रदेश	7
13.	महाराष्ट्र	27
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	–
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	17
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	8
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	31
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	48
25.	पश्चिम बंगाल	14
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादर एवं नगर हवेली	–
29.	दमण व दीव	–
30.	दिल्ली	3
31.	लक्षदीप	–
32.	पांडिचेरी	1
	कुल :	285

राष्ट्रीय जलमार्ग, केरल

1307. **श्री ए. सम्पथ** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटीय जिलों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). त्रिसूर, इर्णाकुलम, अलपूजा और कोल्लाम तटीय जिलों को जोड़ने वाले एक जलमार्ग को 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। त्रिसूर, मालापुरम, कोझीकोड, कुन्नूर और कासरगढ़ तटीय जिलों को जोड़ने के लिए कासरगढ़ तक तथा तिरूवनन्तपुरम जिले को जोड़ने के लिए कोवालम तक इस राष्ट्रीय जलमार्ग के विस्तार के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कोट्टापुरम से कोल्लाम तक इस राष्ट्रीय जलमार्ग तथा चम्पाकारा नहर और उद्योग मंडल नहर (205 कि.मी.) के विकास की कुल अनुमानित लागत 65.34 करोड़ रु. है। अध्ययन पूरा हो जाने के पश्चात् कुल लागत को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

के.वी.एस. में तदर्थ अध्यापक

1308. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के केन्द्रीय विद्यालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे तदर्थ अध्यापकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इनको नियमित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालयों में 68 अध्यापक तीन वर्ष से अधिक समय से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियमों में ऐसे अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई उपबंध नहीं है।

[अनुवाद]

महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति

1309. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन आवेसी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के दस जिलों में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए यूरोपीय समुदाय से बाहर से वित्तपोषण संबंधी एक परियोजना का प्रस्ताव 7 सितम्बर, 1994 को केन्द्र सरकार को भेजा गया था;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य मेला

1310. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अक्तूबर, 1996 में केन्द्र सरकार की सहायता से कोई स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार अन्य राज्यों में विशेषकर गुजरात के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में इसी प्रकार के अन्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ). दूर-दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने के लिए सरकार द्वारा विख्यात गैर सरकारी संगठनों की सहायता की जाती है।

[अनुवाद]

सी.एस.डी. कैन्टीनों में सामान न मिलना

1311. **श्री आई.डी. स्वामी** :
श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या रक्षा मंत्री सी.एस.डी. कैन्टीनों में सामान न मिलने के बारे में 2 सितंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3734 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एस.डी. को पारसे कंपनी को उनके बिस्कुटों की आपूर्ति करने के बारे में मनाने में कोई सफलता मिली है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख). पारले कंपनी ने अपने बिस्कुटों के मूल्य में कितनी वृद्धि करने के लिए कहा है तथा इन्हें यह मूल्य दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी अन्य कंपनी ने अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कहा है, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सी.एस.डी. ने एवेरेडी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के आवेदन की जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) ऐवरेडी ब्रांड की बैटरी और टार्च अविलंब उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं। मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कैंटीन स्टोर विभाग को, दुबारा अपने उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए, उसके अनुरोधों और अपीलों का कोई जवाब नहीं दे पाया।

(ख) मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स द्वारा मूल्य संशोधन के लिए जनवरी, 96 में की गई मांग जिसे कैंटीन स्टोर विभाग ने मई, 96 में अनुमोदित कर लिया था, किन्तु मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स ने उसे स्वीकार नहीं किया था, का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है। कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा दिए गए मूल्य में कटौती बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, उत्पादशुल्क में कटौती और थोक मूल्य समता पर आधारित थी।

बिस्कुट की मदें	केस पैक (पैकेट)	जनवरी,96 में मूल्य	जनवरी, 96 में संशोधन के लिए की गई मांग	कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा मई, 96 में स्वीकृत मूल्य
1. पारले-जी 100 ग्राम	144	367.02	393.04	350.44
2. क्रैक जैक 75 ग्राम	96	354.36	383.80	342.10
3. सुपर मिल्क 100 ग्राम	96	345.26	351.24	316.56

(ग) जी, हां। अन्य बिस्कुट कंपनियों ने भी मूल्य में वृद्धि करने की मांग की थी जिसे कैंटीन स्टोर विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंजूर कर लिया गया था।

(घ) और (ङ). मैसर्स एवेरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी मदें शामिल करने के लिए जुलाई 1996 के मध्य में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। कैंटीन स्टोर विभाग के प्रशासन-मंडल की प्रारंभिक जांच समिति ने इस फर्म की कुछ मदें कैंटीन स्टोर विभाग में शामिल करने के लिए सिफारिश की। इस संबंध में अपेक्षित बाजार सर्वेक्षण रिपोर्टें अब प्राप्त हो गई हैं और उनका समुचित विश्लेषण किए जाने के बाद प्रक्रियानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को अनुदान

1312. डा. राम लखन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रति वर्ष विश्वविद्यालय-वार कितना अनुदान दिया गया;

(ख) क्या उपलब्ध की गई अनुदान राशि उक्त विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कालेजों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या की तुलना में अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का मध्य प्रदेश के उक्त विश्वविद्यालयों को खेल-कूद के विकास के लिए और अधिक अनुदान उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) सभी छात्र विश्वविद्यालयों को शिक्षकों तथा सहायक स्टाफ की भर्ती, उपकरणों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खराब संकाय सुधार तथा महिला छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, स्वास्थ्य केन्द्र, कंम्पस विकास आदि के लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार विकास अनुदान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए योजनेत्तर अनुदान भी प्रदान किये जाते हैं जिनमें इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में छात्रवृत्ति तथा अध्येतावृत्ति का भुगतान, शिक्षक अध्येतावृत्ति क्रमिक-शोध अध्येतावृत्ति, रिसर्च एसोसिएशन आदि के लिए अनुदान शामिल है। विकास-अनुदान योजना अवधि के लिए समग्र रूप से आबंटित किये जाते हैं ना कि वर्ष दर-वर्ष आधार पर यद्यपि ऐसे अनुदान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति तथा आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के आधार पर वार्षिक आधार पर जारी किये जाते हैं। आठवीं योजना के लिए मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को आबंटित अनुदान तथा वर्ष 1995-96 में और 1996-97 के दौरान जारी अनुदान को कुछ राशि का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पात्र विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदानों की मात्रा विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर जैसे एक विशेष संस्थान के विकास की स्थिति, अध्यापन का स्तर (अर्थात अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर, एक संकाय, बहु संकाय आदि), छात्र तथा संकाय संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर पात्र विश्वविद्यालयों को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की प्रगति के लिए अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय को खेलों के विकास के लिए प्रदान किये गये अनुदानों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आठवीं योजना में आबंटित अनुदान	1995-96 में जारी अनुदान	1996-97 में जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय	85.00	33.24	13.34
2.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय	106.00	78.99	1.76
3.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	85.00	121.34	28.10
4.	गुरू कासीदास विश्वविद्यालय	82.00	38.52	5.13
5.	डा. एच.एस.गौड़ विश्वविद्यालय	135.00	86.78	125.72
6.	आई.के. संगीत विश्वविद्यालय	55.00	5.26	-

1	2	3	4	5
7.	जिवाजी विश्वविद्यालय	84.00	155.74	24.36
8.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	133.00	89.37	31.07
9.	विक्रम विश्वविद्यालय	110.00	44.73	23.05
10.	पं. रवि शंकर विश्वविद्यालय	85.00	11.33	14.51

विवरण–II

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	दिये गये अनुदान
	योजना : **राष्ट्रीय खेल संगठन**	
1.	जिवाजी विश्वविद्यालय	6.00
2.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	6.00
3.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय	6.00
	योजना : **योग शिक्षा की प्रोन्नति**	
1.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय	0.72
	योजना : **शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम**	
1.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय	7.00
	1996–97	
	योजना : **योग शिक्षा तथा अभ्यास की प्रोन्नति**	
1.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय	0.96
2.	विक्रम विश्वविद्यालय	0.96

[अनुवाद]

सेना मुख्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में कर्मचारी

1313. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवंबर, 1996 तक सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय ने वर्गवार/पदवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) 30 नवंबर, 1996 तक उक्त कार्यालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की वर्गवार/पदवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त कार्यालय में वर्तमान नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी यदाकदा की तैनात किए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न तालिकाबद्ध विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं। तैनानी के मामले में यह नहीं देखा जाता कि कर्मचारी किस श्रेणी का है, बल्कि तैनातियां कर्मचारी की उपलब्धता और उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सारणी

पदनाम	स्वीकृत पद	जिन पदों पर अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी कार्यरत हैं	जिन पदों पर अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थी कार्यरत हैं
1	2	3	4
मुख्य प्रशासन अधिकारी और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)	1	–	–
निदेशक	2	1	–
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (एस सी एस ओ)	6	–	–

1	2	3	4
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (सी एस ओ)	17	-	-
प्रशासन अधिकारी	35	5	-
लिपिक	295	59	10
अनुवाद अधिकारी	1	-	-
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	-	-
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	3	-	-
हिन्दी टंकक (लिपिक)	1	-	-
निजी सचिव	1	-	-
वैयक्तिक सहायक	5	1	-
आशुलिपिक	6	-	-
सिविलियन सफाई इंसपेक्टर	4	-	-
गेस्टेटनर ऑपरेटर	3	-	-
दफ्तरी	25	4	1
चपरासी	56	23	5
चौकीदार	1	-	-
जमादार सफाईवाला	5	4	1
सफाईवाला	161	116	3
कुल	629	213	20

राष्ट्रीय जलमार्ग-तीन के लिए आबंटन

1314. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोट्टापुरम-कोल्लम राष्ट्रीय जलमार्ग-तीन के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त परियोजना पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) आबंटित धनराशि के खर्च नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त जलमार्ग के विकास कार्य के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) 10.50 करोड़ रु.।

(ख) इस परियोजना के लिए अक्तूबर, 1996 तक वास्तव में 3.07 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

(ग) वित्त वर्ष 1992-93 के अंत में (फरवरी, 1993) इस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। वर्ष 1993-94 इस जलमार्ग के लिए प्रथम वर्ष या जिसके दौरान आवश्यक संस्था की स्थापना करना और विकास योजनाओं के लिए फील्ड जांच जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए। अगले दो वर्षों के दौरान आबंटन का क्रमशः 89 प्रतिशत और 97 प्रतिशत राशि व्यय की गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 करोड़ रु. के सम्पूर्ण आबंटन के भी व्यय किए जाने की संभावना है।

(घ) नहरों को चौड़ा करने के मुख्य निकर्षण कार्य, टर्मिनलों की स्थापना, भूमि अधिग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर्यावरण संबंधी अनिवार्य अनुमति के बाद किए जाएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। पर्यावरण प्रबंधन योजना अध्ययन अब पूरे किए जा चुके हैं और अनुमति के प्रयोजन से इन्हें सक्षम प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है।

नौ परिवहन कार्यक्रम

1315. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कौन सी नदियां हैं, जहां पिछले वर्षों के दौरान अंतर्देशीय नौ परिवहन कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) प्रत्येक नदी के संबंध में की गई प्रगति की ओर उन पर की गई धनराशि अलग-अलग क्या है; और

(ग) ऐसी नदियां कौन सी हैं, जिनके लिए अगले तीन-चार वर्षों के दौरान अंतर्देशीय नौ परिवहन कार्यक्रम शुरू किया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों अर्थात् गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (रा.ज.1) ब्रह्मपुत्र नदी (रा.ज.2) और चम्पाकारा नहर तथा उद्योग मंडल नहर के साथ-साथ पश्चिमी तटीय नहर (रा.ज. 3) पर विकास कार्य किए गए हैं।

(ख) इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर किए गए विकास कार्यों से संबंधित प्रगति नीचे दी गई है:-

राष्ट्रीय जलमार्ग-1:- बंडालिंग, निकर्षण, टर्मिनल सुविधाओं आदि जैसे सुधार कार्य करके नौवहन मार्ग की व्यवस्था की गई है। इस जलमार्ग को हल्दिया पटना के बीच वर्ष में लगभग 300 दिन और हल्दिया-फरक्का खंड में पूरे वर्ष 1.8 मीटर तक के डुबाव वाले जलयानों के चलने योग्य बनाया गया है। वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक वार्षिक विकास कार्यों के लिए 5.98 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

राष्ट्रीय जलमार्ग-2 :- बंडालिंग, पथ-प्रदर्शन और टर्मिनल सुविधाओं आदि जैसे सुधार कार्य करके नौवहन मार्ग की व्यवस्था की गई है। इस जलमार्ग में धूबरी और पांडू के बीच पूरे वर्ष 1.8 मीटर डुबाव में जलयान चल सकते हैं। 1 मीटर डुबाव के जलयान डिब्रूगढ तक 330 दिन चल सकते हैं। वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक खर्च की गई राशि 2.36 करोड़ रु. है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-3:- निगरानी सर्वेक्षण, पूरे जलमार्ग का ब्यौरेवार जलराशिक सर्वेक्षण, निकर्षण, पर्यावरणीय अध्ययन आदि जैसे विकास कार्य किए गए हैं। वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक 2.56 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

(ग) मौजूदा तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों पर अन्तर्देशीय नौचालन विकास जारी रहेगा। उन जलमार्गों पर और विकास कार्य शुरू किए जाएंगे जिन्हें अगले तीन चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाएगा। अगले 3-4 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने के विचारार्थ पता लगाए गए जलमार्ग गोदावरी, सुन्दरबन और गोवा है। पूर्वी तटीय नहर (पारादीप से हल्दिया), काकीनाडा-मद्रास नहर, पश्चिमी तटीय नहर के कोटापुरम-कासरगोड़े और कोल्लम खंड, बारक नदी और डी सी सी नहर के संबंध में भी अध्ययन किए जा रहे हैं। उनकी राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और नौवीं योजना के दौरान निधियों के प्रावधान पर निर्भर होगी।

नेहरू युवक केन्द्र

*1316. **श्री विजय गोयल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेहरू युवक केन्द्र से संबद्ध संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा क्लबों की आज की तारीख तक राज्यवार कुल सदस्यता क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए नेहरू युवक केन्द्र हेतु कितना बजट आबंटित किया गया है; और

(ग) दिल्ली की विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा क्लबों के लिए चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार देश में नेहरू युवा केन्द्रों से सम्बद्ध युवा क्लबों की सदस्यता का राज्यवार ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन हेतु निर्दिष्ट आबंटन की कुल राशि 17.14 करोड़ रुपये (योजना हेतु 10.3 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना हेतु 7.11 करोड़ रुपये) है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली की विभिन्न संस्थाओं, समाजिक संगठनों और क्लबों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

युवा क्लबों की सदस्यता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	युवा क्लबों की सदस्यता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1007914
2.	अरूणाचल प्रदेश	7748
3.	असम	384934
4.	बिहार	546540
5.	गुजरात	100544
6.	हरियाणा	103200
7.	हिमाचल प्रदेश	107746

1	2	3
8.	जम्मू और कश्मीर	30874
9.	कर्नाटक	435148
10.	केरल	385541
11.	मध्य प्रदेश	522377
12.	महाराष्ट्र	263820
13.	मणिपुर	162814
14.	मेघालय	14910
15.	नागालैंड	105330
16.	उड़ीसा	178822
17.	पंजाब	132365
18.	राजस्थान	252212
19.	सिक्किम	4177
20.	तमिलनाडु	322973
21.	त्रिपुरा	17768
22.	उत्तर प्रदेश	324977
23.	पश्चिम बंगाल	339520
24.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	13377
25.	चण्डीगढ	1745
26.	दिल्ली	7469
27.	गोवा	1536
28.	दमन व दीव	1250
29.	लक्षद्वीप	शून्य
30.	पांडिचेरी	11584
31.	मिजोरम	6911
32.	दादरा व नागर हवेली	3105
	कुल	6107231

समान पद के लिए समान पेंशन

1317. **श्री राम नाईक** : क्या **रक्षा मंत्री** समान पद समान पेंशन के बारे में 22.7.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1237 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने समान पद के लिए समान पेंशन की भूतपूर्व सैनिकों की मांग को स्वीकार करना किन कारणों से औचित्यपूर्ण नहीं समझा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : भूतपूर्व सैनिकों के पैंशन ढांचे पर विचार करते समय, उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की समान रैंक समान पेंशन की मांग पर भी विचार किया था परंतु समिति ने अंततः 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में केवल एक बार की वृद्धि किए जाने की सिफारिश की थी, न कि समान रैंक समान पेंशन की।

सरकार ने जब इस मामले पर विचार किया था तो समान रैंक समान पेंशन का सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से व्यवहार्य नहीं पाया गया था :-

(क) इस सिद्धांत के साथ यह असंगति होना कि वेतन और पेंशन का संबंध स्वाभाविक रूप से उस समय से जुड़ा होता है जिसके दौरान सेवा की गई हो। इस मांग को मान लेने का यह अर्थ होता कि पुरानी पेंशनों को मौजूदा परिलब्धियों के संदर्भ में, जहां कहीं परिलब्धियां संशोधित होती हैं, पुनः संगणित किया जाए। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे भावी कर्मचारियों के वेतन संशोधन में अवरोध उत्पन्न होगा।

(ख) सशस्त्र सेना कार्मिकों के पेंशन संबंधी अन्य लाभों में वृद्धि जोकि वेतन से जुड़े हैं, जैसे मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान, परिवार पेंशन आदि।

(ग) पेंशन की संगणना के लिए वेतनमान के पूर्व प्रभावी रूप से लागू किए जाने के सिद्धांत को मान लेने से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सिविलियन पेंशनभोगियों के लिए भी आवश्यक रूप से यही सिद्धान्त लागू करना पड़ेगा।

(घ) इस मांग पर चतुर्थ वेतन आयोग ने विचार किया था और उस आयोग ने इसकी सिफारिश नहीं की थी।

क्षेत्रीय क्लीनिकल पैथोलोजिकल केन्द्र

1318. **डा. सो. सिल्वेरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय क्लीनिकल पैथोलोजिकल केन्द्र प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, प्रसूति केन्द्र, साइक्रियाटिक केन्द्र, पालोक्लीनिक्स तथा दन्त चिकित्सा क्लीनिक स्थापित किए जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा स्थान क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी प्राथमिकताओं और साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में क्षेत्रीय नैदानिक विकृति विज्ञान केन्द्र, प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल, प्रसूति केन्द्र, मानसिक चिकित्सा केन्द्र, पॉली क्लीनिक और दंत चिकित्सा क्लीनिकों जैसी सुविधाएं स्थापित करें।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

1319. **श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा राज्य को "शत प्रतिशत साक्षरतराज्य" घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को जारी रखने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो साक्षरता मिशन को पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने गोवा राज्य के संपूर्ण साक्षरता अभियान के प्रस्ताव को जुलाई, 1993 में स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रस्ताव में 1.01 लाख शिक्षार्थियों को शामिल करने का उद्देश्य रखा गया था। इस परियोजना को गोमांतक ज्ञान प्रकाश समिति द्वारा कार्यान्वित किया गया था। लक्षित शिक्षार्थियों में से 79,288 शिक्षार्थियों का नामांकन किया गया था। अक्तूबर, 1993 में आयोजित अभियान के बाह्य मूल्यांकन के अनुसार, कुल लक्ष्य में से केवल 18.2 प्रतिशत शिक्षार्थियों को ही साक्षर बनाया गया। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे शामिल न किए गए शिक्षार्थियों को शामिल करने तथा नव-साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए परियोजना आरम्भ करें।

आई.आई.टी., दिल्ली में एम. टैक पाठ्यक्रम

1320. **श्री दिनशा पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी.) दिल्ली अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, रिमोट सैंसिंग और परिवहन आदि महत्वपूर्ण विषयों में एम.टैक पाठ्यक्रम आयोजित नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो आई.आई.टी., दिल्ली द्वारा सिविल इंजीनियरिंग के इन क्षेत्रों को कम महत्ता देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश के अन्य आई.आई.टी. सिविल इंजीनियरिंग के इन क्षेत्रों में एम.टैक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो आई.आई.टी. वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का आई.आई.टी. दिल्ली को देश के सभी आई.आई.टी. में समान नीति लागू करने के लिए इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के निर्देश देने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ). परम्परागत और उभरते हुए क्षेत्रों में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों को बनाए रखने तथा संस्थापित करने के कार्य पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की सीनेट नियंत्रण रखती है और सामान्य विनियमन करती है तथा वह इसके लिए उत्तरदायी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की सीनेट ने पर्यावरणात्मक इंजीनियरी में एम.टेक पाठ्यक्रम अनुमोदित किया है। तथापि, किसी संस्थान के लिए यह आवश्यक अथवा व्यवहार्य नहीं है कि वह सभी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम चला सके। अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे एम.टेक. पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचना इस प्रकार है :-

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

पर्यावरणात्मक इंजीनियरी और परिवहन इंजीनियरी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई

पर्यावरणात्मक विज्ञान और इंजीनियरी, परिवहन प्रणाली इंजीनियरी और दूर-संवेदन अनुप्रयोग।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

पर्यावरणात्मक इंजीनियरी और परिवहन इंजीनियरी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

भवन प्रौद्योगिकी एवं निर्माण प्रबंधन, भू-तकनीकी इंजीनियरी। हाईड्रोलिक एवं जल संसाधन इंजीनियरी, संरचनात्मक इंजीनियरी, परिवहन इंजीनियरी एवं पर्यावरणात्मक इंजीनियरी।

गोपालपुर पत्तन

1321. **श्री गिरिधर गमांग : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन को प्रमुख पत्तन में बदले जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक उक्त पत्तन को प्रमुख पत्तन में बदल दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

अफगानिस्तान संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1322. **श्री मुखतार अनीस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरकार को आमंत्रित किया गया था;

(ख) सम्मेलन का स्थान, भाग लेने वाले अन्य देशों के नाम तथा सम्मेलन की तिथि क्या है;

(ग) सम्मेलन में की गयी उद्घोषणा और सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) अफगानिस्तान में शान्ति और स्थायित्व बहाल करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में सम्मेलन के अधिदेश की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) स्थान न्यूयार्क था।

इसमें भाग लेने वाले अन्य देश संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली मिस्र, जापान, पाकिस्तान, ईरान, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और उजबेकिस्तान थे।

यह सम्मेलन 18 नवम्बर, 1996 को हुआ था।

(ग) और (घ). संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बैठक में दिए गए अंतिम अभिवचन में यह जोर दिया गया कि अफगानिस्तान में संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं है और यह कि अविलम्ब युद्ध विराम किया जाए और काबुल को सैन्य मुक्त किया जाए। अफगानिस्तान में शांति प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की केन्द्रीय भूमिका का सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों ने समर्थन किया।

केन्द्रीय सड़क निधि

1323. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे केन्द्रीय सड़क निधि को सड़कोन के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इस निधि को बांटने हेतु शर्तें निर्धारित कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधियों के अंतर्गत आबंटन राज्य विशेष में गैर विमानन पेट्रोल की वास्तविक खपत के आधार जमा होने वाली राशि के आधार पर राज्यवार किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिंचाई हेतु बांधों का निर्माण

1324. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में सिंचाई के प्रयोजनार्थ बांधों का निर्माण करने के लिए कितनी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है और इन परियोजनाओं को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा कितनी परियोजनाएं केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित परियोजनओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अभी तक कितनी परियोजनाएं पूरी नहीं की गई हैं और उन पर कितनी राशि खर्च की गई है तथा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 2 वृहद परियोजनाओं अर्थात्, हसदेव दायां तट नहर, और हसदेव बांगो, 2 मध्यम परियोजनाओं अर्थात् गंगा और बिलासपुर व्यपवर्तन जो बिलासपुर जिले को लाभान्वित करेंगी, को योजना आयोग द्वारा क्रमशः 1967, 1980, 1978 और 1978 में निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस समय बिलासपुर जिले को लाभान्वित करने वाली कोई भी सिंचाई परियोजना स्वीकृति के लिए केन्द्र के पास लम्बित नहीं है।

(ख) बिलासपुर जिले को लाभान्वित करने वाली दो परियोजनाएं अर्थात् अरपा और केलो, राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण क्रमशः मई, 96 और नवम्बर, 96 में राज्य सरकार को लौटा दी गई।

(ग) राज्य सरकार को टिप्पणियों की अनुपालना करने और पर्यावरण/वन/पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् संशोधित परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करनी आवश्यक है। यद्यपि, परियोजना के मूल्यांकन के लिए निधारित समय सीमा है, फिर भी विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना में राज्य सरकारों द्वारा विलम्ब के कारण परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब होता है।

(घ) चालू वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि और उनको पूरा करने की निर्धारित तारीख

का वितरण निम्न अनुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 1995 तक व्यय	पूरा करने का कार्यक्रम
1.	हसदेव दायां तट नहर	13.39	13.39	पूर्ण
2.	हसदेव बांगो	858.31	486.23	आठवीं योजना से आगे
3.	घोगा	6.73	6.73	पूर्ण
4.	बिलासपुर व्यपवर्तन	6.30	0.81	आठवीं योजना से आगे
5.	अरपा	265.71	4.18	अननुमोदित परियोजना
6.	केलो	92.45	-	-वही-

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी किया जाना

1325. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री रामेश्वर सिंह :
श्री शिवराज सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारपत्र कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी तथा अन्य कारणों से पासपोर्ट जारी करने में काफी विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). पासपोर्ट जारी करने में विलंब के कई कारण हैं। कर्मचारियों की संख्या में कमी होना कोई बड़ा कारण नहीं है। विलंब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

(1) पासपोर्ट कार्यालय को प्राप्त होने वाली पुलिस रिपोर्टों का नकारात्मक अथवा अधूरा होना।

(2) आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में असंगतियां/कमियां होना।

(3) अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए बुलाए गए आवेदकों से उत्तर समय पर न मिलना।

(ग) किए जा रहे निवारक उपाय नीचे लिखे अनुसार हैं :

(1) जब भी बकाया कार्य में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होती नजर आती है, पासपोर्ट कार्यालयों को अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारी तत्काल उपलब्ध कराए जाते हैं।

(2) गाजियाबाद, पुणे, थाणे में नए पासपोर्ट कार्यालय और मदुरै, सूरत, गुड़गांव विजयवाड़ा और शिलांग में संग्रह केन्द्र खोलना।

(3) समय समाप्त होने के बाद पुलिस साक्ष्यांकन के बिना ही आवेदक के विकल्प के अनुसार 10 या 20 वर्ष के लिए पासपोर्ट का स्वतः ही नवीकरण कर देना।

(4) सत्यापन प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची का विस्तार करके उसमें भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महाप्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारियों और थल सेना के कर्नल रैंक तथा उससे ऊपर के अधिकारियों एवं नौसेना और वायुसेना के समकक्ष अधिकारियों को शामिल करना।

(5) लम्बी लम्बी पंक्तियों को समाप्त करने के लिए, जिनसे आवेदकों को दिक्कत होती है, फोटो प्रति किए गए पासपोर्ट आवेदन पत्रों को स्वीकार करना।

(6) पासपोर्ट सलाहकार समितियों का गठन करना।

(7) शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए मुख्य पासपोर्ट कार्यालय में मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के अधीन सीधे ही जनसंपर्क अधिकारी के नेतृत्व में मानीटरिंग सेल की स्थापना।

विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता

1326. **प्रो. पी.जे. कुरियन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर में आयोजित की जा रही विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता का अत्यधिक विरोध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). जी, हां। सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने 23 नवम्बर, 1996 को बंगलौर में आयोजित विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता समारोह का कई कारणों से विरोध किया गया था। इन कारणों में महिलाओं को पण्य वस्तु मानने से लेकर भारतीय महिलाओं का अपमान शामिल था।

(ग) सरकार समाज के सभी वर्गों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मानती है।

राजदूतों के रिक्त पद

1327. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में श्रेणी-वार कुल कितने भारतीय राजदूत कार्यरत हैं;

(ख) देश-वार राजदूतों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है; और

(ग) भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रेणी के कितने राजदूत हैं और ऐसे राजदूतों की संख्या कितनी है जिन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र से लिया गया है और जो किसी विशेष सरकारी सेवा के सदस्य नहीं है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) नवम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में 100 मिशन प्रमुख, 73 राजदूत और 27 उच्चायुक्त कार्यरत हैं।

(ख) इस समय मिशन प्रमुखों के ग्यारह पद रिक्त हैं। इनमें से छह मिशन प्रमुखों को नियुक्त किया जा चुका है तथा ये मिशन प्रमुख कम्बोडिया, क्यूबा, सीरिया, वियतनाम, यमन और यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य में अपने-अपने मिशनों का कार्यभार संभालने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। बुर्कीना फासो, क्रोएशिया, मालदीव, मोजाम्बिक और उत्तरी कोरिया में मिशन प्रमुखों की नियुक्ति का कार्य किया जा रहा है।

(ग) विभिन्न देशों में कार्यरत 100 मिशन प्रमुखें में से 91 भारतीय विदेश सेवा से संबंधित कैरियर डिप्लोमेट हैं। अन्य नौ वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो लोक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं लेकिन इस समय किसी विशिष्ट सरकारी सेवा में नहीं हैं।

[हिन्दी]

पोतों की खरीद

1328. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बन्दरगाहों के नाम क्या हैं जिनके लिए पोत खरीदने के आदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह पोत यात्रियों और सामान ले जाने के लिए कब तक तैयार हो जाएंगें?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) किसी भी महापत्तन ने कोई खरीदने के आदेश नहीं दिए हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

युवा नीति

1329. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेश नीति, कृषि नीति तथा औद्योगिक नीति की तरह युवा नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई प्रभावशाली उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) और (ख). एक राष्ट्रीय युवा नीति पहले से ही विद्यमान है इस नीति को फिर से तैयार करने का प्रस्ताव है ताकि इसे और अधिक आवश्यकता-आधारित बनाया जा सके।

(ग) और (घ). वर्तमान युवा नीति में, युवाओं के लिए शिक्षा हेतु अधिकतम सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के अलावा उन्हें समुचित व्यावसायिक तथा रोजगार संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं ताकि वे रोजगार संबंधी अवसरों का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग युवाओं को कोशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है।

[अनुवाद]

पोषण स्तर में कमी

1330. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोषण स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय पोषण परिषद की बैठकें आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो बैठकों तथा इसमें लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). जी, नहीं। वास्तव में 1-5 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों में पोषाहार के स्तर में सुधार हुआ है, जो 1975-79 में 62.5 प्रतिशत से सुधरकर 1992-93 में 53.4 प्रतिशत हो गया है।

(ग) से (ङ). महिला एंव बाल विकास विभाग में अन्तर मंत्रालयी समन्वय समिति, राष्ट्रीय पोषाहार नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का समय-समय पर प्रबोधन करती है। चूंकि राष्ट्रीय पोषाहार कार्य योजना का निरूपण किया जा चुका है, इसलिए यही उपयुक्त होगा कि राष्ट्रीय पोषाहार परिषद की बैठक क्षेत्रीय योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होने के बाद ही बुलाई जाए।

रूस से "सुखोई 30" लड़ाकू विमान की खरीद

1331. **डा. एम. जगन्नाथ :**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री संदीपान थोरात :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से "सुखोई" लड़ाकू विमान की खरीद के संबंध में समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). जी हां। मूल्यवार्ताएं पूरी कर ली गई हैं और संबंधित संविदा पर 30 नवम्बर, 1996 को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस संविदा में वायुयानों की सीधी खरीद, प्रौद्योगिकी के अंतरण और बाद में वायुयानों का उत्पादन देश में ही किए जाने की व्यवस्था है।

एड्स नियंत्रण किटें

1332. **श्री छीतूभाई गामीत :**

श्री शांतिलाल पुरुषोतम दास पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में स्वयंसेवी संगठनों को एड्स नियंत्रण किटों की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने गैर-सरकारी संगठनों को ऐसी *किटों की आपूर्ति की जा रही है;*

(घ) क्या दिये गये एड्स नियंत्रण किटों की आपूर्ति मांग पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय एड्स संगठन संबंधित राज्य एड्स कार्यक्रम अधिकारी की संस्तुति पर विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित विभिन्न केन्द्रों को, जिनमें स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित कुछ केन्द्र भी शामिल हैं; एच.आई.वी. टेस्ट किटों की आपूर्ति करता है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जगदलपुर-निजामाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग

1333. **श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगदलपुर-निजामाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई कितनी है;

(ख) उक्त राजमार्ग के पुनर्निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) पुनर्निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस मार्ग पर इन्द्रावती नदी के ऊपर एक बड़े पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) 470 कि.मी.।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष कार्य मंजूर किए जाते हैं। 10.67 करोड़ रु. की राशि के कार्य मंजूर किए गए हैं और उन पर विभिन्न चरणों में कार्य चल रहा है।

(घ) पुल का जांच पड़ताल कार्य चल रहा है। अभी कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन का विस्तार

1334. **श्री पी.एस. गढ़वी :**

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांडला पत्तन के विस्तार हेतु योजना तैयार की है और इसके विस्तार कार्यक्रम में 30 घाटों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अभी तक केवल 8 घाटों का निर्माण किया गया है;

(ग) शेष घाटों के कार्य को आरंभ न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) घाटों के समग्र कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). कांडला पत्तन न्यास ने सन् 2020 वर्ष तक कांडला पत्तन के विकास के बारे में एक भावी मास्टर प्लान तैयार किया है। पत्तन ने 7 कार्गो बर्थों और 4 तेल जैट्टियों का निर्माण कर दिया है। इसके अतिरिक्त आई ओ सी और एच पी सी ने 2 आभासी जैट्टियों का निर्माण कर लिया है तथा मै. इफको एक आबद्ध तरल जैट्टी का निर्माण कर रहा है। 8वें. 9वें. और 10 वें कार्गो बर्थों के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार 7 और अधिक कार्गो बर्थों और 4 और तेल जैट्टियों के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

के.वी.एस. में अनुकम्पा के आधार पर प्रवेश

1335. **श्री राधा मोहन सिंह :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री शान्ति लाल पुरषोत्तम दास पटेल :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट के आधार पर प्रवेशों को जारी रखने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक शपथ-पत्र दायर किया जाए कि विशेष छूट संबंधी दाखिलों को विनियमित करने के लिए नियम बनाएं जाएंगे।

[अनुवाद]

लद्दाख में सड़क का निर्माण

1336. **श्री पी. नामग्याल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख का जानसकर सुभ मंडल वर्ष के लगभग नौ महीनों तक शेष देश से कटा रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा लद्दाख के जानसकर सुभ की नेमोपाडुम चादर सड़क के निर्माण के लिए ओ.ई.सी.एफ. जापान से भारत में बौद्ध केन्द्रों के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने की संस्तुति की गई है;

(ग) क्या ओ.ई.सी.एफ. ने इस परियोजना का निर्माण शुरू करने के लिए सहमति दी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब शुरू किया जाएगा और यदि नहीं, तो क्या सरकार क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से की जा रही मांग को देखते हुए सी.आर.एफ. योजना अथवा किसी अन्य केन्द्र सरकार की योजना अथवा किसी अन्य विदेशी वित्त पोषण योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण करेगी।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). राज्यीय सड़क होने के कारण राज्य सरकार संविधानिक तौर पर इसके विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। इस परियोजना को केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम अथवा ई एंड आई स्कीम अथवा अन्य किसी विदेशी वित्त पोषण स्कीम के अंतर्गत शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पूर्णिया में केन्द्रीय विद्यालय

1337. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने वर्ष 1995 में पूर्णिया में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी थी; और

(ख) यदि हां, तो पूर्णिया में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) पूर्णिया में नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए पूर्णिया के जिला प्राधिकारियों से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्यों के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करना

1338. श्री भेरुलाल मीणा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसीराबाद से दाहोद और रतलाम से हिम्मतनगर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों के लंबित पड़े मामले

1339. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय मंत्रालय में भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के अनेक मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) उनमें से कितने मामले तीन वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(घ) अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ङ) सरकार ने इन मामलों के शीघ्र निपटाने हेतु क्या प्रयास किए हैं; और

(च) सभी मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (च). मंत्रालय में निशक्तता/विशेष परिवार पेंशन संबंधी 280 मामले अनिर्णीत है। इनमें से 19 मामले 3 वर्ष से अधिक अवधि के हैं। ये मामले सेवा के कारण हुई निशक्तता के विवादास्पद होने के कारण अनिर्णीत हैं। तथापि, इन मामलों में स्वीकार्य सेवा पेंशन या साधारण परिवार पेंशन, जो भी स्थिति हो, नियमानुसार स्वीकृत की गई है। पेंशन संबंधी मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

मोतियाबिन्द आपरेशन

1340. श्री सत्यदेव सिंह :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
कुमारी उमा भारती :
श्री पकंज चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने नेत्रहीन व्यक्ति हैं;

(ख) क्या इन नेत्रहीनों की दृष्टि मोतियाबिन्द के सरल से आपरेशन से वापस लाई जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने लोगों को आपरेशन करके दृष्टि ठीक की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में धीमी प्रगति के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(च) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(छ) क्या सरकार ने बढ़ती हुई इस बीमारी को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) 1989 में किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि देश में लगभग 1.2 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं।

(ख) लगभग 80 प्रतिशत दृष्टिहीन व्यक्ति मोतियाबिन्द से प्रभावित हैं और मोतियाबिन्द के आपरेशन के माध्यम से उनकी नेत्र दृष्टि पुनः स्थापित की जा सकती है।

(ग) पिछले 2 वर्षों के दौरान 4535180 मोतियाबिन्द आपरेशन किए गए।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च). ये प्रश्न नहीं उठते।

(छ) और (ज). राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में सुधार किया गया है और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए कुछेक उपाय इस प्रकार हैं :-

1. नेत्र संबंधी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
2. नेत्र जनशक्ति का प्रशिक्षण।
3. जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों की स्थापना।
4. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक उपचार संबंधी कवरेज का विस्तार करना।

5. जनता में नेत्र परिचर्या के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता से प्रतिमान का संशोधन करना।
7. वार्षिक बजट में वित्तीय परिव्यय बढ़ाना और 7 राज्यों में विश्व बैंक मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना को कार्यान्वित करना, और
8. केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नेत्र परिचर्या संबंधी कार्यकलापों को मानीटरिंग का सुदृढ़ीकरण।

अध्ययन हेतु विदेशी दौरा

1341. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पत्तनों के विकास/विस्तार हेतु अध्ययन करने के लिए किसी शिष्टमंडल ने विदेशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस शिष्टमंडल में कर्नाटक का कोई सदस्य था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में पत्तनों के विकास के लिए इस अध्ययन के आधार पर कोई दीर्घावधि योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). भारतीय पत्तनों के विकास/विस्तार के लिए अध्ययन करने के विशिष्ट उद्देश्य से किसी प्रतिनिधि मंडल ने गत तीन वर्षों के दौरान कोई विदेशी दौरा नहीं किया। तथापि, विशिष्ट पत्तन परियोजनाओं, पत्तन संबंधी प्रशिक्षण आदि के सिलसिले में अधिकारियों ने आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फिलीपिंस, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रिटेन आदि विभिन्न देशों के दौरे किए हैं।

(ग) और (घ). पत्तन संबंधी विभिन्न प्रबंधन और विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कर्नाटक से नव मंगलूर पत्तन न्यास के अधिकारियों को ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

(ङ) और (च). विदेशों में विभिन्न पत्तन विशिष्ट अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से देश में पत्तन क्षेत्र के विकास की दीर्घकालीन विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर, ऐसे अध्ययनों से पारादीप पत्तन में कोयला हैंडलिंग संयंत्र और इन्नोर पत्तन योजना तैयार करने के बारे में निर्णय लेने में सहायता मिली है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग में कृषि जल निकास की स्थापना

1342. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खारापन तथा जल ठहराव को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय जल आयोग में कृषि जल निकास का एक अलग विभाग स्थपित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त विभाग में कृषि इंजीनियरों को नियुक्त किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्रीय जल आयोग में एक निदेशालय अर्थात् सिंचित क्षेत्र जल निकास निदेशालय पहले से ही कार्य कर रहा है, जिसके कार्य निम्नलिखित हैं :-

- कमानों में प्रारंभ किए गए जल निकास कार्यों समेत जल जमाव, लवणता, क्षारीयता की वर्तमान स्थिति तैयार करना और रिपोर्ट को अद्यतन करना।
- जल निकास परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी संवीक्षा और जहां आवश्यक हो तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति द्वारा प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं की तकनीकी संवीक्षा करना।
- जल निकास पर आई एन सी आई डी विशेष समिति के सचिवालयी कार्य।
- बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत जल निकास के संबंध में अनुसंधान और विकास अध्ययनों के समन्वय कार्य।
- निधियों की उपलब्धता के आधार पर चयन किए गए जलजमाव और लवणता से प्रभावित क्षेत्रों का अन्वेषण करना।
- जल निकास कार्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बंगला देश के रास्ते परिवहन सुविधाएं

1343. **श्री रूप चन्द पाल :**

श्री बादल चौधरी :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के मुख्य भाग से जोड़ने के लिए बंगला देश से होकर परिवहन तथा संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर बंगलादेश की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों की लम्बे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और मुख्य भूमि के बीच यातायात सम्पर्क बनाने के लिए बंगलादेश से होकर आवागमन की सुविधाओं से संबंधित प्रश्न बंगलादेश की सरकार के साथ कई बार उठाया गया है। यह विषय दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन है।

सेना हस्पतालों में धनराशि और कार्मिकों की कमी

1344. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना हस्पतालों, विशेष रूप से किरकेर के अधरांगघात पुनर्वास केन्द्र धन और कार्मिकों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र द्वारा झेली जा रही अन्य कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेना हस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को मानक चिकित्सा और सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों का उपचार विभिन्न सेना अस्पतालों में किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों को बजट अनुदान से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। सेना चिकित्सा कोर में कार्मिकों की कमी 10 प्रतिशत से कम है जोकि सामान्य मानी जाती है।

पैराप्लेजिक रिहेबलीटेशन सेंटर, खड़की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और पेराप्लेजिक के उन भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल करती है, जो डाक्टरी आधार पर सेवानिवृत्त किये गये हैं। ये केन्द्र कार्यपणाली की दृष्टि से स्वायत्तशायी हैं और इनका अपना निजी संग्रह है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भी इसके रख-रखाव, इसमें भर्ती रोगियों की देखभाल के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पेराप्लेजिक रिहेबिलीटेशन सेंटर, खड़की को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है :-

वर्ष	धनराशि
1994-95	12,73,900/- रुपए
1995-96	12,60,162/- रुपए
1996-97	15,96,565/- रुपए

इस समय पेराप्लेजिक रिहेबिलीटेशन सेंटर, पुणे में 75 रोगी भर्ती हैं तथा 19 परिचारकों, 01 चिकित्सा अधीक्षक, 2 साइकोथिरेपिस्ट और 2 परिचर्या सहायक सहित 53 कर्मचारी हैं।

सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों में सभी मानक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पतालों का आधुनिकीकरण करना और उनहें उन्नत बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। हाल ही में, सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर विशेष चिकित्सा उपस्कर खरीदने की एक योजना को भी मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

शिकायतों संबंधी सलाहकार बोर्ड

1345. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना में कार्यरत कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए थल सेनाध्यक्ष के कार्यालय में शिकायतों संबंधी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शिकायतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). सेवारत कार्मिकों की शिकायतों, मुख्यतया उनके कैरियर संबंधी मामलों जैसे अधिक्रमण तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में मानी गई प्रतिकूल प्रविष्टि या निम्न ग्रेडिंग/अभ्युक्तियों आदि पर विचार करने के लिए फरवरी, 1986 में सेनाध्यक्ष के कार्यालय में एक शिकायत सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। पिछले 3 वर्षों के दौरान शिकायतों में मामूली वार्षिक वृद्धि हुई है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

	वर्ष	शिकायतों की संख्या
(क)	1993	1393
(ख)	1994	1589
(ग)	1995	1653
(घ)	1996 (अक्तूबर, 96 तक)	1261

शिकायतों में मामूली वार्षिक वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

(1) शिकायतें प्रस्तुत करने में अन्तर्बाधाएं कम हो जाना।

(2) कैरियर के प्रति आकांक्षाएं बढ़ना।

इसे शिकायत निवारण प्रणाली के प्रति निष्ठा में वृद्धि भी कहा जा सकता है।

विदेशी जेलों में भारतीय

1346. **श्री शिवराज सिंह :**

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी जेलों में भारतीय सैनिक और नागरिक अभी भी बड़ी संख्या में कैद हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 नवंबर, 1996 तक देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कैदियों की शीघ्र रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान और 1996 में नवंबर, 96 तक सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप विदेशी जेलों में कितने भारतीय कैदी रिहा हुए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सरकार के पास जून, 1996 तक उपलब्ध स्थिति के अनुसार विदेशी जेलों में बंद भारतीय सिपाहियों और नागरिकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 30 नवम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जैसे ही मिशन/पोस्ट को किसी भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी का पता चलता है, गिरफ्तार भारतीय नागरिक को कौंसली मदद पहुंचाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। गिरफ्तारी के कारणों और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौंसली अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति के पास जाता है। जब भी आवश्यकता होती है निष्पक्ष जांच या सजा की पुनरीक्षा के लिए मिशन मामले को मेजबान सरकार के साथ उच्चतर स्तर पर उठाता है ताकि उसकी शीघ्र रिहाई की जा सके। विदेश स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट यह भी ध्यान रखते हैं कि गिरफ्तार भारतीयों के साथ जेल में उचित व्यवहार किया जा रहा है।

(घ) सरकार के पास जून, 1996 तक उपलब्ध स्थिति के अनुसार विदेशी जेलों से छोड़े गए भारतीयों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 30 नवंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	मिशन	विदेशी जेलों में भारतीय		पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी जेलों से रिहा हुए भारतीय
		सैनिक	नागरिक	
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अल्जीरिया	शून्य	शून्य	शून्य
3.	अंगोला	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अर्जेन्टीइना	शून्य	शून्य	3
5.	आस्ट्रेलिया	शून्य	5	11
6.	आस्ट्रिया*	शून्य	74	63
7.	बहरीन	शून्य	82	शून्य
8.	बंगलादेश	शून्य	491	शून्य
9.	बेलारूस	शून्य	3	शून्य
10.	बेल्जियम	शून्य	शून्य	शून्य
11.	भूटान	शून्य	60	87
12.	बेलीज	शून्य	शून्य	शून्य
13.	बोलिविया	शून्य	शून्य	शून्य
14.	बोत्सवाना	शून्य	शून्य	शून्य
15.	ब्राजील	शून्य	शून्य	4
16.	ब्रूनी दार-ए-सलाम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	बल्गारिया	शून्य	शून्य	शून्य
18.	कम्बोडिया	शून्य	शून्य	शून्य
19.	कनाडा	शून्य	35	शून्य
20.	चिली	शून्य	शून्य	शून्य
21.	चीन	शून्य	1	4
22.	कोलम्बिया	शून्य	शून्य	शून्य
23.	क्यूबा	शून्य	शून्य	शून्य
24.	साइप्रस	शून्य	शून्य	शून्य
25.	चेक गणराज्य	शून्य	शून्य	10
26.	डेनमार्क	शून्य	शून्य	शून्य
27.	मिस्र	शून्य	12	शून्य
28.	इथोपिया	शून्य	शून्य	शून्य
29.	फिनलैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
30.	फ्रांस	शून्य	शून्य	2
31.	जर्मनी	शून्य	14	6

1	2	3	4	5
32.	घाना	शून्य	शून्य	शून्य
33.	यूनान*	शून्य	29	171
34.	गयाना	शून्य	शून्य	शून्य
35.	हांग कांग	शून्य	30	247
36.	हंगरी	शून्य	शून्य	शून्य
37.	इंडोनेशिया	शून्य	1	4
38.	ईरान	शून्य	17	13
39.	इराक	शून्य	3	6
40.	आयरलैंड	शून्य	शून्य	1
41.	इजरायल	शून्य	शून्य	शून्य
42.	इटली	शून्य	33	शून्य
43.	आयवरी कोस्ट	शून्य	शून्य	शून्य
44.	जमैका	शून्य	6	77
45.	जापान	शून्य	5	4
46.	जोर्डन	शून्य	3	11
47.	कजाकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
48.	कीनिया	शून्य	2	शून्य
49.	कोरिया (डीपीआर)	शून्य	शून्य	शून्य
50.	कोरिया गणराज्य	शून्य	1	2
51.	कुवैत	शून्य	135	69
52.	किर्गीस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
53.	लाओस (एलपीडीआर)	शून्य	शून्य	शून्य
54.	लेबनान*	शून्य	28	34
55.	लक्जमबर्ग	शून्य	शून्य	शून्य
56.	लाइबेरिया	शून्य	शून्य	शून्य
57.	लीबिया	शून्य	3	4
58.	मेडागास्कर	शून्य	शून्य	शून्य
59.	मलेशिया*	शून्य	189	546
60.	मालदीव	शून्य	1	11
61.	मालटा	शून्य	शून्य	शून्य
62.	मारीशस	शून्य	46	शून्य
63.	मेक्सिको	शून्य	शून्य	शून्य
64.	मंगोलिया	शून्य	शून्य	शून्य
65.	मोरक्को	शून्य	1	4
66.	मोजाम्बिक	शून्य	शून्य	9

1	2	3	4	5
67.	म्यांमा	शून्य	22	9
68.	नामीबिया	शून्य	शून्य	शून्य
69.	नेपाल	शून्य	207	2
70.	नीदरलैंड	शून्य	8	शून्य
71.	न्यूजीलैंड	शून्य	शून्य	शून्य
72.	नाइजीरिया	शून्य	शून्य	शून्य
73.	नार्वे	शून्य	1	3
74.	ओमान	शून्य	38	3
75.	पाकिस्तान	54	1249	शून्य
76.	पनामा*	शून्य	शून्य	68
77.	पराग्वे	शून्य	शून्य	शून्य
78.	पेरू	शून्य	शून्य	शून्य
79.	फिलीपींस	शून्य	6	शून्य
80.	पोलैंड*	शून्य	28	149
81.	पुर्तगाल	शून्य	शून्य	1
82.	कतर*	शून्य	382	1410
83.	रोमानिया	शून्य	8	44
84.	रूसी परिसंघ	शून्य	3	शून्य
85.	सऊदी अरब*	शून्य	1169	37,962
86.	सेनेगल	शून्य	शून्य	शून्य
87.	सिएरा लिओन	शून्य	शून्य	शून्य
88.	सेशेल्स	शून्य	2	शून्य
89.	सिंगापुर*	शून्य	215	300
90.	द. अफ्रीका	शून्य	शून्य	9
91.	स्पेन	शून्य	11	शून्य
92.	श्रीलंका	शून्य	83	9
93.	सूडान	शून्य	शून्य	शून्य
94.	सूरीनाम	शून्य	शून्य	शून्य
95.	स्वीडन	शून्य	शून्य	शून्य
96.	स्विटजरलैंड	शून्य	2	शून्य
97.	सीरिया गणराज्य	शून्य	शून्य	5
98.	कजाकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
99.	तंजानिया (यूआर)	शून्य	शून्य	1
100.	थाइलैंड*	शून्य	21	193
101.	टोगो	शून्य	शून्य	शून्य
102.	त्रिनिडाड और टोबेगो	शून्य	4	2

1	2	3	4	5
103.	ट्यूनीशिया	शून्य	शून्य	शून्य
104.	तुर्की	शून्य	1	1
105.	तुर्कमेनिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
106.	उगांडा	शून्य	1	15
107.	उक्रेन	शून्य	शून्य	शून्य
108.	संयुक्त अरब अमीरात	शून्य	144	23
109.	यूनाइटेड किंगडम	शून्य	318	232
110.	यू.एस.ए.	शून्य	51	शून्य
111.	उजबेकिस्तान	शून्य	शून्य	4
112.	वेनेजुएला	शून्य	शून्य	शून्य
113.	विएतनाम	शून्य	शून्य	शून्य
114.	यमन	शून्य	3	3
115.	युगोस्लाविया	शून्य	शून्य	शून्य
116.	जायरे	शून्य	शून्य	शून्य
117.	जाम्बिया	शून्य	शून्य	5
118.	जिम्बाब्वे	शून्य	2	शून्य
119.	निकारागुआ	शून्य	शून्य	53
120.	ब्राटिसलावा	शून्य	शून्य	शून्य
121.	मालदोवा	शून्य	1*	शून्य
122.	अल-सल्वाडोर	शून्य	शून्य	32
123.	ग्वाटेमाला	शून्य	शून्य	शून्य
124.	गाम्बिया	शून्य	1	शून्य

* इन आंकड़ों में अवैध अप्रवासी भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

चिकित्सकों को चेतावनी

1347. श्री हरिन पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रख्यात चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूरे देश में चिकित्सा पद्धति में रक्षात्मक प्रक्टिस के युग का सूत्रपात होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायालय के निर्णय और चिकित्सकों की चेतावनी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना दी गई है कि कुछ डाक्टरों ने राय दी है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप उपचार की लागत में वृद्धि होगी और यह डाक्टरों को रक्षक औषधियों के अभ्यास की ओर ले जाएगा। यह भी सूचना है कि इससे अन्य लोगों को किसी प्रकार की आशंका नहीं है। उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने वाले डाक्टरों/अस्पतालों पर बाध्यकारी है।

कैंसर

1348. श्री एन. डेनिस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कैंसर रोग बहुल क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कैंसर रोग बहुल क्षेत्रों में इस रोग के प्रकोप पर काबू पाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश भर में कैंसर के 2 मिलियन रोगियों के होने का अनुमान है, लेकिन क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है जिससे कि देश में कैंसर बहुल क्षेत्रों का पता चल सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नदियों और वर्षा द्वारा आर्थिक क्षति

1349. श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रत्येक वर्ष नदियों के मार्ग बदलने से तथा भारी वर्षा के कारण भारी आर्थिक क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन नदियों की पहचान की है जो बरसात के मौसम में अपना रास्ता बदल लेती हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और कौन-कौन से राज्यों को इस कारण नुकसान उठाना पड़ता है;

(घ) क्या ऐसी नदियों में बाढ़ पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का कोई योजना तैयार करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश के अनेक भागों विशेषकर गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों में भारी वर्षा, बाढ़ तथा परिणामस्वरूप कटाव तथा कुछ मामलों में नदियों के मार्ग बदलने से जीवन तथा संपत्ति को हानि होती है।

(ख) और (ग). तथापि, वे नदियां जो मार्ग बदलती हैं, का विशिष्ट ब्यौरा जल संसाधन मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

(घ) से (च). राज्य सरकारों वर्षों से बाढ़ और कटाव द्वारा हुई क्षति को कम करने के लिए बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न उपाय करती रही हैं, जैसे तटबंधन, नदी तट सुरक्षा कार्य, जल निकास चैनलों का निर्माण आदि। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा बेसिन के सभी उप बेसिनों जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल का कुछ भाग आता है, के लिए बाढ़ प्रबंध की व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भी ऐसी ही योजनाएं तैयार की हैं जिसमें पश्चिम बंगाल का भाग शामिल है। ये योजनाएं विस्तृत स्कीमें तैयार करने तथा कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने क्षेत्रीय बाढ़ समस्याओं की जांच करने, मौजूदा उपचारी उपायों की पुनरीक्षा करने तथा सलुझाने के लिए 30.9.96 को पांच क्षेत्रीय कार्य बल भी गठित किए हैं जिनमें केंद्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

[अनुवाद]

निजी सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान

1350. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में किसी निजी सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं को किस उद्देश्य के तहत ये अनुदान दिये गये;

(ग) क्या इन संस्थाओं में अनुदानों के उपयोग पर किसी एजेंसी द्वारा निगरानी रखी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं में से किसी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ). केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करती है। इन संस्थानों के उद्देश्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, विकासात्मक क्रियाकलापों इत्यादि से संबंधित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में सामान्यतः एक लाख व उससे अधिक राशि के विवरण होते हैं जिन्हें संसद के माननीय सदस्यों के बीच परिचालित किया जाता है। इन योजनाओं में सामान्यतः अनुवीक्षण के लिए अंतर्निहित तंत्र होता है। इसके अलावा केन्द्र और राज्य एजेंसियों द्वारा निरीक्षण किए जाने का प्रावधान है तथा नाए अनुदान प्रदान करने से पूर्व पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संगठनों से संबंधित और सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान को धनराशि

1351. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षरता अभियान, साक्षरोत्तर अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, जन जागरण योजना और शिक्षण कर्मचारी योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में राजस्थान को जिलेवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत जिला-वार कितने व्यक्ति शिक्षित किए गए;

(ग) उक्त योजनाओं के संबंध में सरकार की कार्य योजना क्या है तथा 1996-97 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(घ) राजस्थान में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सम्पूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के लिए राज्य/जिला वार कोई निधि आबंटित नहीं की जाती हैं। साक्षरता अभियानों के लिए ये निधियां राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए जिले से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्थान जिलों को प्रदान की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। तथापि प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करने की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार को प्रत्यक्ष रूप से निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान, राजस्थान सरकार को 115.33 लाख रु. की राशि प्रदान की गई है।

(ख) जिला वार साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) और (घ). राजस्थान के 31 जिलों में से 29 जिलों को पहले से ही सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। शेष दो जिलों-जयपुर और चूरू को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान

सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। इन जिलों के लिए निर्धारित की जाने वाली वास्तविक राशि राज्य सरकार/जिलों से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर ही पता लगेगी।

विवरण-I

क्र.सं.	जिला का नाम	आबंटित राशि (रु. लाख में)
1.	बारमेर	750.00
2.	बीकानेर	391.00
3.	नागौर	588.91
4.	सवाई माधोपुर	341.88
5.	जालौर	400.00
6.	सिरमढ़ी	223.14
7.	धोलपुर	157.50
8.	झालावार	230.40

विवरण-II

क्र.सं.	जिला का नाम	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1.	अजमेर	240982
2.	अलवर	60289
3.	बांसवाड़ा	70417
4.	बारन	42221
5.	भरतपुर	243735
6.	डुंगरपुर	184943
7.	झुनझुनु	50733
8.	पाली	143323
9.	सीकर	105940
10.	टोंक	110554
11.	उदयपुर	4751

[अनुवाद]

पत्तनों का विकास

1352. **श्री दिलीप संघानी :**

श्री काशीराम राणा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में कुछ पत्तनों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावित पत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस संबंध में धनराशि प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और दूसरे ऋण देने वाली अग्रणी एजेंसियों से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को अब तक कितनी धनराशि मिलने की संभावना है अथवा इसके संबंध में बातचीत की गई है; और

(ङ) उन पत्तनों का ब्यौरा क्या है जिनपर इस धनराशि को खर्च करने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). सभी महापत्तनों में योजना-वित्त पोषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है।

(ग) से (ङ). निम्नलिखित पत्तन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक से संपर्क किया गया है :-

(1) मुम्बई पत्तन में समुद्री पाइप-लाइनों को बदलना।

(2) मुम्बई पत्तन में एम ओ टी बर्थों का आधुनिकीकरण।

(3) मद्रास पत्तन में कन्टेनर टर्मिनल का विस्तार।

अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

परंपरागत विश्वविद्यालयों को अनुदान

1353. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिलाओं में शिक्षा के विकास के लिए परंपरागत विश्वविद्यालयों को अनुदान देने संबंधी क्या व्यवस्था है;

(ख) महिलाओं को स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को पर्याप्त अनुदान नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शिक्षा के विकास हेतु इस गुरूकुल विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान कब तक दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रस्तावित मानदण्डों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सभी पात्र विश्वविद्यालयों को अध्यापन और सहायक स्टाफ की भर्ती, उपकरण, पुस्तकें व पत्रिकायें खरीदने के लिए, संकाय में सुधार और विस्तार कार्यक्रमों, महिला छात्रावासों, स्टाफक्वार्टर, स्वास्थ्य केन्द्र और परिसर विकास के लिए विकास अनुदान प्रदान करता है। पात्र विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदानों की मात्रा पैरामीटर के आधार पर जैसे एक विशेष संस्थान के विकास की स्थिति,

अध्यापन का स्तर, (अर्थात अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर आदि) छात्र और संकाय संख्या आदि के आधार पर दी जाती है। विकास अनुदान योजनावधि के लिए पूर्ण रूप से किया जाता है न कि वर्ष दर वर्ष आधार पर। इस प्रकार के अनुदान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर वार्षिक आधार पर दी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 8 वीं योजनावधि के लिए गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को 65.00 लाख रु. की राशि आबंटित की जिसमें से 56.24 लाख रु. की राशि पहले ही संस्वीकृत की जा चुकी है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा के विकास के लिए गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कोई विशेष अनुदान संस्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारत-दक्षिण अफ्रीकी संबंध

1354. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-दक्षिण अफ्रीकी संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति नेलसन मंडेला की भारत की सरकारी यात्रा के बाद से इस दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और दक्षिण अफ्रीका व्यापक गतिविधियों से संबंधित द्विपक्षीय सहयोग के सक्रिय कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जनवरी, 1995 में राष्ट्रपति श्री मण्डेला की भारत यात्रा के बाद से कई उच्चस्तरीय यात्राएं की जा चुकी हैं, एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जा चुका है, छह द्विपक्षीय करार संपन्न किए जा चुके हैं और द्विपक्षीय व्यापार में चहुंमुखी वृद्धि हुई है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति 3-7 दिसंबर, 1996 तक भारत यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और अधिक उपायों पर सहमति होने की आशा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-23 की मरम्मत

1355. **श्री ललित उरांव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-23 (चास-तालचेर) की हाल की बारिश से क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत कार्य और यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि मंजूर/जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) यातायात पुनः चालू किया जा चुका है और सड़क सामान्यतः यातायात-योग्य स्थिति में रखी जाती है। स्थायी पुनरूद्धार निर्माण कार्यों के अनुमान जो राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ). राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सामान्य मरम्मत/आवधिक नवीकरण और चल रहे एफ डी आर कार्यों के लिए राज्य सरकार को अक्तूबर, 1996 तक 18.75 करोड़ रु. राशि का अनुरक्षण अनुदान पहले ही जारी किया जा चुका है।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों का प्रदर्शन

1356. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न स्पर्धाओं में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने कितने पुरस्कार और ट्राफियां जीतीं;

(ग) विदेशी दौरों और प्रशिक्षण पर हुए व्यय सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान खेल-कूद गतिविधियों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) क्या खर्च की जा रही धनराशि हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के अनुरूप है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) और (ख). विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न खेल विधाओं में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान खेलकूद पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :-

वर्ष	योजना (लाख रुपयों में)	गैर-योजना
1991-92	4767.00	1586.00
1992-93	4332.00	1433.00
1993-94	6594.00	1517.00
1994-95	5456.00	1666.00
1995-96	5160.00	1253.00

(घ) आवश्यकता की अपेक्षा किया गया व्यय अपर्याप्त रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के कार्य निष्पादन में प्रतिबिम्बित होता है।

अनुबंध

भारतीय खिलाड़ियों का कार्यनिष्पादन

ओलम्पिक खेल प्रतियोगिताएं	**पदक**	**वर्ष**
टेनिस	1 कांस्य	1996
एशियाई खेल प्रतियोगिताएं	**पदक**	**वर्ष**
एथलेटिक्स	1 रजत	1994
	2 कांस्य	1994
मुक्केबाजी	4 कांस्य	1994
कायकिंग और केनोइंग	1 कांस्य	1994
हाकी (पुरूष)	1 रजत	1994
जूडो	1 कांस्य	1994
कबड्डी	1 स्वर्ण	1994
रोइंग	1 कांस्य	1994
निशानेबाजी	1 स्वर्ण	1994
	1 कांस्य	1994
टेनिस	2 स्वर्ण	1994
	1 कांस्य	1994
भारोत्तोलन	1 रजत	1994
	3 कांस्य	1994
याटिंग	2 कांस्य	1994

राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताएं	**पदक**	**वर्ष**
मुक्केबाजी	1 कांस्य	1994
निशानेबाजी	3 स्वर्ण	1994
	2 रजत	1994
	2 कांस्य	1994
भारोत्तोलन	3 स्वर्ण	1994
	7 रजत	1994
	1 कांस्य	1994
कुश्ती	2 रजत	1994
	3 कांस्य	1994

सरदार सरोवर परियोजना बांध का निर्माण

1357. **श्री सनत मेहता : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरदार सरोवर परियोजना बांध के निर्माण कार्य को, जिसे पिछले कार्य सत्र में 80.3 मीटर तक रोक दिया गया था, चालू सत्र में पुनः शुरू करने के लिए आगे कार्यवाही की है;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना परिव्यय आया है; और

(ग) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने 7 नवम्बर, 1996 को दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हुई अपनी बैठक में इस संबंध में उनकी मदद मांगी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नर्मदा नियत्रंण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की सातवीं बैठक 13.11.96 को अन्य बातों के साथ-साथ सरकार सरोवर बांध के वर्ष 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई वर्ष 1996-97 के दौरान स्पिलवे भाग में 110 मी. तक की जाए। तथापि, कार्य दिसंबर, 1996 के प्रथम सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इस बीच 81.5 मी. की ऊंचाई तक मध्य प्रदेश के शेष प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपायों को गुजरात द्वारा 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने इस संबंध में तभी सहायता और सहयोग देना स्वीकार कर लिया। 81.5 मी. की ऊंचाई पर पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपायों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा के बाद, बांध की हर 5 मी. की ऊंचाई के बाद संबंधित पुनर्स्थापना और पुनर्वास उप दल तथा पर्यावरण उप दलों जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा संयुक्त रूप से ऐसी ही पुनरीक्षण की जाएगी ताकि निर्माण कार्य की प्रगति इस ढंग से पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपायों के क्रियान्वयन के समरूप हो सकती है कि ये कार्य सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के वास्तविक स्थानांतरण के रूप में 31 मई, 1997 तक पूरे हो जाएं।

(ख) सितंबर, 1996 तक परियोजना पर 4958.79 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(ग) इस संबंध में गुजरात के मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श किया।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग हेतु धनराशि

1358. **श्री अशोक प्रधान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दादरी और जेवर विधान सभा क्षेत्रों के प्रभावित गांवों को यमुना नदी की बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को धनराशि प्रदान की है/प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी के बाढ़ के पानी से उत्पन्न हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दादरी और जेवर विधान सभा क्षेत्रों के प्रभावित गांवों को यमुना नदी की बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाने हेतु जल संसाधन मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) इस क्षेत्र में बाढ़ जल से उत्पन्न समस्याओं पर यमुना समिति को 53वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार यमुना समिति के मानकों के अंतर्गत कटाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी भूमि पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण कर सकती है।

[अनुवाद]

जवाहर नवोदय विद्यालय तरकवारी (हिमाचल प्रदेश)

1359. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मूल सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण जवाहर नवोदय विद्यालय तरकवारी (हमीरपुर हिमाचल प्रदेश) के छात्रों की निराशाजनक दशा की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह विद्यालय अभी भी किराए के भवन में चल रहा है जबकि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य काफी पहले ही पूरा हो चुका है और यह कब्जा लेने के लिए तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ). जवाहर नवोदय विद्यालय, तारकवारी, हिमाचल प्रदेश शुरू में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थाई स्थल पर चल रहा था जहां पर पानी और बिजली का अभाव था। किन्तु 8 नवम्बर, 1996 को इस विद्यालय को इसके स्थाई परिसर में ले जाया गया है जहां पर स्कूल भवन, शयनकक्ष तथा स्टाफ क्वार्टर बन गए हैं, तथा उनको काम में लाना शुरू कर दिया गया है। इन भवनों में सभी मौलिक सुविधाएं मौजूद हैं।

विदेशी पाठ्यक्रम

1360. **श्री अय्यन्ना पटरूधु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु होटल प्रबंधन, वाणिज्य प्रशासन आदि जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कई विदेशी पाठ्यक्रमों जो ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, के विज्ञापन समाचार पत्रों में दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या विदेशी पाठ्यक्रमों के ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर कोई निगरानी रखी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्दोष व्यक्तियों को इन विदेशी पाठ्यक्रमों के विज्ञापनों के नाम पर की जा रही ठगी से बचाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने किसी विदेश सम्बद्ध कार्यक्रम को अनुमोदित नहीं किया है और न ही उनके पास ऐसे कार्यक्रमों के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर अंकुश लगाने संबंधी कोई विधि हैं। तथापि, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए परिषद् समाचार पत्रों में इस संबंध में सार्वजनिक सूचनाओं को जारी करती आ रही है।

[हिन्दी]

गुर्दे की बिक्री

1361. **कुमारी उमा भारती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गुर्दे की बिक्री का धंधा चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी गिरोह को गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में इस धंधे को रोकने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). गुर्दों की बिक्री सहित मानव अंगों के व्यापार के बारे में रिपोर्ट प्रचार संसाधनों की विभिन्न रिपोर्टों में समय-समय पर प्रकाशित हुई हैं जिन पर विभिन्न मंचों पर प्रकाश डाला गया है।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संबंध में कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। समय-समय पर प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कुछ राज्य सरकारों ने इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने डाक्टरों को निलंबित/विपंजीकृत भी किया है और आरोप पत्र जारी किए हैं। कुछ मामलों में जांच चल रही है।

(घ) चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों के पृथक्करण, भंडारण तथा प्रतिरोपण को नियमित करने तथा मानव अंगों के व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 बनाया है जो गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 4 फरवरी, 1995 से लागू हो गया है। अब यह अधिनियम ग्यारह राज्यों द्वारा अपनाया गया है और आंध्र प्रदेश का अपना मानव अंग अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम के समान है। यह अधिनियम इस संबंध में मौजूदा कानूनी उपबंधों को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है। केन्द्र सरकार इस अधिनियम को शीघ्र अपनाने के लिए शेष राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध कर रही है।

मानव अंगों का गैर कानूनी रूप से व्यापार करने वाले लोगों को दंड देने के लिए अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान है।

सैनिकों को प्रशिक्षण

1362. **श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम विस्फोट के बारे में सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए देश में कितने केन्द्र हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी ऐसा कोई केन्द्र विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि विस्फोट हुये बमों के अवशेषों की चोरी की जाती है;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अहमदनगर केन्द्र में चोरी की कुछ घटनाओं के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है और ऐसी गतिविधियों में कितने लोगों ने अपना जीवन गंवाया है; और

(ङ) इस चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) सेना के चार केन्द्र (इंजीनियर प्रशिक्षण स्थापनाएं) हैं, जहां विस्फोटकों की सार-संभाल और बमों को निष्क्रिय करने तथा उन्हें विनष्ट करने का कार्य सिखाया जाता है।

(ख) विस्फोटकों की सार-संभाल आदि में प्रशिक्षण देने के लिए अहमदनगर में कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है।

अहमदनगर में कार्जुना कारे नामक एक फायरिंग रेंज है जो कि एक अधिग्रहीत रेंज है। इस रेंज में सेना गोलीबारी का अभ्यास करती है। ऐसी रेंजों में तोपखाना और कवचित गन के गोले तथा मोर्टार बम दागे जाते हैं जो विस्फोट करते हैं। अधिग्रहीत रेंजों में फायर किए गए गोलाबारूद के धातु की छीजन एकत्रित करने की एक निर्धारित प्रणाली है।

(ग) से (ङ). कार्जुना का रेंज के फायर किए हुए गोलाबारूद की धातु की छीजन एकत्रित करने का अधिकार 15.8.1995 से 31.3.1997 तक की अवधि के लिए 40,05,151/- रुपए पर एक ठेकेदार को दिया गया । यह राशि पूर्णतः अग्रिम रूप से ले ली गई है।

[अनुवाद]

सोपोर-तलीबल बाईपास

1363. **श्री गुलाम रसूल कार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सोपोर-तुलीबल बाईपास पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) केन्द्र सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित सड़कों के विकास के लिए जिम्मेदार है। सभी अन्य सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। जम्मू एवं कश्मीर में सोपोर तुलीबल बाईपास पुलों के निर्माण की स्कीम राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पड़ती है और इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को धनराशि

1364. **श्री सोहन बीर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). शिक्षा विभाग अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है :-

अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना और अहिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को खोलने/सुदृढ़ करने की योजना।

इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से सृजित हिंदी शिक्षकों के पद के लिए अहिंदी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किंतु यह सहायता केवल एक योजना अवधि के लिए दी जाती है और योजना अवधि समाप्त होने पर इस शिक्षकों को रखने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित हो जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान अहिंदी भाषी राज्यों को ही दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	उड़ीसा	320.00	289.28	174.15
2.	असम	,145.15	189.79	125.06
3.	मणिपुर	85.35	60.62	92.95
4.	मिजोरम	19.50	12.07	15.82
5.	आंध्र प्रदेश	-	-	2.00
6.	नागालैंड	-	23.44	-
		570.00	575.20	409.98

2. हिंदी के प्रोत्साहन के लिए स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना

इस योजना के अंतर्गत, हिंदी के प्रसार-विकास के विभिन्न कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है, *जैसे हिंदी शिक्षण कक्षाएं, आशुलिपि/टंकण कक्षाएं आयोजित करना, हिंदी पुस्तकालय खोलना, कार्य विवरणिकाओं/पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि।*

सामान्यतया, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन भवनों के निर्माण/मरम्मत/विस्तार के मामले को छोड़कर, जहां अनुदान अनुमोदित व्यय 60 प्रतिशत तक अथवा 50,000/- रुपये, जो भी कम हो, हो सकता है, कुल अनुमोदित व्यय के 75 प्रतिशत तक दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, हिंदी में प्रकाशनों के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। व्यक्तियों/स्वैच्छिक संगठनों को हिंदी पुस्तकों की भारी खरीद के माध्यम से भी सहायता दी जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर व्यय निम्न प्रकार है :—

		(रुपये लाखों में)
1993-94	-	255.83
1994-95	-	254.27
1995-96	-	249.77
		759.87

इसके अतिरिक्त उन हिंदी लेखकों को जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मूल रूप से हिंदी में लिखी पुस्तकों पर पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसे पुरस्कारों की संख्या 19 प्रति वर्ष है और पुरस्कार राशि 15,000/- रुपये प्रति पुस्तक है।

3. अहिंदी भाषी व्यक्तियों को हिंदी का शिक्षण देने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की योजना

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, तमिल, मलयालम, बंगला तथा अंग्रेजी के माध्यम से अहिंदी भाषी भारतीयों और विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण देने के लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी की प्रोन्नति के लिए हिंदी आधारित तथा क्षेत्रीय भाषा आधारित द्विभाषी, त्रिभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोश भी प्रकाशित कर रहा है।

दयानन्द कालेज, वाराणसी

1365. **श्री एस.पी. जायसवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सभा की याचिका संबंधी समिति, 1988 के 79वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार दयानन्द कालेज, वाराणसी को शैक्षिक और वित्तीय समस्याओं से बचाने के

उद्देश्य से दिल्ली पैटर्न के आधार पर अनुरक्षित कालेज बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अभी हाल में ही डी.ए.वी. डिग्री कालेज को विश्वविद्यालय से असम्बद्ध कर दिया है क्योंकि कालेज पिछले कई वर्षों से अनुमोदित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहा था। कालेज की प्रबंध समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की अनयिमितताओं से बचने के लिए विश्वविद्यालय कालेज के शासी निकाय से कालेज की उचित नियंत्रण प्रणाली तथा प्रबंध ढांचे पर बातचीत करें। अतः इस समय संस्थान के वित्तपोषण की समीक्षा करना असामयिक होगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में गैर-सरकारी संगठनों के लिए समग्र साक्षरता मिशन परियोजनाएं

1366. श्री भक्त चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने उड़ीसा में गैर-सरकारी संगठनों के लिए जिलावार कितनी समग्र साक्षरता मिशन परियोजनाएं स्वीकृत की है;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असंतोषजनक कार्य-निष्पादन वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत, उड़ीसा राज्य के 9 जिलों में 19 स्वैच्छिक एजेन्सियों को संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। प्रत्येक जिले की एजेन्सियों जिन्हें परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं, की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) युवा एवं सामाजिक विकास केन्द्र, भुवनेश्वर ने 5 एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का बाह्य मूल्यांकन किया। उड़ीसा राज्य के जन शिक्षा निदेशालय 4 एजेन्सियों की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं में उन दो एजेन्सियों की परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनका मूल्यांकन युवा एवं सामाजिक विकास केन्द्र द्वारा पहले ही किया गया था। राज्य सरकार 12 और एजेन्सियों की परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रही हैं। राज्य सरकार ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह उन 16 स्वैच्छिक एजेन्सियों, जिनका मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, को तब तक और अनुदान राशि प्रदान न करें जब तक कि राज्य सरकार अपनी अनुमति रिपोर्ट प्रस्तुत न करें।

(घ) और (ङ). युवा एवं सामाजिक विकास केन्द्र ने अपने द्वारा मूल्यांकित 5 एजेन्सियों की संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विशेष कमियां नहीं बताई हैं।

राज्य सरकार ने (1) नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान (2) विद्युत क्लब (3) उड़ीसा स्टेट भारत स्काउट्स एवं गाइड्स और (4) भारत सेवा परिषद नामक 4 एजेन्सियों के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कार्यवाही आरंभ की गई है :-

(1) विद्युत क्लब से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य सरकार की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिए गए। उन स्पष्टीकरणों की जांच की जा रही है।

(2) उड़ीसा स्टेट भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स को अपनी परियोजना समाप्त करने तथा परियोजना के परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। खुर्दा जिले के कलक्टर से अनुरोध किया गया है कि वे जिला साक्षरता समिति द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को शामिल करने के लिए तुरन्त प्रयास करें।

(3) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वह नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित परियोजना के लिए विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने तथा बाह्य नमूना जांच करने के उपाय करें।

(4) राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सूचित किया है कि भारत सेवा परिषद् इस कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित करने में असमर्थ रही है तथा वह सरकारी अनुदान राशि को सही रूप से प्रयुक्त नहीं कर पाई है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि स्वैच्छिक एजेंसी को अग्रिम अनुदान राशि प्रदान न की जाए तथा जिला साक्षरता समिति, पुरी द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन के लिए शेष जिलों को शामिल करने के लिए भारत सरकार की अनुमति ली जाए। मंत्रालय में उक्त रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

उड़ीसा राज्य में गैर सरकारी संगठनों को संस्वीकृत संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं की जिलावार संख्या दर्शाने वाली सूची

क्र.सं.	जिला	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम
1.	पुरी	6
2.	जगतसिंहपुर	1
3.	जजपुर	2
4.	भद्रक	1
5.	कटक	1
6.	मयूरभंज	5
7.	खुर्दा	1
8.	नोपारा	1
9.	अंगुल	1
	कुल	19

[हिन्दी]

फालसीपेरम मलेरिया

1367. श्री आर.एल.पी. वर्मा :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अक्तूबर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फालसीपेरम मलेरिया वार्निंग इन केपिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सकों ने राजधानी में डेंगू बुखार के बाद फालसीपेरम मलेरिया नामक घातक महामारी की संभावना के बारे में सचेत किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राजधानी में फालसीपेरम मलेरिया से रोकने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पी. फालसीपेरम सहित मलेरिया की स्थिति का प्रबोधन राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम संगठनों द्वारा केन्दीय और राज्य दोनों स्तरों पर किया जा रहा है।

राजधानी में पी. फालसीपेरम के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं :-

- उपयुक्त मलेरिया रोधी औषधों से ज्वर के रोगियों का शीघ्र पता लगाना तथा उनका तत्काल उपचार।
- चयनित कीट नाशक छिड़काव तथा लार्वा-रोधी आपरेशनों के माध्यम से वैक्टर नियंत्रण उपायों को तीव्र करना।
- जन जागरूकता उत्पन्न करने तथा मलेरिया रोधी कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को तीव्र करना।
- मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में लोगों की भागीदारी।

संस्कृत भाषा की पढ़ाई

1368. श्री बची सिंह रावत "बचदा" :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संस्कृत भाषा की पढ़ाई तथा प्रसार हेतु कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राज्यों के लिए अनुदान मंजूर किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त वर्षों में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय योजना की स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी :—

	(रु. लाख में)
वर्ष 1993-94	54.46
वर्ष 1994-95	54.46
वर्ष 1995-96	64.92

(घ) संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(1) दयनीय आर्थिक स्थिति में रहने वाले उत्कृष्ट संस्कृत पंडितों को अनुदान प्रदान करना।

(2) उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

(3) माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत भाषा की शिक्षा देने के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

(4) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करना।

यह योजना सस्कृत भाषा के विकास के लिए विद्वत सम्मलेन आयोजित करने, संस्कृत पाठशालाओं में वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने, संस्कृत शिक्षण के लिए सांध्य-कालीन कक्षाएं आयोजित करने, कालिदास समारोह मनाने आदि जैसे उनके अपने कार्यक्रमों के लिए भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस मंत्रालय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति

1369. **श्री वी. धनन्जय कुमार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति ने सन् 2000 तक कर्नाटक में कम से कम 3000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) कोई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति नहीं है। तथापि, जल-भूतल, परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद है। इस परिषद की अब तक चार बैठकें हुई हैं और किसी भी बैठक में ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 की मरम्मत

1370. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर जिले में बेगूसराय से तेजपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण यातायात भंग हो गया है;

(ख) क्या इस राजमार्ग पर बाछवाड़ा के निकट सुल्ताना नाला पर बनाया गया पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार राजमार्ग की मरम्मत कराने और सुल्ताना नाला पर नए पुल का कब तक निर्माण करने का है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) इस खंड में मामूली क्षति हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग को उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। सुल्ताना नाला पर नए पुल का निर्माण कार्य पहले ही प्रगति पर है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी

1371. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर स्थित राजीव गांधी यूनीवर्सिटी के लिए केन्द्रीय सहायता अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता राशि की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान कोई सहायता राशि स्वीकृत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) 10.00 करोड़ रुपए।

(ग) और (घ). स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए यह मामला आवश्यक धन प्रदान करने के लिए योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोग

1372. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में बसे भारतीय मूल के परिवारों को तालिबा सैनिकों ने अपना निशाना बनाया है जैसा कि 19 अक्तूबर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा है;

(ख) भारतीय मूल के कितने लोगों के घरों को लूट लिया गया है तथा उन्हें देश छोड़कर चले जाने को कहा गया है तथा उनमें से कितने लोग अब तक भारत पहुंच चुके हैं;

(ग) अफगानिस्तान में उन लोगों के जान माल की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) अफगानिस्तान में अशांति फैलने के बाद वहां भारत लौटने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या कितनी है तथा उन्हें अब तक कितनी सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). सरकार ने दिनांक 19 अक्तूबर, 1996 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी प्रैस रिपोर्ट को देखा है परन्तु किसी अन्य स्रोत से इस विषय में कोई पुष्टिकारक रिपोर्ट नहीं मिली है।

कलकत्ता पत्तन विकास कार्यक्रम

1373. **श्री पी.आर. दास मुंशी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन विकास कार्यक्रम के निजीकरण पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी धारणा और उद्देश्य क्या हैं और उन समूहों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इसमें अंतर्ग्रस्त किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). सरकार ने, पत्तन क्षेत्र के अधिक विस्तार तथा कार्य कुशलता और उत्पादकता में सुधार करने तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी संस्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से कलकत्ता सहित सभी महापत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। निजी क्षेत्र की सहभागिता खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा के आधार पर होगी तथा निविदाएं निर्माण, स्वामित्व और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर आमंत्रित की जाएगी। प्रक्रिया और मूल्यांकन मानदण्ड में पूर्ण पारदर्शिता होगी।

अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित किए जाने वाले संभावित समूह में तेल, इस्पात एवं पैट्रो रसायन क्षेत्र, कन्टेनर एवं अन्य प्रचालक, निकर्षण कम्पनियों तथा विभिन्न विदेशी पत्तन प्राधिकारी शामिल हो सकते हैं। उद्यमी, पत्तन द्वारा निविदाएं आमंत्रित किए जाने पर निजी क्षेत्र की सहभागिता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र हैं।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों का आयात

1374. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत से अधिक हथियारों का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक तत्संबंधी निहितार्थों की जांच की है और भारत की अपनी रक्षा तैयारी के हित में उचित कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त कर रहा है और अभी हाल ही में ब्राउन संशोधन आदि के कारण उसके हथियारों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत आत्म-निर्भरता की नीति अपनाता है और रक्षा तैयारियों के मामले में स्वदेशी प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर नजर रखी जाती है, संभावित खतरों की निरंतर समीक्षा की जाती है और रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं।

भारत-ओमान संबंध

1375. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान के साथ नजदीकी संबंध बनाने के संबंध में कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच हाल में उच्च स्तरीय सरकारी वार्ता में इस मामले पर चर्चा की गई;

(ग) यदि हां, तो ओमान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान ओमान में भारतीय कम्पनियों के सहयोग से जिनके लिए समझौता हो चुका है, स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ओमान की सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है और भारत-ओमान संबंधों को और अधिक मजबूत करने के संबंध में अपनी वचनबद्धता की संपुष्टि की हैं।

(घ) दोनों देश 4,400 मीट्रिक टन यूरिया और 3500 मीट्रिक टन अमोनिया प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के साथ 1106 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत पर सूर, ओमान में एक संयुक्त उद्यम उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। कृषक भारती सहकारी लि. (कृभको) और राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि. (आर सी एफ) भारतीय साझीदार होंगे जिनमें से प्रत्येक की इक्विटी 25 प्रतिशत होगी। शेष 50 प्रतिशत इक्विटी ओमान सरकार द्वारा धारित की जाएगी। यूरिया का संपूर्ण उत्पादन कृभको/आर सी एफ द्वारा खरीदा जाएगा।

[हिन्दी]

के.वी.एस. का शासी निकाय

1376. **श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :** क्या मानव **संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी निकाय की हाल ही में हुई बैठक में क्या निर्णय लिये गये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 8 नवम्बर, 1996 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को अनुमोदित किया - नियम, 19(9) एवं 16 में संशोधन, इस वर्ष के 30 नवम्बर को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों की अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए पुनर्नियुक्ति, सी पी एफ/जी पी एफ अग्रिमों तथा आंशिक-अंतिम आहरण के संवितरण का क्षेत्रीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण, समूह "घ" के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा तथा शिक्षा अधिकारियों से संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1377. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई मांग रखी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). वर्धा, महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक इस समय संसद के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

एजेंसी शुल्कों में वृद्धि हेतु अध्ययन दल

1378. **श्री शरद पवार :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये तथा मरम्मत के कार्यों पर उनके द्वारा किए गए खर्च के संबंध में एजेंसी शुल्क में वृद्धि किए जाने संबंधी राज्य सरकारों की मांग का अध्ययन करने हेतु कोई अध्ययन दल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की सिफारिशों तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

1379. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया, कोढ़, यक्षमा, एड्स और "कैंसर" इत्यादि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान पता चले रूझानों और मानक मूल्यांकन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए तत्संबंधी राज्य-वार, योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन स्तर पर पता चली खामियों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या नई पहल की गई है/करने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए तैयार की गई नई नीतियों/महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत लगभग कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का 1995 में विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था। अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्कीमों का कोई राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन नहीं किया गया है, लेकिन उन सभी का नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की राष्ट्रीय समीक्षा के राज्यवार ब्यौरे संकलित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर एक विशेषज्ञ समिति ने देश के सभी राज्यों में संशोधित कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए अधिक खतरे वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया है।

(घ) **मलेरिया**

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर मलेरिया कार्य योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें महाराष्ट्र सहित देश भर में तत्काल कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों के कार्यक्रम अधिकारियों और जिला मलेरिया अधिकारियों में परिचालित किया गया है। महाराष्ट्र के लिए 1996-97 में 17.59 लाख रुपए का अनन्तिम परिव्यय प्रदान किया गया है।

क्षय रोग

महाराष्ट्र में संशोधित कार्यनीति का मुम्बई शहर और पुणे के कुछ भागों में मार्गदर्शी आधार पर परीक्षण किया गया हैं। इस कार्यनीति को 1997-98 में रायगढ़ और सम्पूर्ण पुणे जिले में तथा मुम्बई में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त क्षय रोग कार्यक्रम में देखरेख कार्य में सुधार लाकर और ब्लिस्टर कॉम्बी पैक स्ट्रिप में क्षय रोग रोधी औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करके 24 अन्य (अल्पावधि रसाय-चिकित्सा) वाले जिलों में क्षय रोग कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा। वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए 598 लाख रुपए की राशि रखी गई है।

एड्स

महाराष्ट्र सरकार ने 1996-97 में कार्यान्वयन के लिए एक महत्वाकांक्षी वार्षिक योजना तैयार की है जिस पर 9.82 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। भारत सरकार ने इसे स्वीकृत प्रदान कर दी है।

कैंसर

महाराष्ट्र में टाटा मैमोरियल अस्पताल, मुम्बई है जिसे क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य की 15 अन्य संस्थाओं में कैंसर उपचार के लिए रेडियोथिरेपी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष 1996-97 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र स्थित संस्थाओं के लिए 75 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

1380. श्री बादल चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने अथवा विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के रूट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-44 का सबरूम तक विस्तार करने के लिए त्रिपुरा सरकार और संसद सदस्यों को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का त्रिपुरा में सबरूम तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। तथापि, निधियों की अति कम्मी के कारण इस खण्ड को तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं हो पाया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

1381. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष की गई थी;

(ख) क्या सभी राज्यों में राज्य स्तरीय महिला आयोग की स्थापना की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन राज्यों ने अब तक राज्य स्तरीय महिला आयोग की स्थापना नहीं की है तथा ऐसे आयोग कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे;

(घ) आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितने मामलों को निपटाया गया;

(ङ) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(च) क्या आयोग की सेवा के लाभ शहरी और ग्रामीण महिलाओं को समान रूप से प्राप्त हुए हैं;

(छ) क्या आयोग के कार्यकरण में सुधार करने के लिए दूरदर्शन द्वारा कोई प्रचार योजना बनाई गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) महिलाओं के कल्याण के लिए आयोग द्वारा अन्य क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी, 1992 को किया गया था।

(ख) और (ग). जी, नहीं। राज्य स्तर पर महिला आयोगों की स्थापना आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं हुई है। राज्य स्तर पर महिला आयोगों की स्थापना राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय महिला आयोग को आज तक कुल 1211 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 972 मामलों में कार्यवाही की गयी और इन शिकायतों से उत्पन्न मामलों को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(घ) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया गया।

(च) जी, हां।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

(झ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी स्थापना के समय से ही महिलाओं के कल्याणार्थ विभिन्न मुद्दे उठाये हैं। कतिपय महत्वपूर्ण मामलों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) वेश्याओं, बच्चों और महिलाओं का पुनर्वास

(2) ताड़ी-रोधी कार्यक्रम

(3) महिला पारिवारिक लोक अदालतें।

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

1382. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाले/न करने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य-वार अलग अलग संख्या कितनी है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा कितने कम्प्यूटर खरीदे गए;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में की गई धांधली का पता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत संगणक शिक्षा 858 केन्द्रीय विद्यालयों में से 291 केन्द्रीय विद्यालयों में प्रदान की जा रही है। संगणक शिक्षा देने/न देने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) क्लास परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कोई संगणक नहीं खरीदा गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	संगणक शिक्षा प्रदान करने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	संगणक शिक्षा प्रदान न करने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	28
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	09
3.	असम	18	30
4.	बिहार	23	34
5.	गोवा	01	04
6.	गुजरात	14	27
7.	हरियाणा	08	17
8.	हिमाचल प्रदेश	02	16
9.	जम्मू और कश्मीर	07	19
10.	कर्नाटक	08	20
11.	केरल	10	15
12.	मध्य प्रदेश	23	68
13.	महाराष्ट्र	22	32
14.	मणिपुर	01	04
15.	मेघालय	01	06
16.	मिजोरम	-	01
17.	नागालैंड	02	04
18.	उड़ीसा	07	23
19.	पंजाब	13	23
20.	राजस्थान	10	42
21.	सिक्किम	01	-
22.	तमिलनाडु	16	13
23.	त्रिपुरा	-	05
24.	उत्तर प्रदेश	47	72
25.	पश्चिम बंगाल	19	29
26.	अंडमान और निकोबार	01	02
27.	चंडीगढ़	03	03
28.	दिल्ली	17	17
29.	पांडिचेरी	-	02
30.	विदेशों में स्थित केन्द्रीय विद्यालय (के.वि.मास्को, के.वि.काठमांडु)	-	02
	योग : 858 =	291 +	567

इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम

1383. श्री जी. एम. कुंदूरकर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1996 को "टाइम्स आफ इंडिया" में "इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कमिंग" नामक शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली द्वारा यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) यह सूचना दी गई है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सड़क, वाहन और चालक में परस्पर सूचना आदान-प्रदान करने की सुविधा होगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

बर्न्स वार्ड

1384. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय द्वारा सफदरजंग अस्पताल के "बर्नस वार्ड" में जाकर जांच करने हेतु गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समिति की सिफारिशों पर आगे कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) समिति ने 15.10.96 को वार्ड का दौरा किया और दिल्ली उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

(ख) समिति ने सफाई और सुविधाओं के रख-रखाव के मानकों में विभिन्न कमियों का रख-रखाव बताते समय अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की कि सिफारिश की वार्ड में अधिक कर्मचारियों/डाक्टरों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और ई.सी.जी. डायलेसिस, वेन्टिलेटरी, सक्शन ऐपेरेट्स, बी.पी. मशीन जैसे आधुनिक उपकरण खरीदे जाने चाहिए और वातानुकूलकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

(ग) और (घ). अस्पताल के प्राधिकारियों ने उपकरणों की खरीद और बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने और बर्न्सवार्ड के लिए विभिन्न श्रेणियों के और अधिक पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

डेंगू बुखार हेतु रक्त परीक्षण

1385. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में विशेषकर डेंगू बुखार हेतु रक्त परीक्षण हेतु उचित सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली में डेंगू बुखार के मामलो में रक्त परीक्षण हेतु पुणे लेबोरेट्रीज पर आश्रित होना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में क्या कार्यवाही किए जाने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं। दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों को दिल्ली के डेंगू ज्वर के रोगियों की रक्त जांच रिपोर्टों के लिए पुणे की प्रयोगशालाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ऐसी जांचों की व्यवस्था राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मौजूद है। तथापि, प्रतिजांच और नसों के पृथक्करण के लिए कभी-कभी रक्त, नमूनों को राष्ट्रीय विषापुज संस्थान पुणे को भेजा जाता है जहाँ सीरम विज्ञान संबंधी परीक्षण भी किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षण शुल्क

1386. श्री आर. साम्बासिवा राव :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षण शुल्क बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). शिक्षा की लागत की कतिपय प्रतिशतता को पूरा करने के लिए, जो कि उत्तरोत्तर वर्ष दर वर्ष काफी बढ़ रही है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को परिषद् (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सभी कार्यकलापों को समन्वित करने वाला केन्द्रीय निकाय) ने 7.11.1996 को आयोजित अपनी 34वीं बैठक में अवर स्नातक तथा स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रत्येक वर्ष के शुल्क को शैक्षिक वर्ष 1997-98 से क्रमशः 1850 रुपये से बढ़ाकर 15,000/- रुपये और 2609 से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने को अनुमोदित किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में कश्मीर का मुद्दा

1387. **श्री पिनाकी मिश्र :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल की कार्यसूची में कश्मीर मुद्दे को शामिल किया गया था;

(ख) इस मुद्दे को कार्यसूची से हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). कश्मीर का मसला बहुत वर्षों से सुरक्षा परिषद् का कार्यसूची में बना रहा है। अभी हाल में कार्यसूची में इस विषय पर कोई नई मद शामिल नहीं की गई है। इस वर्ष के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की कार्यसूची से उन मदों को हटा देने का प्रस्ताव किया गया था जो पांच वर्षों से सक्रिय रूप से चर्चा में नहीं रहे हैं। तथापि इस वर्ष अक्तूबर में महासभा के महासचिव द्वारा जारी की गई एक अधिसचूना में कहा गया है कि संबंधित सदस्य राज्यों की पूर्व सहमति के बिना विषय सूची के किसी भी मद को नहीं हटाया जायेगा जिन पर परिषद् ने रोक लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार किसी मद को कार्यसूची में बनाए रखने के लिए हर वर्ष पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होगी। इसके अनुसार कश्मीर मसले को हटाने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की सहमति अपेक्षित होगी। चूंकि पाकिस्तान इस मद को हटाने के खिलाफ है अतः यह मद सुरक्षा परिषद् की कार्यसूची में बरकरार है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत और पाकिस्तान के बीच विद्यमान कश्मीर सहित सभी मतभेदों के शीघ्र और शांतिपूर्ण हल को सुसाध्य बनाने के लिए जो भी आवश्यक सहायता हो प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है बशर्ते कि भारत और पाकिस्तान दोनों इसके लिए अनुरोध करें। पाकिस्तान ने महासचिव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ विभिन्न मसलों पर किसी भी प्रकार की पूर्वशर्तों के बिना, शिमला समझौते के अंतर्गत द्विपक्षीय रूप से विचार-विमर्श करने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित कर दिया है।

रक्षा पर खर्च किए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता

1388. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रक्षा पर आबंटित किया गया;

(ख) सरकार ने विश्व संस्था (संयुक्त राष्ट्र) का ध्यान पाकिस्तान द्वारा रक्षा पर लिये गये अत्यधिक व्यय तथा अमरीका, चीन और फ्रांस आदि देशों द्वारा पाकिस्तान को जैट लड़ाकू विमान, प्रक्षेपास्त्र और नाभिकीय हथियारों तथा उपकरण सहित अत्याधुनिक शस्त्रों की बिक्री से भारत की सुरक्षा को उत्पन्न हुये खतरे की ओर दिलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे तथा उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). भारत और पाकिस्तान द्वारा रक्षा पर व्यय किए गए सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाने वाले सांख्यिकीय आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	भारत	पाकिस्तान
1994-95	2.53	6.88
1995-96	2.39	6.88
1996-97	-	6.99 (अनुमानित)

(स्रोतः रक्षा अध्ययन एंव विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली)

विभिन्न देशों के रक्षा व्यय का विश्लेषण और तुलना करने के लिए विभिन्न मानदण्डों का उपयोग किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय के आधार पर किए गए विश्लेषण को ही सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तथापि, विभिन्न देशों द्वारा रक्षा व्यय के वर्गीकरण और श्रेणीकरण के लिए प्रयुक्त मानदंडों में अंतर होने के कारण इस प्रकार की तुलना में स्वाभाविक रूप से कमी रह जाती है। साथ ही, इस प्रकार के सांख्यिकीय मानदंडों से सशस्त्र सेनाओं की युद्धक विशेषज्ञता अथवा रक्षा तैयारी का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता।

हमारे देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गतिविधियों की सरकार निरंतर समीक्षा करती रहती है। सरकार को रक्षा के क्षेत्र में पाकिस्तान और अन्य देशों के बीच बढ़ते संबंधों की जानकारी है। यह सुनिश्चित करते समय कि रक्षा तैयारी का अपेक्षित स्तर बना हुआ है हमारे पड़ोसी देशों द्वारा सैन्य साज समान के अर्जन को ध्यान में रखा जाता है। आवश्यक होने पर हमारी चिंता को उपयुक्त रूप से उपयुक्त मंचों पर रखा जाता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को धमकी

1389. **श्री तारीक अनवर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 9 अक्तूबर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पोलीटीशियन्स-क्रिमिनल्स नेक्सस थ्रेटेन्स टू थ्रोटल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के महाजाल में फंसता जा रहा है जहां करोड़ों रुपये दांव पर लगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). तथ्यों का पता लगाया जा रहा हैं और सरकार को ब्यौरे उपलब्ध होते ही उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा में मेडिकल कालेज और अस्पताल

1390. श्री मुरलीधर जेना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कार्यरत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों और अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान इन कालेजों और अस्तपालों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने नये आयुर्वेदिक कालेजों और अस्पतालों की स्थापना तथा वर्तमान आयुर्वेदिक कालेजों और अस्पतालों के विस्तार का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 6 मेडिकल कालेज एवं 8 आयुर्वेदिक अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान श्री नृसिंह नाथ आयुर्वेद कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा को 10.00 लाख रु. का सहायतानुदान दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आयुर्वेदिक कालेज :

1. गोपालगंज आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पुरी-752 001
2. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, बोलांगीर-767001
3. श्री नृसिंह नाथ आयुर्वेद कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, नृसिंह नाथ, डाकखाना पैकमल-768039 जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा।
4. कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेदिक कालेज, अंकुशपुर-761100, गंजम उड़ीसा।
5. मयूरगंज आयुर्वेद महाविद्यालय, तखतपुर बारीपद-757003
6. इंदिरा गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, जगमारा, डाकखाना-खोंडागिरि, भुवनेश्वर-751030

आयुर्वेदिक अस्पताल :

सरकारी	स्थानीय निकाय	अनुसंधान परिषदों के अधीन	अन्य	कुल
5	-	1	2	8

रक्षा संगठनों की लेखापरीक्षा

1391. श्री सौम्य रंजन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा संगठनों की सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). गोलाबारूद और विस्फोटकों की सार-संभाल करने वाला प्रमुख रक्षा स्थापनाओं का, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक स्थापना पर्यावरण एवं विस्फोटक सुरक्षा केन्द्र के विशेषज्ञों द्वारा वार्षिक सुरक्षा लेखा परीक्षा किए जाने की एक सतत योजना है। सुरक्षा उपायों में वृद्धि किए जाने से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन की पर्यावरण एवं विस्फोटक सुरक्षा केन्द्र द्वारा आवधिक रूप से मानीटरिंग की जाती है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

1392. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किन-किन संस्थाओं को आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान के रूप में मान्यता दी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ इन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये; और

(ग) उनमें से प्रत्येक संस्थान को गत दो वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क)

(1) मुम्बा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई तथा

(2) वेदिका समशोधन मैण्डल, पुणे।

(ख) संस्कृत महाविद्यालय अथवा शोध संस्थान का संचालन करने वाला कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन, चाहे वह "सोसायटी पंजीकरण अधिनियम" अथवा पंजीकृत ट्रस्ट के अधीन सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा हो, वह निम्नलिखित शर्तों के आधार पर मान्यता का पात्र है :-

(1) महाविद्यालय में प्राक शास्त्री, आचार्य अथवा परम्परागत विषयों में समकक्ष पाठ्यक्रमों का शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। शोध संस्थान में विभिन्न परम्परागत संस्कृत विषयों में शोध होना चाहिए।

(2) महाविद्यालय/शोध संस्थान का अस्तित्व उपर्युक्त (1) में उल्लिखित स्तर पर कम से कम सात वर्ष का होना चाहिए।

(3) संस्थान का अपना भवन तथा परिसर होना चाहिए। संस्थान के पक्ष में 99 वर्षों की लीज भी स्वीकार्य होगी।

(4) इस योजना के अंतर्गत मान्यता तथा वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले पंजीकृत संगठन को भविष्य में महाविद्यालय/शोध संस्थान के पक्ष में कम से कम 2 लाख रु. की राशि निर्धारित जमा लेखा (फिक्सड डीपोजिट एकाऊंट) में जमा करानी होगी।

(5) महाविद्यालय/शोध संस्थान को या तो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विधान के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से सम्बद्ध होना चाहिए।

(6) महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए तथा शोध संस्थान में 12 से कम सक्रिय शोधकर्ता नहीं होने चाहिए।

(ग)

	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96
(1) मुम्बा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई।	9,65,487 रु.	7,88,000 रु.
(2) वेदिका समशोधन मंडल, पुणे।	7,96,621 रु.	8,38,000 रु.

दमन और दीव में लाइट हाउस

1393. श्री गोपाल टंडेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दमन और दीव में कार्यरत वर्तमान लाइट हाउस के दायरे में वृद्धि करने का है ताकि इसके कम दायरे के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी मत्स्यन जेटियां कार्य कर रही हैं;

(घ) क्या दमन और दीव में नई जेटियों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या जेटी के निर्माण के लिए समुद्री किनारे से कोई दूरी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) दीपघर और दीपपोत विभाग ने मौजूदा कम दायरे वाले प्रकाश में सुधार करने के प्रयोजन से अधिक दायरे वाले दीपघर की स्थापना का कार्य दमन और दीव प्रशासन की तरफ से एजेंसी आधार पर अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) एक 30 मीटर ऊंचे आर सी सी दीपघर का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। प्राप्त किए गए प्रकाश उपस्कर का दायरा (रेंज) 20 नाटिकल मील होगा। इस स्थल का मृदा जांच कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) दीव में वनकबारा में केवल एक मत्स्य उतराई जैटी प्रचालन में है।

(घ) दमन और दीव प्रशासन ने नानी दमन, वनकबारा और घोघला में मत्स्य बंदरगाह विकसित करने और मोती दमन, कदेया तथा दीव, इन 3 स्थानों पर मत्स्य उतराई केन्द्र स्थापित करने के लिए इन स्थानों की जांच तथा इनकी उपयुक्तता का आकलन करने का सुझाव दिया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू युवक केन्द्र

1394. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्र साक्षरता अभियान में जुड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अभियानों में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या नेहरू युवा केन्द्रों के पास अपनी गतिविधियां चलाने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुदानों के अलावा भी कोई संसाधन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) और (ख). जी, हां। ब्यौरा सलंग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ). जी, हां। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग से प्राप्त निधियों के अलावा, नेहरू युवा केन्द्र, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभागों जैसे कि महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठनों (एन.ए.सी.ओ.) तथा यूनीसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए. नामक अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से भी योजनाएं अपने हाथ में लेते हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा इन अभिकरणों तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1988-89 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया था तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन को इसके युवा क्लबों के सुव्यवस्थित संजाल के साथ देश में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना का कार्य सौंपा गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने 201 जिला नेहरू युवा केन्द्रों में 16,774 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जिनमें 2,66,844 व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। नव साक्षरों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के अंग के रूप में 1505 जन शिक्षण नीलायमों (जे.एस.एन.) को शुरू किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत, शिक्षा विभाग ने 1988 से 1992 तक की अवधि के लिए नेहरू युवा केन्द्रों को 10.31 करोड़ रुपयों की राशि जारी की। उसके बाद, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने केन्द्रीय वित्त पोषण प्रणाली को बंद कर दिया तथा जिला कलेक्टर/जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित एक जिला साक्षरता समिति के माध्यम से जिला स्तर पर वित्त पोषण करना आरंभ कर दिया। इस संशोधित प्रणाली के कारण, नेहरू युवा केन्द्रों को साक्षरता अभियानों के लिए प्रत्यक्ष रूप से निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर भी, युवा कार्यक्रमों संबंधी जिला परामर्शदात्री समिति (डी.ए.सी.वाई.पी.) के अध्यक्ष होने के नाते जिला कलेक्टर/जिलाधीश कुल साक्षर अभियानों को कार्यान्वित करने के एक व्यक्ति के रूप में जिला स्तर पर नेहरू युवा केन्द्रों की पहचान करते रहे हैं।

विवरण-II

वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा

क्र.सं.	सहयोगी अभिकरण का नाम	स्कीम/योजना का नाम	जुटाई गई निधियां (लाख रु. में)
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य जागरूकता इकाइयां	45.13
2.	यूनीसेफ (उत्तर प्रदेश)	युवा कार्रवाई लक्ष्य, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य	91.788
3.	राज्य नवीकरण योजना सेवा अभिकरण	स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां	25.00
4.	विश्व बैंक योजना	लोक कला	01.55
5.	शिक्षा विभाग	अनौपचारिक शिक्षा परियोजना	02.67
7.	खादी और ग्रामोद्योग निगम	खादी संवर्धन हेतु फैशन शो	06.75
10.	युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवी	1,82.70
11.	-वही-	युवा क्लबों को वित्तीय सहायता	30.05
12.	-वही-	जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के युवा क्लब	15.72
13.	-वही-	युवा विकास केन्द्र	50.00
14.	-वही-	राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण	18.59
15.	-वही-	खेल आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता	01.30
16.	-वही-	सद्भावना कार्यक्रम	00.11
			4,71.358

ननकाना साहिब जाने वाले तीर्थयात्री

1395. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के सिक्ख तीर्थयात्रियों को जो पाकिस्तान में ननकाना साहिब की यात्रा पर जाना चाहते हैं, गत कुछ वर्षों से पाकिस्तान द्वारा वीजा नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन श्रद्धालुओं की ननकाना साहिब की यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). सरकार का मानना है कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के उन सिख तीर्थ-यात्रियों को वीजा देने से इंकार किया है जो धार्मिक स्थलों की यात्रा से सम्बद्ध द्विपक्षीय प्रोटोकोल, 1974 के तहत सिख जत्थों के भाग के रूप में पाकिस्तान जाना चाहते हैं।

सरकार का यह मानना है कि पाकिस्तान की यह कार्यवाही धार्मिक स्थलों की यात्रा से सम्बद्ध द्विपक्षीय प्रोतोकोल के विपरीत है। इसके बारे में पाकिस्तान को राजनयिक माध्यमों के जरिए अवगत करा दिया गया है।

भागीरथी-हुगली नदी में नौवहन

1396. **डा. असीम बाला :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भागीरथी-हुगली नदी में कोई नौवहन कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हल्दिया-बनारसी नदी परिवहन शीघ्र ही शुरू किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली हल्दिया और इलाहाबाद के बीच राष्ट्रीय मार्ग का एक भाग है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हल्दिया पटना खंड और पश्चिम बंगाल में भागीरथी हुगली नदियों में हल्दिया और जांगीपुर के बीच 2 मीटर गहरे और 45 मीटर चौड़े नौगम्य चैनल का रख-रखाव करता है। भागीरथी-हुगली नदी खंड पूरे वर्ष भर नौवहन योग्य रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्गो की लदाई और उतराई के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में हल्दिया-बज बज में तथा कलकत्ता में भागीरथी-हुगली नदी में टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आई डब्ल्यू ए आई ने अपने जलयान राजागोपालाचारी के माध्यम से प्रयोगात्मक तौर पर कार्गो सेवाएं प्रारंभ की हैं। हल्दिया-कलकत्ता सैक्टर में कार्गो और यात्रियों के लिए नियमित रूप से नौवहन होता रहा है।

(ग) और (घ). फिलहाल, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के चरणबद्ध विकास के अंतर्गत हल्दिया-पटना खंड को प्रथम चरण के तौर पर वर्ष भर नौवहन योग्य बनाया जा रहा है। पटना से वाराणसी और इलाहाबाद के धारा प्रतिकूल नौगम्यता को बेहतर बनाने के लिए नदी तल विनियमन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है। यह जलमार्ग सरकारी तथा निजी जलयानों के प्रचालन के लिए खुला है।

[हिन्दी]

यमुना के ऊपर बराज

1397. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में यमुना नदी पर एक बराज के निर्माण हेतु परियोजना को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितना अंशदान किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) क्या इस परियोजना पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आवंटित धनराशि द्वारा पहले ही काम शुरू किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार कितनी तत्परता से केन्द्रीय जल आयोग/अन्य केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

(ख) आगरा बराज परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 1996 के मूल्य स्तर पर 100.01 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

असम में "बाईपास मार्ग"

1398. **श्री द्वारका नाथ दास :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के करीमगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य आरंभ किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) बाईपास के लिए संरेखण का अनुमोदन कर दिया गया है। निर्माण-कार्य, निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध रूप में शुरू किया जा सकता है।

स्कूल छोड़ गये बच्चों की दर

1399. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्कूल छोड़ गये बच्चों की दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं तथा इस दर को घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कक्षा (I-V) और (I-VIII) में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या क्रमशः वर्ष 1990-91 में 44.3 प्रतिशत और 63.4 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1994-95 में 36.3 प्रतिशत और 52.7 प्रतिशत हो गई है। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप संभव हुआ है। इन उपायों में सूक्ष्म योजना और सामुदायिक गतिशीलता, पंचायती राज संस्थाओं की अधिकाधिक भागीदारी, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के माध्यम से स्कूल वातावरण और आधारभूत ढांचे में सुधार लाना, लड़कियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना, वर्दी और उपस्थिति छात्रवृत्तियों के रूप में प्रोत्साहन देना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को स्थापित करना और सुदृढ़ करना, अध्ययन के न्यूनतम स्तर निर्धारित करना और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना सम्मिलित हैं।

केरल में समुद्री दीवार

1400. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने समुद्री दीवार के निर्माण/रख रखाव हेतु तट पर बसे हुए प्रत्येक राज्य को इस वर्ष का आवंटन कर दिया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने समुद्री दीवार के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से और अधिक धनराशि की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरे सहित इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) योजना आयोग द्वारा राज्यों को ब्लॉक ऋणों और अनुदानों के रूप में योजना निधियां प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा समुद्र दीवार के निर्माण/अनुरक्षण के लिए कोई अलग से आबंटन नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें राज्य योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है।

(ख) और (ग). केरल सरकार ने अगस्त, 1996 में समुद्री कटावरोधी कार्यों, नदी सुरक्षा और गाद निकालने संबंधी कार्यों के लिए 22.55 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। चूंकि यह कार्य मूल रूप से अनुरक्षण प्रकृति का था, अतः राज्य सरकार को अपनी गैर-योजना निधियों से आवश्यकताएं पूरी करने की सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में तदर्थ अध्यापकों को खपाया जाना

1401. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालयों में तदर्थ आधार पर कार्यरत अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने अथवा उन्हें खपाये जाने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनुदेशों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). जी, हां। कुमारी मनीषा वर्मा द्वारा वर्ष 1992 में दायर याचिका सं. 41730 में इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.5.1993 को दिए गए निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने/सेवा में विलयन करने की व्यवस्था की है जिन्होंने तीन वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है।

संगठन द्वारा एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय के विरुद्ध वर्ष 1993 में डिविजन बेंच के समक्ष एक विशेष अपील सं. 506 पेश की गई। यह विशेष अपील मान ली गई और दिनांक 13.5.1993 के निर्णय को रद्द कर दिया गया।

[अनुवाद]

सेना में अधिक उम्र के सैनिकों की बहुतायत

1402. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1996 के "संडे पायनियर" में "शेड्स ऑफ ग्रे डोमीनेन्ट आर्मी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दी गई जानकारी के संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) द्वितीय संवर्ग समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में कमांडरों की अधिक उम्र होने से उत्पन्न होने वाले संकट को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सन् 1947 से सेना में अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु में आवश्यकता और कार्यात्मक आधार पर परिवर्तन किए गए हैं। सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित मौजूदा आयु के अनुसार वरिष्ठ चयन रैंक के अफसर (कर्नल और उससे ऊपर) 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा मेजर और उससे नीचे के रैंक के अफसर 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल 52 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहते हैं। मौजूदा स्वास्थ्य मानकों और आयुकाल के अनुसार लेफ्टि. कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु में मामूली अंतर है। सेवानिवृत्ति की उपर्युक्त आयु विश्व की अन्य सेनाओं के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु से मेल खाती है।

यह भी सूचित किया जाता है कि अफसर रैंक से नीचे के अधिकतर कार्मिक 40 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति की उपर्युक्त आयु से सेना की संक्रियात्मक क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

1403. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को कुछ कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि को कब तक जारी कर दिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक 6802.81 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिक

1404. श्री सुरेश प्रभु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए सैनिकों की वर्षवार संख्या कितनी है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार कितने सैनिकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् रोजगार प्रदान किया गया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). 30.6.96 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में 13,12,288 भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की संख्या
1993	60,375
1994	51,292
1995	48,528

पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार दिया गया उनकी संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिन्हें पुनः रोजगार दिया गया
1991	13,973
1992	14,933
1993	16,736
1994	16,457
1995	15,670

[हिन्दी]

सीरम संबंधी जांच

1405. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां विषाणु संक्रमणों की सीरम संबंधी जांच करने वाली प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या दिल्ली में विषाणु संक्रमण की सीरम संबंधी जांच करने की कोई प्रयोगशाला नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली सरकार ने ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा दिल्ली में कब तक ऐसी प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ प्रमुख विषाणु नैदानिक प्रयोगशालाओं का ब्यौरा विवरण में दिया जाता है।

(ख) और (ग). दिल्ली में ऐसी सुविधाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और कुछ अन्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

(घ) से (छ). जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली और गुरू तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली में विषाणु संक्रमण के लिए सीरम विज्ञानीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने क लिए एक अनुरोध भेजा है। हालांकि इस समय राज्यों को ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है, दिल्ली सहित देश में चुनिन्दा स्थानों पर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।

विवरण

1. राष्ट्रीय विषाणुज विज्ञान संस्थान, पुणे
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली
4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
5. अन्त्र विषाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।
6. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर
7. स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता
8. किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ
9. किंग इन्स्टीट्यूट आफ प्रोवेन्टिवक मेडिसिन, हैदराबाद
10. इन्स्टीट्यूट आफ प्रोवेन्टिव मेडिसिन, हैदराबाद
11. जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान, पांडिचेरी।
12. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लूर।

[अनुवाद]

प्राचीन मंदिरों तथा स्मारकों की स्थिति

1406. **श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देश के अधिकांश मंदिर तथा स्मारक उपेक्षित तथा जीर्णावस्था में है;

(ख) क्य यह भी सच है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने उन मंदिरों तथा स्मारकों की एक तालिका बनाई है जिनके संरक्षण तथा जीर्णोद्धार की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर.. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). यहां पर 3574 स्मारक, स्थल और अवशेष हैं जिन्हें प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इन स्मारकों के सामान्य रख रखाव और जीर्णोद्धार के अलावा वास्तविक आवश्यकतानुसार इनके परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास के लिए विशेष मरम्मत की गई है यह एक सतत प्रक्रिया है जिसका नियमित पुनर्विलोकन किया जाता है।

बिहार में नर्सिंग स्कूल

1407. **श्री पी.सी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या भारतीय नर्सिंग परिषद ने बिहार में कुछ नर्सिंग स्कूलों को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में इन नर्सिंग स्कूलों तथा अन्य नर्सिंग स्कूलों के छात्रों को कई वर्षों से फायनल परीक्षाओं में बैठने और पास कोर्स प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन छात्रों के भविष्य की रक्षा हेतु परीक्षा कराये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय उपचर्या परिषद ने बिहार में 10 उपचर्या शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है।

(ग) और (घ). बिहार उपचर्या परिषद राज्य में उपचर्या पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। यह परिषद राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। भारतीय उपचर्या परिषद ने सूचित किया है कि परिषद के रजिस्ट्रार के पद से संबंधित विवाद के कारण 1990 से विभिन्न उपचर्या पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं। यह मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आया था और न्यायालय द्वारा 31.7.96 तक परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देशों के बावजूद अभी भी इसका अनुपालन नहीं किया गया है। मामले को शीघ्र निपटाने के लिए इसे बिहार सरकार के साथ उठाया गया है।

कैण्टीन स्टोर विभाग में शामिल किये गये मद

1408. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कैण्टीन स्टोर विभाग में शामिल किये गये नये मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन नये मदों के आने से जाने-माने ब्राण्ड मद या तो गायब हो गये हैं या फिर उन्हें कम मात्रा में प्राप्त किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन जाने-माने ब्राण्ड मदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान मात्रा-बार प्राप्त किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) पिछले तीन वर्षों में कैंटीन स्टोर विभाग में शामिल की गई नई मदों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	शामिल की गई मदें
1993	34
1994	86
1995	30
कुल	150

(ख) और (ग). जहां तक कैंटीन स्टोर विभाग में इस प्रकार की मदों की उपलब्धता का संबंध है नई शामिल की गई मदों और मौजूदा मदों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है। नई शामिल की गई मदों की खरीद सहित मदों की खरीद यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीनों की वास्तविक मांग के अनुसार की जाती है। प्रतिष्ठित ब्रांड अथवा अन्यथा सामान का अलग से कोई वर्गीकरण कैंटीन स्टोर विभाग में नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों में कैंटीन स्टोर विभाग में की गई खरीद की कुल धनराशि निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपए में)
1992-93	873.53
1993-94	1133.50
1994-95	1336.01

यूनानी/आयुर्वेदिक औषधियां

1409. डा. सी. सिल्वेरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्तमान निदेशों में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एलोपैथी औषधालयों के चिकित्सकों द्वारा लिखी या बताई गई यूनानी अथवा आयुर्वेदिक औषधियां यूनानी अथवा आयुर्वेदिक औषधालयों के चिकित्सकों द्वारा जारी की जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे निदेशों में यह भी प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक अथवा यूनानी औषधालयों के चिकित्सकों द्वारा निर्धारित आयुर्वेदिक अथवा यूनानी औषधियां जारी करने से इंकार करने पर लिखित में सूचित किया जाये;

(घ) क्या इन निदेशों में यह भी प्रावधान है कि लिखित में इन्कार न करने पर सी.जी.एस.एस. लाभार्थी किसी सक्षम प्राधिकारियों को रिपोर्ट कर सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). 1990 से अनुदेश जारी किए गए हैं और इन्हें समय समय पर दोहराया गया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत डाक्टर उसी चिकित्सा पद्धति के लिए औषधि निर्धारित करते हैं जिसमें वे अर्हता प्राप्त होते हैं। यह रोगियों की उपयुक्त परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

(ग) और (घ). जी नहीं।

(ङ) अनुदेशों का समग्र उद्देश्य डाक्टर अपनी योग्यता के अनुसार रोगी परिचर्या प्रदान करना तथा उस चिकित्सा प्रणाली द्वारा उपचार प्रदान करना है जिसकी उसके पास अर्हता है। यदि लाभ भोगी औषधियां प्राप्त करने में किन्हीं समस्याओं का सामना करते हैं तो उनके लिए निर्धारित व्यवस्थाएं हैं ताकि वे उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकें।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में छोटे-छोटे अनुभाग

1410. **श्री दिनशा पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में पर्यावरणीय इंजिनियरी, परिवहन इत्यादि जो सिविल इंजिनियरी विभाग के भाग है में छोटे-छोटे अनुभाग है;

(ख) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में विभिन्न विभागों में सिविल इंजिनियरी विभाग को छोड़कर भी छोटे-छोटे अनुभाग हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सिविल अभियंत्रण विभाग में इन छोटे-छोटे अनुभाग को समाप्त कर इसे उक्त संस्थान के अन्य विभागों के समकक्ष बनाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की सीनेट परम्परागत तथा आविर्भावी क्षेत्रों में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों को बनाए रखने तथा संस्थापित करने के सम्बन्ध में नियंत्रण रखती है तथा सामान्य विनियमन करती हैं और वह इसके लिए उत्तरदायी है। पर्यावरणात्मक इंजीनियरी और परिवहन इंजीनियरी आदि आविर्भावी क्षेत्र है और वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सिविल इंजीनियरी विभाग का अभिन्न अंग हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या वृद्धि

1411. **श्री मुखतार अनीस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या शुद्ध वृद्धि दर में कमी आ रही है;

(ख) एकत्रित आंकड़ों के आधार पर 1991 से वर्षवार अनुमानित वृद्धि दर कितनी है;

(ग) प्रजनन आयु के उन दम्पत्तियों का अनुमानित प्रतिशत क्या है, जो परिवार नियोजन के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हैं; और

(घ) क्षेत्र, धर्म, आय और शिक्षा के आधार पर उक्त में कितना अन्तर है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों के अनुसार 1991 से जनसंख्या की वार्षिक सहज वृद्धिदर इस प्रकार है:-

वर्ष	जनसंख्या की सहज वृद्धि दर (प्रतिशत)
1991	1.97
1992	1.91
1993	1.94
1994	1.94
1995 (अनन्तिम)	1.93

(ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 के अनुसार 40.6 प्रतिशत व्यक्ति परिवार नियोजन अपना रहे हैं।

(घ) राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 1992-93 के यह बात प्रकट हुई कि हाल ही में विवाहित महिलाएं जो गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग कर रही थीं, उनमें:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों की 36.9 प्रतिशत महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों की 51.0 प्रतिशत

(2) 33.9 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं की तुलना में हाई स्कूल और इससे अधिक शिक्षित 54.7 प्रतिशत महिलाएं

(3) 62.9 प्रतिशत जैन, इसके पश्चात 57.6 प्रतिशत सिख, 50.4 प्रतिशत बौद्ध, 48.3 प्रतिशत ईसाई, 41.6 प्रतिशत हिन्दू, 27.7 प्रतिशत मुस्लिम और अन्य 37.4 प्रतिशत शामिल थे।

[हिन्दी]

भूमि का कटाव

1412. **श्री एन.जे. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न नदियों के किनारे विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में भूमि के निरंतर कटाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि कटाव पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस पर रोक लगाने के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त धनराशि को गुजरात सरकार ने किस प्रकार खर्च किया और अभी तक इस संबंध में उसे क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). बाढ़ के दौरान नदी तट का कटाव होना प्राकृतिक घटना है। इनके ब्यौरे केंद्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। बाद में ऐसा कोई विशिष्ट मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी कार्यों का अन्वेषण, आयोजना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। केंद्रीय सरकार (योजना आयोग) ब्लाक ऋण और अनुदान के जरिए राज्यों को योजना निधियां प्रदान करती हैं और केंद्रीय सरकार द्वारा नदी तटों से मृदा कटाव के लिए कोई अलग से आबंटन नहीं किया जाता है। ऐसा आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाओं की अनुपलब्धता

1413. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सी.जी.एच.एस. के यूनानी औषधालयों में दवाओं की खरीद हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका तथा प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण थे; और

(ग) धनराशि का सही मायने में उपयोग नहीं करने हेतु किसी अधिकारी पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी तय की गई विशेषकर जबकि सी.जी.एच.एस. यूनानी औषधालयों के लाभ उठाने वाले लोगों को औषधालयों में दवाओं की अनुपलब्धता से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालयों/इकाइयों के लिए यूनानी औषधियां खरीदने के लिए 1993-94, 1994-1995 और 1995-96 में क्रमशः 58 लाख रुपये, 70 लाख रुपये और 75 लाख रुपये धनराशि आबंटित की गई।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों में उपलब्ध बजट से औषधियों के लिए आदेश दिए गए थे। तथापि फर्मों से समय पर बिल प्राप्त न होने और देर से आपूर्ति मिलने के कारण कुछ राशि बकाया रह गई।

[हिन्दी]

महिला समृद्धि योजना

1414. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "महिला समृद्धि योजना" का आर्थिक मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आरम्भ से अब तक वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया है और कितनी राशि जमा कराई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं। तथापि, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने महिला समृद्धि योजना का मूल्यांकन किया है।

(ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट इस विभाग में विचाराधीन है।

(ग) ब्यौरा विवरण "I" में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा विवरण "II" में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	1993-94		1994-95		1995-96		सितम्बर, 1996 तक	
		खाता	राशि (लाखों में)	खाता	राशि (लाखों में)	खाता	राशि (लाखों में)	खाता	राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	218349	228.23	1332192	128.13	679922	925.83	2389726	275.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	19	.02	648	.12	2332	2.88	3608	5.23
3.	असम	8071	5.51	637765	316.22	702356	544.83	1414739	991.88
4.	बिहार	3406	5.05	213968	212.24	384909	236.86	775886	557.26
5.	दिल्ली	763	1.50	3128	5.55	1771	3.98	3850	8.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	11180	10.41	17442	16.81	13421	24.04	35104	60.41
7.	गुजरात	22873*	39.99*	123648	263.44	552763	813.97	831369	1450.90
8.	हरियाणा	32251	58.91	122093	216.45	260915	338.73	504538	783.46
9.	हिमाचल प्रदेश	16561	35.30	53574	124.89	56307	147.84	148614	379.40
10.	जम्मू और कश्मीर	452	.64	17463	27.85	26147	35.65	64518	67.27
11.	कर्नाटक	19899	25.96	660938	762.83	503192	772.34	1308110	1835.82
12.	केरल	13243#	13.63#	338560#	330.18#	106874#	207.27#	483357#	609.12#
13.	मध्य प्रदेश	73671	59.25	830630	503.17	1867168	773.18	3140512	1562.60
14.	महाराष्ट्र	63543	100.74	319622	530.84	273509	504.36	721348	1320.20
15.	मणिपुर	13	.01	6437	3.15	2928	4.83	17797	14.03
16.	मेघालय	17	.01	1447	.70	1750	1.02	4504	2.35
17.	मिजोरम	–	–	4590	6.33	6050	9.25	16945	30.83
18.	नागालैंड	7	.01	762	1.58	1518	3.62	3597	8.06
19.	उड़ीसा	27419	28.95	247695	318.23	299791	352.49	727163	909.98
20.	पंजाब	54791$	68.80$	214112	240.97	208118	276.67	539857	666.37
21.	राजस्थान	34691	51.85	112312	187.01	307666	427.06	679353	956.56
22.	सिक्किम	4	.002	2228	.81	8110	7.94	11135	11.17
23.	तमिलनाडु	57124+	38.91+	1638011	567.25	442965	918.10	2264924	1701.68
24.	त्रिपुरा	714	.18	13601	14.86	15588	15.91	33064	34.80
25.	उत्तर प्रदेश	55203	113.88	854636	986.18	1182600	1298.47	2893161	3090.63
26.	पश्चिम बंगाल	14777ϕ	27.34ϕ	272944ϕ	9.31ϕ	460275ϕ	724.60ϕ	616515ϕ	1048.83ϕ
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	चंडीगढ़	–	–	5746	2.71	3160	3.72	10854	7.91
29.	दादरा और नगर हवेली	–	–	1418	1.71	663	1.96	2135	3.75
30.	दमन व दीव	–	–	369	.73	1739	4.78	2191	5.80
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	14231	5.49	4310	7.67	18941	15.32
	जोड़	729041	915.07	7800267	6939.96	8376570	9386.60	19667415	20898.31

- दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के आंकड़े शामिल हैं।
- लक्षद्वीप के आंकड़े शामिल हैं।
- चण्डीगढ़ के आंकड़े शामिल हैं।
- पांडिचेरी के आंकड़े शामिल हैं।
- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-II

महिला समृद्धि योजना का आबंटन

1. 1993-94	10.50 करोड़ रुपये
2. 1994-95	50.00 करोड़ रुपये
3. 1995-96	60.00 करोड़ रुपये
4. 1996-97	60.00 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

पेटेंट अधिनियम का उल्लंघन

1415. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहु-राष्ट्रीय औषध कंपनियों ने सरकार का ध्यान भारतीय कंपनियों द्वारा पेटेंट्स अधिनियम का उल्लंघन कर उनके उत्पादों की चोरी और विपणन की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में फार्म्यूलेशन को नकल करने, उनके नकली लेबल लगाने और अवैध विपणन में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सरकार ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय

1416. **श्री वी.एम. सुधीरन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों को अत्यल्प मानदेय दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों को देय मानदेय की दर में वृद्धि करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्वैच्छिक अंशकालिक कार्यकर्ता हैं और इनका चुनाव यथासम्भव स्थानीय समुदाय के लोगों में से ही किया जाता है और इनके द्वारा किये गये स्वैच्छिक कार्यों के लिये इन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देय मानदेय 350/-रुपये से लेकर 450/- रुपये के बीच होता है और सहायिकाओं को 200 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। पिछली बार मानदेय की दरों में अक्टूबर, 1992 में संशोधन किया गया था।

एड्स नियंत्रण के लिए विश्व बैंक सहायता

1417. **श्री विजय गोयल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स नियंत्रण हेतु विश्व बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सहायता के एक बड़े भाग का उपयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए यह दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और एड्स नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का पूर्ण उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार विश्व बैंक ने भारत में एच.आई.वी/एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए 84 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण देने का वचन दिया है।

(ख) और (ग). विश्व बैंक ऋण का भुगतान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर किए गए खर्च के आधार पर करता है। इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई निधियां गैर-अपयोजनीय हैं।

गुजरात में जखाऊ बन्दरगाह पर तटरक्षक स्टेशन

1418. **डा. बल्लभ भाई कठीरिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में कच्छ सीमा पर कराची के समीप जखाऊ बन्दरगाह पर तटरक्षक स्टेशन आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जखाऊ बन्दरगाह पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. [illegible]) : (क) और (ख). जखाऊ में तटरक्षक स्टेशन आरम्भ करने का प्रस्ताव चालू तटरक्षक विकास योजना में परिकल्पित किया गया है। इस समय तटरक्षक ओखा बन्दरगाह (जो जखाऊ से निकटतम तटरक्षक स्टेशन है) से इस क्षेत्र में निगरानी करता है।

[हिन्दी]

भारतीय सेना के लिए पैराशूट खरीदना

1419. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री आई.डी. स्वामी :
श्री गंगा चरण राजपूत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के लिए पैराशूट खरीदने के लिए विदेशी कम्पनी के साथ सौदा किया गया था तथा कम्पनी द्वारा इसका कुछ प्रेषित माल भी भेज दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त पैराशूटों की कोटि हमारे देश में बने पैराशूटों से बेहतर थी;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त पैराशूटों का उपयोग किए बिना अनुमति दिए जाने के कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कम्पनी को दिए गए खरीद आदेश को रद्द कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ङ). कम ऊंचाई पर सैनिकों को उतारने वाले पैराशूटों की 1000 अदर्दों की खरीद के लिए मैसर्स जी.क्यू. पैराशूट्स, यू.के. के साथ एक संविदा की गई थी आपूर्ति फर्म ने कर दी है। इस प्रकार के पैराशूटों का निर्माण उस समय भारत में नहीं किया जाता था। यू.के. आपूर्तिकर्ता का चयन, विदेशी फर्मों के पैराशूटों के परीक्षण मूल्यांकन के बाद और अपेक्षाकृत कम मूल्यों के आधार किया गया था। पैराशूटों में त्रुटियों का पता प्राप्ति निरीक्षण के दौरान लगा था और संविदा की शर्तों के अनुसार उनकी मरम्मत/बदलने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विदेशी फर्म द्वारा दिए गए वारंटी बांडों को भुना लिया गया है।

[अनुवाद]

प्रादेशिक सेना संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1420. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक तृतीय प्रादेशिक सेना संबंधी समिति की सिफारिश के संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सिफारिशों के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आंतकवाद और अन्य अनुदार बलों का दमन करने के मामले में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने हेतु दृढ़ निर्णय पर पहुंचने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना का भी प्रादेशिक सेना समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप दर्जा बढ़ाया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ङ). श्री के.पी. सिंह देव की अध्यक्षता में बनी प्रादेशिक सेना पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट को जो 6 अगस्त, 1996 को सरकार को प्रस्तुत की गई थी उसमें निहित विभिन्न सिफारिशों पर विचार जानने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न विंगों को परिचालित किया गया है। इस मामले में अंतिम निर्णय तभी लिया जा सकता है जब यह जांच पूरी हो जाए।

इंजीनियरिंग कालेज

1421. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा कितने इंजीनियरिंग कालेजों को मान्यता दी गई है;

(ख) अभी तक उनमें से कितने कालेजों का निरीक्षण किया गया और उनमें पाए गए निम्न स्तर के कालेजों तथा उन कालेजों में जिन सुविधाओं का अभाव पाया गया, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कालेजों का स्तर ऊंचा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पिछले चार वर्षों के दौरान 213 इंजीनियरिंग कालेजों को मान्यता दी है। परिषद ने वर्ष 1992-93 तक 254 तकनीकी संस्थानों-इंजीनियरिंग और फार्मेसी डिग्री दोनों स्तर के कालेजों को मान्यता प्रदान की थी।

(ख) दो कालेजों नामतः इस्लामिया प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर और श्री महात्मा बशेश्वर सोसाइटी का इंजीनियरिंग कालेज, लातूर का निरीक्षण के उपरांत स्तर अपेक्षित स्तर से नीचा पाया गया था।

(ग) जो कमियां ध्यान में आती हैं, उन्हें संबंधित संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निरीक्षण दल/विशेषज्ञ समिति द्वारा भेज दिया जाता है जो संस्थानों को उनकी कमियों पर काबू पाने और उन्हें दूर करने में उनकी सहायता करती है।

गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ना

1422. **श्री बी.एल. शंकर :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). सरकार द्वारा जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जल को अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में अन्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना है। सरकार ने जल अन्तरण सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए वर्ष, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। 36 जल अन्तरण सम्पर्कों, 17 प्रायद्वीपीय घटक तथा 19 हिमालयी घटक के अंतर्गत, प्रस्ताव है।

गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने के जल अन्तरण सम्पर्क प्रस्ताव इस प्रकार है :-

(1) ब्रहमपुत्र-गंगा सम्पर्क

(2) गंगा (फरक्का पर) -दुर्गापुर-सुवर्णरेखा सम्पर्क

(3) सुवर्णरेखा - महानदी सम्पर्क

(4) महानदी - गोदावरी सम्पर्क

(5) गोदावरी - कृष्णा सम्पर्क

- (क) गोदावरी (पोलावरम) -कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क
- (ख) गोदावरी (इंचमपल्ली) -कृष्णा (नागार्जुन सागर) सम्पर्क
- (ग) गोदावरी (इंचमपल्ली) -कृषणा (पुलीचिंताला) सम्पर्क

(6) कृष्णा - पेन्नार सम्पर्क

- (क) कृष्णा (नागार्जुन सागर) -पेन्नार (सोमसिला)
- (ख) कृष्णा (सिरीसेलम) -पेन्नार (प्रोदातुर) सम्पर्क
- (ग) कृष्णा (अलापट्टी) - पेन्नार सम्पर्क

(7) पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (बड़ा अनिकट) सम्पर्क

[हिन्दी]

एड्स

1423. **श्री नारायण अठावले :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस शताब्दी के अन्त तक 40 से लेकर 80 लाख तक भारतीयों के एड्स के खतरनाक विषाणु से प्रभावित होने की आशंका है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : जी नहीं, यह महज एक अनुमान है।

[अनुवाद]

कुष्ठ तथा डेंगू बुखार

1424. **श्री के.पी. सिंह देव :**
श्री नामदेव दिवाथे :
श्री एस.डी.आर. वाडियार :
श्री शरत् पटनायक :
श्री पंकज चौधरी :
श्री पीताम्बर पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी तथा देश के अन्य भागों में कुष्ठ रोग तथा डेंगू बुखार में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार अलग-अलग कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है और तत्संबंधी वृद्धि/कमी का प्रतिशत कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान/योजना-वार और राज्य-वार कुष्ठ रोग उन्मूलन तथा पुनर्वास संबंधी योजनाओं हेतु आबंटित धनराशि और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त अवधि में उपलब्ध कराये गये और वास्तव में उपयोग किये गये केन्द्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कोष का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्राप्त धनराशि से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी सरकार की जानकारी में आई है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ज) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(झ) राजधानी तथा देश के अन्य भागों से डेंगू बुखार के मामलों को बढ़ने से रोकने तथा इसके उन्मूलन हेतु भी क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) हाल ही में दिल्ली में डेंगू का प्रकोप फैला था जिस पर अब काबू पा लिया गया है। देश में कुष्ठ रोग के धटनाओं में वृद्धि नहीं हो रही है। तथापि पुराने छिपे हुए रोगियों का पता लगने, कार्यक्रम को गहन रूप से चलाने तथा आप्रवासी रोगियों के कारण राजधानी में इसके रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को मंजूर की गई तथा जारी की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

भारत सरकार ने विश्व बैंक से 302 करोड़ रुपये की कुल सहायता का एक करार किया है जो 1993-94 से 6 वर्षों की अवधि के दौरान खर्च की जाएगी। अब तक विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत कुल 100.93 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

डेनिडा भी आठ जिलों में बहु-औषध उपचार के कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध कर रहा है। चरण-II के लिए 70 मिलियन डी के के की कुल राशि आबंटित की गई है जो अक्तूबर, 1991 से मार्च, 1997 की अवधि के हैं।

सीडा ने भारत सरकार से पहली जुलाई, 1990 से 30 जून, 1993 की अवधि के दौरान जो बढ़ाकर 31.12.1993 तक कर दी गई थी, 24 मिलियन एस.ई.के. का अनुदान देने का करार किया है।

नोराड ने भारत सरकार से तीन जिलों में बहु-औषध उपचार सेवाओं के लिए 1990-91 से 1993-94 की अवधि के दौरान 10 मिलियन एन.ओ.के. की सहायता का करार किया है।

वर्ष 1994 और 1995 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुल 1.04 लाख अमेरिकी डालर की सहायता उपलब्ध की गई थी जिसका उपयोग कर लिया गया है।

(ङ) से (ज). जी हां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(झ) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में डेंगू पर नियंत्रण रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1993-96 के दौरान मंजूर तथा प्रदान की गई सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96		
		नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	200.00	11.34	211.34	203.00	54.02	257.02	195.50	227.75	423.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	0.42	10.42	16.00	1.77	17.77	18.50	22.53	41.03
3.	असम	18.00	1.49	19.49	20.00	16.47	36.47	20.00	42.45	62.45
4.	बिहार	112.00	19.58	131.58	112.00	68.75	180.75	111.50	314.84	426.34
5.	गोवा	0.36	0.45	0.81	0.50	3.34	3.84	0.44	18.71	19.15
6.	गुजरात	24.00	10.69	34.69	17.50	60.07	77.57	16.00	124.18	140.18
7.	हरियाणा	5.75	0.52	6.27	7.00	5.54	12.54	7.00	51.07	58.07
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00	2.18	9.18	8.86	6.53	15.39	7.00	46.60	53.60
9.	जम्मू और कश्मीर	4.50	0.76	5.26	4.50	4.29	8.79	4.45	53.84	58.20
10.	कर्नाटक	100.00	3.29	103.29	96.00	34.86	130.86	103.00	147.98	250.98
11.	केरल	75.00	8.91	83.91	80.00	29.72	109.72	76.00	89.35	165.35
12.	मध्य प्रदेश	125.00	55.39	180.39	117.00	99.81	216.81	129.75	242.95	372.70
13.	महाराष्ट्र	30.00	18.95	48.95	20.25	76.86	97.11	16.00	147.74	163.74
14.	मणिपुर	3.50	0.43	3.93	3.50	2.78	6.28	5.50	28.52	34.02
15.	मेघालय	5.00	0.51	5.51	8.00	2.53	10.53	7.93	22.61	30.54
16.	मिजोरम	13.00	0.74	13.74	12.00	2.21	14.21	18.00	1.60	19.60
17.	नागालैंड	3.00	0.64	3.64	3.75	2.43	6.18	7.00	16.44	23.44
18.	उड़ीसा	125.00	109.74	234.74	125.00	98.20	223.20	158.75	196.99	355.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	पंजाब	10.00	1.53	11.53	21.00	4.58	25.58	21.00	32.14	53.14
20.	राजस्थान	29.00	6.40	35.40	29.00	29.20	58.20	29.00	66.78	95.78
21.	सिक्किम	18.00	1.35	19.35	20.00	4.06	24.06	20.00	2.30	22.30
22.	तमिलनाडु	120.00	57.19	177.19	120.00	71.36	191.36	114.00	268.88	382.88
23.	त्रिपुरा	12.00	1.47	13.47	20.00	4.41	24.41	19.00	14.52	33.52
24.	उत्तर प्रदेश	190.00	77.13	267.13	177.00	177.78	354.78	182.62	293.56	476.18
25.	पश्चिम बंगाल	80.00	38.26	118.26	75.00	101.78	176.78	95.00	185.44	280.44
26.	अंडमान व निकोबार	6.50	0.46	6.96	6.50	1.88	8.38	7.00	0.37	7.37
27.	चंडीगढ़	0.50	3.35	3.85	0.50	10.05	10.55	0.50	27.33	27.83
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.50	1.01	1.51	0.50	3.04	3.54	1.00	2.89	3.89
29.	दमन व दीव	2.50	0.40	2.90	2.00	1.78	3.78	3.00	1.60	4.60
30.	दिल्ली	0.50	2.97	3.47	0.39	8.92	9.31	0.50	38.76	39.26
31.	लक्षद्वीप	1.00	1.15	2.15	1.00	3.44	4.44	2.00	1.02	3.02
32.	पांडिचेरी	0.95	2.99	3.94	2.10	8.97	11.07	2.50	9.42	11.02
	उप-योग	1332.56	441.69	1774.25	1329.85	1001.43	2331.28	1399.44	2741.16	4140.60
		3319.81	0.00	3319.81	6578.99	0.00	6578.99	2317.96	0.00	2312.96
	कुल	4652.37	441.69	5094.86	7908.84	1001.43	8910.27	3712.10	2741.16	6453.56

विवरण-II

सरकार द्वारा दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में डेंगू की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय

(1) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सभी प्रमुख सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों से रोजाना रोगियों और मौतों की सूचना देने के लिए दो नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे।

(2) राज्य सरकारों, विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, और पंजाब को रोगियों का पता लगाने के लिए बरते जाने वाले उपायों, लार्वा-रोधी कार्यों, फागिंग स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों में तेजी लाने तथा रोगियों को नैदानिक उपचार उपलब्ध करने के बारे में सतर्क कर दिया गया है।

(3) सभी प्रमुख अस्पतालों तथा भारतीय रेड क्रास सोसायटी में रक्त के घटकों को अलग करने की सुविधाओं में वृद्धि करना।

(4) सभी केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ाना।

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पाइरेथ्रम एक्सट्रेक्ट, मलाथियन और फागिंग मशीनें अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई की गई थी। हरियाणा तथा पंजाब सरकारों को भी बड़ी मात्रा में दवाइयां सप्लाई की गई थी।

(6) डेंगू की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय समिति गठित की गई थी।

(7) वैक्टर नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता दवाइयों तथा उपभोग्य वस्तुओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करने तथा रोग को फैलने से रोकने के लिए उपचारी कार्यवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए प्रभावित राज्यों में विशेषज्ञों का एक विशेष दल भेजा गया था जिसमें राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञ तथा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के बाल रोग चिकित्सा विज्ञानी शामिल थे।

बिहार में रक्षा उत्पादन इकाई

1425. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोई रक्षा उत्पादन इकाई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बिहार में रक्षा उत्पादन इकाई की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की एक इकाई बिहार में रांची में है।

(ख) से (घ). पहले से ही उपलब्ध पर्याप्त उत्पादन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार या देश में अन्यत्र कहीं नई रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कावेरी का विवाद

1426. श्री के.एच. मुनियप्पा :

श्री वी. धनन्जय कुमार :

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी जल के बंटवारे के संबंध में संबंधित विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए दावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कावेरी जल विवाद को निपटाने हेतु केंद्र सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इस संबंध में संबंधित राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस विवाद का सोहार्दपूर्ण निपटान करने हेतु केंद्र सरकार आगे क्या कदम उठा रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कावेरी जल विवाद अधिकरण में बेसिन राज्यों द्वारा कावेरी जल के दावों के वास्तविक हिस्से निम्न प्रकार हैं:-

(1) कर्नाटक - 465 टी एम सी फुट

(2) तमिलनाडु - प्रवाहों को 1892 और 1924 के समझौतों की शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना है।

(3) केरल - 99.8 टी एम सी फुट

(4) पांडिचेरी संघ - राज्य क्षेत्र - 9.3 टी एम सी फुट

(ख) केन्द्र सरकार ने कावेरी जल विवाद के अधिनियम के लिए 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया था।

(ग) अब तक अधिकरण की 90 सुनवाईयां हो चुकी हैं और बेसिन राज्य अधिकरण की कार्रवाइयों में शामिल हो रहे हैं।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्य उपाय नहीं किए जा सकते क्योंकि यह विवाद अधिनिर्णय के लिए पहले से ही अधिकरण के पास है।

जनसंख्या कार्यक्रम को राजनीतिक समर्थन

1427. श्री चित्त बसु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या कार्यक्रम उचित राजनीतिक समर्थन न मिलने के कारण अच्छे परिणाम नहीं दे पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनसंख्या कार्यक्रम के लिए समाज के सभी वर्गों से राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय ढूढ़ने का है ताकि जनसंख्या वृद्धि दर को रोका जा सके और इन कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त करने के विचार से दिसम्बर, 1992 में राज्य सभा में संविधान (79 वां संशोधन) विधेयक, 1992 प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह संसद के किसी सदन या राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं होगा। हालांकि प्रस्तावित संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और प्रस्तावित संशोधन के प्रभावी होने की तिथि को या उसके बाद एक वर्ष के भीतर दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। विधेयक संवीक्षा तथा रिपोर्ट के लिए मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया। समिति ने सिफारिश की है कि विधेयक पारित कर दिया जाए। हालांकि समिति ने सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाने का सुझाव दिया है ताकि विधेयक निर्विध्न रूप से पारित हो सके।

कावेरी जल विवाद

1428. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को कावेरी जल विवाद के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए केरल राज्य को बातचीत करने हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). केरल राज्य सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि कावेरी जल के उपयोग से संबंधित सभी विचार विमर्शों में केरल की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा कावेरी जल विवाद अधिकरण को पूर्णतः क्रियाशील बनाया जाये।

भविष्य में कावेरी जल के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी बैठक में केरल को अवश्य आमंत्रित किया जाएगा। कावेरी जल विवाद अधिकरण को पूर्णतः क्रियाशील बनाने के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार ने अध्यक्ष, कावेरी जल विवाद अधिकरण का पद भरने के लिए अपयुक्त न्यायाधीश नामित करने हेतु भारत के मुख्य न्यायाधीश को पहले ही अनुरोध भेजा हुआ है।

सरदार सरोवर परियोजना

1429. **श्री पी.एल. गढवी :**
डा. ए.के. पटेल :
श्री सनत मेहता :
श्री काशीराम राणा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सरदार सरोवर परियोजना पर केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों की कितनी अंतर्राज्यीय बैठकें हुई, उनका ब्यौरा और उनमें किए गए निर्णय बताइए;

(ख) क्या इनमें से किसी बैठक में परियोजना की ऊंचाई के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए अन्य कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). गत एक वर्ष के दौरान केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में सरदार सरोवर परियोजना की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गयीं :-

5.7.96 - गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक।

15.7.96 - नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की विशेष बैठक।

13.11.96 - नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की सातवीं बैठक।

चूंकि पहली दो बैठकों में बांध की अंतिम ऊंचाई पर विचार विमर्श अनिर्णायक रहा, अतः 15.7.96 और 16.7.96 को माननीय प्रधानमंत्री के साथ पक्षकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित सहमति हुई :—

"सरदार सरोवर बांध के निर्माण का कार्य योजना के अनुसार किया जाए और प्रथम बार में पूर्ण जलाशय स्तर को 132.68 मीटर (436 फीट) तक सीमित किया जाए। उसके बाद पांच वर्षों की अवधि के लिए बांध में जल के वास्तविक प्रवाह के लिए आकड़ों का प्रेक्षण किया जाएगा। यदि इन पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों के दौरान पंचाट में आकलित किए गए अनुसार जल निर्मुक्ति का प्रवाह पर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 138.68 मीटर (455 फीट) तक बढ़ाने के संबंध में निर्णय पर विचार किया जाएगा।

बांध के निर्माण कार्य की प्रगति पंचाट की शर्तों के अनुसार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के और इस संबंध में राज्यों द्वारा निर्धारित राहत और पुनर्वास नीतियों के समरूप होती रहेगी। राज्य राहत और पुनर्वास उपायों का त्वरित और समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।"

उपर्युक्त निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की सातवीं बैठक 13.11.96 को हुई जिसमें यह निर्णय किया गया कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई वर्ष 1996-97 के दौरान स्पिलवे भाग में 110 मी. तक की जाए। तथापि, कार्य दिसंबर, 1996 के प्रथम सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इस बीच 81.5 मी. की ऊंचाई तक मध्य प्रदेश के शेष प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपायों को गुजरात द्वारा 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने इस संबंध में सभी सहायता और सहयोग देना स्वीकार कर लिया है। 81.5 मी. की ऊंचाई पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपायों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा के बाद, बांध की हर 5 मी. की ऊंचाई के बाद संबंधित पुनर्स्थापना और पुनर्वास उप दल तथा पर्यावरण उप दलों जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा संयुक्त रूप से ऐसी ही पुनरीक्षा की जाएगी ताकि निर्माण कार्य की प्रगति इस ढंग से पुनर्स्थापना और पुनर्वास उपायों के क्रियान्वयन के समरूप हो सकती है कि ये कार्य सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के वास्तविक स्थानांतरण के रूप में 31 मई, 1997 तक पूरे हो जाएं।

(घ) बांध के निर्माण कार्य की पुनरीक्षा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति द्वारा की जा रही है जो परियोजना के बांध तथा विद्युत घर के कार्य की प्रगति की मानीटरी भी करती है। नर्मदा मुख्य नहर पर कार्य की मानीटरी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की नहर उप समिति द्वारा की जा रही है। संबंधित राज्य सरकारों को परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास उपायों का शीघ्र और

समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है ताकि निर्माण कार्यक्रम समरूप स्थितियों के अनुसार आगे बढ़े। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारण के अलावा उप दलों द्वारा पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों तथा पर्यावरणीय सुरक्षापायों की प्रगति की भी मानीटरी की जा रही है।

[हिन्दी]

के.वी.एस. में अध्यापक के पदों के सृजन के लिए मानदंड

1430. **श्री राधामोहन सिंह :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विभिन्न विद्यालयों की विभिन्न श्रेणियों में अध्यापकों के पदों के सृजन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन विद्यालयों में पी.जी.टी. पदों (वाणिज्य) के सृजन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के पदों के सृजन के लिए इन मानदंडों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन विसंगतियों को हटाने का प्रस्ताव है/हटा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रत्येक वर्ष विभिन्न सवर्गों के शिक्षकों के पदों की मंजूरी इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार करता है।

(ख) पी.जी.टी. (वाणिज्य) के पदों की मंजूरी केन्द्रीय विद्यालय में विषय के लिए पीरियड की आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को धन का आबंटन

1431. **श्री पी. नामग्याल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को वर्ष 1991-92 से 1996-97 के लिए शिक्षकों के वेतन, होस्टल, व्यय, ग्रंथालयों, सम्मेलनों, संगोष्ठयों और नये परिसर भवनों के निर्माण सहित इसकी स्थापना हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान शिक्षकों और अन्य स्थापना कर्मचारियों के कितने पद रिक्त रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के निये परिसर भवनों को अभी तक उपयोग में न लाए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह को वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान आबंटित की गई निधियां निम्नानुसार हैं :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	योजनागत	योजनेतर
1991-92	60.00	45.15
1992-93	40.00	45.15
1993-94	50.00	46.50
1994-95	50.00	55.00
1995-96	55.00	55.00
1996-97	55.00	55.00

(ख) प्रश्नगत अवधि के दौरान शैक्षिक स्टाफ के 13 पद और गैर-शैक्षिक स्टाफ के 8 पद रिक्त रहे।

(ग) संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए वास्तुविद् से तकनीकी क्लीयरेन्स न मिलने के कारण, नए परिसर भवन को अभी तक अधिकार में नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

जल संसाधनों का सर्वेक्षण

1432. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बिहार के पूर्णिया जिले के किसानों या दशा सुधारने हेतु जल संसाधनों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल संसाधनों की क्षमता के विकास हेतु अनुमान तैयार किया गया है अथवा तैयार किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में 33679.22 करोड़ रुपए व्यय करके 53.93 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 15.80 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है और इसकी तुलना में अनुमोदित परिव्यय 28391.79 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदण्ड

1433. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वर्तमान मानदण्ड क्या हैं;

(ख) बिहार में विशेषकर गिरिडीह जिले में ऐसे कितने विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान दो योजनाएं शुरू की गई थी-(1) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम-बालिकाओं के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में आधारभूत ढांचे की व्यवस्था के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के मानदंड लागू हैं। (2) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना-इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक मदरसा के लिए आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 26,400/-रु. प्रति वर्ष का अनुदान तथा विज्ञान और गणित किटों की खरीदारी हेतु प्रत्येक मदरसा के लिए 4000/-रु. का एक मुश्त अनुदान उपलब्ध हैं।

(ख) बिहार में 31 मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जिला वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा सुविधाएं

1434. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें प्राथमिक/उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें पहले से दी जा रही रियायतों के अतिरिक्त कोई विशेष रियायतें उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ). 1993-94 के दौरान दो केन्द्रीय योजनाएं शुरू की गई अर्थात :—

(1) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा गैर सरकारी संगठनों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है : (1) नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों, गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की ऐसे क्षेत्रों में स्थापना जहां इनकी आवश्यकता महसूस की जाती है तथा स्कूल स्थान निर्धारण के आधार पर इनका औचित्य साबित होता है।

(2) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक आधारभूत ढांचा तथा भौतिक सुविधा सुदृढ़ करना।

(3) लड़कियों के लिए बहु-धारा वाले आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का खोला जाना जहां शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक मदरसा को आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति के वास्ते 26,400/- रु. प्रतिवर्ष का अनुदान तथा विज्ञान और गणित के किट खरीदने के लिए प्रत्येक मदरसा को 4,000/- रु. का एक कालिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

मुख्यतः उर्दू भाषा की तरक्की तथा विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के वास्ते मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1995 राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय परंपरागत शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिए उर्दू के माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा।

नदियों से नहरें निकालना

1435. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्यों में नदियों से नहर निकालने संबंधी कोई मांग की है और ऐसी कौन-कौन सी नदियां हैं

जिनमें अनुमत्य मात्रा से अधिक निःस्रावित अपशिष्ट पदार्थ पाए गए हैं; और

(ख) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये और उसके लिए क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) स्वान नदी के नहरीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव जिसके लिए राज्य सरकार को मॉडल अध्ययनों के परिणामों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है, राज्य को अगस्त, 1996 में भेजा गया था। यमुना नदी के नहरीकरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के प्रस्ताव पर यमुना समिति की 55वीं बैठक में विचार विमर्श किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को यमुना समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी है।

उन नदियों जिनमें ग्राह्य सीमा से अधिक बहिस्राव होता है, के नाम देते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) उपर्युक्त संदर्भित नहरीकरण स्कीमें अभी योजना स्तर पर है अतः बजटीय प्रावधान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण में उल्लिखित नदियों में प्रदूषण उपशमन कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान 106 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

विवरण

नदियों के नाम जिनमें ग्राह्व सीमाओं से अधिक बहिस्राव होता है

क्र.सं.	नदी का नाम	प्रभावित शहरों की संख्या
1	2	3
1.	गंगा	25
2.	यमुना	22
3.	दामोदर	12
4.	गोमती	3
5.	बेतवा	3
6.	चम्बल	3
7.	सतलुज	4
8.	गोदावरी	6
9.	वेनगंगा	3
10.	कृष्णा	2
11.	तुंगभद्रा	2
12.	तुंगा	1
13.	भद्रा	1
14.	कावेरी	9
15.	तापी	1
16.	नर्मदा	1
17.	महानदी	1
18.	सुवणरेखा	3
19.	ब्राह्मणी	3
20.	साबरमती	1
21.	खिप्रा	1
22.	खान	1

[हिन्दी]

सैनिक स्कूलों की स्थापना

1436. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति ने अपने 19वें प्रतिवेदन में ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक सैनिक स्कूल खोलने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार का इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो देश में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में और सैनिक स्कूल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सैनिक स्कूल योजना के तहत् नया सैनिक स्कूल राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर खोला जाता है, क्योंकि उसका पूरा पूंजीगत व्यय राज्य सरकार को ही पूरा करना होता है। नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करने के विषय की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशों को सितंबर, 1996 में अंतिम रूप दे दिया है और वे सिफारिशें सभी राज्यों को भेज दी गई हैं ताकि उन्हें नए सैनिक स्कूल खोलने में आसानी हो। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश)

और सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, जिला हम्मीरपुर (हिमाचल प्रदेश) पहले से ही पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त बिहार, गुजरात, असम, केरल, और तमिलनाडु में पांच सैनिक ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में है।

[अनुवाद]

बाढ़ रोधी कार्यक्रम

1437. **श्री जी. वेंकट स्वामी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व असम आदि में बाढ़ एक नियमित घटना बन गई है और 16 मिलियन हेक्टेयर भूमि को अभी भी बाढ़ से बचाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं का मुकाबला करने के लिए बाढ़ रोधी कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कब तक लागू कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश के कई भागों विशेषकर गंगा और ब्रहमपुत्र बेसिन राज्यों में बाढ़ों का आना एक निरन्तर घटना है। देश में अनुमानित कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र 40.0 मिलियन हैक्टेयर है, जिसमें से 80 प्रतिशत अर्थात् 32 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का आकलन ऐसे क्षेत्र के रूप में किया गया है, जिसे बाढ़ों से उपयुक्त मात्रा तक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब तक 14.4 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को उपयुक्त मात्रा तक सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ख) से (घ). केन्द्र सरकार ने आठवीं योजना के दौरान उत्तरी बिहार जो देश के सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से है, के लिए 40 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बाढ़ प्रूफिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम, जिसमें प्लेटफार्म को ऊंचा करना, त्वरित जलनिकास सुविधाएं उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध करना, सफाई सुविधाएं, संचार संपर्क आदि सम्मिलित किए गए हैं, को नौवीं योजना में आगे ले जाया जाएगा। नौवीं योजना के लिए बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यदल ने नौवीं योजना अवधि के दौरान अन्य राज्यों में भी इस कार्यक्रम के विस्तार की सिफारिश की है।

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र

1438. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात के कारण जानने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अब अध्ययन के मामले में विदेशी छात्रों के लिए कोई विशेष आकर्षण का केन्द्र नहीं रह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों में आजकल 15,000 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की कोई विशिष्ट योजना आंरभ नहीं की है।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन योजनाएं

1439. **श्री शिवराज सिंह** :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने परिवार नियोजन/नियोजन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवेदनों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को इस योजना हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता हासिल हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधी रिपोर्टों का यदा-कदा प्रकाशन करते हैं और सरकार इन रिपोर्टों पर यथेष्ट ध्यान देती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई राशियां विवरण-I में संलग्न हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ होने से इसकी उपलब्धियां विवरण-II पर सार रूप में सलंग्न हैं।

विवरण-I

राज्यों के लिए सहायता अनुदान (नकद तथा सामग्रीगत) दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयो में)

क्र.सं.	राज्य क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96		
		नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6601.17	1683.62	8284.79	7471.85	2301.35	9773.20	8752.96	2021.09	10774.05
2.	असम	2031.69	454.05	2485.74	2258.44	1229.94	3488.38	3075.38	896.14	3971.52
3.	बिहार	5702.60	1405.70	7108.30	7683.75	2589.23	10272.98	10003.46	2977.17	12980.63
4.	गुजरात	4772.31	1490.93	6263.24	4348.51	1562.28	5910.79	5536.01	1882.41	7418.42
5.	हरियाणा	2995.18	656.50	3651.68	1609.62	931.49	2541.11	2213.55	776.55	2990.10
6.	हिमाचल प्रदेश	1810.02	204.28	2014.30	1048.39	316.31	1364.70	1195.68	260.50	1456.18
7.	जम्मू और कश्मीर	2085.36	188.74	2274.10	2789.13	238.06	3027.19	1299.42	306.82	1606.24
8.	कर्नाटक	3590.02	1086.49	4676.51	5582.30	1392.31	6974.61	7557.81	1521.36	9079.17
9.	केरल	2573.72	544.10	3117.82	2358.92	824.69	3183.61	3335.75	870.21	4205.96
10.	मध्य प्रदेश	7360.31	2419.58	9779.89	6595.26	4206.37	10801.63	10126.12	4238.43	14364.55
11.	महाराष्ट्र	8633.09	1985.21	10618.30	355.90	2754.01	3109.91	11171.61	3036.70	14208.31
12.	मणिपुर	382.18	59.59	441.77	166.60	70.06	236.66	385.66	88.83	474.49
13.	मेघालय	260.62	29.15	289.77	6178.79	57.49	6236.28	487.63	118.93	606.56
14.	नागालैंड	214.37	14.87	229.24	268.57	23.63	292.20	285.24	74.68	359.92
15.	उड़ीसा	3637.17	856.00	4493.17	4623.45	1688.95	6312.40	5365.77	1224.97	6590.74
16.	पंजाब	2826.97	781.50	3608.47	2287.20	1473.73	3760.93	2989.72	1127.15	4116.87
17.	राजस्थान	5218.37	1331.57	6549.94	7074.14	2547.76	9621.90	9110.23	2213.36	11323.59
18.	सिक्किम	241.43	9.86	251.29	206.90	15.15	222.05	271.85	34.09	305.94
19.	तमिलनाडु	6636.16	1254.91	7891.07	5754.50	1604.60	7359.10	7882.94	1977.06	9860.00
20.	त्रिपुरा	315.12	55.32	370.44	411.34	78.59	489.93	444.01	98.32	542.33
21.	उत्तर प्रदेश	15485.21	3808.84	19294.05	16562.29	7221.23	23783.52	19953.46	5945.75	25899.21
22.	पश्चिम बंगाल	5549.50	1048.01	6597.51	4910.10	1537.41	6447.51	8189.78	1936.60	10126.38
23.	अरुणाचल प्रदेश	46.10	18.38	64.56	133.29	45.64	178.93	250.54	110.69	361.23
24.	गोवा	122.84	13.77	136.61	104.65	62.02	166.67	169.22	35.31	204.53
25.	मिजोरम	168.20	14.72	182.92	251.05	27.48	278.53	241.89	52.24	294.13
		89259.79	21415.69	110675.48	91034.94	34799.78	125834.72	120295.69	33825.36	154121.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पांडिचेरी	29.49	18.08	47.57	73.50	19.38	92.88	89.10	39.18	128.28
2.	दिल्ली	773.50	388.57	1162.07	1053.00	539.11	1592.11	1600.50	410.55	2011.05
3.	अंडमान व न. हवेली	64.40	13.50	77.90	69.27	14.61	83.88	77.84	22.28	100.12
4.	दादरा व निको. हवेली	21.30	3.36	24.66	23.58	15.14	38.72	25.77	7.03	32.80
5.	चंडीगढ़	123.40	18.02	141.42	141.49	21.37	162.86	117.35	33.21	150.56
6.	लक्षद्वीप	9.65	2.35	12.00	10.56	3.72	14.28	11.50	6.18	17.68
7.	दमन व दीव	20.30	17.63	37.93	21.61	3.62	25.23	28.66	5.70	34.36
	कुल	1042.04	461.51	1503.55	1393.01	616.95	2009.96	1950.72	524.13	2474.85

विवरण-II

परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धियां

क्र.सं.	पैरामीटर	1951-61	1981	ताजा आंकड़ा (स्रोत एवं वर्ष)
(1)	जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या पर)	41.7	37.2	28.3× (एसआरएस1995)
(2)	मृत्युदर (प्रति 1000 जनसंख्या पर)	22.8	15.0	9.0× (एसआरएस 1995)
(3)	कुल प्रजनन दर	5.97	4.5	3.5 (एसआरएस 1993)
(4)	नवजात मृत्युदर (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर)	146	110	74 (एसआरएस1995)
(5)	दंपति सुरक्षा दर (प्रतिशत)	अनुपलब्ध	22.8	46.5× (पी.डी.1996)
(6)	रोके गए जन्मों की संचयी संख्या (मिलियन में)	0.04	44.19	197.39× (पी.डी. 1996)

× आंकड़े अनंतिम हैं।

एन.ए. अनुपलब्ध

पी.डी. कार्यक्रम का आंकड़ा

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्गों में निजी क्षेत्र

1440. **श्री हरिन पाठक :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय जलमार्गों का ब्यौरा क्या है जिनका उपयोग नदी परिवहन के रूप में किया जाना है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र को इस संबंध में शामिल किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो बिल्ड, आपरेट और ट्रांसफर आधार पर आमंत्रित की गई निविदाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) नदी परिवहन के लिए खुले राष्ट्रीय जलमार्गों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(1) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 (1620 कि.मी.)

हल्दिया-कलकत्ता-फरक्का-सेमरिया-पटना-वाराणसी और इलाहाबाद को जोड़ने वाली गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली सन् 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित की गई थी।

(2) **राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 (891 कि.मी.)**

धुबरी-तेजपुर-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ और सैदिया को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र को सन् 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था।

(3) **राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 (205 कि.मी.)**

कोट्टापुरम से कोल्लाम तक (168 कि.मी.) पश्चिम तटीय नहर प्रणाली और चम्पाकारा नहर (14 कि.मी.) तथा उद्योग मंडल नहर (23 कि.मी.) को सन् 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था।

(ख) और (ग). सरकार की नीति के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है और उस स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव

1441. श्री एन. डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनंतपुरम कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 को यातायात के लिए उपयुक्त बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख रखाव एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें उपलब्ध निधियों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी खंड के सुधार के लिए 194.67 लाख रु. की राशि के 5 सुधार कार्य अभी तक मंजूर किए गए हैं और ये प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

जलाशयों में गाद

1442. श्री टी. गोपाल कृष्ण :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों विशेषकर गुजरात के जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित जलाशयों में भारी मात्रा में गाद जमने तथा इससे जल भंडारण की क्षमता पर विपरीत प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक गुजरात को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या गुजरात के जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के जलाशयों में गाद को जमने से रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जलाशयों में गाद जमा होना प्राकृतिक घटना है और गुजरात के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित जलाशयों सहित सभी जलाशयों की क्षमता में गाद को समायोजित करने की व्यवस्था की जाती है।

(ख) देश में प्रतिनिधि जलाशयों के क्षमता सर्वेक्षण आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, क्षेत्र/नदी बेसिनवार तलछटन (गाद) दर इस प्रकार है :-

क्र.सं.	क्षेत्र	तलछटन/गाद जमा होने की दर (हैक्टेयर-मीटर/100 वर्ग कि.मी./वर्ष)
1.	हिमालयी क्षेत्र (सिन्ध, गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन)	5.65 से 27.85 के बीच
2.	भारत गंगा मैदान	0.3 से 16.03 के बीच
3.	गंगा से गोदावरी को छोड़कर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	हीराकुंड जलाशय के मामले में 6.08
4.	गोदावरी सहित दक्कन प्रायद्वीपीय पूर्व की ओर बहने वाली नदी	0.15 से 12.16 के बीच
5.	नर्मदा तापी बेसिन	3.64 से 7.16 के बीच
6.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	0.96 से 25.4 के बीच

(ग) और (घ). जलाशयों की गाद हटाने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये मृदा संरक्षण उपायों, वनरोपण तथा नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण में जल प्रबंध पद्धतियों से जलाशयों में गाद की दर कुछ हद तक कम होने की आशा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी पॉलिटेक्निकों की प्रयोगशालाएं

1443. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और हिमाचल में विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकृत सरकारी पॉलिटेक्निकों की प्रयोगशालाओं की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) अब तक इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से कितनी धन राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) विश्व बैंक की सहायता से स्थापित शैक्षिक अनुसंधान केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान इन दोनों राज्यों में अलग-अलग इस कार्यक्रम पर कितना धन खर्च किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकृत की जा रही सरकारी पालिटेक्निकों की प्रयोगशालाओं की कुल संख्या राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में क्रमशः 223 तथा 77 है। 30.9.1996 की स्थिति के अनुसार इस प्रयोजन के लिए व्यय की गई राशि राजस्थान के लिए 155.12 मिलियन रूपए तथा हिमाचल प्रदेश के लिए 30.77 मिलियन रुपए है।

(ग) शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र विश्व बैंक की सहायता से स्थापित नहीं किए जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय यांत्रिक संगठन

1444. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय यांत्रिक संगठन के कार्यों और इसके मुख्य अभियन्ता के कर्तव्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध पिछले एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वे किन-किन तारीखों को प्राप्त हुई और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संगठन में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करके इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय जल आयोग को केन्द्रीय यांत्रिक संगठन (सेन्ट्रल मेकेनिकल आर्गनाइजेशन) निर्माण विधियों और उपकरण आयोजना, निर्माण उपकरणों को प्राप्ति से संबंधित कार्य में राज्य सरकारों/परियोजना, प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में केन्द्रीय जल आयोग में आयात, तकनीकी दस्तावेज और प्रकाशन कार्य भी शामिल हैं। केन्द्रीय यांत्रिक संगठन के प्रभारी मुख्य इंजीनियर इस स्कन्ध के अध्यक्ष हैं और संगठन के सभी कार्यकलापों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

(ख) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान, अब तक, केन्द्रीय यांत्रिक संगठन, केन्द्रीय जल आयोग के प्रभारी मुख्य इंजीनियर के विरूद्ध मंत्रालय में तीन शिकायतें एक 25.4.96, और दो 22.7.96 को प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच की गई थी और इनमें कुछ विशेष नहीं पाया गया। अतः उन पर कोई भी कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गयी।

(ग) जब कभी विशेष अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की दखलंदाजी

1445. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार गत दो वर्षों से भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत के घरेलू मामलों में पाकिस्तान की दखलंदाजी को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). पाकिस्तान का भारत के प्रति नकारात्मक रवैया, हमारे आंतरिक मामलों में उसका हस्तेक्षप और उसकी "भारत विरोधी" नीतियां जारी रही हैं।

सरकार पाकिस्तान के लोगों के साथ विश्वास और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कामना करते हुए सतर्क रहेगी और राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

सफदरजंग अस्पताल में नकली दवाइयां

1446. श्री सुरेश प्रभु :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्पूरियस मेडीसिन्स एट सफदरजंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सफदरजंग अस्पताल के कैंसर शल्य चिकित्सा वार्ड के डाक्टरों ने इन्ट्रावेन्स फ्लुइड की बोतलों में फफूंदी पायी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सफदरजंग अस्पताल के मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां भी निम्न स्तर की होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है तथा इसमें संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) सोडियम क्लोराइड को एक विकृत बोतल तथा डेक्सट्रोज इंजेक्शन आई.पी. 540 एम.एल., बैच सं. ई-II-2676, विनिर्माण की तिथि जुलाई, 1995 एवं मियाद की तिथि, जुलाई, 1998 में फफूंदी पाई गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सफदरजंग अस्पताल में अंतःशिरा द्रव की बोतलों में फफूंदी की तथाकथित मौजूदगी संबंधी समाचार के विषय में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है जो अंतःशिरा द्रव की खरीद प्रक्रिया, अपर्याप्तता तथा सप्लाई, प्रयोग करने से पूर्व बरती गई सावधानियों पर रिपोर्ट देगी तथा भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपचारात्मक उपाय सुझाएगी।

बन्दरगाह सुविधाएं

1447. श्री सनत मेहता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री बंदरगाह सुविधाओं के बारे में 12 जुलाई, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख बंदरगाहों पर बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करने के लिये स्वीकृत 26 नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूरी की गई योजनाओं का ब्यौरा गया है; और

(ग) शेष योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

महापत्तनों में पत्तन सुविधाएं प्रदान करने के लिए संस्वीकृत 26 नई स्कीमों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	संस्वीकृति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	लक्षद्वीप में अंद्रोथ द्वीप के उत्तर तट पर ब्रेक वाटर और व्हार्फ का निर्माण।	19.42	8.4.92	अप्रैल 2000 में पूरी होने की संभावना है।
2.	कोचीन पत्तन के आयल स्किमर व बोया टेंडर की खरीद।	5.74	1.5.92	जून, 1996 में पूरी हो गई है।
3.	लक्षद्वीप में कालपनी द्वीप के उत्तरी किनारे पर ब्रेक वाटर का निर्माण।	9.50	11.8.92	अप्रैल, 2000 में पूरी होने की संभावना है।
4.	पाराद्वीप पत्तन में एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ का निर्माण	26.36	13.8.92	अक्तूबर, 1995 में पूरी हो गई है।
5.	कलकत्ता पत्तन के लिए पायलट जलयान की खरीद	30.19	23.4.93	स्थगित है।
6.	थर्मल कोल की हैंडलिंग के लिए मद्रास के निकट इन्नोर में नए पत्तन का निर्माण	593.90	23.4.93	31.10.1999 तक पूरी होने की संभावना है।
7.	पाराद्वीप में यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन और 2 कोयला बर्थों का निर्माण	587.41	23.4.93	सितम्बर, 98 तक पूरी होने की संभावना है।
8.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन में सर्विस बर्थ तक पहुंच पुल का निर्माण	13.09	24.8.93	सितम्बर, 96 में काफी पूरा हो गया है।
9.	कार निकोबार में मुस के स्थान पर ब्रेक वाटर और व्हार्फ का निर्माण	47.63	18.1.94	जनवरी, 2001 में पूरा करने के लिए निर्धारित
10.	बम्बई पत्तन द्वारा ड्रेजर विकास का प्रतिस्थापन	30.00	21.2.94	मार्च, 97 तक पूरी होने की संभावना है।
11.	मद्रास पत्तन में 20 टन की 3 इलैक्ट्रिक व्हार्फ क्रेनों की खरीद	38.00	23.2.94	फरवरी, 98 तक पूरी होने की संभावना है।

1	2	3	4	5
12.	तूतीकोरिन पत्तन के लिए एक 32 टन उच्च शक्ति बी.पी. टैक्ट्रर की खरीद	15.40	28.3.94	फरवरी, 95 में टग का जलावतरण कर दिया गया है।
13.	बम्बई पत्तन में जलयान यातायात प्रबंध प्रणाली की स्थापना	32.96	28.3.94	मार्च, 97 तक पूरी होने की संभावना है।
14.	तूतीकोरिन पत्तन में बहुउद्देशीय बर्थ सं.7 का निर्माण	28.64	9.5.94	मई, 1998 तक पूरा करने के लिए निर्धारित।
15.	कोचीन में कोचीन आयल टर्मिनल को जाने वाले चैनल को गहरा करना	47.40	9.6.94	मई, 95 में पूरी हो गई
16.	कांडला में अतिरिक्त कार्गो बर्थ का निर्माण	38.82	9.6.94	जून, 1998 में पूरी करने के लिए निर्धारित।
17.	मंगलूर में स्थापित किए जा रहे नए तेल शोधक कारखाने के लिए क्रूड और पी.ओ.एल. उत्पादन हैंडल करने के लिए पत्तन सुविधाओं का प्रावधान	238.14	23.6.95	मार्च, 1997 में पूरी होने की संभावना है।
18.	विशाखापत्तनम में एल.पी.जी. हैंडल करने के लिए एक जैटी का निर्माण	24.12	24.6.94	दिसंबर, 1997 में पूरी होने की संभावना है।
19.	कांडला में सभी उपकरणों आदि सहित 66 केवी/11 के वी इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन की व्यवस्था करना	15.74	12.7.94	जुलाई, 1997 में पूरा करने के लिए निर्धारित।
20.	बम्बई पत्तन में विक्टोरिया गोदी द्वारा का प्रतिस्थापन	8.98	7.10.94	सितंबर, 1996 में आर्डर दिया गया।
21.	विजाग पत्तन द्वारा टग "सीरी" का प्रतिस्थापन	14.06	28.3.95	जनवरी, 1997 में पूरी होने की संभावना है।
22.	बम्बई पत्तन द्वारा सब मरीन पाइप लाइनों का प्रतिस्थापन	165.15	28.3.95	जनवरी, 1998 में पूरी करने के लिए निर्धारित।
23.	कांडला पत्तन द्वारा 4 व्हार्फ क्रेनों की खरीद	21.20	29.3.95	अप्रैल, 1998 में पूरी करने के लिए निर्धारित।
24.	मद्रास पत्तन में मौजूदा पुराने शेड को गिराकर बहुमंजिले पारगमन शेड का निर्माण	18.38	19.6.96	जून, 1998 में पूरी होने की संभावना है।
25.	विशाखापत्तनम पत्तन में बाह्य बंदरगाह में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ का निर्माण	37.70	15.1.96	जनवरी, 1999 में पूरा करने के लिए निर्धारित।
26.	कांडला पत्तन में चतुर्थ आयल जैटी का निर्माण	25.12	18.2.96	फरवरी, 2000 में पूरी करने के लिए निर्धारित।

आयुध कारखानों द्वारा खराब गोला-बारूद की आपूर्ति

1448. श्री आई.डी. स्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार का ध्यान 11 मार्च, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार "आर्डिनेंस डिवीजन्स सप्लाई डिफेक्टिव एम्यूनिशन" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). सरकार को "आर्डिनेंस डिवीजन्स सप्लाइंग डिफेक्टीव एम्यूनीशन" शीर्षक से छपे समाचार की जानकारी है। यह समाचार 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुई अवधि के लिए नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की 1996 की रिपोर्ट सं. 8 के पैरा-39 में निहित टिप्पणियों पर आधारित है।

2. संदर्भित गोलाबारूद के दो रूपान्तर विदेश से अंतरिम प्रौद्योगिकी के आधार पर प्राइमर "वाई" का उपयोग करके निर्मित किए गए थे। प्राइमर "वाई" के आरंभिक लाट विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति व उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में उनकी संतुष्टि के अनुरूप

निर्मित किए गए थे। प्राइमर लाट 1 से 25 का उपयोग सेना को जारी किए गए इन दो रूपान्तरों के 39,485 राउंडों में इन दोनों प्राइमरों व गोलाबारूद राउंडों के सफल प्रूफ परीक्षण के बाद किया गया था।

3. जिस समय दुर्घटना हुई थी लाटों में से एक लाट के प्राइमर "वाई" जिसका सफल प्रूफ परीक्षण भी कर लिया गया था, का देश में विकासाधीन गोलाबारूद के तीसरे रूपान्तरण के परीक्षण में उप प्रणाली के रूप में उपयोग किया गया था। जांचों से पता चला है कि बहुत संभव है कि यह दुर्घटना "बीडिंग" नामक संक्रिया जो कि प्राइमर "वाई" के निर्माण में नहीं की गई थी, के कारण हुई हो। इसी कारण प्राइमर "वाई" के निर्माण में "बीडिंग" लाट 26 एवं उसके बाद से की जा रही है।

4. सेना को जारी किए गए गोलाबारूद के प्रथम दो रूपांतरों के 39,485 राउंडों में से 11,108 राउंड पहले ही इस्तेमाल कर लिए गए हैं। कोई समस्या नहीं बताई गई है। तथापि, इस दुर्घटना के बाद देश में विकासाधीन गोलाबारूद के तीसरे रूपांतर का परीक्षण करते समय सेना को जारी किए गए गोलाबारूद के प्रथम दो रूपांतरों के शेष 28,377 राउंड जिनमें बीडिंग न किया गया प्राइमर है अलग कर दिए गए हैं। यह भारी सावधानी के उपाय के रूप में दिया गया है। साथ ही इन राउंडों से प्राइमर के प्रतिस्थापन सहित परिशोधन का कार्य शुरू हो गया है।

[हिन्दी]

इग्नू में हिंदी में पाठ्यक्रमों की शुरूआत

1449. कुमारी उमा भारती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान तथा पर्यटन पाठ्यक्रमों की हिंदी में आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त पाठ्यक्रम हिंदी में कब तक आरंभ किये जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं :-

पर्यटन अध्ययन कार्यक्रम

पर्यटन अध्ययन में प्रमाणपत्र

पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा

पर्यटन अध्ययन में स्नातक

पुस्तकालय विज्ञान कार्यक्रम

पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में स्नातक पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर जनवरी, 1997 सत्र से पर्यटन अध्ययन में प्रमाण पत्र और पर्यटन अध्ययन में स्नातक कार्यक्रम हिंदी में भी चलाए जायेंगे। जबकि आशा है कि जनवरी, 1998 से पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा भी आरंभ किया जाएगा।

जहां तक पुस्तकालय विज्ञान में कार्यक्रमों का संबंध है हिंदी में इन कार्यक्रमों के विकास और आरंभ करने की प्रक्रिया चल रही है। आशा है कि हिंदी में पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री जनवरी, 1999 सत्र से आरंभ की जाएगी।

[अनुवाद]

मुम्बई पत्तन न्यास की भूमि

1450. श्री राम नाईक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई पत्तन न्यास के कब्जे और स्वामित्व वाली भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) विभिन्न पार्टियों को पट्टे के अंतर्गत दी गई कुल भूमि कितनी है;

(ग) पट्टा किराया किस वर्ष में निर्धारित किया गया था और क्या वह समय-समय पर संशोधित किया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी कुछ भूमि को बेचने का है जिसकी मुम्बई पत्तन न्यास को आवश्यकता नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) मुम्बई पत्तन न्यास के कब्जे और स्वामित्व में कुल क्षेत्र 1860 एकड़ भूमि है।

(ख) विभिन्न पार्टियों को कुल 785 एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई है।

(ग) पट्टों के संबंध में किराये, पट्टे की शर्तों के आधार पर अथवा कोई नया पट्टा प्रदान किया जाए तो पट्टे की समाप्ति पर संशोधित किए जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राइवेट इंजीनियरी कॉलेज

1451. श्री गुलाम रसूल कार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने प्राइवेट इंजीनियरी कॉलेज कार्यरत हैं और उनमें से अभी तक कितने कॉलेजों को पंजीकृत किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्यार्थियों को दाखिला प्राप्त करने के लिए इन कॉलेजों में बड़ी मात्रा में धनराशि चन्दे के रूप में जमा करानी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो इन कॉलेजों पर रोक लगाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाये किये गए/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, जो देश भर की तकनीकी शिक्षा पद्धति की उचित आयोजना तथा समन्वित विकास के लिए एक सांविधिक निकाय है, अब तक 301 प्राइवेट इंजीनियरी कालेज अनुमोदित किए हैं। इन कालेजों के शुल्क ढांचे को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अति नियम निष्ठता से निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकारों से इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

संस्कृत महाविद्यालय

1452. श्री सोहन बीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने संस्कृत महाविद्यालय हैं;

(ख) संस्कृत महाविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का ऐसे महाविद्यालयों को दी जा रही वित्तीय सहायता में वृद्धि का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). चालू योजना अवधि के दौरान वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान राज्यवार संस्कृत कालेजों को दिये गये अनुदान का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्कृत कालेजों की संख्या	वर्ष तथा राशि रुपयों में		
			1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	1	21,600	21,600	21,600
2.	बिहार	16	31,39,120	39,49,217	50,34,900
3.	चंडीगढ़	1	21,100	-	61,200
4.	दिल्ली	2	64,400	50,400	1,22,400
5.	हरियाणा	26	18,15,634	18,16,826	34,22,200
6.	हिमाचल प्रदेश	4	10,46,069	14,65,131	20,32,200
7.	जम्मू और कश्मीर	1	32,400	-	82,800
8.	कर्नाटक	5	1,53,000	3,17,900	7,74,700
9.	केरल	7	7,81,550	13,57,467	12,88,900
10.	महाराष्ट्र	8	16,58,448	18,49,408	17,33,100
11.	मणिपुर	1	61,200	-	1,22,400
12.	उड़ीसा	2	54,000	54,000	25,900
13.	पंजाब	5	1,32,800	82,800	1,99,800
14.	राजस्थान	5	1,06,200	1,00,800	1,94,400
15.	तमिलनाडु	3	16,32,325	16,73,469	12,40,500
16.	उत्तर प्रदेश	90	21,72,880	38,04,084	56,67,500
17.	पश्चिम बंगाल	4	60,300	1,14,300	1,48,050
	योग :	181	1,29,04,426	1,66,08,807	2,21,72,550

डी ए वी कालेज की काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संबद्धता

1453. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाराणसी के दयानन्द कालेज की काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से संबद्धता जारी रखने के लिये कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 30 अप्रैल और 1 मई, 1996 को आयोजित अपनी बैठकों में कालेज का सम्बद्धन समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि कालेज पिछले कुछ वर्षों से अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश दे रहा था।

एक स्वायत्त निकाय होने के कारण विश्वविद्यालय इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए सक्षम है। सरकार ने विश्वविद्यालय से अनुरोध किया कि वह इस प्रकार की अनियमितताओं से बचने के लिए कालेज शासी निकाय को प्रबंध ढांचे और नियंत्रण तंत्र में उपयुक्त परिवर्तन करने का सुझाव दे। शासी निकाय द्वारा विशिष्ट संशोधन समायोजित करने पर सहमत होने पर छात्रों व कर्मचारियों के हित में अपने पहले निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया।

[अनुवाद]

महिला निरक्षरता को दूर करना

1454. श्री भक्त चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर पूर्णतः साक्षरता मिशन संबंधी गतिविधियां चालू हैं;

(ख) राज्य-वार उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है;

(ग) क्या उड़ीसा, बिहार और आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में और विशेष रूप से उड़ीसा के कालाहांडी जिले में महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों में विशेष रूप से कालाहांडी जिले में महिला निरक्षरता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) उन जिलों में जिला साक्षरता समितियों द्वारा साक्षरता अभियान कार्यान्वित किए जा रहे हैं उन जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सूची अनुबंध में दी गई है।

(ख) संपूर्ण साक्षरता अभियान विशेष लक्षित आयु-वर्ग, अर्थात् 15-35 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को साक्षर बनाने (जिसमें जिले की मौजूदा मांग के आधार पर 9-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है) के लिए विभिन्न जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा होने पर, संपूर्ण साक्षरता चरण के दौरान साक्षरों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को समेकित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित 174 जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं। साक्षरता के ये दोनों चरण संपूर्ण केरल राज्य तथा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान एवं पांडिचेरी संघ राज्य के कुछ जिलों में सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) संपूर्ण देश में, साक्षरता में सुधार करने की दिशा में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों के लिए सर्व सुलभ प्रारंभिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा की एक त्रिआयामी कार्यनीति बनाई गई है।

निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति संपूर्ण साक्षरता अभियान है, जिसे उड़ीसा, बिहार तथा आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में शुरू किया गया है (जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है) इस अभियान दृष्टिकोण के अंतर्गत, अधिकांशतः समाज के निर्बल वर्गों तथा महिलाओं को शामिल किया जाता है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले समूह में दो-तिहाई भाग से अधिक महिलाएं हैं।

अगस्त, 1996 में काला हांडी जिले से जो सूचना प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार, संपूर्ण साक्षरता अभियान की हासिल की गई उपलब्धि का स्तर निम्नलिखित है :—

प्रवेशिका	पूर्ण की गई		शिक्षण जारी है	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
प्रवेशिका-I	85,162	72,503	57,487	48,943
प्रवेशिका-II	59,004	50,243	26,153	22,265
प्रवेशिका-III	41,447	35,288	17,562	14,950

विवरण

साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन वाले जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

आंध्र प्रदेश

चित्तूर

कुडप्पा

हैदराबाद जिला

नेल्लौर

विशाखापत्तनम

करनूल

महबूब नगर

खम्माम

निजामाबाद

पश्चिम गोदावरी

करीम नगर

नलगोंडा

मेडक

वारंगल

श्री काकुलम

रंगारेड्डी

विजय नगरम

पूर्वी गोदावरी

अदीलाबाद

प्रकाशम

कृष्णा

अनन्तपुर

गुण्टूर

असम

मोरेगांव

दरांग

धीमाजी

जोरहाट

तिनसुकिया

शिव सागार

कोकराझार

सोनितपुर

कामरूप

कछार

करीम गंज

हेलाकांडी

धुबरी

डिब्रूगढ़

नलबाड़ी

ऊ. कछार पहाड़ियां

गोल पाड़ा

गोलपघाट

लखीमपुर

बारपेटा

बिहार

मधेपुरा

सहरसा

मधुबनी

सिवान

भोजपुर

दुमका

जमुई

खगड़िया

मुंगेर

औरगांबाद

धनबाद

बेगूसराय

सुपौल

रांची

दरभंगा

पलामू

नालन्दा

जहानाबाद

बक्सर

साहिबगंज

गोइंडा

कटिहार

सारण

बांका

समस्तीपुर

हजारीबाग

कैमर

गिरिडीह

पूर्वी सिंहभूम

दिल्ली (सभी जिले)

गोवा (दोनों जिले)

गुजरात

भावनगर

गांधी नगर

खेड़ा

अहमदाबाद ग्रामीण

डांग्स

भुज-कच्छ

जूनागढ़

सुरेन्द्र नगर

साबर कांठा

सूरत

बादोदरा

अमरेली

जामनगर

मेहसाना

पंचमहल

राजकोट

बालसाड

बनास कांठा

हरियाणा

पानीपत

युमना नगर

भिवानी

जिन्द

रोहतक

अम्बाला

सिरसा

हिसार

कुरूक्षेत्र

सोनीपत

रिवाड़ी

महेन्द्रगढ़

गुड़गांव

फरीदाबाद

कैथल

हिमाचल प्रदेश

सिरमौर

चंबा

हमीरपुर

किन्नौर

कुल्लू

मंडी

शिमला

सोलन

उना

कांगड़ा

बिलासपुर

लाहुल और स्पीति

जम्मू और कश्मीर

जम्मू

कठुआ

राजौरी

उधमपुर

लेह

कर्नाटक

बीजापुर

दक्षिण कन्नड़

मड्या

रायचूर

तुमकुर

बिदर

शिमोगा

धारवाड़

मैसूर

उत्तर कन्नड़

बंगलौर ग्रामीण

चिकमगलूर

गुलबर्गा

कोडगू

कोलार

चित्रदुर्गा

बेल्लारी

बेलगाम

हासन

बंगलौर शहर

केरल (सभी के सभी 14 जिलें)

मध्य प्रदेश

दुर्ग

नरसिंहपुर

रायपुर

इन्दौर

बिलासपुर

रतलाम

बैतूल

रायगढ़

उज्जैन

छतरपुर

दतिया

राजनंद गांव

सतना

भिन्ड

ग्वालियर

देवास

छिन्दवाड़ा

रीवा

रायसेन

झबुआ

पन्ना

शाजापुर

सीधी

खंडवा

विदिशा

टीकमगढ़

सागर

रायगढ़

जबलपुर

बालाघाट

माडला

सिवनी

मदंसौर

होशंगाबाद

गुना

खरगौन

बस्तर

शहडोल

सिहोर

भोपाल

शिवपुरी

दमोह

मुरैना

धार

सरगुजा

महाराष्ट्र

सिंधदुर्ग

वर्धा

पुणे

लातूर

औरंगाबाद

रत्नागिरि

जालना

नॉदेड़

परभनी

सांगली

उसमानाबाद

बीड

अमरावती

ग्रेटर बम्बई

कोल्हापुर

यावतमल

नासिक

रायगढ़

अहमदनगर

बुलडाना

सतारा

नागपुर

सोलापुर

ठाणे

चन्द्रपुर

गढ़चिरौली

धूले

मणिपुर

चूड़ाचन्दपुर

मेघालय

पूर्वी गारो पहाड़ियां

जयन्तिया पहाड़ियां

री भोई

पश्चिमी खासी पहाड़ियां

पूर्वी खासी पहाड़ियां

पश्चिमी गारो पहाड़ियां

उड़ीसा

सुन्दरगढ़ जिला

राउर केला शहर

गंजाम

क्योंझर

धेनकानाल

अंगुल

कालाहांडी

बालंगीर

मल्कागिरि

नयागढ़

कोरापुट

संबलपुर

गजपति

झारसगुडा

बालासोर

देवगढ़

कटक

पुरी

मयूरभंज

खुर्दा

फुलबनी

पंजाब

होशियारपुर

फरीदकोट

लुधियाना

संगरूर

रूपनगर

फ़िरोजपुर

भटिंडा

जालंधर

मनसा

अमृतसर

फतेहगढ़ साहिब

राजस्थान

डूंगर पुर

भरतपुर

सीकर

अजमेर

पाली

टोंक

बारन

अलवर

राजसमन्द

उदयपुर

बूंदी

झुनझुनू

भिलवाड़ा

बांसवाड़ा

चित्तौड़गढ़

जोधपुर

बाड़मेर

बीकानेर

सवाई माधोपुर

नागौर

सिरोही

धौलपुर

झालावाड़

दौसा

जैसलमेर

श्री गंगानगर

हनुमानगढ़

कोटा

तमिलनाडु

कामाराजार

पी.एम.टी. शिवगंगाई

पुदुकोट्टई

कन्याकुमारी

मदुरै

उत्तरी आरकोट अम्बेडकर

तिरूनेलवेली कट्टाबामन

रामनाथपुरम

कोयम्बटूर

नागपाट्टेनम

डिन्डीगुल अन्ना

पेरियार

सेलम

दक्षिणी आरकोट

तिरूवेन्नामलाई

तंजावुर

चिदम्बरनार

चेंगल पट्ट

नीलगिरि

मद्रास

विल्लुपुरम

त्रिपुरा

उत्तरी त्रिपुरा

पश्चिमी त्रिपुरा

दक्षिणी त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

फतेहपुर

चमोली

देहरादून

अल्मोड़ा

आगरा

गाजियाबाद

मुरादाबाद

बिजनौर

बरेली

कानपुर देहात

कानपुर सिटी

फैजाबाद

मऊ

आजमगढ़

जौनपुर

फर्रूखाबाद

जालौन

बहराइच

ललितपुर

लखीमपुर खीरी

प्रतापगढ़

देवरिया

मिर्जापुर

सुल्तानपुर

गाजीपुर

पिथौरागढ़

टिहरीगढ़वाल

उत्तरकाशी

हमीरपुर

बाराबंकी

रायबरेली

मथुरा

बस्ती

गौंडा

हरदोई

उन्नाव

शाहजहांपुर

बदायूं

बुलन्दशहर

झांसी

मैनपुरी

महराजगंज

इटावा

सिद्धार्थ नगर

रामपुर

इलाहाबाद

मुजफ्फर नगर

सहारनपुर

फिरोजाबाद

मेरठ

सीतापुर

पडरौना

बांदा

भदोही

लखनऊ

गोरखपुर

अलीगढ़

बलिया

सोनभद्र

पौड़ीगढ़वाल

एटा

महोबा

नैनीताल

उधम सिंह नगर

वाराणसी

पश्चिम बंगाल

मिदनापुर

बर्दवान

हुगली

वीरभूम

कूच-बिहार

बांकुड़ा

द. 24-परगना

मुर्शिदाबाद

नदिया

पुरूलिया

मालदा

जलपाईगुड़ी

द.-दिनाजपुर

उ. दिनाजपुर

दार्जिलिंग

हावड़ा

उ. 24 परगना

दमन और दीव

दमन

दादरा और नागर हवेली

दादरा और नागर हवेली

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र (सभी चारों जिले)

[हिन्दी]

डेंगू ज्वर के लिए औषधि

1455. **श्री गंगा चरण राजपूत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेंगू ज्वर को रोकने के लिये अब तक किसी औषधि की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस औषधि का नाम क्या है तथा उस औषधि का प्रचार नहीं करने तथा औषधालयों में इसे वितरित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या "लेचेसिस-200" नाम की होम्योपैथिक औषधि का इस प्रयोजनार्थ परीक्षण किया गया था तथा इसे डेंगू ज्वर रोकने के लिये प्रभावशाली पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो डेंगू ज्वर को रोकने के लिये इसका अब तक प्रयोग नहीं करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). अब तक डेंगू ज्वर के पूर्ण इलाज के लिए किसी भी चिकित्सा पद्धति में कोई और औषध नहीं है।

(ग) और (घ). "लेचेसिस 200" नामक होमियोपैथिक औषधि के डेंगू के उपचार में लाभदायक होने की सूचना मिली है।

[अनुवाद]

छात्र आंदोलन

1456. **श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के स्नातकपूर्व छात्रों द्वारा किये जा रहे आंदोलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संस्थान के आंदोलनकारी छात्रों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के स्नातकपूर्व छात्र 4 नवम्बर, 1996 से हड़ताल पर गए थे। छात्र इस बात का सक्रियता से सत्यापन करने पर बल दे रहे हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लेने से पहले आवेदन किसी दूसरी संस्थान में स्नातकोत्तर अध्ययन नहीं कर रहे थे। छात्रों की मांग पर संस्थान के विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रयोगात्मक आधार पर शैक्षिक सत्र, 1997 के लिए सक्रिय सत्यापन की प्रक्रिया आजमाई जाए। हड़ताल 16 नवम्बर, 1996 से समाप्त कर दी गई थी।

कर्नाटक में रेफरल अस्पताल

1457. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कर्नाटक में केन्द्र सरकार के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कर्नाटक में रेफरल अस्पतालों के रूप में मान्यता प्राप्त अस्पतालों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत बंगलौर अस्पताल, मलय अस्पताल आदि जैसे कुछ नर्सिंग होमों और अस्पतालों को रेफरल अस्पताल घोषित करने का कोई प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अब तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कर्नाटक में सेवारत केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को 46233 कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख) इस समय क्रिश्चन मेडिकल कालेज और अस्पताल वैल्लोर और एम.एस. रमैया मेडिकल टीचिंग अस्पताल, बैंगलोर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कर्नाटक में रेफरल अस्पतालों के रूप में मान्यताप्राप्त हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन प्राइवेट अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को रेफरल अस्पतालों/केन्द्रों के रूप में मान्यता दी जा रही है। बैंगलोर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अस्पतालों को मान्यता देने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

अत्याधुनिक हल्के हेलीकाप्टर की खरीद

1458. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने 300 अत्याधुनिक हल्के हेलीकाप्टर (ए.एल.एच.) खरीदने के लिये एच.ए.एल. को आशय पत्र जारी कर दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में जिन मॉडलों को अंतिम रूप से खरीदना तय कर लिया गया है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ए.एल.एच. के लिये महानिदेशक, नागर विमानन से उड़ानक्षम प्रमाण पत्र (वर्दीनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त कर लिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय वायु सेना तथा सेना के ए.एल.एच. में किये गये अथवा किये जाने वाले परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है, यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की अत्याधुनिक हल्के हेलीकाप्टर के निर्माण के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है तथा प्रथम बैच कब तक आयेगा अथवा भारतीय वायु सेना की जरूरत को यह कब पूरा करेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को आशय पत्र प्राप्त हो गए हैं जिनमें तीनों सेनाओं के लिए तीन सौ हेलिकाप्टरों की आवश्यकता बताई गई हैं।

(ख) सिविल आदिरूप का विकास किया जा रहा है और इसका नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा समुचित प्रमाणीकरण 1998 तक प्राप्त किए जाने की योजना है।

(ग) सैन्य रूपांतर का सेमीलैक (सेंटर फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट एयरवर्दीनेस) द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जा रहा है। इस उन्नत हल्के हेलिकाप्टर का विकास सेना, नौसेना और वायुसेना की विशिष्ट और कई आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से किया जा रहा है।

(घ) हेलिकॉप्टरों के पहले बैच का उत्पादन शुरू हो गया है और 1998 तथा उसके बाद से सुपुर्दगियां शुरू किए जाने का कार्यक्रम है।

पत्तनों पर उठाई-धराई सुविधाएं

1459. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 50,000 मि.टन और उससे अधिक की क्षमता के पोतों के माल की उठाई-धराई हेतु बर्थ की सुविधा वाले पत्तन हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पत्तन में वास्तविक रूप में हासिल औसतन उतराई दर क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मौजूदा और नये पत्तनों में इस प्रकार की और बर्थों का विकास और निर्माण करने तथा उनमें उनके अनुरूप उतराई और उठाई-धराई की सुविधाएं प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाये किये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां। कच्चे तेल और शुष्क बल्क कार्गो, जैसे लौह अयस्क और कोयला हैंडल करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और 50,000 एम टी तथा उससे अधिक आकार के पार्सलों में इन्हें हैंडल किया जाता है।

(ख) मद्रास, विशाखापत्तनम, मुरगांव और हल्दिया पत्तनों पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। उपर्युक्त बल्क कार्गो के मामले में इन पत्तनों पर हासिल औसतन उतराई दर नीचे दी गई है :-

पत्तन	शुल्क बल्क कार्गो	तरल कार्गो
मद्रास	5250	14309
विशाखापत्तनम	5449	13460
मुरगांव	9562	7539
हल्दिया	3945	14076

(ग) सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में मौजूदा और नए पत्तनों पर इस प्रकार के और अधिक बर्थों का विकास और निर्माण करने की योजना बनाई हैं।

नेताजी की जन्म शताब्दी

1460. श्री बीर सिंह महतो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 23 जनवरी, 1997 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी मनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय समिति ने अपनी बैठक में किसी कार्यक्रम और क्रियाकलापों पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम/क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी मनाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति और मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया है। वर्ष भर चलने वाले इस समारोह का शुभारंभ दिल्ली के लाल किले में 23 जनवरी, 1997 को एक उद्घाटन समारोह के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर एक स्मारक टिकट और एक स्मारक सिक्के के विमोचन करने का भी प्रस्ताव है।

व्यावसायिक शिक्षा राज्य परिषद

1461. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों ने अभी तक व्यावसायिक शिक्षा राज्य परिषद का गठन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ये रहस्य कौन-कौन से हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा राज्य परिषद के अभाव में माध्यमिक शिक्षा योजना के व्यावसायीकरण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) अब तक 21 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद (एस.सी.वी.ई.) स्थापित किए हैं।

(ख) और (ग). जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप ने अपनी-अपनी राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषदें (एस.सी.वी.ई.) स्थापित नहीं किए हैं। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ बार-बार यह सलाह दी गई है कि वे विभिन्न स्तरों पर प्रबंध ढांचे को सुदृढ़ करें, कार्यक्रम में व्यावसायिकता लाने के लिए विशेषज्ञों को भर्ती करें, आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू करें, तथा सेवाकालीन और शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उद्योग के साथ सहलग्नता को सुदृढ़ करें।

क्लास बंकिंग डॉन

1462. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 सितम्बर, 1996 और उसके बाद निरन्तर "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "क्लास बंकिंग डॉनस" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समाचार पत्र में उठाए गए मुद्दों पर दिल्ली विश्वविद्यालय से टिप्पणियां मांगी गई हैं, जिनके प्राप्त होने के बाद ही इस विषय पर आगे कोई कार्रवाई संभव है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आई आई टी की इकाई

1463. श्री दत्ता मेघे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाम को कुछ और इकाइयां खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

1464. श्री शरद पवार :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार की मांग की तुलना में कम धनराशि आबंटित करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के लिए प्रति किलोमीटर औसत आबंटन अन्य राज्यों के समान ही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन आबंटनों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, उपलब्ध निधियां आवश्यकता का लगभग 40 प्रतिशत ही रही हैं। इसलिए महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों की मांगों की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं की जा सकी। 8वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य को 132.74 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र को सुपुर्द की गई सड़क परियोजनाएं

1465. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सड़क विकास परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजनाओं की लागत तथा निबंधन और शर्तों सहित सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) लम्बित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लम्बित होने के क्या कारण हैं तथा इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी हां। ऐसी परियाजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक केवल एक परियोजना अर्थात् थाणे-भिवंडी बाईपास का अनुमोदन किया गया है जिसकी रियासत अवधि 7 वर्ष 8 माह है और प्रयोक्ता शुल्क निम्न प्रकार है:-

(1)	मोटर/कार/जीप आदि	10/- रु.
(2)	बस/ट्रक आदि	30/- रु.
(3)	डोजर क्रेन और मिट्टी हटाने वाली मशीन आदि जैसी भारी मशीनें	40/- रु.

(घ) ये प्रस्ताव अभी विभिन्न अवस्थाओं में हैं और उनके अनुमोदन के लिए कोई समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	रा.रा. 4 पर पनवेल बाईपास का निर्माण।
2.	पी एम पी सड़क के 16/400 कि.मी. में खार पेरवा गांव के समीप पाटलगंगा नदी पर बड़े पुल का निर्माण।
3.	रा.रा. 4 ख को चार लेन का बनाना।
4.	39/1 (491/0 कि.मी.) में बाणगंगा नदी पर बड़े पुल तथा भंडारा के समीप रा.रा. 6 के रायपुर-नागपुर खण्ड में पंहुच मार्गों का निर्माण।
5.	मुम्बाई-पुणे सड़क पर बडगांव से लोनावाला के बीच 34/0 से 61/600 कि.मी. तक सड़क को तथा 61/600 से 67/785 कि.मी. तक लोनावाला खंडाला बाईपास को चार लेन का बनाना।
6.	धुले जिले में रा.रा. 3 पर मुम्बई आगरा सड़क पर डमासी में तापी पुल से 233/0 कि.मी. तक मौजूदा दो लेन को मजबूत करना अर्थात् नरधाना में 228/0 कि.मी पर आर ओ बी और इसके पंहुच मार्गों का निर्माण।
7.	जलगांव जिले में रा.रा. 6 पर 442/0 कि.मी से 465/0 कि.मी. तक मौजूदा दो लेन की पेवमेंट को मजबूत करना और पालधी बाईपास का निर्माण।

1	2
8.	जलगांव जिले में 400/200 कि.मी. से 428/00 कि.मी. तक के खण्ड को मजबूत करने सहित फेकारी गांव के समीप 399/0 कि.मी. और नसीराबाद गांव के निकट 418/80 कि.मी. पर पंहुच मार्गों सहित आर ओ बी।
9.	रा.रा.4 पर पुणे शहर के बाहर 27/160 से 27/680 कि.मी. में वार्जे जंक्शन पर पश्चिमी डाइवर्जन पर आर सी सी फ्लाईओवर पुल का निर्माण।

उच्चतर शिक्षा में आमूल परिवर्तन

1466. श्री संदीपान थोरात : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों का आंशिक रूप से निजीकरण अथवा औद्योगिक विश्वविद्यालय परस्पर क्रिया को प्रोत्साहन देकर उच्चतर शिक्षा को स्वतः वित्त पोषण बनाने के लिए परिवर्तन करके उच्चतर शिक्षा/विश्वविद्यालय प्रणाली को वांछित परिवर्तनों के अनुकूल लचीला बनाने हेतु उसमें आमूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में उच्चतर/विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति में वांछनीय ढांचागत परिवर्तन करने के संबंध में कतिपय सिफारिशें की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों और विकासशील देशों से विदेशी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ). नवम्बर, 1992 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायमूर्ति के. पुन्नय्या की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए विशिष्ट उपायों का सुझाव देना है। समिति ने इस संबंध में कई सिफारिशें की हैं जो निम्नलिखित हैं :-

* गुणवत्ता, दक्षता और नवाचारिता को ईमानदारी से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
* वित्तीय और शैक्षणिक विषयों में सुधार लाने में असफल संस्थानों के प्रोत्साहनों में कटौती की जानी चाहिए।
* नवीं योजना से, नए कार्यक्रमों को छोड़ते हुए, जिनके लिए इकाई लागत का निर्धारण नहीं किया गया है, अथवा जिनका निर्धारण कठिन हो, नियमतः अनुदानों की क्रियाकलापों की इकाई लागत से संबंधित होना चाहिए।
* अनुरक्षण अनुदान के अंतर्गत शामिल होने वाले अनेक क्रियाकलापों में भारी सहायिकियों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और इनमें पर्याप्त सीमा तक कटौती की जानी चाहिए।
* कर्मचारियों की संख्या में होने वाली वृद्धि के कारण व्यय की समीक्षा की जानी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां इस पर कड़ाई से रोक लगाई जानी चाहिए।
* विकास अनुदानों का संपर्क शैक्षणिक लेखा परीक्षा-प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादन संकेतक विकसित किए जाने चाहिए।
* छात्र शिक्षक अनुपात 1:12 होना चाहिए।
* शिक्षण से शिक्षणेतर कर्मचारियों का अनुपात 1:3 पर लाया जाना चाहिए और माली, सफाई वाले, चौकीदार इत्यादि जैसे कर्मचारियों को यथा-संभव अनुबंध के आधार पर रखा जाना चाहिए।
* शिक्षा शुल्क को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाना चाहिए और मुद्रास्फीति को दृष्टिगत रखते हुए उसे आवधिक रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
* पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के लिए शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आवर्ती लागत के महत्वपूर्ण भाग की वसूली हो सके।
* सभी वास्तविक आवर्ती लागत और पूंजीगत लागत के प्रमुख अंश के वहन हेतु छात्रावास शुल्क में तत्काल वृद्धि की जानी चाहिए। विद्यार्थी समुदाय को उनके हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में संसाधन जुटाने से संबंधित चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए।
* शिक्षा शुल्क में वृद्धि से होने वाली आय का इस्तेमाल कमजोर वर्गों के लिए अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए।
* आय प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों को ढांचागत सुविधाओं जैसे खेल के मैदान, आडिटोरियम इत्यादि को किराए पर चढ़ाना चाहिए और लघु अवधि के ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिनकी मांग हो। उनको धर्मदाय निधियों, योगदानों की प्रार्थना करनी चाहिए और संस्थानों के शैक्षणिक क्रियाकलाप को प्रभावित किए बिना परामर्श में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पुन्नय्या समिति की रिपोर्ट और उसके साथ उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारों का परिचालन केंद्र/राज्य/सम विश्वविद्यालयों को तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को किया गया था ताकि उनसे संबंधित सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा सके।

सरकार ने "निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियम) विधेयक, 1995" राज्य सभा में प्रस्तुत किया ताकि देश में स्व वित्तपोषी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हो और इस विषय पर एक समर्थ विधान के माध्यम से उनका कार्यान्वयन विनियमित हो।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय मिशनों के लेखों का रख-रखाव

1467. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा लेखों के रख-रखाव में गल्तियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विदेशों में भारतीय मिशनों में धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए कड़े उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार विदेश स्थित हमारे मिशनों में लेखे तैयार किए जाते हैं और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव ध्यान दिया जाता है। इन्हें रोकड़ लेखे के रूप में प्रत्येक महीने नियमित रूप से मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, विदेश मंत्रालय को भेज दिया जाता है। यदि लेखे में कोई विसंगति नजर आए तो उसे आगामी महीने के लेखे में दूर कर दिया जाता है। ये लेखे मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, विदेश मंत्रालय में पश्च-लेखा परीक्षा के अध्यधीन है और सांविधिक लेखा-परीक्षा द्वारा भी इसकी लेखा-परीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज

1468. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिना अनुदान के चलाये जा रहे मेडिकल कालेजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर महाराष्ट्र में इन कालेजों में कुल कितने छात्र अध्ययनरत हैं; और

(ग) इनमें राज्य से बाहर के कुल कितने छात्र हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पाक उच्च कमान अधिकारी की गतिविधियां

1469. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 सितम्बर, 1996 को पाकिस्तान उच्च आयोग का एक अधिकारी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रंगे हाथों पकड़ा गया है, जो उसके सरकारी हैसियत से मेल नहीं खाती; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). 28-29 सितम्बर, 1996 की रात को पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कर्मचारी को दिल्ली में उस समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब वह रक्षा संबंधी दस्तावेजों को प्राप्त कर रहा था। चूंकि उन्हें उपने सरकारी ओहदे से परस्पर-विरोधी कार्यकलापों में लिप्त पाया गया था अतः सरकार ने पाकिस्तान से यह मांग की थी कि वह भारत से इस कर्मचारी को 2 अक्तूबर, 1996 तक वापिस बुला ले। उक्त कर्मचारी ने 2.10.96 को भारत छोड़ दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए भारत को समर्थन

1470. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए जाते समय और संयुक्त मुख्यालय में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्य के चुनाव के लिए भारत की उम्मीदवारी और परिषद् के विस्तार तथा उसके लोकतन्त्रीकरण के संबंध में भारत के दृष्टिकोण के लिए विभिन्न सदस्य देशों का समर्थन मांगा था; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत और उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की पेशकश की थी?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र महासभा के 51 वें सत्र के लिए अपनी न्यूयार्क यात्रा के दौरान मैंने अन्य प्रतिनिधिमण्डलों के नेताओं के साथ 70 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें कीं। सुरक्षा परिषद् के विस्तार और उसके लोकतंत्रीकरण

के मसले से संबंधित हमारे विचार सहित इन बैठकों के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को प्रक्षेपित किया गया। आपसी हितों के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मसलों पर भी विचार किया गया।

यद्यपि समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे और बहुत से देशों से समर्थन प्राप्त होने के संकेत मिले थे, चुनाव गुप्त मतदान के जरिए संपन्न किया गया तथा मतदान की मंशा पूरी तरह से जाहिर नहीं की गई।

पाकिस्तान द्वारा नौसैनिक शस्त्र की खरीद

1471. **श्री तारीक अनवर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा हाल ही में आधुनिक नौसैनिक शस्त्र की खरीद की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिकारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का पुराने पड़ गए नौसैनिक शस्त्रों का बदलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) नौसेना के लिए प्रणालियों एवं शस्त्रों की प्राथमिक आवश्यकता के अर्जन से संबंधित कार्रवाई करने के लिए प्रधान मंत्री के आदेश पर एक कार्य बल गठित किया गया था ताकि पाकिस्तान द्वारा हाल ही में प्राप्त किए गए हथियारों से उत्पन्न होने वाले खतरे का सामना किया जा सके। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट में इन पाकिस्तानी अर्जनों के विरुद्ध प्रति उपाय के रूप में कई उपायों की पहचान की है।

(ग) से (ङ). सरकार हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है और रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर उपयुक्त प्रति उपाय करती है। भारतीय नौसेना को भी उभरते खतरे को ध्यान में रखते हुए पुनः सज्जित और आधुनिक बनाया जा रहा है।

वायरल कंजक्टीवाइटिस

1472. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा आमतौर पर दी जाने वाली दवाओं का उपयोग करने के कारण वायरल कन्जक्टीवाइटिस से ग्रस्त अनेक मरीज अंधे हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). इस मुद्दे के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं। तथापि, हाल ही में वाइरल कंजक्टीवाइटीज होने के बाद डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कार्निया अल्सर हिस्ट्री के 13 रोगी सूचित किए गए। इन रोगियों में से 4 रोगियों का कार्निया रोपित करके उपचार किया गया क्योंकि कार्निया का काफी क्षति होने का प्रमाण मिला था। लोगों को विशेष रूप से कंजक्टावाइटीज के दौरान स्टेरायड आई ड्राप्स और आई मरहमों का इस्तेमाल करके स्वयं उपचार करके कार्निया की क्षति होने के खतरे के बारे में भी अवगत कराया गया है।

[हिन्दी]

जनजातीय उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई

1473. **श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बनने के बाद जनजातीय उप-योजना क्षेत्र की सिंचाई हेतु क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के वन संरक्षण अधिनियम को प्रभावी किए बिना सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने की कोई अन्य योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत 1979-80 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से चरम सिंचाई क्षमता में 1.55 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में सबाथू में गोखा प्रशिक्षण केन्द्र

1474. **श्री सौम्य रंजन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैदल सेना महानिदेशालय द्वारा स्कूली बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश के सबाथू में गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित सैनिक अभयास शिविर योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए ऐसे शिविरों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). सलवान पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने सबाथू (शिमला) के निकट इस स्कूल के बच्चों के लिए "बियांड होराइजन्स-96" नामक एक साहसिक शिविर आयोजित किया था। स्कूल प्राधिकारियों ने बच्चों को सैन्य जीवन से अवगत कराने में सहायता करने के लिए इन्फेंट्री निदेशालय से संपर्क किया। यह शिविर 21 मई, 1996 से 31 मई, 1996 तक दस दिन के लिए था।

2. इस शिविर का उद्देश्य स्कूल के छोटे बच्चों को सेना, सैन्य संस्कृति, उसके कार्यकलापों से परिचित कराना और उनमें घर से बाहर के जीवन, साहस, राष्ट्रीय भावना के प्रति उत्साह उत्पन्न करना तथा उनमें नेतृत्वगुण व अनुशासन विकसित करना था ताकि उन्हें सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

3. इस शिविर में जो विषय शामिल किए गए थे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) सशस्त्र सेनाओं, सैन्य जीवन, संस्कृति और प्रशिक्षण की जानकारी।

(ख) पर्वतारोहणं, "ट्रेकिंग कैम्पिंग एंड सर्वाइबल", जलतरण जैसे साहसिक कार्यकलाप और नेतृत्व, अभिप्रेरण, सैन्य जीवन, सशस्त्र सेनाओं के इतिहास आदि पर व्याख्यान।

4. इनमें से अधिकांश कार्यकलाप स्कूल स्टाफ द्वारा स्वयं आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षण केन्द्र ने कुछ अर्हता प्राप्त अनुदेश और सामग्री सहायता उपलब्ध कराई थी। शिविर का अच्छा स्वागत किया गया था और स्कूल प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बच्चों को मातृभूमि की सेवा करने की अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त हुई है।

5. इस प्रकार का केवल एक शिविर सबाथू में आयोजित किया गया था।

अतिरिक्त मापन केन्द्र

1475. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी के जल-प्रवाह पर निगरांनी रखने हेतु केन्द्रीय जल आयोग कर्नाटक-तमिलनाडु की सीमा पर बिलिगोंडलु में अतिरिक्त मापन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों राज्य उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गये हैं; और

(ग) अतिरिक्त मापन केन्द्र स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दमनगंगा जलाशय सिंचाई परियोजना

1476. श्री गोपाल टंडेल : क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन निर्वाचन क्षेत्र को दमनगंगा जलाशय सिंचाई परियोजना से सिंचाई प्रदान करने संबंधी योजना लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नहरों तथा वितरण केन्द्र इत्यादि के निर्माण के संबंध में कार्य में देरी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक दमन के समूचे जिले में सिचाई प्रदान करने संबंधी परियोजना पूरी कर ली जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). दमनगंगा परियोजना का बांध और दायां तट मुख्य नहर पूरी हो चुकी है। बायां तट मुख्य नहर का 99 प्रतिशत कार्य और वितरण प्रणाली का 81 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। यह परियोजना गुजरात राज्य और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के अलावा दमन संघ राज्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है।

(ग) और (घ). जी हां। नहरों का निर्माण और वितरण प्रणाली में विलंब का मुख्य कारण वन और निजी दोनों भूमि के अधिग्रहण में समस्याओं के कारण हैं। दमन के लोगों द्वारा नहर भूमि पर अनाधिकार प्रवेश की समस्या भी है।

(ङ) इस परियोजना को 1997-98 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

टी.एल.सी. के अंतर्गत योजना व्यय

1477. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए मूल योजना व्यय क्या था;

(ख) क्या तब से आबंटन में कमी की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) आठवीं योजना में संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय 1000 करोड़ रु. था।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं योजना के दौरान संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के लिए वास्तविक आबंटन 553.4 करोड़ रु. किया गया था। आबंटन

में होने वाली कमी का आंशिक कारण संसाधनों की कमी तथा हिन्दी भाषी राज्यों में संपूर्ण साक्षरता अभियानों की धीमी गति का होना भी था जिसके परिणामस्वरूप उत्तर साक्षरता अभियान कम ही जिलों में शुरू किया जा सका।

[हिन्दी]

दिल्ली में डेंगू पर नियंत्रण के लिए सेना का उपयोग

1478. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजधानी में डेंगू की महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने सेना के ट्रकों का प्रयोग करते हुए मच्छरों पर नियंत्रण करने हेतु दवाइयों का छिड़काव करवाया है तथा इस प्रतिक्रियास्वरूप दिल्ली सरकार को अन्य सुविधाएं/औषधियां प्रदान की हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति के बाद उनके मंत्रालय ने किस तिथि को कार्यवाही की थी;

(ङ) इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(च) देश में विशेषतः राजधानी में ऐसी महामारियों को नियंत्रित करने तथा राज्य सरकार के ऐसे अभ्यावेदन के तुरंत स्वीकृति के बारे में उनके मंत्रालय के अधिकारियों को क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (घ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में डेंगू महामारी से निपटने के लिए शुरू में दिनांक 16.10.1996 से छह दिनों के लिए छिड़काव/धुआं छोड़ने वाला दस्ता उपलब्ध कराने के लिए सेना की सहायता का अनुरोध किया था। कीट-नाशक छिड़काव के लिए छह संशोधित शक्तिमान वाहन तथा दिल्ली नगर निगम के वाहनों को संशाधित कर धूंमरोधी बनाने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी। बाद में दिल्ली सरकार के विशेष अनुरोध पर यह सहायता दिनांक 28.10.1996 से 4.11.1996 तक एक और सप्ताह के लिए प्रदान की गई थी। दिल्ली में डेंगू महामारी के दौरान सेना मुख्यालय द्वारा दिल्ली नगर निगम को सहायता उपलब्ध कराने में लगभग 5,70,000.00 रुपए का खर्च किया गया था। राज्य प्राधिकारियों के औपचारिक रूप से अनुरोध करने पर सिविल प्राधिकारियों को सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सुविधाएं

1479. **डा. सी. सिल्वेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी दिल्ली के सभी केन्द्रीय अस्पतालों में पैथोलोजिकल सेवाओं सहित सभी चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी विभिन्न स्थानों में अपने व्यक्तिगत दौरे के दौरान सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के अस्पतालों में पैथोलोजकल सेवाओं के साथ-साथ सभी चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं;

(घ) क्या ये लाभार्थी दिल्ली तथा बाहर के कुछ निजी अस्पतालों में भी पैथोलोजिकल सेवाओं सहित सभी चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या औपचारिकतायें निभायी जाती हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी ऐसी चिकित्सीय सेवाओं का लाभ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, डा. सुचेता कृपलानी अस्पताल जैसे केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उठा सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी ऐसी चिकित्सीय सेवाओं का लाभ अपने व्यक्तिगत दौरों के दौरान राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अस्पतालों में उठा सकते हैं बशर्ते संबंधित शहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कवर हो और सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ली गई हो।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी रोग विज्ञानी सेवाओं सहित चिकित्सीय सेवाओं का लाभ दिल्ली और इसके बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में उठा सकते हैं।

सेवारत कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल के किसी विशेषज्ञ द्वारा किसी क्रियाविधि के लिए सिफारिश किए जाने के बाद अपने प्रशासकीय विभाग/मंत्रालय से अनुमति ले सकते हैं। पेंशनरों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व राज्यपालों आदि के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल के किसी विशेषज्ञ द्वारा अस्पताली उपचार के लिए सिफारिश किए जाने के बाद संबंधित

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तथापि, ऐसे सभी मामलों में प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निर्धारित दरों/सीमा तक सीमित होगी।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजनाएं

1480. श्री मुख्तार अनीस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 1996-97 में राज्य वार और योजना वार कितना आबंटन किया गया तथा कितना खर्च किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा क्या उपलब्धियां रहीं और 1996-97 के लिए राज्य वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के दौरान दो केन्द्रीय योजनाएं अर्थात (I) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम और (II) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की गई थी। प्रत्येक योजना के संबंध में विगत तीन वर्षों और वर्ष 1996-97 में प्रत्येक वर्ष के दौरान बजटीय आबंटन और किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं और कोई उपलब्धियां दर्शाई नहीं गई हैं क्योंकि यह निधियों की उपलब्धता और राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों से प्रस्तावों के मिलने पर निर्भर करता है।

विवरण

(I) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम और (II) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना के संबंध में विगत तीन वर्षों और वर्ष 1996-97 में प्रत्येक वर्ष के दौरान बजटीय आबंटन और किए गए खर्च की स्थिति

(लाख रु. में.)

		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	
I.	बजटीय आबंटन (बी.ई.) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन कार्यक्रम	220.00	220.00	220.00	220.00	
	मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना	25.00	33.00	40.00	30.00	योजनागत
					3.00	योजनेतर

II.	व्यय (वास्तविक)	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम				मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना			
क्र.सं.	राज्य/गैर सरकारी संगठन का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	5.47
2.	असम	-	-	-	-	-	-	19.46	-
3.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	4.71
4.	गुजरात	-	4.30	-	-	-	-	-	-
5.	हरियाणा	2.08	-	-	-	-	1.52	-	-
6.	कर्नाटक	68.42	9.00	-	69.03	-	-	2.74	-
7.	केरल	-	105.48	-	-	-	-	12.77	-
8.	मध्य प्रदेश	20.88	15.30	-	-	-	5.78	11.10	-
9.	राजस्थान	65.62	12.71	27.64	38.665	-	-	4.07	-
10.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	0.30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	0.30	-
12.	उत्तर प्रदेश	45.00	83.51	173.06	-	3.04	11.70	34.88	4.71
13.	पश्चिम बंगाल	13.00	6.70	19.30	-	-	-	24.32	-
14.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	0.30
15.	आर.ए. किदवई मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली	-	5.00	-	-	-	-	-	-
		215.00	242.00	220.00	107.695	3.04	19.00	109.94	15.19

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षा का स्तर

1481. **श्री जय प्रकाश** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 1996 में 'दैनिक जनसत्ता' (दिल्ली संस्करण) में "केन्द्रीय विद्यालय की पढ़ाई पर सवालिया निशान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो शैक्षिक स्तर में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सुधार लाने हेतु गठित शैलजा समिति की रिपोर्ट को स्वीकृति के पश्चात् भी क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को संगठन में उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की पहले से ही जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों के कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कुल परिणामों से बेहतर होते हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शैलजा समिति की सैंतीस सिफारिशें कार्यान्वित कर ली हैं। शेष बारह सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

(ङ) और (च). कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की मांग सहित कुछ शिकायतों/मांगों की सूची दी गई थी। सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि 26 मई, 1995 तक की अवधि के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सारहीन थे। 26 मई, 1995 के बाद की अवधि के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डेंगू ज्वर

1482. **श्री मनोरंजन भक्त** :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :
श्री तरित बरन तोपदार :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री डी.पी. यादव :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री वी.एम. सुधीरन :
श्री जय प्रकाश (हरदोई) :
श्री के.डी. सुल्तानपुरी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री जी. वेंकट स्वामी :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री पी.सी. थामस :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री अशोक प्रधान :

श्रीमती शीला गौतम :

प्रो. अजय कुमार मेहता :

श्री रामसागर :

श्री सोहन बीर :

श्री भक्त चरण दास :

श्री गंगा चरण राजपूत :

श्री हाराधन राय :

श्री के.सी. कोंडय्या :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री सुख लाल कुशवाहा :

श्री शरत पटनायक :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री कचरु भाऊ राउत :

श्री सुरेश कोडीकुन्नील :

श्री पिनाकी मिश्र :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री अजय चक्रवर्ती :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री एम. सैल्वारासु :

कुमारी फ्रिडा तोपनो :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेंगू ज्वर के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने इन दावों के बावजूद कि बीमारी नियंत्रणाधीन है, बढ़ती मृत्यु दरों पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डेंगू ज्वर से ग्रस्त कितने रोगी राजधानी के विभिन्न अस्पतालों तथा अन्य राज्यों में दाखिल हुये हैं तथा राज्य-वार कितने लोग इस बीमारी से मर गये हैं;

(घ) क्या इस बीमारी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को डेंगू ज्वर के फैलने के बारे में विश्व, स्वास्थ्य संगठन से कोई चेतावनी मिली है;

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) सरकार द्वारा भविष्य में इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति दिल्ली में डेंगू की स्थिति का अनुवीक्षण करने तथा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों, का सुझाव देने के लिए स्थापित की गई थी। समिति की 16.10.96 से 8.11.96 तक दैनिक रूप से बैठकें होती रहीं।

मुख्य रूप से दिल्ली को प्रभावित करने वाले इस रोग के प्रकोप को नियंत्रित कर लिया गया है।

राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 1996 के दौरान (27.11.96 तक) संदिग्ध मामलों तथा मौतों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :—

क्र.सं.	राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों का नाम	मामले (27.11.96 तक)	मौतें (27.11.96 तक)
1.	दिल्ली	9807	394
2.	हरियाणा	1595	52
3.	पंजाब	765	30
4.	कर्नाटक	109	5
5.	महाराष्ट्र	668	7
6.	तमिलनाडु	471	14
7.	उत्तर प्रदेश	527	1
		13942	503

(घ) और (ङ). राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा सामग्रीगत सहायता जो विवरण में देखी जा सकती है, रोगवाहक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई है। दिल्ली, फरीदाबाद, लुधियाना और मेरठ के लिए सैंट्रीफ्यूज मशीनें जिससे डेंगू पीड़ित रोगियों के लिए प्लेटलेट/प्लाज्मा को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई, की व्यवस्था करके रक्त घटक पृथक्करण की सुविधा में बढ़ोतरी की गई।

(च) और (छ). विश्व स्वास्थ्य संगठन से 1996 के दौरान कोई विशिष्ट चेतावनी प्राप्त नहीं हुई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को प्राप्त दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के एक पत्र में भारत सहित विभिन्न दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में डेंगू ज्वर, डेंगू रक्तस्रावी ज्वर की घटना की प्रवृत्ति का ही विश्लेषण निहित था। सरकार को सलाह दी गई कि वह प्रमुख अस्पतालों पर नजर रखे तथा आपदा स्थिति से निपटने को

तैयार रहे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय में 10.9.96 को नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए तथा सभी अस्पतालों से कहा गया कि वे मामलों तथा मौतों का अनुवीक्षण करते हुए प्राधिकारियों को सूचित करें। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने भी सभी राज्यों के लिए डेंगू के प्रति सतर्क होने का सुझाव दिया तथा अगस्त, 1995 में जारी किए गए, निगरानी एवं नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों को दोहराया।

(ज) केन्द्रीय सरकार अब मलेरिया, कालाजार, डेंगू जैसे रोगवाहक जन्य रोगों के लिए एक आपाती योजना तैयार करने का विचार कर रही है। निवारण, संचरण की अवधि के दौरान छिड़काव तथा उपचार दोनों ही दृष्टियों से ध्यान देने योग्य स्थानिकमारी से ग्रस्त क्षेत्रों तथा विशिष्ट स्थानों को जानकारी देते हुए घटनाओं और कार्यकलापों का एक कलेंडर राज्यवार आधार पर राज्य सरकारों को दिया जाएगा।

विवरण

राज्य	पायरेथ्रम सत्व	मलाथियन टेक.	मलाथियन 25% डब्ल्यू डी पी	सिंथेटिक पायरेथ्रायड	फोगिंग मशीनें
दिल्ली	1200 लीटर	2.5 एमटी	-	-	10
पंजाब	-	0.5 एमटी	-	-	5
हरियाणा	-	2.0 एमटी	100 एमटी	5.0 एमटी	12
कर्नाटक	-	1.5 एमटी	-	-	8
तमिलनाडु	-	3.0 एमटी	-	-	-
उत्तर प्रदेश	1000 लीटर	4.0 एमटी	-	-	-

एच आई वी/एड्स

1483. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के छः देशों द्वारा एक वर्ष पूर्व लिये गये इस निर्णय का विरोध किया है जिसमे उन्होंने अपने संगठित तथा असंगठित कार्यबल में उन व्यक्तियों को शामिल करने पर रोक लगा दी है जो एच आई वी/एड्स जांच के दौरान पाजिटिव पाये जाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के कुछ शहरों, विशेषकर मुंबई, के कई उद्योगों ने इस तरह के परीक्षण कराने के पूर्व शर्त को हटा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास तथाकथित निर्णय के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर कोई मुम्बई स्थित उद्योग संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों पर नियोजनपूर्व एच आई वी जांच कराने पर जोर नहीं डालता।

गांधी के पत्रों की जानकारी

1484. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में किसी संस्था/व्यक्तियों द्वारा महात्मा गांधी के कतिपय पत्रों को नीलाम किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन पत्रों की प्रस्तावित नीलामी को रोकने और उन्हें प्राप्त करने तथा सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या परिणाम रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि वर्ष 1944-46 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी के आशुलिपिक रहे श्री वी. कल्याणम, फिलिप्स इन्टरनेशनल आक्शनीयर्स एण्ड वेल्यूअर्स, लंदन के माध्यम से महात्मा गांधी द्वारा लिखित कतिपय दस्तावेजों/पत्रों की नीलामी का प्रयास कर रहे थे। तदनुसार नीलामी रोकने के उपाय करने हेतु श्री कल्याणम, भारतीय उच्चायोग, लंदन और नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद के साथ संपर्क किया गया।

महात्मा गांधी के पत्रों की नीलामी पर रोक लगाने के लिए नवजीवन ट्रस्ट द्वारा उच्च न्यायालय, मद्रास में एक याचिका दायर की गयी। उच्च न्यायालय ने याचिका के निपटान होने तक गांधी जी के पत्रों का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने अथवा स्वामित्व प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी/मुद्दालेह अथवा उनकी ओर से दावा अथवा कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किए। न्यायालय ने उसी प्रकार से नवजीवन ट्रस्ट के कापीराइट के अतिक्रिमण के विरूद्ध अंतरिम निषेधादेश जारी किए।

पत्रों पर नवजीवन ट्रस्ट के दावे को ध्यान में रखते हुए, नीलामीकर्ताओं ने नीलामी को स्थगित करने का निर्णय लिया, जो 14 नवंबर, 1996 को होनी थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये पत्र लंदन में भारतीय उच्चायुक्त को सुपुर्द कर दिये गये हैं।

दक्षेस के उद्देश्यों की प्राप्ति

1485. **श्री बी.एल. शंकर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सदस्य देशों द्वारा दक्षेस के उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या दक्षेस के क्षेत्र का विस्तार करके दक्षेस देशों के बीच समान बाजार और समान मुद्रा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहयोग के क्षेत्रों में सार्क ने गत तीन वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, ये वे तीन क्षेत्र हैं जिनके प्रति सार्क प्राथमिक तौर पर वचनबद्ध है। दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) की शुरूआत होना और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के लिए प्रयास करना आर्थिक क्षेत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय हैं जिनको तरजीही तौर पर 2000 ई. तक और अधिक से अधिक 2005 ई. तक लागू किया जाना है। साप्टा के अंतर्गत टैरिफ वरीयता से संबंध में बातचीत के दो दौर होने से अच्छी शुरूआत हुई है। अन्तरक्षेत्रीय पूंजी निवेश के सवंर्धन और संरक्षण, दोहरे कराधान के परिहार, सीमा शुल्क संबंधी सहयोग के क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की भी शुरूआत की गई है। कृषि, संचार, पर्यावरण और मौसम विज्ञान, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्रों में 11 तकनीकी समितियों के माध्यम से तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाया गया है। सामाजिक क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, युवाओं, विकलांगों, साक्षरता और बच्चों, विशेषकर बालिकाओं से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श में विशेष प्रगति हुई है।

(ख) और (ग). सार्क सदस्य राज्यों के बीच साझी मंडी की स्थापना करके अथवा साझी मुद्रा चलाकर सार्क के क्षेत्र को विस्तार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

1486. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ संबंधी विशेषज्ञों के दल, जिसमें योजना आयोग के विशेषज्ञ भी शामिल थे, की सहायता से पूर्वी भारत, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करने के पश्चात् बाढ़ नियंत्रण की समस्या से निपटने हेतु कार्य योजना के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा लोक सभा के पिछले सत्र में की गयी घोषणा को लागू करने हेतु उनके द्वारा कोई योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों द्वारा भी बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना विशेषज्ञ समिति और केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषज्ञ समिति और केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर क्या विस्तृत कार्यवाही की गयी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जल संसाधन मंत्रालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को शामिल करते हुए 30 सितम्बर, 1996 को पांच क्षेत्रीय कार्य बलों को गठन किया है जो क्षेत्रीय बाढ़ समस्याओं की जांच करेंगे, विद्यमान उपचारी उपायों की समीक्षा करेंगे और व्यापक समाधान करने के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कार्य बलों को अपनी रिपोर्ट 6 माह के अंतर्गत प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। क्षेत्रीय कार्यबलों की पहली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी।

[अनुवाद]

पत्तनों के निजीकरण के लिए नियामक बोर्ड

1487. **श्री नारायण अठावले :**

श्री के. परसुरामन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा विशेषतः महाराष्ट्र में पत्तनों के विकास के लिए विचाराधीन प्रस्ताव क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में पत्तनों के विकास के लिए निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नियामक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की एक सूची विवरण में दी गई है। इनमें महाराष्ट्र के बम्बई और जवाहर लाल नेहरू महापत्तन भी शामिल हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अनुमोदित मामलों की सूची

पत्तन की मौजूदा बर्थों/परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना

1. कांडला पत्तन की बर्थ सं. 6 को बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो हैंडल करने के लिए मै.जी.पी. कार्पोरेशन लिमिटेड, बैंकाक को पट्टे पर देना।
2. मद्रास पत्तन न्यास ने मै. बंगाल टाइगर लाइन्स के साथ एक दीर्घकालीन बर्थ अनुरक्षण समझौता किया है।
3. हल्दिया गोदी परिवार में बर्थों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और टिस्को को पट्टे पर देना।
4. बम्बई पत्तन न्यास ने इंदिरा गोदी परिसर में बर्थ सं.1 के उपयोग के लिए मै. अमेरिकन प्रेसीडेंट लाइन्स के साथ एक समझौता किया है।
5. एन एस शुष्क गोदी 1 और 2 को समीपस्थ भूमि और सजल बर्थों आदि के साथ, कलकत्ता पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं के लिए मै. चौखानी शिपयार्ड (बंगाल) लिमिटेड को पट्टे पर देना।

भण्डारण सुविधाओं/गोदामों की स्थापना

6. तूतीकोरिन पत्तन में एल पी जी के भंडारण और प्रेषण के लिए मै. एस पी आई सी को भूमि पट्टे पर देना।
7. जोखिम रहित तरल बल्क कार्गो के लिए भंडारण सुविधाओं की स्थापना हेतु मै. सूरज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को मद्रास पत्तन पर भूमि पट्टे पर देना।
8. "ख" और "ग" श्रेणी के तरल रसायनों के लिए भंडारण सुविधाओं की स्थापना हेतु मै. गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड को भूमि पट्टे पर देना।
9. "ख" और "ग" श्रेणी के तरल रसायनों के लिए भंडारण सुविधाओं की स्थापना हेतु मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड को भूमि पट्टे पर देना।
10. नई भंडारण सुविधाओं/गोदामों की स्थापना के लिए विभिन्न महापत्तनों पर विभिन्न पक्षकारों को भूमि पट्टे पर दी गई है।
11. यंत्रीकृत कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं आदि की स्थापना के लिए मै. टीना आयल्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई को विशाखापत्तनम पत्तन में ट्रांजिट शेड पट्टे पर दिया गया है।

शुष्क गोदी, जहाज मरम्मत और पोत विभंजन सुविधाओं का सृजन

12. मै. वैस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, मुरगांव पत्तन में एक फ्लोटिंग शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधा की स्थापना।
13. मै. चौखानी इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा मद्रास पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।
14. पोत विभंजन यार्ड की स्थापना के लिए मै. वैस्टर्न इंडिया मेरीटाइम डिवीजन के लिए भूमि आबंटन।

पत्तन द्वारा निजी क्षेत्र से उपकरण पट्टे पर लेना

15. ज.ला.ने. पत्तन न्यास ने कन्टेनर हैंडलिंग उपकरण पट्टे पर लिए।
16. बम्बई पत्तन में कन्टेनर हैंडलिंग उपकरण।
17. विशाखापत्तनम पत्तन में टग किराए पर लेना।

तेल कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से पूंजीगत निकर्षण

18. नव मंगलूर पत्तन पत्तन न्यास में एच पी सी एल द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत निकर्षण।

नई बर्थों का निर्माण

19. नव मंगलूर पत्तन में मै. एम आर पी एल की रिफाइनरी के लिए क्रूड हैंडलिंग और पी ओ एल उत्पाद सुविधाओं का सृजन। इस परियोजना का वित्त पोषण एस सी आई सी आई के जरिए मै. एम आर पी एल द्वारा किया गया।

20. कांडल में भा. से. कम्पनी द्वारा वास्तविक जैटी।

21. कांडला में एच पी सी एल द्वारा वास्तविक जैटी।

22. गोवा तट से दूर एशिया बल्क टर्मिनल के निर्माण के लिए मै. रिलायंस को अनुमोदन।

23. इफको के माध्यम से कांडला में तरल जैटी।

24. एच पी सी एल के माध्यम से नव मंगलूर पत्तन न्यास में एल पी जी सुविधा का सृजन।

25. मुरगांव तट से दूर अपतटीय स्टेकयार्ड और बर्थ (ओ एस बी) का निर्माण।

बंगलादेश के साथ उठाए गए मुद्दे

1488. श्री के.पी. सिंह देव :

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के साथ विचार-विमर्श के लिए लंबित पड़े द्विपक्षीय मामले क्या हैं;

(ख) क्या उन्होंने अपनी गत ढाका यात्रा के दौरान उन मामलों पर चर्चा की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मामलेवार ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(घ) क्या लम्बे समय से लंबित पड़े द्विपक्षीय मामलों को निपटाने के लिए कोई उच्चस्तरीय वार्ता करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) बंगलादेश के साथ लंबित जिन मसलों को निपटाया जाना है उनमें प्रमुख साझी नदियों के पानी का बंटवारा, बंगलादेश के चकमा शरणार्थियों की वापसी, बंगलादेश से अवैध आप्रवासन, विप्लव से संबंधित घटनाओं और परिवहन सम्पर्कों सहित सांस्कृतिक वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग का और विस्तार करना शामिल है। सरकार बंगलादेश के साथ मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों को बनाए रखने में प्रतिबद्ध है।

(ख) और (ग). विदेश मंत्री ने 6-9 सितंबर, 1996 तक ढाका की यात्रा की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी मसलों पर चर्चा की गई। भारत-बंगलादेश व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए ढाका में रहते हुए, विदेश मंत्री, ने घोषणा की थी कि सरकार सीमा पार से 50 प्रतिशत के निर्यात कर की रियायत पर बंगलादेश से निर्यात की 14 श्रेणियों की मंजूरी प्रदान करेगी। सीमा क्षेत्र की भूमि के सीमांकन और विदेशी अन्तः क्षेत्रों पर विचार-विनिमय की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया था। चकमा मसले पर, भारत द्वारा भेजे गए आमंत्रण के उत्तर में, बंगलादेश की ओर से सूचित किया गया है कि शरणार्थियों के साथ परस्पर बातचीत करने और उनकी स्वदेश वापसी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल त्रिपुरा की यात्रा करेगा। दोनों पक्ष सीमा व्यवस्था के मामले में और सुदृढ़ सहयोग करने और अवांछनीय कार्यकलापों को दबाने के लिए सहमत हुए। गंगा जल बंटवारे के मसले पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति गठित की गई और दोनों पक्षों ने आगामी सूखे का मौसम प्रारंभ होने से पूर्व निष्पक्ष और न्यायोचित साझेदारी पर एक सहमति पर पहुंचने की अपनी-अपनी इच्छा को दोहराया है।

(घ) और (ङ). पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु 27 नवंबर से 1 दिसंबर, 1996 तक ढाका की यात्रा कर रहे हैं। उनकी ढाका यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री की ओर से, बंगला देश के प्रधान मंत्री को भारत यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया गया है।

भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

1489. श्री राजीव प्रताप रूडी :

श्री वी.एम. सुधीरन :

श्री पिनाकी मिश्र :

डा. एम. जगन्नाथ :

श्री प्रमोद महाजन :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का एक मिग विमान जिला सोनीपुर (असम) में नेरैटी के निकट अक्तूबर, 1996 में दुर्घटना ग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) वर्ष 1996 में अब तक हुई प्रत्येक मिग विमान दुर्घटना का ब्यौरा क्या है, प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या हैं, इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है, कितना मुआवजा दिया गया और प्रत्येक मामले में की गई जांच का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). जी, हां। 17 अक्तूबर, 1996 को तेजपुर के निकट आगे जा रहे वायुयान का पीछा करने के अभ्यास के दौरान एक मिग-21 एफ एल वायुयान इंजन में आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

(ग) जनवरी, 1996 से मिग किस्म के वायुयानों की 17 दुर्घटनाएं हुई हैं। जांच-अदालतों की रिपोर्ट से यह पता चला है कि ये दुर्घटनाएं तकनीकी खराबियों, मानव-चूकों और पक्षियों के टकराने से हुई। इन दुर्घटनाओं में पांच पायलट गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और एक पायलट बुरी तरह घायल हो गया था तथा तीन

सिविलियन भी मारे गए थे। सिविल संपत्ति की क्षति और जान माल की हानि के लिए मुआवजे के रूप में 2,15,650/- रुपए का भुगतान किया गया है।

(घ) इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हवाई सहायता और प्रहार व्यवस्था की समीक्षा कर ली गई है व इस प्रयोजन के लिए विनिर्माताओं को भी शामिल किया जा रहा है। पक्षियों का आना जाना कम करने के लिए पशुवध गृहों/पशु अवशेष उपयोग केन्द्रों के आधुनिकीकरण और पक्षियों के आने जाने की सम्भावना वाले विमान क्षेत्रों के निकटवर्ती इलाकों की सफाई के लिए कृषि मंत्रालय तथा शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय एवं संबंधित राज्य सरकारों ने भी कार्रवाई की है।

बंगलादेश के साथ गंगा जल का बंटवारा

1490. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री चित्त बसु :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

डा. साहेबराव सुकराम बागूल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवंबर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "हसीना टू एम्प्लाय" बेंगाली "फैक्टर टू एंड वाटर रा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) बंगलादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे की समस्या को हल करने के लिए अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समस्या के समाधान के लिए बंगलादेश की प्रधानमंत्री की दिल्ली यात्रा की कोई संभावना है;

(ङ) सरकार इस पहलू पर क्या दृष्टिकोण अपनाएगी; और

(च) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को भी इस बातचीत में शामिल किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). गंगा जल के बंटवारे के संबंध में बंगलादेश सरकार के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं। ये विचार-विमर्श जारी हैं।

(घ) बंगलादेश के प्रधानमंत्री को भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया गया है, किन्तु अभी इस दौरे की तारीखें निश्चित नहीं की गई है।

(ङ) भारत सरकार परस्पर स्वीकार्य समाधान तैयार करने के लिए प्रयास जारी रखेगी।

(च) गंगा जल के बंटवारे पर बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि को शामिल किया जाता रहेगा।

सिंचाई के लिए कुएं (बोर वेल्स)

1491. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का विचार निर्धन पिछड़े किसानों के लिए 10,000 सिंचाई बोर वेल्स का निर्माण करने का है;

(ख) क्या इस परियोजना से 50,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की जाएगी और 10,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना हेतु वित्त पोषण एन बी सी एल डी सी मियादी ऋण, डी आर डी ए राजसहायता, ए पी बी सी सी एम सी को मार्जिन राशि तथा 53 की दर से लाभार्थियों के अंशदान द्वारा किया गया था;

(घ) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार से स्वीकृति मांगी गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). प्रश्न आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 10,000 सिंचाई वेधन कुओं (बोरवेल्स) का जिम्मा लेने का प्रस्ताव है। 30,000 से 50,000 एकड़ तक की सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी और लगभग 10,000 कृषि श्रमिकों के लिए मौसमी रोजगार उत्पन्न किया जाएगा।

(ग) योजना का वित्त पोषण एन बी सी एफ डी सी मियादी ऋण, डी आर डी ए राजसहायता, ए बी बी सी सी एफ सी की राज्य मार्जिन राशि तथा 5 प्रतिशत की दर से लाभग्राहियों के अंशदान से किया जाएगा।

(घ) और (ङ). केन्द्र सरकार को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोक अभिलेख समिति

1492. **श्री चित्त बसु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कानूनों पर आधारित कोई लोक अभिलेख नीति अभी तैयार नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का लोक अभिलेख नीति तैयार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) संसद द्वारा पारित सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 की

संख्या 69) भारत के राजपत्र में 22 दिसंबर, 1993 को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम पहली मार्च, 1995 से लागू हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खेल प्राधिकरण में वित्तीय संकट

1493. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में भारतीय खेल प्राधिकरण के उपकेन्द्रों, जैसे कोल्लम, अलापुझा, थ्रिसूर, कोभीकोड तथा थालास्सरी में संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय से धन आबंटन नहीं किये जाने के कारण उनके समक्ष उत्पन्न वित्तीय संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों को कठिनाई से बचाने के लिए समय पर धन का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुष्कोडी आदित्यन आर.) : (क) से (ग). गैर-योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में किए गए 11.63 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की राशि 1996-97 में कम करके 6 करोड़ रुपये कर देने तथा योजना स्तर पर पर्याप्त आवंटन का प्रावधान न किए जाने के कारण, भारतीय खेल प्राधिकरण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्यतः गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इस प्रकार, केरल में भारतीय खेल प्राधिकरण के उप केन्द्रों सहित सभी केन्द्रों में निधियों की कमी है। वित्त मंत्रालय को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों से अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

सेना में अफसरों की कमी

1494. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हमारी सेना के विभिन्न रैंकों में कितने अफसर सेवा निवृत्त हुये हैं तथा कितनों की भर्ती की गई है;

(ख) क्या भारत के महालेखाकार ने इस वर्ष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सरकार का ध्यान सेना में अफसरों की कमी की ओर आकृष्ट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) सेना में कार्मिकों की कमी को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, सीधी भर्ती, राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट, स्थायी कमीशन प्राप्त अफसरों तथा ऊल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती में वृद्धि, अफसरों के रूप में महिलाओं की भर्ती तथा सेवानिवृत्त अफसरों के लिए पुनः रोजगार शुरू किया जाना शामिल है। कमी को पूरा करने के लिए अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों को भर्ती करने में कोई समस्या नहीं हैं

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सेना में विभिन्न रैंकों में सेवानिवृत्त हुए तथा इनमें भर्ती हुए कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :

		1993	1994	1995
(क) अफसर	कमीशन प्राप्त	1459	1430	1576
	सेवानिवृत्त	2310	1959	1445
(ख) जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर/	भर्ती	48338	70681	87496
अन्य रैंक	सेवानिवृत्त	22856	17349	26703

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग

1495. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित राज्य सड़कों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नौवीं योजनावधि के दौरान कितनी राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) निधियों के अभाव के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल दो सड़कों अर्थात् आंध्र प्रदेश में करनूल-थ्रिसूर सड़क (कुल 369 कि.मी.) और उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में गाजीपुर-बलिया-छपरा-हाजीपुर-पटना (कुल 240 कि.मी.) सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(ख) चूंकि नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, इसलिए ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

1496. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर पांच आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है :—

(1) ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

(2) सिरसा (हरियाणा)

(3) कराड़ (महाराष्ट्र)

(4) मदुरैई (तमिलनाडु)

(5) बोलंगीर (उड़ीसा)

[अनुवाद]

जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह

1497. श्री पी. नामग्याल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह की स्थापना कब की गई थी;

(ख) छात्रावास सहित विद्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि का कब्जा कब लिया गया था और भवन निर्माण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या आज की स्थिति के अनुसार अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के अनेक पद खाली पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह की मंजूरी वर्ष 1986-87 में की गई थी।

(ख) जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह के भवन निर्माण के लिए दिनांक 24.11.1989 को समिति को भूमि का आबंटन किया गया था। शयनकक्ष और स्टाफ क्वार्टरों सहित विद्यालय भवनों के निर्माण की मंजूरी दिनांक 10.02.94 को की गई थी। विद्यालय भवनों के निर्माण के पूरा होने में सामान्यतया 4-5 वर्ष लगते हैं।

(ग) और (घ). वर्तमान समय में जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं। मौसम संबंधी कठिनाईयों और विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के कारण जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह हेतु पदस्थापित कुछ कर्मचारी सेवा पर आने के इच्छुक नहीं हैं।

धूम्रपान विरोधी आंदोलन

1498. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्ट केयर फाउन्डेशन आफ इंडिया द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 59 प्रतिशत पुरूष धूम्रपान करते हैं तथा 51 प्रतिशत तम्बाकू का सेवन करते हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा धूम्रपान पर नियंत्रण करने के लिए धूम्रपान विरोधी आंदोलन तथा उठाए गए अन्य कदम अपर्याप्त रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सिगरेट तथा तम्बाकू के उपयोग में वृद्धि के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तम्बाकू के इस्तेमाल को रोकने और धूम्रपान विरोधी अभियानों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। तथापि ऐसे उपायों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने हेतु कोई वैज्ञानिक आंकड़े नहीं है।

अस्पतालों में हड़ताल

1499. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री जी. वेंकट स्वामी :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री मोहन रावले :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री पीताम्बर पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के अधिनियम के उपबंधों को राजधानी में सभी सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों पर लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 8 नवम्बर, 1996 को जब विभिन्न अस्पतालों में कर्मचारियों, चिकित्सकों और नर्सों द्वारा हड़ताल की गई थी, राजधानी में चिकित्सा सेवा पूर्ण रूप से ठप्प हो गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या विभाग और हड़ताल करने वाले चिकित्सकों और नर्सों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(च) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे सभी अस्पतालों की समस्याओं की जांच करने के लिए एक उच्च्य शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) वर्ष 1995 से दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऐम्स) और अन्य सरकारी अस्पतालों में कितनी बार विभिन्न सेवाएं ठप्प हुई हैं;

(झ) क्या सरकार का विचार ऐसा कोई अधिनियम/विधान लाने का है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हड़ताल के कारण ऐसी संस्थायें ठप्प न हों; और

(ञ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). हरियाणा अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का 29.10.1996 को अवलंब किया गया है जिसके द्वारा हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों/डाक्टरों की सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के रूप में घोषित कर दिया गया है। ऐसा डेंगू फैलने के कारण किया गया जब सभी अस्पतालों को भारी क्षमता के साथ कार्य करना था।

(ग) से (ङ). सफदरजंग अस्पताल के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों का एक वर्ग 17 अक्तूबर, 1996 से 15 नवंबर, 1996 तक हड़ताल पर था। वह हड़ताल अस्पताल के साथ एक समझौता होने पर 16 नवम्बर, 1996 समाप्त की गई।

(च) और (छ). अन्य बातों के साथ साथ अस्पताल परिसरों/वार्ड/आपरेशन थियंटरों के रख-रखाव के संबंध में सफदरजंग अस्पताल के प्रस्तावों और आवास और पदोन्नति के अवसरों आदि के संबंध में स्टाफ की शिकायतों, जिनके लिए मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित है, पर विचार करने के लिए इस मंत्रालय में एक समिति गठित की गई है।

(ज) सूचना इस प्रकार है :-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	4
सफदरजंग अस्पताल	3
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	1
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल	3

(झ) हड़ताल की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक सुनिर्धारित क्रियाविधि है जिसे रोगियों और जनता को असुविधा न होने देने के लिए अनिवार्यतः अपनाया जाता है।

(ञ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेना में धार्मिक शिक्षकों की नियुक्ति

1500. श्री मुख़तार अनीस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की प्रत्येक यूनिट के लिए धार्मिक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने जे.सी.ओ. जवानों के लिए धार्मिक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं; और

(ग) 1 अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार सेना में धर्म-वार ऐसे धार्मिक शिक्षकों के मंजूर पदों की संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग). प्रत्येक श्रेणी के लिए एक धर्मगुरू के हिसाब से सेना की यूनिटों/विरचनाओं के वास्ते धर्मगुरू अर्थात् पंडित, ग्रंथी और बौद्ध भिक्षु प्राधिकृत हैं बशर्ते कि उस स्टेशन पर उस श्रेणी में जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों, अन्य रैंकों (रंगरूटों तथा प्रशिक्षार्थियों सहित) की तैनात नफरी 120 से कम न हो। स्टेशन पर प्रत्येक श्रेणी के लिए उन यूनिटों/विरचनाओं में पादरी (रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट) और मौलवियों की व्यवस्था की जाती है जिनमें रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट ईसाइयों/मुस्लिमों (रंगरूटों और प्रशिक्षार्थियों सहित) की संख्या 120 से कम न हो। ऐसी श्रेणी के लिए अलग से भी पादरी (रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट) की व्यवस्था की जा सकती है जिसमें ईसाइयों का बाहुल्य हो।

1 अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय सेना में कुल 1852 धर्मगुरू प्राधिकृत हैं। इस संबंध में धर्मवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

(क) पंडित (हिन्दू)	-	1568
(ख) ग्रंथी (सिख)	-	194
(ग) मौलवी (मुस्लिम)	-	52
(घ) पादरी (ईसाई)	-	27
(ङ) बौद्धभिक्षु	-	11
योग		1852

[हिन्दी]

जहाजों की क्षमता

1501. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जहाजों द्वारा माल ढुलाई क्षमता में निरन्तर कमी आती जा रही है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय जहाजरानी निगम के जहाजों द्वारा वर्ष 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान कितने टन माल की ढुलाई की गयी; और

(ग) वर्ष 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय नौवहन निगम लि. के जलयानों द्वारा वर्ष 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान ढोए गए माल की मात्रा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मिलियन टन में
1994-95	34.906
1995-96	45.262

(ग) वर्ष 1994-95 की तुलना में 1995-96 के दौरान भारतीय नौवहन निगम द्वारा अर्जित निवल लाभ निम्नलिखित हैं :-

1994-95	201.39 करोड़
1995-96	323.40 करोड़

[अनुवाद]

सफदरजंग अस्पताल में हड़ताल

1502. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल कर्मचारी संघर्ष यूनियन नई दिल्ली ने अस्पताल में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के विरूद्ध ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) अस्पताल प्राधिकारियों के अनुसार ज्ञापन में किन्हीं विशिष्ट मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है।

अहमदाबाद-बड़ोदा एक्सप्रेस मार्ग

1503. **श्री हरिन पाठक :**

श्री काशीराम राणा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद-बड़ोदा एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि संशोधित अनुमान स्वीकृति के लिए उनके मंत्रालय में अभी भी लंबित पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की प्रगति में बाधा आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार संशोधित अनुमानों को शीघ्र अनुमोदन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव करती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) पुल और सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति क्रमशः लगभग 24.47 प्रतिशत और 30.95 प्रतिशत है। सड़क निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को हटा दिया गया है और शेष कार्य को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ख) और (ग). यथा अनुमानित संशोधित प्राक्कलन में उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए समाधान की आवश्यकता है।

जिले के ग्रामीणों को मुआवजा

1504. **श्री टी. गोपाल कृष्ण :**

श्री अय्यन्ना पटरुधु :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशाखापत्तनम के मरियापलेम गांव में भारतीय नौसेना की बेस विक्रुवैलिंग यार्ड परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि अधिगृहीत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु धनराशि जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो भूस्वामियों को बाजार भाव पर पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (घ). भारतीय नौसेना की बेस रसद पूर्ति संग्रहण यार्ड परियोजना स्थापित करने के लिए स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 के तहत मारियापेलम गांव में 25.41 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

उपर्युक्त अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार मंजूर की गई राशि विशाखापत्तनम के कलेक्टर को सौंप दी गई है जिसने उपर्युक्त राशि को पहले ही संबंधित ग्रामवासियों में वितरित कर दिया है।

राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना, केरल

1505. **श्री पी.सी. थामस** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के समुद्री तट का निरंतर विनाश और अपरदन हो रहा है;

(ख) क्या केरल सरकार ने तटीय संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो लागत सहित इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार कोई अनुदान प्रदान करेगी;

(ङ) यदि हां, तो कितनी; और

(च) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राज्य सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, राज्य की कुल 560 किमी. तटवर्ती लंबाई में से लगभग 480 किमी. लंबाई तट कटावों के कारण संवेदनशील है।

(ख) और (ग). केरल सरकार के प्रस्ताव "राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना" पर समेकित परियोजना प्रस्ताव जो सभी समुद्रवर्ती राज्यों को शामिल करके केंद्र में तैयार किए जा रहे हैं, में शामिल करने के लिए जनवरी, 1996 में प्राप्त हुए हैं। ये 346.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर केरल सरकार के प्रस्ताव में 126.288 किमी. नई समुद्री दीवार का निर्माण, 99.958 किमी. पुरानी समुद्री दीवार का सुधार और अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की परिकल्पना की गई हैं।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार 1991-92 के बाद राज्यों को समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए केंद्रीय ऋण सहायता सामप्त कर दी गई है। तथापि, नौवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबंध पर कार्य दल ने सभी तटवर्ती राज्यों के लिए जोखिमपूर्ण प्रकृति के समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र में निधियां उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।

(च) समय सीमा सभी समुद्रवर्ती राज्यों के प्रस्ताव शामिल करके समेकित परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर ही निश्चित की जाएगी।

[हिन्दी]

शैक्षणिक फिल्में

1506. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षणिक फिल्में बनाने हेतु क्या प्रक्रिया अपना रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग कुल कितनी फिल्में बनाई गई;

(ग) भारतीय नदियों पर हिंदी में पटकथा लिखे जाने के प्रस्ताव स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर क्या निर्णय लिये गये हैं; और

(ङ) आयोग में फिल्म निर्माण के संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लघु स्टेडियम

1507. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पानीपत जिले के जुरामी गांव में लघु स्टेडियम का निर्माण करने हेतु धनराशि देने के बारे में हरियाणा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या अभी तक किसी भी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और परियोजना के लिए यथाशीघ्र पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) लघु स्टेडियम के निर्माण हेतु जुरामी गांव की पंचायत को कब तक सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पहले से की गई भारी प्रतिबद्धताओं तथा संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष के दौरान नये प्रस्तावों पर विचार करना संभव नहीं था। अतः प्रायोजकों को नवीं योजना के आरंभ में नये सिरे से आवेदन करने के लिए कहा गया है।

दवाइयों की कमी

1508. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री भक्त चरण दास :

डा. बलिराम :

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों विशेष रूप से सफदरजंग अस्पताल में संसाधनों का खराब प्रबंधन, अपर्याप्त कर्मचारी और दवाइयों की कमी मुख्य समस्याएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण और कार्यदशाओं का एक विशेषज्ञ समिति द्वारा गहन जांच किए जाने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में निदान के लिए नए उपकरण और रोगहारक प्रदान कर, आवश्यक और जीवन-रक्षक औषधें सप्लाई कर और रोगियों की सुविधाओं में सुधार करके सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए अनेक उपाए किए गए हैं। सफदरजंग अस्पताल के मामले में विभिन्न संवेदी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का संवर्धन करने और क्रमिक रूप से अस्पताल के अन्य क्षेत्रों में नवीनीकरण और आधुनिकीकरण शुरू करने के लिए उपाय किए गए हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण की पुनरीक्षा हाल ही में स्थायी संसदीय समिति द्वारा की गई थी जिसने अनेक सिफारिशें की जिन पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा अलग-अलग अस्पतालों की विशेषज्ञता समस्याओं की जांच करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहले ही समितियां गठित की गई है और उनकी जरूरतों और कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा भी की जाती है तथा जहां अपेक्षित होता है, वहां ठोस कार्रवाई शुरू की जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों के कार्यकरण की उस सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जहां जरूरी होता है वहां समुचित उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत सहायता

1509. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "राष्ट्रीय साक्षरता मिशन" के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) देश में विशेषकर गुजरात राज्य के जनजातीय/पिछड़े/ग्रामीण/पर्वतीय खेत्रों में उपरोक्त अवधि के दौरान कितने पुरूषों/महिलाओं को साक्षर बनाया गया;

(ग) क्या सरकार ने उपरोल्लिखित अवधि के दौरान इस योजना का कोई मूल्यांकन किया है अथवा ऐसा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) एक विवरण-II संलग्न हैं।

(ग) से (ङ). शिक्षा विभाग ने संपूर्ण साक्षरता अभियानों की स्थिति तथा प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रो. अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। दल की महत्वपूर्ण रिपोर्ट विवरण-III में संलग्न है।

विवरण-I

प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रदान की गई धन-राशि

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95	वर्ष 1995-96	वर्ष 1996-97
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1846.70	1370.68	884.21	158.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.73	71.56	25.63	3.12
3.	असम	125.21	1159.04	361.09	51.26
4.	बिहार	1109.93	1628.87	1977.84	196.55

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	15.37	11.59	5.95	1.28
6.	गुजरात	1079.70	884.50	262.98	212.73
7.	हरियाणा	181.05	243.01	175.31	10.25
8.	हिमाचल प्रदेश	80.07	109.15	26.43	4.37
9.	जम्मू और कश्मीर	84.47	190.40	132.70	35.00
10.	कर्नाटक	1683.64	1041.84	319.58	142.07
11.	केरल	122.71	57.32	7.00	6.00
12.	मध्य प्रदेश	1455.12	2821.52	977.67	103.71
13.	महाराष्ट्र	1453.16	1024.55	1153.63	141.11
14.	मणिपुर	28.18	72.67	17.62	3.96
15.	मेघालय	19.47	29.08	127.74	6.29
16.	मिज़ोरम	2.66	16.42	2.29	0.57
17.	नागालैंड	26.31	39.73	47.81	5.88
18.	उड़ीसा	614.12	606.36	801.36	45.95
19.	पंजाब	25.00	277.61	370.34	100.00
20.	राजस्थान	784.58	1745.00	1681.76	886.07
21.	सिक्किम	5.25	11.22	-	11.22
22.	तमिलनाडु	1200.00	1594.58	1212.48	64.11
23.	त्रिपुरा	224.18	6.77	0.10	4.73
24.	उत्तर प्रदेश	2555.48	2505.58	889.01	265.06
25.	पश्चिम बंगाल	719.86	1583.69	308.40	17.69
26.	चंडीगढ़	28.66	25.62	20.12	28.47
27.	दिल्ली	117.17	120.77	322.58	36.54
28.	पांडिचेरी	-	-	-	-
29.	दमन व दीव	1.96	0.56	0.56	-
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	9.81	12.15	8.12	10.06
31.	दादरा नगर हवेली	00.84	0.83	-	-
32.	लक्षद्वीप	1.57	7.41	1.62	1.62
33.	अखिल भारतीय स्तर के संगठन	-	537.77	-	-
34.	केन्द्र सरकार स्तरीय	-	843.41	-	-
	जोड़	15630.96	20951.26	12121.93	2553.75

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्ति (लाख रु. में)
आंध्र प्रदेश	49.17
बिहार	2.01
गुजरात	30.19
हरियाणा	00.95
हिमाचल प्रदेश	2.00
कर्नाटक	6.38
केरल	13.45
मध्य प्रदेश	23.22
महाराष्ट्र	24.37
उड़ीसा	15.14
पंजाब	1.92
राजस्थान	9.04
तमिलनाडु	43.08
उत्तर प्रदेश	15.53
पश्चिम बंगाल	35.33
चंडीगढ़	00.24
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	00.09

विवरण-III

विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की विशिष्टताएं

सामर्थ्य

- कार्यक्रम की अपेक्षा आंदोलन पर अधिक ध्यान देना।
- महिला साक्षरता पर विशेष बल देना।
- जाति तथा साम्प्रदायिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालना।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई मांग।
- सामाजिक न्याय तथा मानव समाज के विकास के लिए सक्रिय प्रयास
- अधिकारी तंत्र को संप्रेरित करना।
- राष्ट्रीय कार्यसूची में साक्षरता को शामिल किया जाना।

खामियां

- कुछ स्थानों पर संपूर्ण साक्षरता के लिए निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण इसके स्तर में गिरावट आयी।
- अधिकारी तंत्र का बनाया जाना-कुछ मामलों में।
- हल्की-फुल्की साक्षरता-निरक्षरता के गर्त में पुनः गिर सकते हैं।
- कुछ अभियान पर्याप्त तैयारी के बिना ही शुरू किए गए।
- कुछ राज्यों की प्रगति जोड़-तोड़ तथा संदेहास्पद है।
- शहरी क्षेत्रों में निराशाजनक प्रगति।

[अनुवाद]

प्राइवेट मेडिकल और डेन्टल कालेज

1510. **श्री गुलाम रसूल कार :**
श्री संदीपान थोरात :
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, सरकारी और प्राइवेट मेडिकल तथा डेन्टल कालेजों की संख्या और उनकी प्रवेश क्षमता और उनसे प्रतिवर्ष पास होकर निकलने वाले स्नातकों और स्नातकोत्तरों की अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या निजीकरण से देश में डेन्टल कालेजों की भरमार हो गई है, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में बरती जा रही अनियमितताओं और मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से बाहर युक्तिहीन शुल्क ढांचे की जानकारी है;

(घ) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने संपूर्ण देश में प्राइवेट मेडिकल कालेजों की मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए शुल्क ढांचे को अखिल भारतीय स्तर पर युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो अन्तिम रूप दिए गए/विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी राहत मिलेगी; और

(च) क्या मेडिकल कालेजों को मान्यता देने से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिक्षा का स्तर, विशेषकर प्राइवेट कालेजों में, बनाए रखने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). देश में कार्यरत दोनों सरकारी और निजी मेडिकल तथा डेंटल कालेजों का राज्यवार ब्यौरा तथा उनकी प्रवेश क्षमता विवरण-I एवं विवरण-II पर संलग्न हैं। प्रत्येक वर्ष में उत्तीर्ण हो रहे स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की कालेजवार संख्या उपलब्ध नहीं है।

देश में निजी डेंटल कालेजों को खोलने पर दंत चिकित्सक अधिनियम, 1946 ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ग) से (ङ). माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कालेजों में दाखिलों तथा शुल्कगत ढांचे को विनियमित किया जा रहा है तथापि केन्द्रीय सरकार संबंधित व्यावसायिक परिषदों के परामर्श से शुल्क संबंधी ढांचा तैयार कर रही है जो 1997-98 से लागू होगा।

(च) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जून, 1992 से पूर्व स्थापित किए गए ऐसे 9 कालेज हैं जिन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इन 9 कालेजों का ब्यौरा विवरण-III पर है।

(छ) भारतीय चिकित्सा परिषद् निर्धारित शैक्षिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कालेजों का आवधिक रूप से निरीक्षण करती है।

विवरण-I

कालेजों की राज्यवार संख्या तथा उनकी प्रवेश क्षमता

(कोष्ठक में प्रवेश क्षमता दी गई है)

		गवर्नमेंट कालेज	प्राइवेट कालेज
		1	2
1.	आंध्र प्रदेश	9(1021)	1(150)
2.	असम	3(391)	-
3.	बिहार	9(577)	4(प्रवेश क्षमता उपलब्ध नहीं)
4.	गोवा	1(70)	-
5.	गुजरात	7(925)	1(100)
6.	हरियाणा	1(115)	1(प्रवेश क्षमता उपलब्ध नहीं)
7.	हिमाचल प्रदेश	1(100)	-
8.	जम्मू और कश्मीर	2(200)	2(180)
9.	कर्नाटक	4(400)	15(2155)
10.	केरल	5(700)	1(100)
11.	मध्य प्रदेश	6(720)	-
12.	महाराष्ट्र	15(1690)	18(1830)
13.	मणिपुर	-	1(85)
14.	उड़ीसा	3(321)	-
15.	पंजाब	3(350)	2(120)
16.	राजस्थान	6(607)	-
17.	तमिलनाडु	10(1100)	6(535) (एक कालेज की प्रवेश क्षमता उपलब्ध नहीं)
18.	त्रिपुरा	-	1(प्रवेश क्षमता उपलब्ध नहीं)
19.	उत्तर प्रदेश	9(962)	2(100)
20.	पश्चिम बंगाल	7(700)	-
21.	दिल्ली	4(460)	-
22.	पांडिचेरी	1(75)	-
23.	चंडीगढ़	1(50)	-
	जोड़	107(11534)	55(5355)

कुल योग: 162 मेडिकल कालेज तथा प्रवेश क्षमता 16889

विवरण-II

देश में मान्यताप्राप्त दंत्य कालेजों की सूची/ राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी क्षेत्र	कोष्ठक में प्रदर्शित प्रवेश क्षमता सहित दन्त्य कालेजों की सूची		निजी क्षेत्र
1	2	3		4
आंध्र प्रदेश	2	(80)	-	
असम	1	(40)	-	
बिहार	1	(40)	2	(80)
दिल्ली	1	(20)	-	
गुजरात	2	(90)	-	
गोवा	1	(40)	-	
हिमाचल प्रदेश	-	-	1	(60)
हरियाणा	1	(20)	2	(100)
जम्मू और कश्मीर	1	(10)	-	
कर्नाटक	1	(60)	15	(1320)
केरल	2	(80)	-	
महाराष्ट्र	4	(240)	10	(590)
मध्य प्रदेश	1	(40)	-	
उड़ीसा	1	(20)	-	

1	2	3		4
पंजाब	2	(80)	3	(160)
पांडिचेरी	1	(40)	-	
राजस्थान	1	(20)	-	
तमिलनाडु	1	(45)	9	(420)
पश्चिम बंगाल	2	(90)	-	
उत्तर प्रदेश	1	(60)	1	(40)
कुल :	27	(1115)	47	(2770)

विवरण-III

गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की सूची

बिहार

1. पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद।

चंडीगढ़

2. मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़।

जम्मू और कश्मीर

3. झेलम वेली कालेज ऑफ मेडिकल साइंस, श्रीनगर।

महाराष्ट्र

4. एन.के.पी. साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, नागपुर
5. के.जे. सोमैय्या मेडिकल कालेज और रिसर्च सेन्टर, बम्बई।
6. तराना मेडिकल कालेज, न्यू बम्बई।
7. महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस और रिसर्च, लातूर।

राजस्थान

8. मेडिकल कालेज, कोटा।

तमिलनाडु

9. पेरून्धुरई मेडिकल कालेज पेरून्धुरई।

[हिन्दी]

सिंचाई जल की अनुपलब्धता

1511. **डा. सत्यनारायण जटिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई जल की उपलब्धता तथा इसके उपयोग की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अक्टूबर, 1996 तक सरकार के विचाराधीन सिंचाई/नहर परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता सहित राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में नर्मदा बांध परियोजना का कार्य पूरा करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसके निर्माण की दिशा में वर्षवार प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस बांध से चरणवार कितने क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा कितनी बिजली का उत्पादन होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में उपलब्ध कुल 1142 बिलियन घन मीटर उपयोज्य जल में से, सिंचाई उद्देश्यों (1994-95) के लिए जल (सतही और भूजल) का उपयोग 501 बिलियन घन मीटर हैं उपयोज्य जल का आकलन बेसिन वार किया गया है, राज्य-वार नहीं।

(ख) विवरण-I सलंग्न है।

(ग) मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना के निर्माण कार्य को 2010 ईसवीं सन् तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। परियोजना के निर्माण की प्रगति दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) सिंचाई क्षमता : 123 हजार हेक्टेयर
(36 हजार हेक्टेयर जून, 2000 तक शेष जून, 2010 तक)

विद्युत उत्पादन : 1000 मेगावाट
(125 मेगावाट की 2 यूनिटें प्रत्येक जून, 2000 तक) (125 मेगावाट को 6 यूनिटें प्रत्येक जून, 2005 तक)

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लाभ हजार हेक्टेयर में	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
	वृहद		
1.	श्रीराम सागर चरण-II	253.40	ख
2.	कृष्णा डेल्टा का आधुनिकीकरण	575	ख
3.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	83.78	ख
4.	पुलोधिंतला बहुप्रयोजनी	575	ख
5.	श्रीराम सागर परियोजना का बाढ़ प्रवाह नहर	102.0	ख
6.	चेंगलनाडु लिफ्ट सिंचाई परियोजना	14.165	घ
7.	जुराला परियोजना	47.84	घ
8.	करनूल कडप्पा नहर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	118.482	ख

1	2	3	4
9.	वंशधारा वृहद परियोजना के चरण-II का फेज-I	35.349	क
	मध्यम		
10.	पेद्देरू जलाशय	6.46	ख
11.	पालमवागु	6.23	ख
	असम		
	वृहद		
1.	पगलदिया बांध	54.16	ख
2.	जमुना सिंचाई का आधुनिकीकरण	27.21	घ
	मध्यम		
3.	तुरीसुलो सिंचाई	11.50	घ
4.	गुरेफेल्ला सिंचाई	16.56	घ
	बिहार		
	वृहद		
1.	पुनपुन मोरहर धारधा सिंचाई	57.88	घ.
2.	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना चरण-I	30.0	ख
3.	सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना	154.80	ख
4.	पुनासी जलाशय परियोजना	20.8	क
	मध्यम		
5.	खुंदघाट जलाशय	1.80	ख
	गुजरात		
	वृहद		
1.	मच्छु-I का सिंचाई का आधुनिकीकरण	2.14	ख
	मध्यम		
2.	उंद-II सिंचाई परियोजना	4.25	घ
3.	गोमा सिंचाई परियोजना	7.00	ग
4.	वालन सिंचाई परियोजना	7.39	ग
5.	गोजत-II जल संसाधन	7.97	घ
6.	मिट्टी सिंचाई का पुनरूद्धार	2.03	घ
7.	माहुपादा जल संसाधन परियोजना	2.34	घ
8.	वस्तु-II सिंचाई	6.15	घ
9.	नानिबरसन जल संसाधन परियोजना	3.76	घ
10.	बकरोल जल संसाधन परियोजना	4.29	घ

1	2	3	4
	हरियाणा		
	मध्यम		
1.	खेतपुराली बांध परियोजना	3.335	क
	हिमाचल प्रदेश		
	वृहद		
1.	शाह नहर सिंचाई	26.53	ख
2.	रेणुका बांध परियोजना	.00	घ
	जम्मू व कश्मीर		
	वृहद		
1.	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	38.80	घ
	मध्यम		
1.	दादी नहर का आधुनिकीकरण	4.53	घ
2.	नई प्रताप नहर का आधुनिकीरकण	1.01	घ
3.	कतुआ नहर का आधुनिकीकरण	1.94	घ
4.	गंगोर नहर का आधुनिकीकरण	6.96	क
5.	रफियाबाद उच्च लिफ्ट सिंचाई	2.93	क
6.	इगो-पेय सिंचाई	4.86	घ
	कर्नाटक		
	वृहद		
1.	अपर तुंगा परियोजना	94.70	घ
2.	अपर कृष्णा चरण-II	241.76	घ
	केरल		
1.	इदमलयार सिंचाई परियोजना	27.51	ख
2.	करपारा-कुरियाकुट्टी बहुप्रयोजनी	39.64	घ
	मध्यम		
3.	अट्टपाड़ी सिंचाई परियोजना	8.38	ग
	मध्य प्रदेश		
	वृहद		
1.	बाणसागर यूनिट-II (नहरें)	249.36	ख
2.	महानदी जलाशय	425.00	ग
3.	उच्च नर्मदा परियोजना	18.61	घ
4.	सिंध फेज-II	162.10	ख
5.	बार्गो बहुप्रयोजनी	219.80	ख
6.	कोलार परियोजना	60.87	ख
7.	थनवर टैंक	18.21	ख

1	2	3	4
8.	पेंच विक्र्परिवर्तन	96.52	क
9.	माहन	19.04	ख
10.	ओंकारेश्वर बहुप्रयोजनी	283.32	ख
11.	राजघाट नहर	121.45	ख
12.	महानदी जलाशय परियोजना	425.0	ग
	मध्यम		
13.	सुतियापट टैंक	6.96	घ
14.	अपर बेड़ा	13.36	घ
15.	उरीबाग	6.43	घ
	महाराष्ट्र		
	वृहद		
1.	दुंधगंगा सिंचाई	81.97	ग
2.	वाना सिंचाई	113.92	ख
3.	कोयना कृष्ण लिफ्ट	85.78	ख
4.	वान सिंचाई	19.18	ख
5.	अरूणावती नदी परियोजना	25.15	ख
6.	संगोला शाखा नहर	9.22	ख
7.	तिल्लारी सिंचाई	34.29	ख
8.	बावनथाड़ी सिंचाई	57.12	ख
9.	पुनादी सिंचाई	10.85	ख
10.	लोअर वन्ना परियोजना	28.82	ख
11.	ह्यूमन नदी परियोजना	58.28	घ
12.	तुलतुली सिंचाई	30.59	घ
13.	तालम्बा	28.05	घ
14.	पोथारा नदी परियोजना	8.94	घ
15.	तिल्लारी सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र व गोवा के संयुक्त उद्यम)	34.29	ख
16.	संगोला शाखा नहर परियोजना	9.224	ख
17.	तालम्बा सिंचाई परियोजना	28.05	क
	मध्यम		
18.	सकोल	2.06	क
19.	रायगवन	1.70	ख
20.	जंगमहट्टी लिफ्ट	3.46	ख
21.	जाम	6.75	ख
22.	मोर्ना गुरेघार	5.32	ख
23.	मासलगा	2.08	क
24.	कार	5.20	ख
25.	हेटवान	12.83	ख
26.	अपर मनार	8.28	ख
27.	बेनेतुरा	2.29	ख
28.	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई	2.74	घ
29.	खोर्दिनला	2.61	घ
30.	धारा	2.09	घ
31.	लोअर पनजारा	6.19	घ
32.	नागन	2.49	घ
33.	ब्राह्णगांव लिफ्ट	3.21	घ
34.	चन्द्रभंगा	8.14	क
35.	पंटकली बांध	9.51	क
36.	पुर्ना	7.06	घ
37.	उटवाली	3.72	घ
	मणिपुर		
	वृहद		
1.	तिपाईमुख बांध (1500 मेगावाट लाभ)		ख
	मध्यम		
2.	जिरो सिंचाई	9.78	ख
	उड़ीसा		
1.	लोअर इन्दा सिंचाई	38.87	घ
2.	लोअर सुकतल	29.84	घ
3.	रेंगाली सिंचाई उप-परियोजना बोयां तंट नहर-II	93.4	ख
4.	सुवणरेखा सिंचाई परियोजना	187.46 (ए आई)	-
5.	रेंगाली सिंचाई उप-परियोजना दायां तट नहर(0 कि.मी. से 112 कि.मी.)	192.877	क
	मध्यम		
6.	तेलंगीर सिंचाई	13.83	घ
7.	मनजोरे	10.43	ख
8.	सुकुरा	7.65	ख
9.	धोरगोथ	3.01	घ

1	2	3	4
	पंजाब		
	वृहद		
1.	भाखड़ा मुख्य नहर लाईनिंग को ऊंचा करना	.00	क
2.	कंदी नहर का विस्तार	29,53	घ
3.	संशोधित जल दरों को पूरा करने के लिए यू बी डी सी प्रणाली के चैनलों का पुनः आरेखण	70.00	क
	मध्यम		
4.	गुरदासपुर जिले में रावी नदी का बायों और के बुदशाहो नहर का विस्तार एवं आधुनिकीकरण	2.751	क
	राजस्थान		
	वृहद		
1.	बिसालपुर डी/डब्ल्यू एवं सिंचाई	49.89	ख
2.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-। का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण	557.60 (ए आई)	क
	मध्यम		
3.	बेथालो सिंचाई	4.32	ख
4.	बांदो सेन्द्रा	4.09	घ
5.	सुखली सिंचाई	4.22	ख
6.	चौलो सिंचाई	8.96	क
7.	चाखन मध्यम सिंचाई	3.38	ख
8.	पिपलाद सिंचाई	4.70	घ
9.	ओलवारा लिफ्ट सिंचाई	5.41	घ
10.	गरारदा सिंचाई	9.22	ख
	तमिलनाडु		
	वृहद		
1.	कावेरी डेल्टा फेज-। का आधुनिकीकरण	70.00	घ
	मध्यम		
2.	इरुक्कंगुडी जलाशय	4.21	घ
	उत्तर प्रदेश		
	वृहद		
1.	बेबार फीडर	9.80	ख
2.	जमानिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	31.82	क
3.	मेजा बांध को ऊंचा करना	17.88	ख
4.	बाणसागर नहरें	150.13	ख
5.	राजघाट नहरें	138.66	ख
6.	मौदाहा बांध	27.70	ख
7.	बुंदेलखंड नहरों का लाइनिंग	23.78	ख
8.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	11.83	घ
9.	जुराली पम्प नहर	46.45	घ
10.	कनहर सिंचाई	33.12	घ

टिप्पणी

क - योजना आयोग के पास निवेश स्वीकृति हेतु परियोजनाएं।

ख - सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं बशर्ते कुछ टिप्पणियां जैसे पर्यावरणीय और वन स्वीकृति आदि प्राप्त करने की अनुपालन कर ली जाए।

ग - परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई और अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने अथवा पर्यावरणीय/वन दृष्टि आदि से स्वीकृति न होने के कारण सलाहकार समिति द्वारा विचार आस्थगित कर दिया गया।

घ - वे परियोजनाएं जिन पर राज्य सरकारों को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों को हल करना है।

विवरण-II

31.3.1996 की स्थिति के अनुसार नर्मदा सागर परियोजना के निर्माण में प्रगति

1. वास्तविक प्रगति

बांध पर कंक्रीट कार्य प्रगति पर है। जहां तक विद्युतघर परिसर का संबंध है, अंतर्ग्रहण सरंचना का कंक्रीट कार्य और पेनस्टाक का निर्माण प्रगति पर है। मुख्य नहर पर पहले 19 कि.मी. की पहुंच पर मिट्टी संबंधी कार्य लगभग पूरा हो गया है।

2. वित्तीय प्रगति

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए)
1993-94	426.73 (मार्च, 1994 तक संचयी)
1994-95	126.33
1995-96	96.78

[अनुवाद]

इंडिया सेंटर भोपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में दस्तावेज

1512. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया सेंटर भोपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार भोपाल में परिरक्षित कुल दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने दस्तावेज उपलब्ध थे;

(ख) ये दस्तावेज किस काल के हैं;

(ग) इस केन्द्र में रखे गए दस्तावेजों के अध्ययन के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनता पर कुछ दस्तावेजों को देखने पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भोपाल केन्द्र के विस्तार की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार केन्द्र, भोपाल में परिरक्षित फाइलों और खण्डों की कुल संख्या निम्नानुसार हैं :—

फाइल	–	3,58,464
खंड	–	28,704

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष 1860-1949

(ग) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार केन्द्र, भोपाल में रखे गए रिकार्ड भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अनुसंधान नियमावली, 1982 के अनुसार परामर्श के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अनुसंधान नियमावली, 1982 द्वारा यथा अधिशासित रिकार्डों के परामर्श करने पर निर्धारित समयावधि के दौरान कोई पाबंदी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ). "सैक्यूरिटी माइक्रोफिल्मिंग प्रोग्राम" के अंतर्गत तैयार किए जा रहे रिकार्डों की माइक्रोफिल्में रखने हेतु वातानुकूलित माइक्रोफिल्मिंग रिपोजिटरी की स्थापना की गई है।

टर्बो जेनेरेटिंग सेट्स

1513. **श्री छीतुभाई गामीत :**

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री हरिन पाठक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी तल विद्युत गृह के लिए टर्बो जनरेटिंग सेट खरीदने हेतु ओ.डी.सी.एफ. ऋण की अनुपलब्धता के कारण सरदार सरोवर परियोजना में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विकल्प पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ओ.ई.सी.एफ. की अनुपलब्धता और मै. सुमित एंड कारपोरेशन जापान के साथ साखपत्र पर सहमति नहीं होने के कारण गतिरोध हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की 13 नवंबर, 1996 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में हुई सातवीं बैठक में यह सहमति हुई कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1996 में पहले से गठित वार्ता दल सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के लिए टरबों-जनरेटिंग सेटों के आपूर्तिकर्ता, मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन, जापान के साथ बातचीत करे और पहले से तैयार तथा संग्रह किए हुए अथवा जापान में निर्माण के उन्नत चरण में टरबो जनरेटिंग सेटों की खरीद और स्थापना शीघ्र करें। इसके बाद इस संबंध में आगे और कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्रों की खरीद

1514. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री शिवराज सिंह :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1996 के राष्ट्रीय सहारा में "पाक ने भारत के तातिया शहरों को निशाना बनाने वाली मिसाइल खरीदी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा देश के तटीय नगरों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या भारतीय तट रक्षक के पास "प्रोपोर्सनल डायनानिज्म" के आधुनिक प्रक्षेपास्त्र पर्याप्त संख्या में हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रक्षेपास्त्रों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा खरीदे गए प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए प्रक्षेपास्त्रों से बेहतर हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पाकिस्तान ने अन्तर्जलीय प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेप क्षमता युक्त अगोस्टा श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए फ्रांस के साथ एक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस भी एग्जोसेट प्रक्षेपास्त्र (ए एस एम 39) के सब-लौंच्ड रूपातंरण की आपूर्ति किए जाने पर सहमत हो गया है। ये मुख्य रूप से पोत-रोधी प्रक्षेपास्त्र हैं और इनका उपयोग पोतों व अपतटीय स्थापनाओं के लिए किया जा सकता है। इन प्रक्षेपास्त्रों को तट/तटीय लक्ष्यों पर प्रहार के लिए अचूक नहीं माना जाता। तथापि, पाकिस्तान द्वारा चीन से प्राप्त किए गए एम-11 प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग तट/तटीय लक्ष्य के लिए किया जा सकता है।

नौसेन के लिए प्रणालियों एवं शस्त्रों की प्राथमिक आवश्यकता के अर्जन से संबंधित कार्रवाई करने के लिए प्रधान मंत्री के आदेश पर एक कार्य बल गठित किया गया है ताकि पाकिस्तान द्वारा हाल ही में प्राप्त किए गए हथियारों से उत्पन्न होने वाले खतरे का सामना किया जा सके। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट में इन पाकिस्तानी अर्जनों के विरूद्ध प्रति उपाय के रूप में कई उपायों की पहचान की है।

(घ) तटरक्षक के ड्यूटियों के चार्टर के अनुसार तटरक्षक के पोतों और वायुयानों पर किसी भी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को लगाना अपेक्षित नहीं है। इन पोतों और वायुयानों पर जो हथियार लगे हैं वे परिकल्पित भूमिका के निर्वाह के लिए पर्याप्त हैं।

(ङ) और (च). सरकार हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है और रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर उपयुक्त प्रति उपाय करती है। भारतीय नौसेना को भी उभरते खतरे को ध्यान में रखते हुए पुनःसज्जित और आधुनिक बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

भागीदारी सिंचाई प्रबंधन को प्राथमिकता

1515. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई क्षेत्र में भागीदारी सिंचाई प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र में गतिविधियां तेज करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या राज्यों को भागीदारी सिंचाई प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को तेज करने हेतु पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष सहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार का इस योजना के अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाने का विचार है जिसमें लगभग 15.00 करोड़ रुपए की राशि पुनर्वास पर खर्च की जाएगी और इसमें से एक हिस्से की राशि किसानों द्वारा वहन की जाएगी;

(च) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए विशेष सहायता के रूप में देने का अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस अनुरोध पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। केंद्र सरकार ने सिंचाई प्रबंध में भागीदारी को प्राथमिकता दी है।

(ख) सिंचाई प्रबंध में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसान संघों को प्रबंधकीय राज सहायता देना।
- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्य और परियोजना स्तर पर किसानों की भागीदारी के साथ सहभागी सिंचाई प्रबंध में भागीदारी पर राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित करना तथा राज्य स्तर और परियोजना स्तर के सम्मेलन प्रायोजित करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों के लिए और राज्य स्तर पर अधिकारियों और किसानों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- संघों के गठन के लिए मैनुअल तैयार करने और सिंचाई अधिनियमों में संशोधन लागू करने के लिए राज्यों को दिशानिर्देश देना तथा सहायता देना।
- किसान संघों के गठन के लिए नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यकारी दल गठित करने की राज्य सरकारों को सलाह देना, और
- "नौवीं योजना के लिए सिंचाई प्रबंध में भागीदारी पर योजना आयोग द्वारा कार्यकारी दल" की स्थापना करना।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात सरकार का अतिरिक्त 20,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रबंध

में भागीदारी योजना के अंतर्गत लाए जाने का विचार है जिसमें 15.00 करोड़ रुपए की पुनर्वास लागत शामिल है। इनका कुछ भाग किसानों द्वारा वहन किया जाना है।

(च) गुजरात सरकार ने सिंचाई प्रबंध में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 1996 में योजना आयोग से विशेष सहायता के रूप में 10.00 करोड़ रुपए प्रदान करने का अनुरोध किया था।

(छ) योजना आयोग ने मार्च, 1996 में गुजरात सरकार को सूचित किया था कि राज्य की वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है लेकिन उपर्युक्त विचार-विमर्श के समय यह मुद्दा नहीं उठाया गया।

आई.आर.सी.सी. में प्रोन्नति

1516. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.आर.सी.सी. में समूह "क" सेवा में कितने योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को "आर एंड पी" नियमों के अनुसार वंचित कर दिया गया है तथा वर्ष 1991-93 के दौरान बगैर रिक्तियों के सामान्य श्रेणी के कितने कर्मचारियों की पदवार प्रोन्नति कर दी गयी है;

(ख) 12 दिसंबर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 644 के संबंध में दिए गए आश्वासनों, सी.एम.डी. द्वारा सचिव, एस.एफ.टी. को 22 मई, 1995 को दिए गए आश्वासनों को पूरा न कर पाने तथा बोर्ड की कार्यसूची मद 18/8 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को प्रोन्नति न देने के क्या कारण हैं;

(ग) कदाचार में लिप्त कृषि भूमि को बेचने, स्वयं पट्टे की भूमि संबंधी भत्ता लेने तथा पत्नियों द्वारा आवास किराया भत्ता लेने, टेलिफोन के दबाव/प्रभाव द्वारा प्रोन्नति कराने, बोर्ड की अनुमति के बगैर प्रोन्नति/उन्नयन तथा आर एंड पी नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मामलों में कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त मामलों में संलिप्त एक अधिकारी को कार्मिक विभाग का प्रधान बना दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ). ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजना पर किया गया व्यय

1517. **श्री नीतीश कुमार :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) चालू विभिन्न सिंचाई परियोजना संबंधी कार्यों पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) वर्ष 1995 के अंत तक देश में विभिन्न नदियों और वर्षा द्वारा प्राप्त हुए जल के उपयोग हेतु सृजित क्षमता के औसत प्रतिशत का सरकारी अनुमान क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर सातवीं और आठवीं योजनाओं के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :-

पंचवर्षीय योजना	(करोड़ रुपए में) व्यय
सातवीं	14225.64
आठवीं	28391.79 (परिव्यय)

(ख) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न चालू वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कुल 41,272.00 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान देश के कुल उपयोज्य जल संसाधनों का अनुमानित प्रतिशत उपयोग लगभग 53 प्रतिशत है।

सिंचित भूमि की प्रतिशतता

1518. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि में से कुल कितने प्रतिशत सिंचित है;

(ख) सिंचाई के विभिन्न साधनों द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई हुई है तथा एक बड़े और कम वर्षा वाले राज्य होने के बावजूद राजस्थान राज्य का विकास न हो पाने के क्या कारण हैं;

(ग) इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर अब तक कुल कितना समय तथा कितना निर्माण कार्य हुआ है;

(घ) इस समय इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुल कितनी भूमि की सिंचाई की गई है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय सिंचाई योजना का दर्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार के पास इसकी स्वीकृति हेतु राजस्थान की कितनी विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं; और

(च) इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). कृषि मंत्रालय के 1992-93 के लिए (अद्यतन) भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल कृष्य भूमि के निवल सिंचित भूमि का प्रतिशत 17.39 है।

सिंचाई का विकास विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है जैसे स्थलाकृतिक और जलवैज्ञानिक परिस्थितियों, वार्षिक वर्षा, भूजल पुनर्भरण और योजना परिव्ययों के आबंटन में राज्य सरकार द्वारा दी गई अंतःक्षेत्रीय प्राथमिकताएं आदि।

(ग). इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर मार्च, 1996 तक किया गया कुल व्यय 1423 करोड़ रुपए है। मार्च, 1996 तक 649 किमी. लंबी मुख्य नहर और कुल 5635 किमी. वितरण प्रणाली पूरी की गई है।

(घ) मार्च, 1996 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I और II द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता 9.38 लाख हेक्टेयर है जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान वास्तविक सिंचाई 7.90 लाख हेक्टेयर रही। यह परियोजना, पूरी होने पर कुल 18.69 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र में से 15.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार यह परियोजना वर्ष 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है। केन्द्र सरकार ने देश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना समेत किसी भी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई स्कीम का दर्जा नहीं दिया है।

(ङ) और (च). भारत सरकार के पास लंबित सिंचाई परियोजनाओं का विवरण निम्न अनुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
	1	2
1.	बिसालपुर पेयजल एवं सिंचाई	309.07
2.	बैथाली सिंचाई	13.07
3.	चाअली सिंचाई	28.87
4.	बांदी सेन्द्रा	11.56
5.	सुकली सिंचाई	15.41
6.	थाकन सिंचाई	7.98
7.	गारदा सिंचाई	36.50
8.	विपलाद सिंचाई	16.93
9.	ओलवारा लिफ्ट सिंचाई	9.00
10.	इंदिरा गांधी नहर चरण-I (विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण)	86.39

सिंचित भूमि

1519. श्री नवल किशोर राय :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995 के आरंभ में 149 मिलियन हेक्टेयर कृष्य भूमि में सिंचाई के छोटे साधनों से सिंचाई होती थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिड़ला फाउनडेशन के एक स्कन्ध द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि उसमें से 50 मिलियन भूमि सिंचाई के साधनों की कमी के कारण अब कृषि योग्य नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 (नवीनतम) के प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार सभी माध्यमों से सिंचाई के अधीन भूमि का विवरण निम्नानुसार है :—

(मिलियन हेक्टेयर में)

		वर्ष 1992-93 (अनन्तिम)
1.	देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र	328.73
2.	कुल कृष्य क्षेत्र	184.38
3.	निवल बुवाई क्षेत्र	142.51
4.	कुल सिंचित क्षेत्र	66.14
5.	निवल सिंचाई क्षेत्र	50.10

(ग) जी, नहीं।

(घ) भूमि उपयोग संबंधी सरकारी आंकड़ों (1992-93) के अनुसार देश में 142.51 मिलियन हेक्टेयर निवल बुवाई क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र 50.10 मिलियन हेक्टेयर के क्रम में है।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक विरासत की रक्षा

1520. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सतत कटाव और उसमें परिणामस्वरूप एक वैष्णव कला और संस्कृति केन्द्र नदी द्वीप मानुली (जोरहार जिला, असम) उत्पन्न हुए खतरे की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) पिछले दशक के दौरान माजली द्वीप का कितना कटाव हुआ है;

(घ) क्या सरकार को किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी/संगठन से माजुली द्वीप विरासत के सुधार और परिरक्षण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). ब्रह्मपुत्र और सुबानसीरी नदी के प्रवाह के कारण द्वीप कटाव ग्रस्त है। अधिक कटाव रोके जाने के लिए द्वीप के कुछ भागों में तटबंध बनाए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट

1521. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उचित प्रकार के जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता संबंधी गंभीर परिणामों तथा प्रमुख जेट एयरक्राफ्ट के क्षतिग्रस्त हो जाने संबंधी खतरे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या एडवांस जेट ट्रेनर खरीदे जाने संबंधी कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). सरकार को भारतीय वायुसेना के युद्धक पायलेटों के चरण तीन के प्रशिक्षण के लिए उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयान की आवश्यकता की जानकारी है। तदनुसार उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयानों की अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। वाणिज्यिक मूल्यवार्ताएं आरंभ हो गई हैं।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास

1522. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास का कार्य महाराष्ट्र के धूले जिले के तलोदा और तनुका क्षेत्रों में चल रहा है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य के जनजातीय किसानों को दी गई भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो सिंचाई सुविध कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तथा (ख). जी, हां।

(ग) 4200 हेक्टेयर भूमि जो विस्थापितों को आबंटित की जा रही है, के लिए 1988 के अंत तक सिंचाई सुविधाएं मुहैय्या कराने की योजना है।

खेलों का विकास

1523. **श्री पंकज चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश में खेलों के विकास के लिए नई अकादमियां स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

1524. डा. असीम बाला :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में विशेष रूप से केरल में कासरगोड जिले के नीलेश्वर ब्लाक से आंगनवाड़ियां शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इन कार्यकर्ताओं के कार्य करने की स्थितियां कैसी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को 1995-96 के दौरान सर्व-सुलभ बना दिया गया है तथा देश में कुल 5614 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनके अंतर्गत 5320 सामुदायिक विकास खण्ड और 310 शहरी बड़ी गन्दी बस्तियां आती है। वर्ष 1995-96 के दौरान, कासरगोड जिले के नीलेश्वरम् सामुदायिक विकास खण्ड में 237 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए।

(ग) 31 सितंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार, 3,36,737 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं।

(घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वैच्छिक अंशकालिक कार्यकर्ता होती हैं तथा उन्हें 350/- रुपये से लेकर 450/- रुपये प्रतिमाह तक का नियत मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार अवर श्रेणी लिपिक को देय दैनिक भत्ता तथा बस/रेल (द्वितीय श्रेणी) के वास्तविक किराये के आधार पर यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता दिया जाता है।

भू-जल की खोज

1525. श्री सौम्य रंजन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिमोट सेंसिंग अध्ययन का अनुमान लगाने हेतु प्रयुक्ति किये जाने वाले भू-आकृति तथा रेखा संबंधी तैयार किये गये मानचित्रों से देश में भूजल की खोज में सहायता लेने में सफलता दिखाई दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ राज्यों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए स्थलों का पता लगाने के वास्ते क्षेत्रों का सीमांकन करने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा जल भूवैज्ञानिकीय तथ भू भौतिकी तरीकों के संयुक्त प्रयोग से दूरस्थ संवेदन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अंतरिक्ष विभाग द्वारा तैयार किए गए भू-आकृतिविज्ञानीय तथा रेखीय मानचित्रों का प्रयोग किया गया है। भूमि की जांच करने तथा भू भौतिकी क्षेत्र सर्वेक्षणों के बाद अधिकांश चुनिंदा स्थलों पर सफल नलकूप बनाये गये हैं।

अलमाटी बांध

1526. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ऊंचाई बढ़ाये जाने का विचार है; और

(ग) इस मामले में लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अपर कृष्णा परियोजना चरण-I जिसे सितम्बर, 1990 में योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गई, की मुख्य विशेषताओं के अनुसार, अलमट्टी बांध का निर्माण स्पिलवे क्रेस्ट पर 509 मीटर ऊंचाई के साथ 512.2 मीटर पूर्ण जलाशय स्तर के अनुरूप 523.8 मीटर की ऊंचाई तक किया जाना है। कर्नाटक राज्य सरकार को अलमट्टी बांध में उच्च रेडियल दारों में एमबेडिड भागों की अग्रिम में आयोजना करने अलमट्टी बांध का निर्माण स्पिलवे और विद्युत बांध के हिस्से में 523.8 मीटर से 528.25 मीटर तक की ऊंचाई में करने तथा अलमट्टी जलाशय से 5 संख्या अग्र लिफ्ट सिंचाई स्कीम के नींव स्तर से पूर्ण जलाशय स्तर 512.2 मीटर तक शीर्ष कार्य करने के लिए भी योजना आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 में अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने चरण-I में पूर्ण जलाशय स्तर 512.2 मीटर से अपर कृष्णा परियोजना चरण-II में 524.256 मीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 1996 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है।

जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रधानमंत्री का दौरा

1527. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री विजय गोपाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने जी-15 शिखर सम्मेलन में शामिल होने तथा वापिस आने के लिए प्रधानमंत्री तथा उनके दल हेतु हरारे के लिए एयर इंडिया के विमान को किराये पर लिया था;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(ग) प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्यों को किन परिस्थितियों में इस विमान में उड़ान भरने की अनुमति दी गई तथा हरारे से आने और जाने की उनकी यात्रा के लिए क्या शुल्क लिया गया;

(घ) क्या मंत्रालय अथवा हरारे स्थित भारतीय दूतावास ने प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों के दक्षिण अफ्रीका सन सिटी के दौरे की व्यवस्था की थी; और

(ङ) यदि हां, तो कितना खर्च हुआ और यह खर्च किसने वहन किया?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ने प्रधान मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के छठे जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हरारे यात्रा के सिलसिले में एअर इंडिया का एक विमान किराए पर लिया था।

(ख) यह विमान एअर लाइन की किराया शर्तों के अनुसार एअर इंडिया से किराए पर लिया था।

(ग) प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्य पिछली परम्परा के अनुरूप इस विमान से गए थे।

(घ) हरारे स्थित भारत के उच्चायोग ने प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्यों की यात्रा के लिए इन्तजामात करने में सहायता की थी।

(ङ) श्रीमती चन्नम्मा देव गौड़ा को छोड़ कर प्रधान मंत्री के परिवार के अन्य सदस्यों ने अपना-अपना व्यय स्वयं वहन किया था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

1528. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में कितने नवोदय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का हमीरपुर, जालौन ललितपुर और झांसी में नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बुंदेल खण्ड क्षेत्र में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उत्तराखण्ड की भांति बुंदेलखंड को शैक्षणिक रूप से एक पिछड़ा इलाका घोषित करके आरक्षण का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(च) बुंदेल खण्ड क्षेत्र में शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) अब तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक करके 46 जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग). हमीरपुर, ललितपुर तथा झांसी जिलों में नवोदय विद्यालय पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जालौन जिलों में नवोदय विद्यालय समिति के मानदंडों के अनुसार नवोदय विद्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (च). 15 से 35 आयु वर्ग की निरक्षर जनसंख्या को शामिल करने के लिए हमीरपुर, जालौन, ललितपुर तथा झांसी जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए गए हैं। अभियान अभी कार्यरत हैं अतएव साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की सही संख्या का पता लगाना संभव नहीं है।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 दिसंबर, 1996/12 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।